खण्ड-296, अंक-2
गुरूवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1894
(6 अप्रैल, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०३–१०७
प्रश्नोत्तर	१०७–१४४
व्यवस्था का प्रश्न	१४४
बिक्री–कर अनुभाग की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी)	१४४
स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग के वार्षिक विवरण (सदन के पटल पर रखे गये)	१४४
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७२ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१४५
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७२ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१४५
प्राक्कलन समिति का दशम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	१४५–१४६
प्राक्कलन समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	१४६–१४७
उद्योग राज्य मंत्री, श्री देवकी नन्दन विभव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी) ..	१४८–१५१
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सूचना	१५१
वाराणसी नगर महापालिका के सदस्यों के प्रति इंचार्ज पुलिस कोतवाली, वाराणसी द्वारा कथित अभद्र व्यवहार के संबंध में वक्तव्य ..	१५१–१५४
कानपुर के बाबू पुरवा क्षेत्र के श्री विजय बहादुर सिंह आदि के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार के संबंध में वक्तव्य	१५४–१५६
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	१५६–१५८
रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में मुख्य मंत्री का स्पष्टीकरण	१५८–१५९
अगले कार्य-क्रम के बारे में सुझाव	१५९
१९७२–७३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	१५९–१९९
नियम १५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१९९–२०१
१९७२–७३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..	२०१–२०४
जिला हरदोई, थाना बघौली के इंचार्ज के विरुद्ध श्री महाराज सिंह के कत्ल के विषय में रिश्वत मांगने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा ..	२०४–२१९
नत्थियां	२२०–२३४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ६ अप्रैल, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–(३६६)

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
श्री अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री

गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपालसिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह कुंवर, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री

बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगौवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह बिशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभो यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रधुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री

रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबिलास पांडेय, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रावअब्दुर्रफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शांती चरण पिंडारा, श्री
शांन्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेंन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सुरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीश चन्द्र, श्री

संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्य नाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट-- सूचना राज्य मन्त्री श्री पुरुषोतमदास टंडन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ अप्रैल, १९७२

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सर्वोदय इंटर कालेज, जिला मेरठ के प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायत

**१--श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतावेंगे कि पिलखुआ (जिला मेरठ) के सर्वोदय इंटर कालेज के प्रिंसिपल ने उन्हें पत्र लिख कर यह शिकायत की है कि पिलखुआ के ही एक प्रिंसिपल ने २१ मार्च, ७२ को हाई स्कूल का गणित का पर्चा आउट कर दिया जो २२-३-७२ को खुलना था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

जी हां ।

शिकायती पत्र शिक्षा निदेशक तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् को दिनांक २९ मार्च, १९७२ को आवश्यक जांच एवं कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जिस प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायत है उनका क्या नाम है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, अभी इस संबंध में जांच हो रही है । यदि वे दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच किस व्यक्ति के द्वारा कराई जा रही है और क्या उसको किसी उच्चाधिकारी द्वारा करायेंगे जो लखनऊ से डिप्यूट किया जाय ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

मान्यवर, अभी जांच डिप्टी डायरेक्टर द्वारा हो रही है । इसके साथ ही साथ सी० आई० डी० के द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सारे विद्यार्थियों को दुबारा इम्तहान दिलाने की सोचेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वह परीक्षा निरस्त कर दी गई है और पुनः परीक्षा होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री इसको व्यवस्था करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी व्यवस्था की जायेगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

गणित का पेपर आउट हो जाने से एक केंद्र में ही नहीं बल्कि कई केंद्रों में प्रश्न-पत्र आउट हो गया है तो क्या मंत्री जो एक ही केंद्र की परीक्षा लेने की व्यवस्था करेंगे या सभी केंद्रों की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, प्रमाणित सूचना मेरठ और आगरा की है। मेरठ में १६ केंद्रों में और आगरा में २६ केंद्रों में परीक्षा निरस्त कर दी गई है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी शिकायत की गम्भीरता को देखते हुये इसकी जांच किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने सुना नहीं । उन्होंने कह दिया है कि सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने के आदेश दे दिये हैं ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्नपत्र के आउट हो जाने से दूसरे स्थानों पर भी असर होगा इसलिये दुबारा परीक्षा लेने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक) —

मान्यवर, अभी निवेदन किया कि मेरठ के ऐसे १६ केंद्र हैं जैसे हापुड़, गाजियाबाद, दासना वगैरह यानी काफी हिस्से में इसको रोक दिया गया है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रिंसिपल द्वारा सूचना दी गई है कि उनके द्वारा नकल कराई गई, वह कौन कालेज हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, श्री मेघराज शर्मा, प्रिंसिपल सर्वोदय इंटर कालेज ने सूचना दी और तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ हुई ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, २२ तारीख का प्रश्न-पत्र २१ तारीख को खुल गया तो सारे प्रदेश में वह आउट हो गया इसलिये केवल दो जिलों में पुनः परीक्षा लेने का निश्चय क्यों किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, पर्चा खुला या नहीं खुला इसकी जांच हो रही है। लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि प्रश्न-पत्र आउट हो गया इसलिये परीक्षा निरस्त कर दी गई है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि जिलों में जब प्रश्न-पत्र भेजे गये तो डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स द्वारा तो स्कूलों के प्रतिनिधि उनको रिक्शा वगैरह तथा हाथ में ले गये । इस तरह की अव्यवस्था हुई है तो क्या वे प्रश्न-पत्रों के भेजने की व्यवस्था की जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को दंड देंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया कि आगे ऐसी व्यवस्था की जायगी कि इस प्रकार की चीजें न होने पाये । जांच की जा रही है और जो व्यक्ति दोषी पाया जायगा उसको दंड दिया जायगा ।

(श्री चन्द्रभान शर्मा के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्र भान जी, जैसा आपने कहा जरा बतायें कि मैंने किस व्यक्ति को ३ बार समय दिया ?

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

हमें आप कभी समय नहीं देते, जो सामने बैठे हैं, उनको ही समय देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको चेतावनी देता हूं कि बार-बार आप ऐसे ही अनुत्तरदायित्वपूर्ण आरोप लगाते हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आप हमारी तरफ नजर उठाकर ही नहीं देखते।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी उस बात में क्या दम रह गया जब आप नहीं बता सकते कि मैंने किस को ३ बार समय दिया।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

पूरे दिन में आप किसी किसी को ११-११ बार समय देते हैं, हमारा नंबर ही नहीं आता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमान् जी, दो उत्तर दिये गये हैं, एक तो यह कि अभी जांच हो रही है और प्रिंसिपल के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और दूसरा उत्तर यह है कि १६ केन्द्रों की परीक्षा फिर से होगी । इससे यह तो सिद्ध ही हो गया कि प्रश्न-पत्र आउट हो गया और वह रहता है प्रिंसिपल की कस्टडी में । अब वह प्रिंसिपल दंडित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

कस्टडी में तो रहता है लेकिन जैसा कि शर्मा जी ने आरोप लगाया है उस आधार पर अब जांच हो रही है । अब जो भी दोषी पाया जायगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

यह ठीक है कि परचा हापुड़ में आउट हुआ है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स इतने तेज हो गये हैं कि उसका असर गोरखपुर और देवरिया में भी हो सकता है, इसलिये क्या मंत्री जी इस परीक्षा को पूरे तौर से दुबारा लिये जाने पर विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

यह तो नामुमकिन है । जहां-जहां पर यह देखा गया कि उसका असर हुआ है, वहां-वहां की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया ।

परिगणित एवं अनुसूचित जन जातियों का राज्य सेवाओं में सुरक्षित स्थान

**२--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोकचन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री चन्द्र भान शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष १९७१ में परिगणित एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिये राज्य सेवाओं में स्थायीकरण एवं पदोन्नति में भी क्रमशः १८ प्रतिशत और दो प्रतिशत सुरक्षित स्थान की घोषित नीति होने के बावजूद भी उसका पालन नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (बेगम हमीदा हबीबुल्ला)--

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये चयन प्रणाली द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में स्थान सुरक्षित करने के विषय में शासन द्वारा निर्णय लिया गया था, किन्तु उसके कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं । अतः मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है । भारत सरकार में प्रचलित प्रणाली का भी अध्ययन किया जा रहा है । इसके पूरे होने पर शासन द्वारा आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे ।

स्थायीकरण के संबंध में उक्त जातियों के लिये आरक्षण के विषय कोई में निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह निर्णय कब लिया गया और शासन के सामने वे कठिनाइयां कौन-कौन सी हैं जो उनके इस निर्णय में बाधा उपस्थित कर रही है ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला--

३१ दिसम्बर, ७१ को कैबीनेट में यह निर्णय लिया गया कि चयन प्रणाली द्वारा भरे जा रहे पदों के लिये १८-२० प्रतिशत का सरंक्षण प्रदान किया जाय ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

३१ दिसम्बर को जो निर्णय लिय गया, क्या उस आदेश को प्रसारित कर दिया गया था ? और यदि हां, तो उसके बाद से अब तक उन आदेशों का कितना पालन हुआ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैंने पूछा था कि वे कठिनाइयां क्या है जो सरकार के निर्णय में बाधा उपस्थित कर रही हैं ? जब सरकार ने निर्णय लिया तो भारत सरकार की प्रतिनिधि प्रणाली का अध्ययन क्यों नहीं किया ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला--

साधारण रूप से तो किया जाता है लेकिन कठिनाई वहां होती है जब पी०एस०सी० वगैरह के जरिये से उनका चयन होता है और उनको रिजवायर्ड क्वालीफिकेशन नहीं मिल पाती है । इसलिये कठिनाई जो हो रही है वह इम्प्लीमेंटिशन में हो रही है । उस पर सरकार फिर विचार कर रही है और उसमें जल्दी ही कोई बात तय की जायगी ।

श्री अनन्तराम [illegible]वाल (जिला बाराबंकी)--

मंत्री जी ने अभी बताया कि यह मंत्रि-परिषद् का निर्णय है, तो मंत्रि-परिषद ने सारे प्रश्नों पर विचार कर के निर्णय लिया होगा कि यह स्कीम लागू की जायगी लेकिन वह कौन लोग हैं जो उस निर्णय को लागू नहीं होने दे रहे हैं ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला--

इसमें किन्हीं लोगों की बात नहीं है बल्कि मुख्तलिफ तरीके से उनका सेलेक्शन होता है, उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें पेश आती हैं कि उनका मिनिमम स्टैंडर्ड पूरा नहीं हो पाता है, इसी से दिक्कत हो रही है।

श्री त्रिलोकचन्द--

स्थायी करने की बात तो आपने पहले ही स्वीकार कर ली थी कि निर्णय नहीं लिया लेकिन पदोन्नति करने में क्या मुख्य-मुख्य कठिनाइयां हैं ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला--

इस की बाबत मैंने बताया कि इस पर पुनः विचार किया जा रहा है।

(बहुत से सदस्य एक साथ खड़े हो गये --व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने यह जानते हुये कि फरवरी, सन् ७२ में उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस सरकार ने यह निर्णय दिसम्बर, सन् ७१ में इसलिये लिया ताकि उसे हरिजनों के वोट प्राप्त हो जायं लेकिन अब सरकार को उस निर्णय को इम्पलीमेंट करने में क्या कठिनाई आ रही है ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला--

यह निर्णय पालिसी के आधार पर लिया गया होगा ?

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

बराबर मेरे द्वारा और माननीय सदस्यों द्वारा सरकार के सामने प्रश्न उठाया गया कि वे कौन सी कठिनाइयां हैं और उसका एक ही उत्तर बार-बार मंत्री जी देती हैं कि उस पर विचार हो रहा है, तो क्या कठिनाइयां जानने के लिये विचार हो रहा है ? आप हम व्यवस्था दें कि उन कठिनाइयों को बताने की सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

सूचना की आवश्यकता है।

(हंसी और व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । वह उत्तर देते हैं और उत्तर गलत होगा तो आप उसका परिणाम जानते हैं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि कैबिनेट ने अपनी पालिसी के आधार पर जो निर्णय लिया है उसको सामने रखकर इस काम को पूरा करने में दिक्कतें सामने आयेंगी, उनको दूर करने का वह आदेश जारी करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मंत्रि-परिषद् ने यह निर्णय लिया, आदेश जारी नहीं हुये हैं ....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह मंत्रि-परिषद् का निर्णय है या मंत्रिमंडल का निर्णय है ? मैं समझता हूं वह निश्चित मंत्रिमंडल के निर्णय हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अंतिम निर्णय तो मंत्री परिषद् में होता है । मंत्री मंडल में तो सभी आते हैं, उप-मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स । तो यह मंत्री परिषद् का निर्णय है।

श्री अनन्त रामजायसवाल—

मंत्री परिषद् का मतलब है आपके राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी को मिलाकर मंत्री परिषद् कहते हैं । मंत्री मंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं । तो यह कैबिनेट का निर्णय है या मंत्री परिषद् का ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मंत्री परिषद् का मतलब कैबिनेट से है और मंत्री मंडल का मतलब सारे मंत्रियों से है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह कौन सी मंडली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह वह मंडली है जिसमें पहले आप भी थे । यह निर्णय मंत्रि परिषद् ने लिया था । इसमें कठिनाई हुयी, सुपरसेशन की जिसके कारण आदेश जारी नहीं हुए । जो लोग ऊपर हैं उनको सुपरसीड करना है । तो इस कठिनाई पर हम विचार कर रहे हैं । भारत सरकार में तो ऊपर का ग्रेड है लेकिन हमारे यहां पर नहीं है। हम उन कठिनाइयों के निराकरण करने पर विचार कर रहे हैं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा(जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई औफिशियल या नान औफिशियल कमेटी बनी हुयी है, जो उन कठिनाइयों पर विचार कर रहे हैं ? और कब तक उन कठिनाइयों पर विचार होकर केबिनेट के निर्णय का कार्यान्वयन हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं स्वयं ही इस पर विचार कर रहा हूं और जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने पर विचार कर रहा हूं और जितनी जल्दी विचार कर लेंगे, उतनी ही जल्दी कार्यान्वयन करा देंगे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि जब से आपने निर्णय लिया है तब से हरिजन अधिकारियों जिन्हें इनसे कुछ फायदा होने वाला था, उनकी वैड ऐंट्री करने में ऊपर के अधिकारी तल्लीन हैं ? एक श्री राम गोपाल निगम हैं उनके ऊपर गबन के कई आरोप हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं हुयी है लेकिन एक सहायक निदेशक हैं, उनको निलंबित किया गया है ताकि यह प्रोमोशन न हो सके ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मुझे तो कोई सूचना नहीं लेकिन यदि माननीय सदस्य को कोई ऐसी सूचना हो तो मुझे लिख कर दे दें, मैं जांच करा लूंगा ।

श्री महीलाल---

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं बताया कि भारत सरकार ने यह निर्णय ले लिया है, उस पर अमल भी हो रहा है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह भी जानते हैं कि कुछ लोगों से जो प्रभावित होने वाले थे, वे सुप्रीम कोर्ट में गये और वहां जो मंत्री परिषद् का निर्णय है, उसको उचित ठहराया तो फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या विशेष कठिनाइयां हैं, जिनको व्यवहारिक रूप देने में सरकार को दिक्कत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कठिनाईयां जो हैं, वे अगर आप समझना नहीं चाहते हैं तो समझाना बड़ा मुश्किल है। सुपरसेशन का प्रश्न है । भारत सरकार में तो एक ग्रेड ऊपर है । वह प्रणाली हमारे यहां नहीं है । किस प्रकार से इस कठिनाई को दूर करें, हम विचार कर रहे हैं । चूंकि निर्णय हमारा ही है, हम चाहते हैं कि जो इसके कार्यान्वयन में कठिनाई है, वह दूर हो ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बहराइच जिले के अध्यापकों का वेतन तथा अन्तरिम सहायता

*१---श्री पारसनाथ सिंह(जिला बहराइच)श्री धूम प्रसाद(जिला फैजाबाद) श्री मोहनलाल कपूर तथा श्री त्रिवेणी सहाय(जिला गोंडा)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के किन-किन विद्यालयों ने राजकीय आदेश के बाद भी २५ जून तक, जून मास का वेतन और अन्तरिम सहायता के आठ रुपये भुगतान नहीं किये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जून मास का वेतन तथा अन्तरिम सहायता २५ जून, तक देय नहीं होता । अतः उसे २५ जून तक भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहनलाल कपूर--

यह जून का वेतन नहीं है । मई मास का वेतन भी २५ जून तक नहीं मिला है और दूसरे गत वर्ष का अन्तरिम भत्ता वह भी जून के मास तक नहीं मिला है। दोनों प्रश्नों पर एक टालने वाला उत्तर दे दिया है । श्रीमन्, आप मंत्री महोदय को कहें कि पिछले साल का अन्तरिम भत्ता जून, १९७१ तक और मई माह का वेतन जून तक नहीं दिया गया है?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न आपका था कि २५ जून तक जून मास का वेतन. . . .तो २५ जून को जून मास का वेतन का सवाल ही नहीं उठता है। यह स्वीकार किया जाय प्रश्न कि मई मास के वेतन से संबंधित है मामला ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यवर, प्रश्न तो जून का है। हमने उसी की खोजबीन की है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरा निवेदन है कि हर महीने की दो तारीख को वेतन मिल जाय ऐसा कानून बनाकर सरकार ने जिम्मेदारी ली है। शिक्षकों को बीस तारीख तक वेतन दे दिया करेंगे । और अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रबन्धक के खिला फ सरकार मुकदमा चलायेगी । अब जब कि वेतन नहीं दिया गया तो क्या आपने मुकदमा चलाने की कार्यवाही की है ? अगर नहीं की है, तो क्यों नहीं की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

अभी तो मान्यवर, यह जून का मसला है । जून का वेतन जुलाई में मिलेगा । जब इस प्रश्न का गिर्णय हो जायेगा तब कार्यवाही होगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके प्रश्न करने में असावधानी हो गई थी । जैसा जायसवाल जी का कहना है वह तो २० जून तक का है तो जुलाई महीने का ही होगा न । इसलिये हम आगे बढ़ते हैं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

मान्यवर, प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न में यह भी पूछा है कि आठ रुपये जो सहायता के रूप में दिये जाने थे वे आठ रुपये भी भुगतान क्यों नहीं किये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न जो है २५ जून मास का वेतन भुगतान का और आठ रुपये भुगतान नहीं किये गये. . . .

श्री जगन्नाथ खन्ना--

मान्यवर, आठ रुपये को तो उससे न मिलाइये।

श्री उपाध्यक्ष--

आठ रुपये महीने से जोड़ते हैं न। क्योंकि यह प्रश्न असावधानी से कर दिया गया था इसलिये यह ठीक नहीं है ।

श्री मोहनलाल कपूर--

श्रीमन्, इसको स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरा सवाल कर लीजिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर, यह जून ७१ है या ७२ है ? कृपा करके बतावें । किस जून से मतलब है ७१ से या ७२ से?

श्री उपाध्यक्ष—

किसी का भी हो, वह प्रभावी नहीं होता है, उत्तर ज्यों का त्यों है ।

(दिनांक ६ अप्रैल, १९७२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को सहायता

*१—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों तथा उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन-किन मदों में सहायता दी जाती है ? और इस प्रकार की सहायता देने के लिये सरकार ने क्या माप दंड नियत किया है ? क्या यह भी सत्य है कि १ फरवरी, १९७० से १७ फरवरी, १९७० के मध्य तत्कालीन मुख्य मंत्री ने प्रदेश भर में जिन राजनैतिक पीड़ितों को माहमारी पेंशन देना स्वीकृत किया था उनकी पेंशनों को बाद में अस्वीकृत कर दिया था ? यदि हां, तो क्यों ।

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री ((श्री राज बिहारी सिंह)—

राज्य सरकार स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों उनकी विधवाओं तथा उनके परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता संग्राम पेंशन तथा अनावर्तक अनुदान देती है । अनावर्तत अनुदान सैनानी की पुत्रियों या आश्रित बहिनों के विवाह के लिये, सैनानी की अपनी या परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा के लिये, किसी विपत्ति या असाधारण कठिनाई को दूर करने के लिये तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिये जो सैनानी पर आश्रित हैं वशर्ते कि इन बच्चों को राज्य के किसी अन्य कोष से सहायता न प्राप्त हो । सहायता कितनी दी जाय यह राज्य सरकार का अपना विवेक है लेकिन इन मदों में अधिकतम १०० रु० दिया जा सकता है । फरवरी १ से १७, १९७० के बीच जो तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृतियां दी थीं उन्हें जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट के लिये भेजा गया था क्योंकि उनके विषय में कुछ और जानकारी आवश्यक थीं।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मेरे प्रश्न पूछने की तो इतनी बात थी, कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस समय तो राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन देने की सुविधायें सरल कर दी हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि जहां छः महीने थे वहां दो महीने तक की सरलता और सुविधा देने लगे हैं, एक दिन या एक महीने जुर्माना देकर छोड़ दें, वह वहां पर इसलिये तो नहीं गया कि हमको छोड़ देंगे उनको भी सजा हो सकती थी। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं कि तो माननीय मन्त्री जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन तमाम लोगों को चाहे वह एक दिन के लिये सजा पाये हों या जुर्माना हुआ हो, उन स्वतन्त्रता सेनानियों को एक जैसी पेंशन देने की कृपा करेंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह—

मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को, चाहे वह एक दिन की सजा पाये हों या कितने ही दिन की पाये हों, पेंशन देने के सवाल को सिद्धान्तः सरकार को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुये असम्भव सा है। प्रदेशीय सरकार ने जितनी सुविधायें सम्भव थीं, अपनी आर्थिक हालत को देखते हुय जो दो महीने के लिये जेल गये हों, या ३ महीने हवालात में रहे हों, पेंशन देती है। इसके

अलावा कोशिश यह कोशिश भी करती है कि उनके परिवार के सदस्यों के लिये अस्पतालों में चिकित्सा की व्यवस्था हो जाय, उनके बच्चों को नौकरियों में कुछ सुविधा मिल जाय। लेकिन यह सरकार दो महीने से कम के लोगों को भी सुविधा दे, उस आर्थिक बोझ को उठाने में असमर्थ है।

श्री राजनाथ सिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की परिभाषा क्या है ? इसके अन्तर्गत किन्हें स्वतन्त्रता संग्राम का सेनानी माना जा सकता है और स्वतंन्त्रता संग्राम के सेनानियों के प्रमाण-पत्र की क्या रूप रेखा होगी ? और कौन से प्रमाण-पत्र से उन्हें उस श्रेणी में घोषित किया जा सकेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

स्वतन्त्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया हो, वह स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं, यह परिभाषा है। अब हमनें पेंशन के लिये एक सीमा बांध दी। पहले सीमा यह थी कि कम से कम ६ महीने या दो बार जेल गये हों, उनको पेंशन मिलती थी। अब हमने उस नियम को हटा दिया है। हम तो यह मानते हैं कि अगर एक दिन भी जेल गया हो, या न भी गया हो, पीटा गया हो, या चक्त खाई हो या किसी भी प्रकार की सजा पाया हो, वे सभी स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं। अब उन्हें कुछ सुविधायें देने की बात है, उसकी एक सीमा बांध दी गई। बिना सीमा के एक चीज असीम हो जाती है और उसका कोई प्रमाण नहीं रहता और वह सीमा हमने दो महीने तक की कर दी। अगर वह ३ महीने तक विचाराधीन कैदी भी रहा हो तो हम उसको पेंशन जरूर देंगे। कहीं नौकरी चाकरी करता हो, अब न हो तो भी पेंशन देते हैं। लेकिन वह पेंशन यह कहकर नहीं कि हमारी ओर से यह भिक्षा है या हम मदद कर रहे हैं। उनको और भी सुविधायें दी गई हैं। अस्पतालों की सुविधा, बच्चों को नौकरी की सुविधा, पढ़ने लिखने की सुविधा या ऐसे लोग जो जेल न गये भी हों तो भी उनके बेटी, बेटों की शादी के समय सुविधा, आकस्मिक आवश्यकता पर सुविधा, आदि दी जाती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतलायेंगे कि सुविधा तो बहुत लोगों को दी जाती है तो इस आधार पर कि एक चक्त खाले तब भी मिल जायेगी। क्या आधार बनाया है कि जांच के बाद सही लोगों को ही सुविधा मिले ? इसकी क्या व्यवस्था है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई बोगस सर्टीफिकेट ले आये और वह सुविधा प्राप्त करने के लिये लाइन में खड़ा हो जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उसमें पहले तो यह था कि कलेक्टर से सर्टीफिकेट लेकर आयें। वह स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के लिये अपमान जनक बात है। जो उस जमाने के कलेक्टर थे वह रिटायर हो गये और अब जेल का रिकार्ड देखकर कि उन्हें सजा हुई है कि नहीं, एक अपमान जनक बात है। स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के लिये अब वह कैद हटा दी।

अब तो यह है कि जो लोग उनके साथ रहे हैं और जानते हैं कि वे जेलों में गये थे जैसे कि एम० एल० ए०, एम० पी० आदि अगर वे सर्टीफाई कर देते हैं तो हम उसको मान लेते हैं कि ये स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं। अब तो यह है कि वे २ महीने, ४ महीने या १ साल जेलों में रहे हों तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। उसमें यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का हलफनामा देता है और उसको सुविधा मिलने लगी और बाद में अगर वह गलत पाया जाता है तो उस व्यक्ति से सभी दिया हुआ पैसा वापिस ले लिया जाता है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) —

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन इन स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों को दी जाती है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

कम से कम यह ६० रु० और ज्यादा से ज्यादा १०० रु० है।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

मान्यवर, बहुत से नौजवानों को भी क्रिमिनल आफेंस में पनिश करके सजायें दी गई थीं, क्या उनको भी कोई सहायता दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, जो सन् ४२ के आन्दोलन में सजा पा चुके हैं । यही, नहीं जो सन् २० में, सन् ३० में, सन् ३२ में, सन् ४० व ४२ में इस सरकार से सजा पा चुके हैं, उन सभी को हमने माना है।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, पहले स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के बच्चों को नार्मल की ट्रेनिंग में सुविधा तथा उनको अध्यापक आदि की नियुक्ति पर लिये जाने की प्राथमिकता दी जाती थी परन्तु संविद सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। क्या वह पुनः उनके बच्चों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के बच्चों को किसी टेकनिकल कालेज में, स्कूल में इस प्रकार की सुविधा दी जाती है। उनकी उम्र में छूट दी जाती है परन्तु उनकी योग्यता में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने लिखा कि हमने स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्सा लिया है और एप्लीकेशन विभाग में भेज दी गई है। उनके निर्णय होने में बहुत अधिक विलम्ब होता है। मैं ऐसे केसेज को जानता हूं कि उनको एप्लीकेशन दिये हुये १ या २ महीने हो गये हैं, परन्तु उसका निर्णय नहीं हुआ ।

श्री राजबिहारी सिंह—

जहां तक कि निर्णय का प्रश्न है वह तो जल्दी हो जाता है हमारे कार्यालय से परन्तु वित्त विभाग और ए० जी० के कार्यालयों से पेपर्स देर में आते हैं जिस कारण से विलम्ब हो जाता है जिसमें ४ या ५ महीने लग जाते हैं।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

हमारे स्वतन्त्रता के सेनानियों ने किसी प्रलोभन के वशीभूत होकर देश सेवा का कार्य नहीं किया था, उन्होंने दुख भोगा । उनमें से किसी को एक दिन को भी सजा हो सकती थी और १ वर्ष की भी। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से हमारे कितने स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी होंगे जिनको इस प्रकार की पेंशन दी जायेगी ? और उसका कितना भार प्रदेश के बजट पर पड़ेगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

लिस्ट बनाने का कार्य चल रहा है और वह अभी तक बन नहीं पाई है। लिस्ट के बन जाने पर ही यह मालूम हो सकेगा।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आजादी की लड़ाई में नवयुवक गोली खाकर मरे जैसे कि देवरिया में श्री राम चन्द्र, नाम का लड़का इसी प्रकार से गोली खाकर शहीद हो गया उसके परिवार को क्या सहायता प्रदान की गई है ?

श्री राज बिहारी सिंह---

जो शहीद हो चुके हैं उनकी विधवाओं को और यदि उसका विवाह नहीं हुआ था तो उनके मां बाप को हम सहायता देते हैं। ऐसे नौजवान लड़के जो गोली से उड़ा दिये गये हैं, उनके मां बाप को सहायता मिलती है।

श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)---

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि पेंशन उनके यहां से तो जल्दी पास हो जाती है लेकिन वहां तक पहुंचने में १४-१४ महीने तक लग जाते हैं, तो क्या वह ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि मन्जूर होने के दो महीने के अन्दर सभी कार्यवाही हो जाया करे ?

श्री राज बिहारी सिंह---

सरकार की ओर से आदेश हर जिलाधीश को एक महीने के अन्दर रिपोर्ट भेज देने के हैं लेकिन वित्त विभाग में मामले पड़े रहते हैं। अब यह तय किया गया है कि प्रशासकीय विभाग ही तय कर दिया करे।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

मन्त्री जी ने बतलाया कि सभी स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के बच्चों को उम्र की छूट दी गई है, तो यह छूट क्या उन बच्चों तक ही है जो उस समय कालेज में पढ़ते थे ?

श्री राज बिहारी सिंह---

जो लोग जेल गये थे उनके बच्चों को भी उम्र की छूट दी गई है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

उस समय जिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है या जिन्होंने पढ़ाई रोक दी थी, उनको भी वह छूट देने का हकदार मानते हैं ?

श्री राज बिहारी सिंह---

जी नहीं, उन बच्चों को जो जेल में थे, उन्हीं को यह छूट है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

एक दिन की सजा पाने वालों को भी पेंशन दी गई है, तो क्या जिन किसानों की ४०, ४० और ५०, ५० बीघा जमीन ले ली गई थी, क्या उनको भी पेंशन देंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह---

जिन लोगों की जमीन ली गई है, उनके लिये सन् ४६ में नई सरकार आने पर कहा गया था कि वह लिखें जिनका नुक्सान हुआ हो। जिन्होंने ऐसा किया उनको जमीन का मुआवजा दिया गया है। लेकिन इस समय इस सरकार के पास इसकी व्यवस्था नहीं है कि मुआवजा दे सके लेकिन यदि यह सही है कि उनकी जमीन ली गई है, या घर लिया गया है तो हम उनको पेंशन या सहायता देने पर विचार कर रहे हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून के व्यवहार के प्रति आपत्ति

*२---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें देहरादून के सभी माध्यमिक एवं इन्टर कालेजों के प्रिंसिपलों द्वारा दिनांक २८ अगस्त, १९७१ को सर्व सम्मति से पारित एक प्रस्ताव मिला

जिसमें उन्होंने जिला निरीक्षक, देहरादून के व्यवहार के प्रति घोर आपत्ति की है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या शिक्षा मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रिंटिंग की भूल को छोड़कर जिला विद्यालय निरीक्षक के लिपिक के विरुद्ध शिकायत आई थी, उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण--

मान्यवर, प्रधानाचार्यों की बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून, के लिपिक के खिलाफ दुर्व्यवहार की शिकायत थी, उसकी चेतावनी दे दी गई है और ट्रांसफर भी कर दिया गया है।

देहरादून जिले के स्नातकोत्तर कालेजों के अध्यापकों का नवीन वेतनमान

*३--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून जिले के स्नातकोत्तर कालेजों के कितने ऐसे अध्यापक हैं जिनका वेतन नवीन वेतन मानों के अनुसार (जो १-८-६५ तथा १-४-६६) से लागू हुआ है अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है? तथा वेतन निर्धारित कर देने पर भी कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया? इसका क्या कारण है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

केवल १३ अध्यापकों को छोड़कर शेष सभी अध्यापकों का वेतन नवीन वेतन मानों के अनुसार निर्धारित किया जा चुका है और उन्हें देय अतिरिक्त धन दिया जा चुका है।

जिन १३ अध्यापकों का वेतन निर्धारण नहीं हो सका है उनमें से ८ अध्यापकों द्वारा विकल्प प्रपत्र न भरे जाने के कारण उनका वेतन निर्धारण नहीं किया जा सका है। दो अध्यापकों के मामले सम्बन्धित संस्था में ही अनिर्णीत पड़े हैं। संस्था द्वारा इन मामलों में निर्णय निदेशालय को दिये जाने पर वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी। शेष ३ अध्यापकों का मामला विचाराधीन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जिन शेष दो अध्यापकों का मामला विचाराधीन है, क्या उनके नाम बतलायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो ब्योरे का प्रश्न है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, डी० ए० वी० कालेज, देहरादून के अध्यापकों का मामला शासन के विचाराधीन है। यह सर्वश्री ओम प्रकाश भट्ट और भोलानाथ श्रीवास्तव की पारस्परिक ज्येष्ठता का मामला विवादस्पद होने का कारण है। इस कारण उनका वेतन निश्चित नहीं किया जा सका है। महादेवी कन्या पाठशाला डिग्री कालेज, देहरादून की अध्यापिका, कु० आरती सेन के वेतन का निर्धारण भी नहीं किया जा सका है, क्योंकि निदेशालय ने संस्था से सूचना मांगी है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री भट्ट और श्री श्रीवास्तव की ज्येष्ठता का मामला कब से शासन के विचाराधीन है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, इसको तो नहीं बताया जा सकता बिना सूचना के।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

जिन दो अध्यापकों के मामले विचाराधीन हैं, उसके बारे में उस संस्था से शीघ्र निर्णय किये जाने के बारे में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

ज्येष्ठता का प्रश्न विचाराधीन है। शेष बातों के बारे में जानकारी किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

*४--श्री डूंगर सिंह विष्ट--

[४थे गुरुवार के लिये स्थानान्तरित]

यू० पी० जर्नलिस्ट एसोसियेशन की अलीगढ़ शाखा का पत्र

*५--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० जर्नलिस्ट एसोसियेशन की अलीगढ़ शाखा का कोई पत्र डी० आई० जी०, पुलिस आगरा रेंज तथा मुख्य मन्त्री को माह दिसम्बर, १९७१ के द्वितीय सप्ताह में प्राप्त हुआ है जिसमें इस बात की शिकायत की गई है कि थानाध्यक्ष सासनी गेट, अलीगढ़ ने स्थानीय पत्रकारों को इस बात की धमकी दी है कि यदि उनके विरुद्ध जो समाचार स्थानीय समचार पत्रों में छपे थे, उनका प्रतिवाद नहीं किया गया तो वह पत्रकारों से बदला लेंगे ? क्या यह सच है कि किसी पत्रकार पर आक्रमण भी किया गया जिसके विरोध में स्थानीय पत्रकार संघ ने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल की सूचना माननीय मुख्य मन्त्री को दी है ? तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह उपमन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

प्रश्न में उल्लिखित आशय का यू० पी० जर्नलिस्ट एसोसियेशन, अलीगढ़ शाखा का पत्र प्राप्त हुआ। एक पत्रकार पर आक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में भी पुलिस को सूचना मिली तथा विरोध में भूख हड़ताल करने के लिये पत्रकारों की नोटिस भी प्राप्त हुई। सारे मामले की जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही है।

श्री कल्याणसिंह--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जर्नलिस्ट एसोसियेशन का पत्र आपको मिला है, उसमें थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

आज्ञा दें, मान्यवर, तो पूरा पढ़ दूं। वैसे उसमें अभद्र व्यवहार और जानमाल के खतरे के आरोप लगाये गये हैं।

श्री कल्याणसिंह--

मान्यवर, थानाध्यक्ष के कारण वहां गवाह आतंकित हैं, तो माननीय मन्त्री जी इस मामले में निष्पक्ष होने के लिय उस थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण करेंगे ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)--

निस्पक्ष जांच ए० डी० एम० कर रहे हैं। वह जो सम्बन्धित दरोगा था, पुलिस ट्रेनिंग में भेजा गया है।

देवरिया जिले में थानाध्यक्षों की नियुक्तियां

*६--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले में गत एक वर्ष से थानाध्यक्षों की नियुक्तियां सेवा वरीयता के आधार पर न होकर उच्च अधिकारियों की स्वेच्छा पर ही हो रही हैं जिससे जिले के प्राय: सभी थानेदारों में बड़ा असन्तोष है तथा वरिष्ठ थानाध्यक्ष देवरिया जिले से अपने सम्मान के रक्षार्थ स्थानान्तरण करा कर भागते जा रहे हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

मन्त्री जी ने बताया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । तो यह भी सूचना एकत्रित करवा लें कि क्या आई० जी० हेडक्वार्टर के कोई ऐसे आदेश हुये थे कि जूनियर आफिसर थानाध्यक्ष हों और उसी आदेश के कारण यह गड़बड़ी हुई हो ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

सूचना एकत्रित की जा रही है। इसकी भी छानबीन करवा ली जायेगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

माननीय मन्त्री जी को जानकारी होगी कि थानाध्यक्षों की नियुक्ति के लिये विभाग के उच्चाधिकारियों के स्पष्ट आदेश हैं जिसके अनुसार ही थानाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। तो क्या मन्त्री जी जांच के दौरान इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उन आदेशों का पालन किया जाय ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

सभी बातों की जानकारी की जायेगी और जो आदेश हैं नियमानुकूल उनका पालन किया जायगा ।

ग्राम पिपरा शुक्ल, जिला देवरिया में पड़ी डकैती

*७--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले में खुखुन्द थाने के अन्तर्गत ग्राम पिपरा शुक्ल में गत २७-२८ दिसम्बर की रात में एक परिवार पर वहां के ही कुछ तथाकथित सम्भ्रांत व्यक्तियों ने डकैती डाली एवं उस परिवार के दो व्यक्तियों को जान से मार कर आंखों में पिस्तौल एवं बन्दूक के छर्रे से घाव कर बीसों चोटें की हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

दिनांक २७-२८-१२-७१ की रात में १५-१८ व्यक्तियों द्वारा लाठी, बल्लम, पिस्तौल से लश होकर श्री बुद्धेश्वर शुक्ल, निवासी ग्राम पिपरा शुक्ल, थाना खुखुन्द देवरिया के घर डकैती डाले जाने, डकैतों द्वारा बुरी तरह से आहत किये जाने के कारण श्री बुद्धेश्वर शुक्ल की मृत्यु हो जाने और अभियुक्तों द्वारा लगभग ४,५०० रु० का सामान उठा ले जाने के बारे में मृतक के पोते श्री मारकन्ड शुक्ल ने थाना खुखुन्द देवरिया पर रिपोर्ट २८ दिसम्बर, १९७१

को लिखाई। इसके आधार पर थाने पर एक मुकदमा धारा ३९६ भा० दं० वि०के अन्तर्गत दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गई। १० नामजद अभियुक्तों में से ९ ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया और जेल भेजे गये। २ अन्य अभियुक्त जो जांच से प्रकाश में आये गिरफ्तार करके जेल भेजे गये।

एक फरार अभियुक्त के विरुद्ध ८७–८८ की कार्य वाही हो चुकी है । डकैती का रु० ५०० का माल बरामद हो गया है जिसके सम्बन्ध में एक स्त्री गिरफ्तार की गई। जांच से प्रकाश में आये अभियुक्तों तथा बरामद हुए माल की शिनाख्त के बाद जांच पूरी की जायगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी––

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवरिया रबड़ फैक्टरी, सोलूघाट, जो एक संस्था द्वारा चलाई जा रही है उसमें काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी चोर और डकैत हैं, तथा जो डकैत गिरफ्तार हुये हैं वे भी उसी रबर फैक्टरी में काम करने वाले थे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी––

ऐसी जानकारी तो नहीं है, मगर माननीय सदस्य की बात को ध्यान में रखकर इसकी भी छानबीन करा ली जायेगी ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी––

क्या मेरी सूचना को सही मान कर कि उस फैक्टरी में ऐसे ही लोग रखे जाते हैं और उसके मालिक का भी ऐसे लोगों से सम्बन्ध रहता है, क्या मन्त्री जी उस मालिक पर भी ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगायेंगे जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

माननीय सदस्य की राय हो तो उस फैक्टरी के मालिक को सलाह दे दी जाय कि वह अपने यहां ऐसे लोगों को न रखे। उनके पास इसकी सूचना हो कि वहां चोर, डकैत या बैड कैरेक्टर के लोग काम कर रहे हैं तो वे उनकी नामावली दे दें, पुलिस द्वारा उसकी जांच करा ली जायेगी और अगर ऐसी बात सही निकली तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी––

इस घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है उनके एक भतीजे एक्टिव सर्विस में, फौज में हैं। उन्होंने कुछ सुविधायें दिये जाने की मांग की है तथा पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा की भी मांग की है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी––

सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। अन्य किसी सुविधाओं के बारे में यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार कर लिया जायगा।

मान्यता-प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के पदों का प्रान्तीयकरण

*८––श्री कल्याण सिंह तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह प्रदेश के मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के पद के प्रान्तीयकरण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रान्तीयकरण कब से कर दिया जायगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण––

विधिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है।

श्री कल्याणसिंह--

वे विधिक कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण--

इस सम्बन्ध में विधि परामर्शी से यह सूचना मिली है कि अल्पसंख्यक जातियों की संस्थाओं में जिन्हें संविधान की धारा २९, ३० और ३१ के अधीन विशेष सुविधायें प्राप्त हैं उनमें कोई भी विनियम जो उनकी इस प्रकार की स्वतन्त्रता में बाधक हो, लागू करना सम्भव नहीं दिखाई देता। (२) अन्य सभी संस्थाओं में सहायता प्राप्त और असहायता प्राप्त में भी कतिपय भिन्नतायें बरतनी पड़ेंगी क्योंकि एक को शासन से केवल मान्यता प्राप्त होती है और दूसरी को राजकोष से धन भी, जिसकी सुव्यवस्था होना आवश्यक है, (३) सभी न्यायालयों में प्रायः इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि शासन को इन संस्थाओं को नियमित और सुसंचालित करने की पूरी छूट है पर उन नियमों में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे कि किसी अल्प संख्यक समुदाय के आधारभूत अधिकारों को कोई आघात पहुंचे। (४) यह निर्विवाद रूप से सभी न्यायालयों में मान लिया गया है कि किसी संस्था के प्रशासन का मन्तव्य कुप्रशासन नहीं हो सकता, इसलिये उसकी व्यवस्था करने हेतु शासन प्रशासन सम्बन्धी नियम और विनियम आदि बना सकता है।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को इसके लिये कोई ऐसा पत्र लिखेगी जिससे कि वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में संविधान में इसके अनुकूल कोई संशोधन किया जा सके। क्या सरकार का कोई विचार ऐसा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

अभी तो ऐसा निश्चय नहीं किया गया है, लेकिन माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या अल्प संख्यकों की संस्थाओं अथवा उनके प्रधानाचार्यों को छोड़कर जो सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं, उनके प्रधानाचार्यों के पदों का प्रान्तीयकरण करने में उनको कोई कठिनाई है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनकी प्रबन्ध कारिणी समितियां अपने प्रिंसिपलों को चयन करती हैं और रखती हैं और वही उनके मालिक हैं, सरकार तो नहीं है। तो किसी दूसरी संस्था के कर्मचारी को जब सरकार लेती है तो एक विधिक बाधा आ जाती है।

श्री कल्याण सिंह--

जैसे कि सरकार ने प्राइमरी शिक्षा और जूनियर हाई स्कूल शिक्षा को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है और वे संस्थान जिला परिषदों अथवा नगरपालिकाओं द्वारा चलाये जा रहे थे। सरकार का सीधा सम्बन्ध उनसे भी नहीं था। तो क्या शिक्षा मन्त्री जी इन विधिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई विशेषज्ञ समिति बनाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

यह तो विधि विभाग इन सब बातों पर विचार कर रहा है और देख भी रहा है।

*९--श्री इन्द्रलाल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

*१०—श्री इन्द्रलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गढ़वाल मण्डल में उप शिक्षा निदेशक की नियुक्ति

*११—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में उप शिक्षा निदेशक की नियुक्ति इस वर्ष से की जा रही है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रश्न विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

गढ़वाल कमिश्नरी को बने हुये ३ वर्ष हो गये, हिल बोर्ड में भी यह तय किया जा चुका है कि सब मंडलीय स्तर के कार्यालय गढ़वाल में खोले जायं, तो क्या इसे ध्यान में रखते हुए मन्त्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि वह गढ़वाल मण्डल के शिक्षा उप निदेशक के कार्यालय की स्थापना वहां करके उनकी नियुक्ति करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह एक नये कार्यालय और नये पद के सृजन का मसला है। जब तक अन्तिम निर्णय पारित नहीं होता है, तब तक हम इसे विचाराधीन ही कहेंगे।

ताकुला आश्रम नैनीताल की छात्रा कुमारी बसन्ती की मृत्यु

*१२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ताकुला आश्रम नैनीताल की गत वर्ष की छात्रा कु० बसन्ती जो इस वर्ष राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय अल्मोड़ा की छात्रा थी उसकी मत्यु अगस्त १९, को अल्मोड़ा के अस्पताल में हुई है? यदि हां, तो उसकी मृत्यु का क्या कारण था?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इस प्रश्न को १७ फरवरी, १९७२ को मैंने दिया और यह शासन को ४ मार्च, १९७२ को लिखा गया। अल्मोड़ा से सूचना एक ही दिन में प्राप्त की जा सकती है। क्या मन्त्री जी इतने विलम्ब का कारण बताने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, लगभग एक महीने हुए इस प्रश्न की सूचना शासन के पास आई थी तो मैंने इसे विभाग के द्वारा भेजा। पहले सचिवालय और फिर निदेशालय और फिर दूसरे नीचे के दफ्तरों में यह भजा गया। इसमें कुछ समय लग गया। वहां की सूचना आई है कि इसका सम्बन्ध गृह विभाग से है। इसलिए यह वहां भेजा गया। इस तरह से इतना समय लगा। अन्त में जब मालूम हुआ कि शिक्षा विभाग को ही जवाब देना है तो टेलीफोन सेयु मने बात की और यह मालूम हुआ कि इस दिन बच्ची यहां दाखिल हुई थी और उसकी मृत हुई।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न मेरे सामने कल आया था। स्थगित करने के लिये कहा गया था। लेकिन मने सोचा यहां आ जाये और जो जवाब चाहे वह दे दें तब अब मैं इसे स्थगित कर रहा हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, सदन में आये दिन यह जवाब मिलता है....

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। लेकिन मेरे पास यह आया कि मृत्यु जो हुई थी वह विष से हुई थी, अतः इसे गृह विभाग को भेज दिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अभी कहा जाता है कि इसका सम्बन्ध गृह विभाग से है और बाद में गृह विभाग कह देगा कि इसका सम्बन्ध स्वास्थ्य विभाग से है, तो इस तरह से काम कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

कल मैंने इसे स्थगित नहीं किया था। जो सूचना है उस को आपके सामने रख दिया गया है। इसको स्थगित किया जायगा, १५दिन बाद आयेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह प्राथमिक गलती जो हुई है, कहां से हुई? जो घूमता रहा शिक्षा विभाग और गृह विभाग के बीच में, वह किसकी गलती है?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो दूसरा प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

प्रश्नों के साथ यह दुर्व्यवहार न हो, इसकी उचित व्यवस्था करें ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

निश्चित रूप से १५ दिन के बाद आ जाय, यह आश्वासन हम को मिल जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

कैसे निश्चित करूं ?

श्री अन्नतराम जायसवाल--

व्यवस्था का प्रश्न। जब तक संयुक्त उत्तरदायित्व का नियम लागू होता है मन्त्रि-परिषद् पर, तब तक कोई मन्त्री यह कहकर छुट्टी पा सकता है कि यह हमारे विभाग का मामला नहीं है इस लिये हम जवाब नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह आदेश हमारे सचिवालय में होता है कि यह प्रश्न जिस विभाग को जाना चाहिए वह जवाब दे। भेजा गया वह शिक्षा विभाग को। प्रत्यक्षतः यह उससे सम्बन्धित मालूम होता है। लेकिन हत्या का मामला है गृह विभाग का। यह सवाल मेरे सामने आया। मैंने इसको स्थगित नहीं किया। आपके सामने यह आ गया। अब यह सवाल नहीं है कि गृह विभाग या शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। यह प्रश्न आपके समक्ष आ गया है। १५ दिन के बाद फिर आयेगा ।

प्रदेश की चीनी मिलों में चीनी का स्टाक

*१३--कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीजन १९७०-७१ के उत्पादन के कितने बोरे चीनी प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों के स्टाक में ३० नवम्बर, १९७१ को मौजूद थे ? चीनी

के बाजार भाव में भारी बढ़ोत्तरी होने से इन मिलों ने कितना अतिरिक्त मुनाफा कमाया है और क्या सरकार इस अतिरिक्त मुनाफे से कोई भाग गन्ना उत्पादकों को दिलायेगी ?

श्री ओमप्रकाशसिंह—

सीजन १९७०-७१ के उत्पादन का चीनी स्टाक जो प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों के पास दिनांक ३० नवम्बर, १९७१ को मौजूद था उसका विचार ब्योरा संलग्नक में दिया है। चीनी के बाजार भावों में बढ़ोत्तरी होने के कारण चीनी मिलों को जो मुनाफा हुआ है उसकी सूचना सरकार को उपलब्ध नहीं है। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि मुनाफे का कोई भाग गन्ना उत्पादकों को दिला सके। परन्तु पिछले मौसम के गन्ना मूल्य का अधिकतर बकाया दिलवाया गया है और इस वर्ष गन्ना मूल्य भी बढ़ाया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२० पर)

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह—

जो ब्योरा दिया है उसमें ३ लाख ३ हजार ३९५ टन चीनी का स्टाक बताया गया है जिसमें ३० लाख ७३ हजार ९५० बोरे होते हैं। नवम्बर के महीने में १९० रुपये बोरे का भाव था जो बढ़कर ३२० रुपये हो गया। १०० रुपये फी बोरा प्राफिट मान लें तो ३० करोड़ से अधिक का प्राफिट मिल मालिकों को हुआ है। क्या यह सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखा-पढ़ी करेगी कि किसानों को भी इसका कुछ हिस्सा दिलाया जाय।

श्री ओमप्रकाशसिंह—

जो फीगर्स मेरे पास हैं, १९७०-७१ में नवम्बर के तीसरे सप्ताह में १७० रुपये से १८० रुपये प्रति क्विंटल का भाव था। इस वर्ष नवम्बर के तीसरे सप्ताह में १९०–१९२ रुपये प्रति क्विंटल था।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इससे वास्ता नहीं है कि कितना भाव था। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी भारत सरकार को लिखेंगे कि जो मुनाफा मिल मालिकों को करीब ३० करोड़ रुपये का हुआ है उसका कुछ हिस्सा उत्पादकों को मिल सके, इसके लिये लिखेंगे या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो कीमत आपने बताई है यह फ्री शुगर की कीमत बताई है। ६० परसेंट लेवी शुगर लेते हैं और ४० परसेंट फ्री शुगर बेचते हैं। लेवी शुगर पर यह कीमत बढ़ी नहीं है। उसकी कीमत डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल है। सरकार ने जो फ्री शुगर की है, जो फ्री मारकेंट में बिकती है, उसकी कीमत बढ़ी हुई है। अब किसानों का पैसा वसूल हो गया। इस साल का पैसा उनके एडवान्स से काट कर रख लिया जा रहा है। तो दिक्कत आन वाली नहीं है। फ्री शुगर इस ख्याल से की गयी, कि जो इधर घाटा हुआ है, यानी डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल केवल है, उससे पूरा कर लें। हमने गन्ने की कीमत बढ़वाई। स्टैटुटरी प्राइस ७.३७ रुपये थी, उसको बढ़वाया। पश्चिम के इलाकों में साढ़े ११, १२ रुपये तक गई। बल्कि १३ तक गया था और इधर के इलाके में साढ़े १० तक गया था जबकि रिक्वरी के हिसाब से इतनी कीमत नहीं हो सकती थी तब भी पैरवी करके जितनी दिलवा सकते थे दिलवाई है, बकिया दिलवाया है, एडवान्स काटा है। जितनी शुगर कानून के मातहत भारत सरकार से छूटी हुई है उसे वह फ्री मारकेट में बेचते हैं। शकर कम है इसलिये इस कीमत पर बेच रहे हैं। एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन की तरफ से यह हुआ कि शुगर की कीमत बढ़ रही है इस पर विचार किया जाय १२, १३ को मीटिंग होने वाली है तब इस पर विचार होगा

कि शकर की कीमत जो बढ़ रही है उस पर क्या किया जाय और क्या किया जाय कि कीमत न बढ़ने पाये ।

श्री बीरेन्द्र वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि सन् ५२ में जो कीमत दिलवाई थी उसी आधार पर क्या वह यह व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

वर्मा जी वरिष्ठ सदस्य हैं। वह जानते हैं कि अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है तब कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

नियम ४९ के मातहत इस पर चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर दे दें ।

प्रदेश के चीनी मिलों पर किसानों एवं सरकार का बकाया

*१४--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के ७४ चीनी मिलों पर किस-किस चीनी मिल पर १९६९-७०, १९७०-७१ का कितना-कितना रुपया किसानों का बाकी है साथ ही क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त चीनी मिलों पर सरकार का किस प्रकार का धन बकाया है उसे वसूलने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक १ मार्च, १९७२ की स्थिति के अनुसार प्रदेश की ७१ चीनी मिलों में से केवल १८ चीनी मिलों पर वर्ष १९६९-७० का गन्ना मूल्य बकाया कुल रु० १०२.५६ लाख था । वर्ष १९७०-७१ का केवल ३६ चीनी मिलों पर कुल रु० २२१.०५ लाख किसानों को भुगतान हेतु अवशेष था। इसके अतिरिक्त ४२ चीनी मिलों पर वर्ष १९६९-७० में उक्त कथित अवधि तक गन्ना क्रय कर के रूप में सरकार का कुल रु० १९३.६८ लाख तथा ४६ चीनी मिलों पर वर्ष १९७०-७१ में सरकार का उक्त मद में कुल २९५.२८ लाख अवशेष था। उक्त बकाया देयों की जिलेवार स्थिति संलग्न तालिका 'अ' में दर्शायी गयी है। उक्त गन्ना मूल्य तथा क्रयकर के बकाया देयों की वसूली के लिए की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है--

(१) १९६९-७० तथा १९७०-७१ के अवशेष क्रय कर के बकाया की वसूली हेतु सभी बकायादार मिलों के विरुद्ध रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये थे ।

(२) ४८ चीनी मिलों के विरुद्ध जिन पर गन्ना मूल्य बकाया था वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये ।

(३) सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा ६ चीनी मिलों की नीलामी की विज्ञप्ति, प्रकाशित की गयी थी, परन्तु उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नीलामी स्थगित करनी पड़ी।

(४) एक चीनी मिल के मालिक को देयों के भुगतान न करने के सम्बन्ध में राजस्व नियमों के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था।

नोट-- तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

(५) ५ चीनी मिलों को रिसीवरों के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।

(६) जिलाधिकारियों ने चीनी के बोरों, उनपर "मार्जिन" धनराशि और अन्य सम्पत्ति की कुर्की, जैसा आवश्यक हुआ, कर ली ।

(७) गन्ना आयुक्त द्वारा पेराई मौसम के प्रारम्भ में कई जिलों से यह व्यवस्था की कि वह प्रति बोरा एक निर्धारित धनराशि गन्ना मूल्य की अदायगी के लिए दें।

(८) अभी हाल में शासन द्वारा "उ० प्र० गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रयकर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, १९७२", लागू किया गया है, जिसके अनुसार मिल तथा बैंकों के बीच बैंकों के अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले अनुबन्ध में यह प्राविधान करना आवश्यक है कि एक निर्धारित धनराशि गन्ना मूल्य तथा कमीशन के भुगतान के लिये गन्ना उत्पादकों को तथा समितियों को सीधे दिये जाने की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त कथित अधिनियम में यह भी प्राविधान किया गया है कि मिल में उत्पादित चीनी को वहां से हटाने के पूर्व देय क्रयकर का भुगतान दर चीनी बोरों पर करना आवश्यक है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२२ पर)

गोण्डा जिले के कौड़िया थाना के थानेदार के विरुद्ध प्रदर्शन

*१५—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि कौड़िया बाजार जिला गोंडा के नागरिकों ने पाटन हलवाई, निवासी कौड़िया बाजार, थाना कौडिया के यहां हुई डकैती के सम्बन्ध में वहां के थानेदार श्री मुन्नी लाल पाण्डेय के विरुद्ध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी गोंडा तथा पुलिस कप्तान महोदय गोण्डा को कोई ज्ञापन जनवरी, सन्, १९७२ में दिया? यदि हां, तो उस विज्ञापन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सही है कि दिनांक २० जनवरी, १९७२ को थाना कौड़िया जिला गोण्डा के थानाध्यक्ष श्री मुन्नी लाल पाण्डेय के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित डकैती की घटना के सम्बन्ध में कौड़िया बाजार के कुछ निवासी पहले जिलाधीश से और बाद में पुलिस अधीक्षक से मिले और एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लिखित शिकायतों की जांच उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई। जांच से केवल इतना सही पाया गया कि पुलिस तुरन्त घटना स्थल पर नहीं पहुंची और रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पर जो लोग गये थे उनके साथ उचित एवं सहृदयता का व्यवहार नहीं किया गया।

थानाध्यक्ष व अन्य दोषी पाये गये कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं में प्रतिकूल प्रविष्टियां कर दी गई हैं।

गोण्डा जिले के नर्सरी स्कूल पतिजिया बुजुर्ग को अनुदान

*१६—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नर्सरी स्कूल पतिजिया बुजुर्ग क्षेत्र स्वा० छपिया (मसकनवा), जिला गोंडा को अनुदान के रूप में १९७०-७१ में २,५०० रु० दिया गया है? यदि हां, तो किस गांव सभा के माध्यम से उक्त धन विद्यालय को दिया गया है और ग्राम सभा पतिजिया बुजुर्ग के माध्यम से उक्त विद्यालय को न देने का क्या कारण है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

हां, वर्ष १९७०-७१ में जनता आदर्श शिशु शिक्षा सदन प्राइमरी पाठशाला पतिजिया बुजुर्ग को रु० २,५००.०० क्षेत्र निधि से अनुदान दिया गया है।

जनता आदर्श शिशु शिक्षा सदन प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु उक्त धन गांव सभा कुसमही असनहरा के माध्यम से दिया गया है। यह धन गांव सभा को प्रमुख की संस्तुति एवं क्षेत्र समिति के प्रस्ताव संख्या ११, दिनांक २६ नवम्बर, १९७० के अनुपालन में दिया गया है।

गांव सभा पतिजिया बुजुर्ग को उक्त धन न देने का कारण यह है कि क्षेत्र समिति (जो क्षेत्र निधि के धन को व्यय करने का सक्षम अधिकारी है) ने अपनी संस्तुति गांव सभा पतिजिया बुजुर्ग को न देकर गांव सभा कुसमुम्ही असनहरा को दी है।

गन्ना सप्लाई करने वाले बाराबंकी के किसान

*१७--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि बाराबंकी के किसान बिसवां, सीतापुर, मसौधा, फैजाबाद, बुढ़वल और बाराबंकी चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करते हैं? यदि हां, तो इन मिलों ने अलग-अलग किस-किस तारीख से गन्ना का बढ़ा हुआ दाम किसानों को वर्तमान पेराई सीजन में देना शुरू किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित चीनी मिलें अलग-अलग जिस-जिस तारीख से गन्ने का बढ़ा हुआ दाम किसानों को वर्तमान पेराई सीजन (१९७१-७२) में देना शुरू किया उसका ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२६ पर)

*१८-१९--श्री लालसा--

(४थे गुरुवार के लिये स्थगित।)

बुलन्दशहर के हाई स्कूल व इन्टर कालेजेज

२०--श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला बुलन्दशहर में ऐसे कितने हाई स्कूल व इन्टर कालेजेज हैं जिनमें माह जनवरी, सन् १९७२ का वेतन २० फरवरी, सन् १९७२ तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी हां, १६ विद्यालयों में समय से वेतन बिल तथा चेक न प्राप्त होने के कारण २० फरवरी, १९७२ तक वेतन न बट सका।

*२१--चौधरी रामपालसिंह यादव--

(४थे गुरुवार के लिये स्थगित।)

बदायूं के उप-जिला विद्यालय निरीक्षक का स्थानान्तरण

*२२--श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के उप जिला विद्यालय निरीक्षक का स्थानान्तरण १जुलाई, १९७१ से २० दिसम्बर, १९७१ तक कितने बार किया गया और कितनी बार स्थानान्तरण आदेश रद्द किये गये?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

शासन द्वारा स्थानान्तरण के आदेश तीन बार दिनांक २१/२३ अगस्त, १९७१, २५ अक्तूबर, १९७१ तथा ३० नवम्बर, १९७१ को दिये गये। उसे दो बार दिनांक १ अक्तूबर, १९७१ तथा २७ अक्तूबर, १९७१ को रद्द किया गया।

राजकीय अध्यापकों के अनिर्णीत पेंशन केस

*२३---श्री हरबंश प्रसाद (जिला बांदा) तथा श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी)---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के राजकीय अध्यापकों के कितने ऐसे पेंशन केस अनिर्णीत पड़े हैं जिनमें अध्यापकों को सेवा निवत्ति हुए एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

८५ प्रकरण।

*२४---श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

बरेली जिले की पुलिस जीप के ड्राइवर

*२५---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यह सही है कि बरेली जिले की पुलिस जीप के एक ड्राइवर को २५ अगस्त, १९७१की रात्रि में सिमरा-बोरीपुर ग्रामवासियों ने पकड़कर बुरी तरह पीटा तथा रात भर बन्द रखा ? यदि हां, तो मुल्जिमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली जिले की पुलिस जीप के एक ड्राइवर को २५-२६ अगस्त, १९७१ की रात्रि में सिमरावोरीपुर ग्रामवासियों ने रोक लिया था। यह सही नहीं पाया गया कि ग्रामवासियों ने ड्राइवर को मारापीटा और मकान में बन्द रक्खा। चूंकि ग्रामवासियों ने ड्राइवर को गलतफहमी में रोक लिया था इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

थानाध्यक्ष श्री शिवशंकर यादव के विरुद्ध शिकायत

*२६---श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद) श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, (जिला फैजाबाद) श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) तथा श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी ने एक शिकायती पत्र भूतपूर्व थानाध्यक्ष जैतपुर, जिला फैजाबाद श्री शिवशंकर यादव के विरुद्ध जून, सन् १९७१ में और जुलाई, १९७१ में दूसरा इसी प्रकार का पत्र फैजाबाद एवं आजमगढ़ के विधान सभाई सदस्यों द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उन पत्रों पर आज तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

थानाध्यक्ष जैतपुर श्री शिव शंकर यादव के विरुद्ध श्री राजबहादुर सिंह, सदस्य कांग्रेस कमेटी फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक २३ मार्च, १९७१ मुझे जून, १९७१ में प्राप्त हुआ था जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक के पास भेजा गया था। इस पर अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक ने यह सूचित किया था कि प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप पहले भी फैजाबाद के एक अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाम से दिये गये प्रार्थना-पत्र में लगाये गये थे जो जांच से सही नहीं पाये गये।

इसके बाद अक्तूबर, १९७१ में फैजाबाद, आजमगढ़ तथा बस्ती के ४ विधान सभाई सदस्यों द्वारा उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था। इसे भी पुलिस महानिरीक्षक के पास रिपोर्ट हेतु भेजा गया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि उक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई तथा जांच से ये आरोप भी प्रमाणित नहीं हो सके। फिर भी थानाध्यक्ष श्री शिव शंकर सिंह को थाना जैतपुर से जनहित में अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री चन्द्रभान यादव, ग्राम लखनपुर, जिला फैजाबाद की हत्या

*२७—श्री जगदम्बा प्रसाद, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री प्रियदर्शी जेटली—

क्या सरकार कृपया बताने का कष्ट करेंगी कि चन्द्रभान यादव, थाना बसखारी, जनपद फैजाबाद का जुलाई, १९७१ में पक्खनपुर घाट पर थाना जलालपुर में उपरौली ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी और थानाध्यक्ष जलालपुर ने उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं किया? यदि हां, तो थानाध्यक्ष जलालपुर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही न की गई तो उसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के आधार पर श्री चन्द्रभान यादव, निवासी लखनपुर, थाना जलालपुर, जिला फजाबाद की हत्या, दिनांक १८-८-७१ को हुई बताई जाती है। इस घटना के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति न थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं कराई। श्री चन्द्र भान यादव की हत्या की घटना के सम्बन्ध में दिनांक १४ अक्तूबर, १९७१ को 'जनमोर्चा' अखबार में सूचना प्रकाशित हुई। अखबार में छपी इस सूचना के आधार पर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई और दरयाफ्त हाल जांच शुरू की गई। बाद में भारतीय दन्ड विधान की धारा ३४२/३६४/३०२/२०१ के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। अपराध के सम्बन्ध में ७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। पूर्ण विवेचना के पश्चात् सातों अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट लगाई गई।

*२८-२९—श्री मैनेजर सिंह—

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित।]

*३०—श्री मो० असरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*३१—श्री मो० असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सिंचाई व विद्युत् सचिव श्री जयनारायण तिवारी के विरुद्ध शिकायत

*३२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९७० में कांग्रेस भारतीय क्रांति दल की संयुक्त सरकार के मुख्य मन्त्री तत्कालीन सिंचाई व विद्युत् सचिव के खिलाफ गम्भीर शिकायतों की जांच उच्चस्तरीय ढंग पर करा रहे थे और जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई थी तथा जिसमें उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप सिद्ध करते हुए उनको तत्काल निलम्बित करने और फौजदारी की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के सुझाव जांच कर्ता ने दिया था? यदि हां, तो क्या सरकार उस जांच रपट को सदन के पटल पर रखेगी और यदि नहीं, तो क्यों? और क्या यह सही है कि उस जांच रपट को वर्तमान मुख्य मन्त्री ने रद्द कर दिया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वर्ष १९७० में श्री जय नरायण तिवारी तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई एवं विद्युत् विभाग, के विरुद्ध कुछ शिकायतों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराई गई थी श्री तिवारी को निलम्बित भी कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि आरोपों को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण श्री तिवारी के विरुद्ध कोई अदालती अथवा वैभागिक कार्यवाही करना सम्भव नहीं था। इसलिए शासन ने जांच कार्यवाही समाप्त करके श्री तिवारी को सेवा में पदारूढ़ कर दिया। जांच रिपोर्ट गोपनीय होती है। अतः उसे सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा।

*३३---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

श्री लक्ष्मी प्रसाद निवासी ग्राम बांक भवानीपुर, जिला गोण्डा के यहां पड़ी डकैती

*३४---श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)---

क्या यह सच है कि दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७१ की रात में श्री लक्ष्मी प्रसाद निवासी बांक भवानीपुर, थाना उतरौला जनपद गोंडा के यहां सशस्त्र डकैती पड़ी थी जिसमें डकैतों ने गोली भी चलाई थी परिणाम स्वरूप जगन्नाथ नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तथा अन्य कुछ घायल हुये थे? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक के परिवार को पेंशन देगी? यदि हां, तो कितनी धनराशि और कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्री लक्ष्मी पुत्र स्वरूप निवासी बांक भवानीपुर, थाना उतरौला, जिला गोंडा ने दिनांक १ नवम्बर, १९७१ को उक्त थाने में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि ३१ अक्तूबर/१ नवम्बर, १९७१ की रात में कुछ डाकुओं ने उसके घर पर डकैती डाली जिसमें अभियुक्तों ने कई फायर भी किए जिनसे जगन्नाथ पुत्र करिया की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई तथा आठ अन्य व्यक्ति घायल हुए।

मृतक जगन्नाथ के परिवार को पेंशन स्वीकृत किये जाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

*३५---श्री सूरजलाल गुप्त---

क्या यह भी सही है कि १ जनवरी, १९७२ से ३१ जनवरी, १९७२ के तिथियों के बीच गजपुर, थाना उतरौला के किसी दूकानदार के यहां डकैती पड़ी थी? यदि हां तो कितनी धनराशि लूटी गई तथा प्रश्न सं० १ एवं २ की डकैतियों का पता पुलिस लगा सकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार राजपुर नाम का कोई ग्राम थाना उतरौला के क्षेत्र में नहीं है। अतः प्रश्न का प्रथम भाग नहीं उठता।

ग्राम बांक भवानीपुर की डकैती के सम्बन्ध में तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

सचिवालय के उप सचिवों के पदों का चयन

*३६---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९७१ में सचिवालय में उप सचिवों का चयन हुआ था? यदि हां, तो चुनाव का आधार क्या रखा गया था ? क्या उक्त चुनाव में कुछ ज्येष्ठ अधिकारियों को अतिक्रमित (पासओवर) कर दिया गया? यदि हां, तो किन कारणों से?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। वर्ष १९७१ में सचिवालय सेवा में उप सचिव के पदों के लिये चयन हुआ था जिसका मापदंड 'योग्यता' था। उक्त चयन में कुछ अधिकारियों का अवक्रमण हुआ है क्योंकि अवक्रमित अधिकारी उक्त मापदण्ड के आधार पर प्रोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाये गए।

गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज तथा राजकीय बालिका विद्यालय, पीलीभीत की क्षात्राओं की मांग

*३७--श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि गवर्नमेंट गर्ल्स इण्टर कालेज, पीलीभीत में पिछले जुलाई के महीने में प्रवेश लेते समय ग्यारहवें दर्जे की १० से ज्यादा छात्राओं ने उर्दू लेने की मांग की थी, परन्तु प्रधानाचार्य ने उर्दू को सहूलियत देने और बढ़ाने से इंकार कर दिया? यदि हां, तो क्या मन्त्री प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

केवल ८ छात्राओं ने जुलाई, १९७१ में प्रवेश लेते समय उर्दू विषय लेने की इच्छा व्यक्त की थी। परन्तु विद्यालय इण्टर परीक्षाओं के लिये उर्दू विषय में मान्यता प्राप्त नहीं था और न कोई उर्दू प्रवक्ता का पद ही वहां सृजित था। इसलिये छात्राओं को उर्दू विषय लेने की अनुमति देना सम्भव नहीं था।

*३८--श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी--

क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, पीलीभीत की छात्राओं की उर्दू टीचर की मांग पर २३ दिसम्बर, सन् १९७१ को आर०आई०जी०एस०, बरेली को इस सम्बन्ध में जो आदेश भेजा गया उस पर वहां के अधिकारियों ने कोई अमल-दरामद नहीं किया? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय उनके विरुद्ध कार्यवाही करने और आने वाले तालीमी साल में वहां पर उर्दू टीचर का प्रबन्ध करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

विषय शिक्षा निदेशालय के विचाराधीन है।

बुलन्दशहर के विद्यालयों में ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति

*३९--श्री जगवीर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९७१ व १९७२ में जिला बुलन्दशहर में कितने और कौन-कौन से हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजेज में ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये गये और कब-कब?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी हां, केवल दो विद्यालयों में ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये गये--

पहला--श्री गांधी इण्टर कालेज, दुजाना में राजाज्ञा दिनांक २१ दिसम्बर, १९७१ द्वारा तथा

दूसरा--डी० एन० इन्टर कालेज, गुलावटी में १० जनवरी, १९७२ द्वारा।

*४०--श्री उमाशंकर शुक्ल--

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित।]

राजकीय पालीटेक्निक गोरखपुर में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण

*४१---श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)---

क्या राजकीय पालीटेक्निक गोरखपुर के पेंटिंग शाप में डिप्लोमा कोर्स लेने वाले छात्रों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या सम्बद्ध प्रयोगात्मक प्रशिक्षण को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

राजकीय पालीटेक्निक गोरखपुर के पेंटिंग शाप में डिप्लोमा कोर्स पाने वाले छात्रों को प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सम्बद्ध प्रयोगात्मक प्रशिक्षण को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम दिया जाता है।

*४२---श्री भानु प्रताप सिंह---

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित।]

*४३---श्री रियासत हुसैन---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*४४---श्री रियासत हुसैन---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*४५---श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

[दूसरे शुक्रवार में प्रश्न संख्या ५४ पर स्थानान्तरित।]

*४६---श्री रूपनाथ सिंह यादव---

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित।]

*४७---श्री राम कुंवर सिंह तथा श्री सूबेदार सिंह---

[४थे गुवार के लिये स्थगित।]

श्री लल्लन सिंह ग्राम सहरियाकलां, जिला गोण्डा की हत्या

*४८---श्री जगदीशगांधी (जिला अलीगढ़) तथा श्री श्यामलाल कन्नौजिया (जिला आजमगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सहरियाकलां (कलहसनपुरवा) थाना कौड़िया, जिला गोंडा में उसी गांव के निवासी श्री लल्लन सिंह की हत्या अक्तूबर, १९७१ में की गई जिसकी रिपोर्ट उक्त थाने में दिनांक २१ अक्तूबर, १९७१ को लिखाई गई। यदि हां, तो उक्त हत्या के सिलसिले में कौन-कौन व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार किये गये हैं? तथा हत्या की सूचना थाने में किसके द्वारा दी गई है? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी मिली कि रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति ही इस हत्या के दोषी हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अक्तूबर, १९७१ में नहीं बल्कि दिनांक २९/३० नवम्बर, १९७१ की रात में लल्लन सिंह निवासी कलहसन, पुरवा मजरे सेहरिया जिला गोंडा की हत्या किये जाने की लिखित रिपोर्ट थाना कौड़िया पर मृतक लल्लन के भाई जगन्नाथ सिंह ने १-१२-७१ को दी थी। इस सूचना के आधार पर धारा ३०२ भा०दं०वि० का मुकदमा कायम किया गया।

जांच के दौरान मृतक के एक अन्य भाई छोटे सिंह तथा अन्य परिवार वालों ने वादी के लड़के मुन्नासिंह पर ही संदेह व्यक्त किया है। अब तक की जांच से किसी संदिग्ध व्यक्ति

के विरुद्ध प्रथम दृष्टया या अपराध बनता नहीं पाया गया है, अतः अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

संबंधित मुकदमें की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश शासन द्वारा दे दिये गये हैं।

खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन

*४९—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेतिहर मजदूरों के लिये क्या कोई न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

जी हां। न्यूनतम वेतन अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरें १९५२ में निर्धारित की गई थीं जिनमें समय-समय पर पुनिरीक्षण भी होता रहा है। अब वर्तमान दरें ३१-१-७२ से पुनरीक्षित की गई हैं। दरों का विस्तृत विवरण दिनांक ३१-१-७२ की विज्ञप्ति में दिया गया है। विज्ञप्ति की एक प्रति सदन के पटल पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २२७ पर)

*५०—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित]

भारतीय होटल बरेली में जख्मी महिला

*५१—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि भारतीय होटल बरेली से शाहजहांपुर निवासिनी १८ वर्षीय महिला मरणासन्न अवस्था में दिनांक २४ अथवा २५ दिसम्बर, १९७१ को बरेली पुलिस ने बरामद करके अस्पताल में भरती किया जिससे शहर में बड़ी सनसनी पैदा है। यदि हां, तो विवरण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार २४ अथवा २५ दिसम्बर १९७१ को बरेली पुलिस ने नहीं बल्कि २०/२१ दिसम्बर, १९७१ की रात में भारतीय होटल बरेली के मालिक ने एक लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल में भरती कराया था।

इस घटना से बरेली शहर में कोई सनसनी नहीं पैदा हुयी। पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा धारा ३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में अनैतिक अपराध

*५२—श्री जगन्नाथराव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७१ में भरतमिलाप के अवसर पर जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं कस्बे में किसी गुन्डे ने एक सम्भ्रांत परिवार के महिला के साथ बलात्कार किया, जिसकी रिपोर्ट थाना मड़ियाहूं में लिखाई गई अभी तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक १-१०-७१ को श्री दीप लाल, निवासी कस्बा मड़ियाहूं ने इस आशय की मड़ियाहूं थाने पर रिपोर्ट लिखाई कि उनकी पत्नी के साथ हबीब नामक व्यक्ति ने दिनांक ३०/१-१०-७१ की रात्रि में बुरा काम किया । इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा ३७६ के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया, जिसमें जांच के बाद अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई जहां मुकदमा विचाराधीन है ।

*५३--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर अन्तर्गत माह अक्तूबर, सन् १९७१ ई०के अन्तिम सप्ताह में इस आशय की कोई रिपोर्ट दर्ज हुयी कि कुछ गुन्डों, बदमाशों ने एक छात्र श्री चन्द्र प्रकाश को छुरे से घायल कर दिया, उसे गम्भीर चोटें आईं ? पूरा विवरण क्या है ? अनैतिक अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक २९-१०-७१ को थाना मड़ियाहूं पर इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त हुई किसी कि उसी दिन अमुक व्यक्ति ने श्री चन्द्र प्रकाश को छूरे से घायल किया तथा उसके साथियों ने अन्य लोगों को मारा पीटा है। इस सूचना के आधार पर थाने पर भारतीय दंड विधान की धारा १४७/१४८/३०७/३२४/३२३/३३६/२९४ के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसमें विवेचना के पश्चात् ११ अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय भेजी गई । मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*५४--श्री दर्लसिगार यादव--

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित]

ग्राम भवानीपुर, जिला आजमगढ़ के हरिजन की भैंस का बध

*५५--श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ थाना निजामाबाद के गांव भवानीपुर में एक हरिजन की भैंस चुराकर कुछ लोगों ने काट दिया है और उक्त हरिजन की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की गई ? यदि यह सत्य है तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार आजमगढ़ जिले के थाना निजामाबाद के गांव भवानीपुर में एक हरिजन की भैंस चुराकर कुछ लोगों द्वारा काटे जाने के संबंध में थाना निजामाबाद पर दिनांक १८-२-७२ को एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुयी थी जिसके आधार पर थाने में एक मुकदमा धारा ३८० भा०दं०वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया । जांच के बाद तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

*५६--श्री मनफूल सिंह--

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित]

पर्वतीय अंचल के विकास सम्बन्धी विभाग

*५७--श्री गोविन्दसिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय अंचल के जिलों के विकास संबंधी विभागों को सचिवालय स्तर पर मुख्य सचिव की शाखा के अन्तर्गत रखने के संबंध में विचारार्थ शासन ने कोई समिति गठित की है? यदि हां, तो उस समिति न क्या संस्तुति की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

मैनपुरी जिले में कत्ल एवं डकैतियां

*५८--श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९७० से २० फरवरी, १९७२ तक मैनपुरी जनपद में विभिन्न थानों के अन्तर्गत कितने-कितने कत्ल तथा डकैती की घटनायें घटित हुईं । उनमें १ वर्ष अथवा इससे भी अधिक समय हो जाने के पश्चात् भी पुलिस ने अभी तक अभियुक्तों पर कोई चार्जशीट नहीं लगाई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

१ जनवरी, १९७० से २० फरवरी, १९७२ तक मैनपुरी जनपद के विभिन्न थानों के अन्तर्गत हत्या की १४३ और डकैती की २०६ घटनायें घटित हुईं । केवल डकैती की दो घटनायें ऐसी हैं जिनमें १ वर्ष से अधिक समय हो गया है पर चार्जशीट नहीं भेजी गई है।

*५९--श्रीमती मसाली देवी--

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित ।]

*६०--श्री राम बचन यादव--

[३रे सोमवार में प्र०सं० २१ के अन्तर्गत स्थानन्तरित ।]

फफूंद, थाना सहायक, जिला इटावा के यहां डकैती

*६१--चौधरी राम पाल सिंह यादव--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नरायन मिश्र आत्मज श्री सुन्दर लाल मिश्र, निवासी ग्राम इकधरा फफूंद, थाना सहायक, जिला इटावा के यहां दिनांक १२ सितम्बर, १९७१ को कोई डकती पड़ी थी और उसमें मुलजिमों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थी ? यदि हां, तो उन मुलजिमानों के नाम क्या हैं और इस संबंध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम नारायन आत्मज श्री सुन्दरलाल मिश्र निवासी ग्राम इकधरा,थाना सहायक ने अपने यहां दिनांक १२-९-१९७१ को डकैती पड़ने की एक नामजद रिपोर्ट लिखाई। इसमें एकधारा के बरनाम सिंह, बाबूलाल पाल, राम प्रकाश बेड़िया, नरायन कोरी, राधेश्याम, बालेश्वर, रूपनारायन, दिबियापुर के रोशनलाल तथा पूर्वाजैन के बालेश्वर को नामजद किया । इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गयी । विवेचना के परिणामस्वरूप मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट लगाई गयी ।

प्रदेश के बुनकरों की भुखमरी व बेकारी

*६२--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रश्नकर्ता की चिट्ठी के साथ प्रदेश के बुनकरों की भुखमरी व बेकारी पर सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश की राज्य तदर्थ समिति की दिनांक १२ फरवरी, १९७२ की बैठक द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति दिनांक १८ फरवरी, १९७२ को शासन को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है और उसमें बुनकरों की राहत के लिये सुझाये गये उपायों में अलग-अलग सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां ।

प्रश्नगत प्रस्ताव में निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई हैं--

(१) बुनकरों को उनकी जरूरत के मुताबिक सूत और स्टेपिल की फौरी फराहमी की जाय और स्टेपिल के सरफे के सभी जिलों में सरकारी दूकानें खोली जायं और उनके अपने एजेंटों के जरिये मिलों द्वारा स्टेपिल के सेल की इजारेदारी को खत्म किया जाय।

(२) बढ़ी हुई कीमतों को कम किया जाय और मामूल पर लाया जाय।

(३) बुनकरों के माल की खपत के लिये बेरून-मुल्क बाजारें बनाई जायं।

(४) स्टेपिल के सफे के मरकजों पर स्टेपिल सूत के कारखाने कायम किये जायं जिनकी इन्तजामिया में बुनकरों का हिस्सा दखल हो ।

(५) बुनकर सनात के दायरे में तैयार होने वाले माल को बनाने की इजाजत मिलों को न हो ।

(६) मरकज व सूत्रों में बुनकरों के मसायल से मुतालिक अलग बजारतें कायम की जायं ।

२--बुनकरों की विभिन्न समस्याओं क संबंध में शासन अविलम्ब विस्तृत जांच करा रही है ताकि इन समस्याओं के समाधान के लिये उचित कदम उठाये जा सकें ।

अतारांकित प्रश्न

गैर-सरकारी प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों का वेतनमान

१--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध गैर-सरकारी प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान उन्हीं के समक्ष कार्यरत नगरपालिकाओं के प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों के समान करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

जी नहीं ।

बस्ती जिले के नक्सलपंथी

२--श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती में १९६७ से १५ नवम्बर, १९७१ तक कितने नक्सलपंथी कम्युनिस्टों के विरुद्ध मुकदमा कायम करके गिरफ्तार किया, कितनों की तलाश हो रही है और जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनमें से कितने को जेल में उच्च श्रेणी दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिला बस्ती में १९६७ से १५ नवम्बर, १९७१ तक १३ नक्सलवादियों के विरुद्ध ३ मुकदमें अंकित हुये । इसमें से कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और कुछ ने अदालत में आत्मसमर्पण किया । अब किसी अभियुक्त की तलाश नहीं है। किसी भी नक्सलवादी बन्दी को जेल में उच्च श्रेणी नहीं दी गयी ।

३—श्री सूबेदार सिंह तथा श्री मोती लाल देहलवी—

[२रे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना झगंहा, जिला गोरखपुर में सार्वजनिक भूमि पर मकान का अवैध निर्माण

४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री जांचकर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर थाना झगंहा के थानेदार को दिनांक २४-१२-१९७१ ई० में ग्राम सभा विशुनपुरा मटियरा की भूमि नं० ३९९ पर प्रधान एवं इन्हीं के घर के एक और व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके सार्वजनिक भूमि पर मकान बनाने की सूचना (लिखित रूप में) प्रश्नकर्ता ने स्थान विशेष पर ही उक्त दिनांक में दिया है? यदि हां, तो क्या निर्माण-कार्य उतने पर ही बन्द करा दिया गया या पूरा करा दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित आशय की लिखित शिकायत प्रश्नकर्ता ने २४-१२-७१ को ग्राम बिशुनपुरा में थानाध्यक्ष झंगहा (जिला गोरखपुर) को दी थी । थानाध्यक्ष ने प्रश्नकर्ता के साथ जाकर मौके पर पूछ-तांछ की थी । प्रधान का कहना था कि वह अपनी पुरानी घारी के स्थान पर ही ईंट की घारी बना रहे हैं । दोनों पक्ष अन्य ग्राम वासियों के समक्ष इस बात पर सहमत हो गये थे कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा पैमाइश करा कर वे लोग जमीन का निबटारा कर लेंगे तथा आगे निर्माण कार्य पैमाइश के बाद होगा। मामला दीवानी का पाया गया था और शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं थी अतः पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्राप्त सूचना के अनुसार बाद में लेखपाल द्वारा की गई पैमाइश से वह जमीन जिस पर घारी बनाई जा रही थी बंजर में होना नहीं पाई गई । इस समय केवल फूस की झोपड़ी ऊपर से रक्खी गई है । छत का निर्माण नहीं हुआ है

ग्राम मुण्डेर बाजार, जिला गोरखपुर के व्यापारी के यहां जापानी टेरिलीन कपड़ा

५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना चौरी चौरा के ग्राम मुण्डेर बाजार के कितने कपड़े के व्यापारी माह दिसम्बर, १९७१ ई० में जापानी टेरिलीन कपड़ा रक्खे पकड़े गए? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुण्डेर बाजार, जिला गोरखपुर का कोई व्यापारी जापानी टेरिलीन रखने के सम्बन्ध में दिसम्बर, १९७१ में नहीं पकड़ा गया। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

मुख्य मंत्री सहायता कोष में प्राप्त धनराशि

६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, १९७१ तक मुख्य मन्त्री सहायता कोष में किन-किन जिलों से कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और केन्द्र सरकार को इस अवधि में राज्य द्वारा कितनी-कितनी धनराशि कब-कब भेजी गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुख्य मन्त्री सहायता कोष में दिसम्बर, १९७१ तक प्राप्त धन का जिलेवार विवरण संलग्न है। इस कोष से केन्द्रीय सरकार (प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय सहायता कोष) को निम्नलिखित धनराशि भेजी गई—

	रु०
(१) १० जून, १९७१ को ..	१,५०,०००
(२) १८ सितम्बर, १९७१ को ..	४,००,०००
योग .	५,५०,०००

इसके अतिरिक्त ५ मई, १९७१ को बैंक ड्राफ्ट द्वारा पांच लाख रुपये की धनराशि प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष को बंगला देश शरणार्थियों के लिये भेजी गई थी। यह धनराशि मुख्य मन्त्री सहायता कोष से नहीं भेजी गई थी, वरन् राज्य सरकार द्वारा ही स्वीकृत की गई थी।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ २२९ पर)

भाषा विभाग के उर्दू तथा हिन्द अनुवादक

७—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सचिवालय के भाषा विभाग में हिन्दी अनुवादकों और उर्दू अनुवादकों के कार्यों के माप दण्ड अलग-अलग निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो यह अन्तर अनुवादकों के बीच कितना है और क्यों हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। सामान्य प्रकार के कार्य का अंग्रेजी से हिन्दी/उर्दू में प्रतिदिन लगभग १,५०० शब्दों का अनुवाद होता है। हिन्दी से उर्दू में लिप्यान्तरण कार्य करने के लिए १,७५० शब्द प्रतिदिन अनुवाद की अपेक्षा की जाती है। जिस प्रकार का कार्य उर्दू अनुभाग में अधिकांशतः हो रहा है उसे देखते हुए इसे भी कम पाया गया है, मापदण्ड में भिन्नता का कारण यह है कि हिन्दी से उर्दू में अनुवाद करने की अपेक्षा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने में कहीं अधिक समय लगता है क्योंकि अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं की वाक्य रचना तथा व्याकरण भिन्न है।

८—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह भी सत्य है कि भाषा विभाग के उर्दू सेक्शन में उर्दू अनुवादकों की आवश्यकताओं का निर्धारण विशेष कार्य अधिकारी जी० ए० डी० (आर) द्वारा समय-समय पर किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेंगी कि इस समय जी० ए० डी० (आर) में कितने विशेष कार्य अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनकी उर्दू में शैक्षिक योग्यतायें क्या हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अनुवादकों की आवश्यकताओं का निर्धारण कार्य अध्ययन के आधार पर जी०ए० डी० (आर) द्वारा होता है जिसमें इस समय एक अनु सचिव, एक विशेष कार्याधिकारी और तीन संगठन एवं विधि अधिकारी हैं। इन अधिकारियों में से एक अधिकारी की शैक्षिक योग्यता उर्दू में इण्टरमीडिएट तथा फारसी में बी० ए० है।

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, जिला मुरादाबाद की मशीनों की मरम्मत एवं लाभ

९—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा (मुरादाबाद) जो इस समय राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रही है सन् १९७१-७२ के सीजन के लिये मशीनों की मरम्मत के लिये कुल कितना रुपया सरकार ने स्वीकार किया और उसमें से कितना धन मरम्मत में खर्च किया गया और मरम्मत की सामग्री किन-किन कम्पनियों से मंगाई गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा, जिसमें ८ अक्तूबर, १९६९ से जिला अधिकारी, मुरादाबाद, द्वारा नियुक्त रिसीवर कार्य कर रहा है, में १९७१-७२ सीजन के लिये मशीनों की मरम्मत आदि पर १ जुलाई, १९७१ से ३० नवम्बर, १९७१ तक कुल ४.४८ लाख रुपये व्यय किया गया। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम को स्थगित करते समय पारित आदेश में यह शर्त लगाई थी कि मरम्मत का व्यय पिछले तीन वर्ष के औसत व्यय से अधिक नहीं होगा। अतः उपरोक्त व्यय इसी सीमा के अन्तर्गत किया गया। राज्य सरकार की आज्ञा की आवश्यकता नहीं थी। मरम्मत का सामान जिन कम्पनियों से खरीदा गया उनके नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ २३० पर)

१०—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि उपरोक्त मिल को सरकार के अधीन रहते हुए सन् १९६९-७० और १९७०-७१ के सीजन में कितना लाभ हुआ? इस मिल ने सन् १९७०-७१ के सीजन में कितना गन्ना पेरा और चीनी बनाई? क्या यह कार्य मिल की क्षमता के अनुसार था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

लेखा वर्ष १९६९-७० में ९ अक्तूबर, १९६९ और ३० जून, १९७० (रिसीवर) की अवधि में मिल को ११.९८ लाख रूपये का लाभ हुआ। वर्ष १९७०-७१ के लखा का अभी अन्तिम आडिट नहीं हुआ है इसलिये हानि लाभ की स्थिति अभी ज्ञात नहीं है। इस मिल ने १९७०-७१ सीजन में २१.१३ लाख क्विंटल गन्ना पेरा और १.९७ लाख क्विंटल चीनी बनाई। मिल की तकनीकी हालत ठीक न होने के कारण उक्त गन्ने की पेराई और चीनी का उत्पादन मिल की क्षमता से कम रहा।

११—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा (मुरादाबाद) की वर्तमान सीजन में १५ नवम्बर, १९७१ से ५ जनवरी, १९७२ तक प्रतिदिन रिकवरी क्या रही और मिल में उपरोक्त तारीखों में प्रतिदिन कितना गन्ना पेरा और क्या यह मिल इस समय अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा (मुरादाबाद) को १९७१-७२ सीजन में १५ नवम्बर, १९७१ से ५ जनवरी, १९७२ तक की प्रतिदिन की रिकवरी तथा पेरे गये गन्ने की मात्रा संलग्न तालिका "अ" में दर्शायी गई है। १९७१-७२ में गन्ने की पैदावार में आम कमी होने, एवं गुड़ और खाण्डसारी के बाजार भाव ऊंचा होने से मिल को कई अन्य मिलों की तरह अपनी दैनिक आवश्यकता के अनुसार गन्ना नहीं मिल पाया, इस वजह से यह मिल उक्त सीजन में अपनी

क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाई। कारखाने की मशीनरी की हालत खराब होने से इसकी रिकवरी कम रहती है।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ २३३ पर)

उप निदेशक शिक्षा, फैजाबाद द्वारा अनियमित नियुक्ति

१२—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक शिक्षा, फैजाबाद ने मार्च, १९७१ में राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय जहगीरावा, जिला बाराबंकी में ऐसे अध्यापक को नियुक्त किया जिसकी आयु निर्धारित आयु से अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी अनियमित नियुक्ति अवैध घोषित करके उन्हें हटाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य

१३—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आगामी दो वर्ष में प्रदेश में ५०० उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योग होंगे तथा कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

१४—श्री श्याम लाल कनौजिया—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

१५—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

[२रे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुरक्षा कोष हेतु निधि संग्रह अभियान

१६—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुरक्षा कोष हेतु निधि संग्रह अभियान में जबरदस्ती वसूली, धांधली एवं घोटाले की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन जिलों से और उनमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। बरेली, आगरा, पीलीभीत, अलीगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, जालौन, झांसी, देहरादून, बदायूं, बलिया, अल्मोड़ा एवं फैजाबाद में सुरक्षा कोष हेतु निधि संग्रह अभियान में कुछ अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें जांच के फलस्वरूप देहरादून, बदायूं, बलिया, अल्मोड़ा तथा फैजाबाद जिले से सम्बन्धित शिकायतें निराधार पाई गई। शेष उक्त ८ जिलों से सम्बन्धित शिकायतों की भी जांच चल रही है।

१७—श्री सियाराम—

[२रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में स्टेट कौंसिल

१८—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में इस समय कितने सिविल, क्रिमिनल और टेक्सेशन के स्टेट कौंसिल हैं और उसमें कितने माइनोरिटीज से ताल्लुक रखते हैं और वह किस प्रतिशत से रक्खे जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

महाधिवक्ता के अतिरिक्त उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दीवानी मुकदमों के लिए ७ अधिवक्ता और १३ ब्रीफ होल्डर हैं। फौजदारी मुकदमों के लिये १० अधिवक्ता, और १३ ब्रीफ होल्डर हैं। उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में दीवानी मुकदमों के लिये २ अधिवक्ता और ५ ब्रीफ होल्डर हैं और फौजदारी मुकदमों के लिए ४ अधिवक्ता तथा ५ ब्रीफ होल्डर हैं। टैक्सेशन के मामलों के लिये अलग से स्टेट कौंसिल नहीं है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक ब्रीफ होल्डर माइनोरिटीज से ताल्लुक रखते हैं। स्टेट कौंसिल की नियुक्ति में माइनोरिटीज को प्रतिशत के हिसाब से नहीं रखा जाता है। नियमों में निर्धारित उचित योग्यता रखने वालों को समान रूप से नियुक्त किया जाता है।

सूचना विभाग में पंजीकृत समाचार-पत्र

१९—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक दैनिक समाचार-पत्र दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७१ तक सूचना विभाग में पंजीकृत हैं और क्या मन्त्री उपरोक्त समाचार-पत्रों की पंजीकृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

प्रदेश के सूचना विभाग में समाचार-पत्रों का पंजीकरण नहीं किया जाता है। पंजीकरण रजिस्ट्रार आफ न्यूज-पेपर्स फार इंडिया, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

बदायूं कोतवाली अन्तर्गत चोरी तथा राहजनी की लिखाई गई रिपोर्ट

२०—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं कोतवाली के अन्तर्गत १ जनवरी, १९७२ से १५ फरवरी, १९७२ तक कितनी चोरियां, कितनी राहजनी की रपटें लिखी गईं ? उनमें से कितनों को पुलिस ने चालान किये एवं किस-किस में अपराधीगण २२ फरवरी तक गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१ जनवरी, १९७२ से १५ फरवरी, १९७२ तक कोतवाली बदायूं में राहजनी की ११ रिपोर्ट और चोरी की ५७ रिपोर्ट दर्ज की गईं। इनमें से २२ फरवरी, १९७२ तक चोरी के दो मामलों में चालान किया गया तथा राहजनी के मामलों में ११ अभियुक्त और चोरी के मामलों में १० अभियुक्त गिरफ्तार किय गये।

२१—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

लखनऊ नगर के डिग्री कालेजों के व्यवस्थापक

श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपा कर बतावेंगे कि लखनऊ नगर के विभिन्न डिग्री कालेजों की एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिनका अध्यक्ष, प्रबन्धक अथवा व्यवस्थापक एक ही व्यक्ति लगातार बीस वर्षों से होता चला आ रहा है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

ऐसा कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। अतः तालिका प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

व्यवस्था का प्रश्न

(वित्त मंत्री का नाम पुकारने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हमारे दल के जो सदस्य खड़े होंगे उनमे कुछ निश्चित संख्या का ही नाम पुकारा जायगा और उनके प्रश्नों पर बोलने का अवसर दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा लगता है कि आप भ्रम में हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

भ्रम नहीं है जो देखा है उस पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसी व्यवस्था बना दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष —

ऐसी व्यवस्था नहीं है।

बिक्री-कर अनुभाग की विज्ञप्तियां††

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८, की धारा ३-क की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन प्रख्यापित (वित्त बिक्री-कर २) अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-२-३३२/दस–१०१२-१९७१, दिनांक १५ नवम्बर, १९७१ में, उक्त अनुभाग की विज्ञाप्ति संख्या एस० टी०-२–७२६/दस–७२–९००(६४)-६९, दिनांक १० फरवरी, १९७२ द्वारा किये गये संशोधनों को, उसके शुद्धि-पत्र संख्या एस०टी० २–९९८/दस–७२–९००(६४)-६९, दिनांक २४ फरवरी, १९७२ के साथ, उक्त धारा ३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग के वार्षिक विवरण†

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मैं स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के वर्ष १९६६-६७ तथा १९६७-६८ के वार्षिक विवरणों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६४ पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में की गई संस्तुति के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७२†

परिवहन मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६८-टी/दस—४—२४-पी-७०, दिनांक २२ जनवरी, १९७२ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७२ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७२†

परिवहन मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३६८-टी/दस—४—१०५-पी-६५, दिनांक २८ जनवरी, १९७२ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७२ का मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति का दशम् प्रतिवेदन

*श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सभापति, प्राक्कलन समिति (१९७१-७२) की हैसियत से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७१-७२) के प्रतिवेदन को जो आय-व्ययक में सम्मिलित राजस्व परिषद् के प्राक्कलनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करती हूं ।

श्रीमन्, राजस्व परिषद् का गठन ब्रिटिश शासन काल में हुआ था । सम्भवतः उस समय उसकी उपादेयता अंग्रेजों को अपनी शासन की जड़ों को मजबूत करने के लिये थी परन्तु जैसे-जैसे देश में राजनैतिक जागृति फैलती गई हमारे देश के बड़े-बड़े नेता यह महसूस करने लगे कि माल प्रशासन के शीर्ष स्तर पर व्यय अधिक हो रहा है, उसको कम करने की आवश्यकता भी उन्होंने महसूस की। उनका यह स्पष्ट मत था कि मण्डलायुक्तों के पदों तथा राजस्व परिषद् की कोई उपादेयता नहीं है और उनको समाप्त करके बचत की जा सकती है। सर्व प्रथम स्वराज्य पार्टी तथा भारतीय नेशनल कांग्रेस ने बड़े जोर-शोर के साथ यह मांग की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस प्रदेश में मंडलायुक्तों के कुछ पदों को समाप्त भी किया गया। परन्तु कुछ समय बाद मण्डलायुक्तों के पदों में बढ़ोत्तरी होने लगी और आज स्थिति यह है कि मण्डलायुक्तों के अलावा सचिवालय में शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जहां सचिव एवं आयुक्त के पद न हों । यह एक विडम्बना है कि जिन पदों को हम कल तक अनावश्यक समझते रहे और जिन्हें समाप्त करने की मांग करते थे उन्हें समाप्त करना तो दूर रहा वरन् उनकी संख्या में प्रति दिन वृद्धि होती जा रही है ।

राजस्व परिषद् को उच्चतम न्यायालय की भांति माल सम्बन्धी विवाद के निस्तारण हेतु सर्वोच्च माल न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था । इसके उपरान्त समय-समय पर परिषद् से प्रशासनिक कार्य भी लिये जाते रहे हैं। सम्भव है कि १९५० के पूर्व इसे

---

†छापी नहीं गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सिया दुलारी]

अनुसूचित न समझा गया हो। परन्तु १९५० में संविधान के अनुच्छेद ५० के लागू होने के बाद राजस्व परिषद् द्वारा प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन को समिति असंवैधानिक समझती है।

जहां तक परिषद् के न्यायिक शाखा के वर्तमान गठन का प्रश्न है समिति ने उसे भी उचित नहीं समझा। उसके मत में न्यायिक शाखा में केवल ऐसे सदस्यों की नियुक्ति जिन्हें न्यायिक कार्य का अनुभव हो अथवा माल सम्बन्धी मुकदमा करने वाले अनुभवी अधिवक्ताओं में से की जानी चाहिए।

समिति ने उन राज्यों का भी दौरा किया जिनमें या तो राजस्व परिषद् थी ही नहीं अथवा भंग कर दी गई हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राजस्व परिषद् के प्रशासनिक कार्य सुविधापूर्वक विकेन्द्रित करके शासन एवं मंडलायुक्तों के मध्य स्थानान्तरित करके सुचारुरूप से कार्य चलाया जा सकता है। जहां तक न्यायिक शाखा का सम्बन्ध है मैसूर तथा महाराष्ट्र की भांति यहां पर भी माल अधिकारणों की स्थापना करके कार्य चलाया जा सकता है।

श्रीमन्, बड़े खेद का विषय है कि हमारे यहां अनिस्तारित वादों की संख्या वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है जब कि मैसूर एवं महाराष्ट्र में अनिस्तारित वादों की संख्या नहीं के बराबर है। इसमें गरीब जनता को काफी कठिनाई होती है। इन सभी चीजों पर विचार करके समिति ने यह निर्णय लिया है कि वह शासन से यह संस्तुति करे कि राजस्व परिषद् के वर्तमान रूप को तत्काल समाप्त किया जाय। उसके प्रशासनिक कार्यों का विकेन्द्रीकरण करके शासन एवं मंडलायुक्तों के मध्य वितरित किया जाय। न्यायिक शाखा के सम्बन्ध में समिति ने यह संस्तुति की है कि इसके वर्तमान रूप को समाप्त करके माल न्यायाधिकरण की स्थापना की जाय और जिसकी बेंच प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर स्थापित की जाय। ताकि जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय मिल सके।

प्राक्कलन समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

*श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९९७१-७२) का ग्यारहवां प्रतिवेदन जो औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करती हूं।

औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों से सम्बद्ध प्राक्कलनों का परीक्षण करने का निश्चय समिति ने अपनी दिनांक २६ अक्तूबर, १९७१ की बठक म किया था और तद्नुसार आवश्यक सूचना प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभाग को एक प्रश्नावली समिति के कार्यालय से दिनांक २९ अक्तूबर, १९७१ को भेजी गई। मुझे खेद है कि सम्बन्धित विभाग से जिस प्रकार का सहयोग समिति को प्राप्त होना चाहिये वह मिल नहीं सका। बार-बार स्मरण कराने के उपरान्त उपर्युक्त प्रश्नावली में मांगी गई सूचना लगभग ढाई महीने बाद श्रम विभाग से दिनांक १२ जनवरी, १९७२ को प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के सम्बन्ध में समिति को कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हुई जिसके लिए विभाग को दो अनुपूरक प्रश्नावलियां क्रमशः दिनांक ७ फरवरी, १९७२ तथा १६ फरवरी, १९७२ को भेजी गई परन्तु आज तक उन प्रश्नावलियों में अपेक्षित सूचना समिति को प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि समिति के पास अब इतना समय शेष रह नहीं गया है कि वह वांछित सूचना के लिए और अधिक प्रतीक्षा कर सके इसलिये विवश होकर उसे निर्णय लेना पड़ा कि विभाग द्वारा पूर्व उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही वह अपना प्रतिवेदन तैयार करा कर सदन में प्रस्तुत करें। विभाग द्वारा आवश्यक सूचना भेजने में अनावश्यक विलम्ब करने के कारण समिति के कार्य में बाधा पड़ी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों की स्थापना प्रथम बार १९५७ में हुई थी। हड़तालों और ताला बन्दियों से श्रमिक, मिल मालिक तथा प्रदेश के सभी लोगों को हानि होती है। इस ध्यय को सामने रख कर शासन के श्रमिक और मिल मालिकों के संबंध को सौहार्द्र पूर्ण बनाने की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाये और १९४७ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट बनाया गया। परन्तु यह अधिनियम सर्वांगपूर्ण नहीं था। अतः समय समय पर आवश्यकता नुसार इस संशोधित करके प्रथम बार १९५७ में शासन ने औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों की स्थापना की, परन्तु इन संस्थाओं के गठन के पीछे जो उद्देश्य निहित था उसकी पूर्ण पूर्ति नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण समिति के मत में यह है कि अधिकांश अधिकारियों को जिन्हें श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्त की जाती है उनमें श्रम संबंधी विषय में विशेष जानकारी एवं रुचि नहीं रहती। समिति ने यह भी देखा कि बहुत से अधिकारी ऐसे रहे जिन्हें सेवा निवृत्ति होने पर पीठासीन अधिकारियों के पदों पर नियुक्त किया गया। वर्तमान समय में जब कि बेकारी भयावह रुप में फैली हुई है आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को कार्य दिया जाय। अतः समिति ने एक यह संस्तुति की है कि शासन इस प्रश्न पर शीघ्र विचार करे और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियुक्ति करने की प्रथा को समाप्त करे। लम्बे-लम्बे वेतन पाने वाले अधिकारियों को सेवा निवृत्त के उपरान्त पीठासीन पदाधिकारियों के पदों पर नियुक्त करने से शासन पर आर्थिक बोझ भी अधिक पड़ता है।

औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों की स्थापना के पीछे यह भी उद्देश्य था कि श्रम विवादों का निबटारा शीघ्र, सस्ता और न्यायपूर्ण हो। परन्तु समिति ने यह देखा कि कुछ वादों के निबटारे में १२९ दिन से लेकर १,५०० दिन का समय लगा। इस बिलम्ब के कारण क्या थे यह जानकारी समिति को प्रयास करने पर भी नहीं मिल सकी। १,५०० दिन का समय औद्योगिक विवादों के निबटारे में लग जाना न तो श्रमिक के हित में है और न मिल मालिक तथा प्रदेश के हित में। देश को अधिक उत्पादन की आवश्यकता है और इस लक्ष्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब कि श्रमिकों एवं मिल मालिकों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाये जायं। इसके लिये यह आवश्यक है कि औद्योगिक विवादों का निबटारा न्यूनतम समय में किया जाय। इस संबंध में भी समिति ने संस्तुति की है कि शासन कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि औद्योगिक वादों को निबटाने में आवश्यकता से अधिक समय न लगे।

समिति को यह भी सूचना दी गई कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालय की बैठकें मुख्यालय को छोड़ कर अन्य स्थानों पर भी विवादी पार्टियों के आग्रह पर की जाती हैं। समिति समझती है कि विवादी पार्टियों के आग्रह पर मुख्यालय से बाहर औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों की बैठकें करने के अधिकार के दुरुपयोग की संभावनाएं कम नहीं हैं। इस संबंध में समिति की संस्तुति है कि औद्योगिक क्षेत्रों के अनुसार औद्योगिक न्यायाधिकरणों एवं श्रम न्यायालयों की स्थायी बेंच स्थापित करने पर शासन विचार करे। उससे विवादी पार्टियों को भी असुविधा नहीं होगी और सरकारी धन के दुरुपयोग से भी बचा जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने पूर्व प्रतिवेदन में आपसे निवेदन किया था, मैं आपके द्वारा सदन से यह आग्रह करती हूं कि सदन के अन्दर इन प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिये कोई समय निर्धारित किया जाय ताकि विचार करके इनको यथाविधि रूप दिया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—

अन्य समितियों के बारे में जो आश्वासन कल दिया गया है वही इस पर भी लागू होता है।

उद्योग राज्य मन्त्री, श्री देवकीनन्दन विभव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विश्वनाथ कपूर ने एक विशेषाधिकार भंग का सवाल उठाया था जो इस प्रकार है--

"२२ मार्च, १९७२ को सदन में बुनकरों के मामले में चर्चा के समय सरकार की तरफ से श्री देवकी नन्दन विभव, राज्य उद्योग मंत्री ने जानबूझ कर सदन में असत्य बयान सदन को गुमराह करने के लिये दिया है। "२० जिलों में बुनकरों को सहकारी बैंकों द्वारा बराबर ऋण दिया जा रहा है", जो बिलकुल गलत है। प्रदेश में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है।

माननीय उद्योग मंत्री का उत्तर आया है और उस उत्तर में उन्होंने उन २० जिलों की सूची भी संलग्न कर दी है जहां ऋण दिया गया है....

विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद))--

मान्यवर ...

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं। मैं बोल रहा हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर--

सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

जी नहीं। जो आपका पत्र है वह मैंने पढ़ कर सुना दिया। जो विभव जी का उत्तर है वह सुना रहा हूं। अगर आप कोई असत्य आरोप दूसरे पर लगा देंगे तो आपके ऊपर भी कुछ हो सकता है।

उन्होंने २० जिलों की सूची हमको दिया है। वह मैं पढ़े देता हूं।

(लाख रु० में)

मेरठ	..	..	५.०७
मुजफ्फरनगर	..	..	०.६७
आगरा	..	..	३.९५
मथुरा	..	..	२.१३
अलीगढ़	..	..	०.६८
मुरादाबाद	..	..	२.५०
फैजाबाद	..	..	२.७७
बाराबंकी	..	..	१.४९
वाराणसी	..	..	११.८५
गाजीपुर	..	..	२.००
गोरखपुर	..	..	१०.५२
आजमगढ़	..	..	७.५६
देवरिया	..	..	४.५०

बस्ती	..	..	४.००
कानपुर	..	..	१.१५
इटावा	..	..	५.२०
हरदोई	..	..	२.०२
झांसी	..	..	१.७५
बलिया	..	..	१.३०
बुलन्दशहर	..	..	०.४९

इसलिये विशेषाधिकार भंग के इस प्रश्न को मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मैं एक और विशेषाधिकार का प्रश्न आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो दे दें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं तो सदन में ही कहना चाहता हूं क्योंकि इससे पेश्तर भी आप आज्ञा प्रदान कर चुके थे कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर इस हाउस में बहस होगी, उस पर विचार होगा, आपने और अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति भी प्रदान की थी लेकिन उसके लिये कोई समय न निकाला जा सका । तो मैं आपसे पुनः यह प्रार्थना करता हूं, अभी सभापति जी ने भी कहा है कि इस पर विचार होना चाहिये । तो कोई समय मुख्य मंत्री से लेकर अगर विचार हो जाय तो उचित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जानते हैं कि ऐसे जो विषय सदन के समक्ष समय-समय पर आते हैं वह कार्य-मंत्रणा समिति में अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्दिष्ट होते हैं और सदन भी अपना फैसला देता है । माननीय सदस्य ने भ्रामक ढंग से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है । वास्तव में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न निहित है ही नहीं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

अभी जब आप राज्य उद्योग मंत्री का उत्तर पढ़ रहे थे और विश्वनाथ जी कुछ कहना चाहते थे तो आपने कहा कि आप बीच में मत बोलिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

बोलने की आवश्यकता नहीं है । या तो हम कहें और या आप बोलिये ।

श्री बंशीधर पांडेय--

वह अपना कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसकी जरूरत इसलिये नहीं कि अगर आप किसी मंत्री पर बिना सोचे समझे कोई आक्षेप लगा दें विशेषाधिकार की अवहेलना का और उसका जवाब आ जाय और जवाब संतोषजनक हो . . . . . .

श्री वंशीधर पांडेय--

यह कौन तय करेगा कि संतोषजनक है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैं तय करूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय--

लेकिन उनको सुनने क बाद हीं तो डिसाइड करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप जानते हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता तो विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता । आप नई परम्परा डाल रहे हैं । जो प्राग्दर्शन में नहीं बनता उसको मैंने अस्वीकार कर दिया ।

श्री बंशीधर पांडेय--

आपने यह कहा कि मंत्री कोई वक्तव्य दे दें और आप देखते हैं कि मंत्री को अक्सर शोधन वक्तव्य देने पड़ते हैं । आपकी आज्ञा से यह होगा कि यदि मंत्री ने वक्तव्य दे दिया तो वह सही है । फिर शोधन वक्तव्य नहीं आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में चीज उठाई गई । असल में किसी भाषण में गलत बयानी हुई तो आप कह सकते है लेकिन यह विशेषाधिकार की अवहेलना का विषय नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय--

आप उनको सुन लेते फिर चाहे उसको खारिज ही कर देते ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुनायेंगे तो उसमें हो सकता है और बात भी कह दें । जो आप लिख कर देते हैं उसी पर हम निर्णय देते हैं । सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायेगी उसकी सूचना का दायित्व शासन का होगा । यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मंत्री संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे । इसलिये यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है । अगर माननीय कपूर साहब की बात को सही मान लिया जाय तब भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता और मंत्री जी उस अधिकारी के विरुद्ध जिसने गलत सूचना दी है कार्यवाही करेंगे ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मान्यवर, एक बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आपको सुनाने का पूरा अधिकार था । अब नहीं ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

उस समय आपने मना कर दिया । अब तो सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष——

अब क्यों सुन लें। अगर आप से गलत बयानी हुई हो तो क्या आप अपने को विशेषाधिकार की अवहेलना का पात्र समझेंगे ?

श्री विश्वनाथ कपूर——

अगर कोई विशेषाधिकार की अवहेलना करता है तो उसको दण्ड मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष——

मैं कह रहा हूं कि यह प्रश्न नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर——

मैं केवल यह कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष——

आपकी बात क्यों सुनी जाय। आप हमको संतुष्ट कीजिये इस संबंध में नहीं तो हम क्यों सुनें। आपका निवेदन क्यों सुना जाय। अगर आपको कोई विशेष बात है तो आप लिख कर दिये होते। इस तरह से मैं इजाजत नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के लिये प्रबन्धक बोर्ड के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष——

मैं एक सूचना देन चाहता हूं। इस सचिवालय के पत्र संख्या १३१२/१४६ (सं०)-६९, दिनांक २८ मार्च, १९७२ के क्रम में मुझे आप से यह निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड (अब गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय) के लिये दो सदस्यों के निर्वाचनार्थ प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गई और सब नामांकन पत्र ठीक पाये गये हैं। नामों की वापसी के लिये ११ अप्रैल, १९७२ के अपराह्न ३ बजे तक का समय नियत है, अतः यदि उस समय तक अतिरिक्त नाम वापस नहीं लिय गये तो निर्वाचन संबंधी मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार १३ अप्रैल, १९७२ को दिन के १२ बजे से अपराह्न ५ बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय में होगा। अभ्यर्थियों के नाम यह हैं कि—

१——श्री मैनेजरसिंह, २——कुंवर शिव महेन्द्रसिंह, ३——श्री राजनाथसिंह, ४——श्री डूंगरसिंह विष्ट, ५——श्री हरिदत्त कांडपाल, ६——श्री इन्द्र लाल, ७——श्री देवन्द्र नाथ मिश्र, ८——श्री बलवीर सिंह (मेरठ), ९--श्री धर्मवीर सिंह (मेरठ) तथा १० श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा।

वाराणसी नगर महापालिका के सदस्यों के प्रति इंचार्ज पुलिस कोतवाली, वाराणसी द्वारा कथित अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)——

बंगला देश से वाराणसी लौटे सैनिक अधिकारियों एवम् सैनिकों के सम्मान में दिनांक २४-३-७२ को नगर महापालिका की ओर से नागरिक अभिनन्दन का आयोजन किया गया था। उन दिनों वाराणसी का टाउन हाल के मैदान में लायन्स क्लब द्वारा नृत्य नाटिक क प्रदर्शन हो

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

रह था। सैनिकों के अभिनन्दन की व्यवस्था इसी रामलीला के रंगमंच पर की गई थी। इस रामलीला प्रांगण में टिकट या निमंत्रण से ही प्रवेश सम्भव था। नगर महापालिका के सभासद उक्त आयोजन के लिए वितरित निमन्त्रण-पत्र के द्वारा रामलीला प्रांगण में प्रवेश कर सकते थे। किन्तु नगर महापालिका के कुछ सभासदों और अधिकारियों ने बिना किसी निमन्त्रण-पत्र या टिकट के रामलीला प्रांगण में प्रवेश करना चाहा। उन्हें प्रवेश द्वार पर लायन्स क्लब के स्वयं सेवकों द्वारा रोक दिया गया और वे मुख्य द्वार के बगल में सड़क पर झुंड बनाकर खड़े हो गए जिससे आवागमन अवरुद्ध होने लगा।

इस अवसर पर शान्ति व्यवस्था और यातायत नियंत्रण हेतु पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई थी और देख-रेख के लिए श्री रामेन्द्र नारायन पाण्डे, निरीक्षक कोतवाली, रामलीला प्रांगण के मुख्य द्वार पर खड़े थे। सेना के ४१४ सैनिकों एवं अधिकारियों को लेकर अनेकों गाड़ियों को टाउन-हाल के मैदान में आने का समय हो गया था। पुलिस कर्मचारियों द्वारा नम्रतापूर्वक किनारे हट जाने के लिए कहने पर जब मार्ग में खड़े व्यक्ति, जो बाद में सभासद एवं नगर महापालिका के कर्मचारी मालूम हुए, वहां से नहीं हटे तो निरीक्षक कोतवाली ने उनसे दृढ़तापूर्वक मार्ग से हटने के लिए कहा। इस पर सभासदगण अत्यधिक नाराज हो गए और वाद-विवाद करने लगे किन्तु कुछ ही क्षण बाद जिलाधिकारी वहां पर आ गए और नगर प्रमुख सहित सभासदों को समझा बुझा कर रामलीला प्रांगण में लिवा ले गए।

इस सम्बन्ध में मुझ, पुलिस महानिरीक्षक तथा जिला अधिकारियों को शिकायती तार प्राप्त हुए थे और उप पुलिस अधीक्षक, नगर, को जांच के आदेश भी दे दिये गए थे।

नगर प्रमुख व अन्य प्रमुख सभासदों से विचार-विमर्श के बाद दिनांक ३१-३-७२ को सम्बन्धित सभासदों एवं निरीक्षक कोतवाली में एक दूसरे से खेद प्रकाशन तथा मेल-मिलाप के फलस्वरूप यह विवाद समाप्त हो गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

वाद-विवाद तो समाप्त हो गया। लेकिन वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति खेद प्रकाशन किया लेकिन सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार पुलिस का कोई कसूर नहीं मालूम पड़ता। फिर पुलिस द्वारा खेद प्रकाशन क्यों किया गया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

वहां पर उस समय सेनाधिकारी तथा अन्य लोग आ रहे थे और टिकिटों के द्वारा ही प्रवेश दिया जा रहा था। बिना टिकिट वालों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। अगर पुलिस उनको न हटाती तो निश्चित रूप से शांति भंग होने की आशंका थी और उससे स्थिति का स्वरूप ही विकृत हो जाता। ऐसी स्थिति में आवश्यक था कि पुलिस उसमें हस्तक्षेप करती। अगर सभी लोग वहां आ जाते तो वह आयोजन ही सफल नहीं हो पाता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मेरे सवाल का तो जबाव ही नहीं आया और आपने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। यही तो मुझे शिकायत है।

मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो बक्तव्य दिया है उसको देखते हुए यह नहीं मालूम पड़ता कि उसमें पुलिस का भी कोई दोष था, उनके कहने के अनुसार तो सभासद दोषी थे। लेकिन मेरी सूचना यह है कि पुलिस ने सभासदों से जाकर क्षमा मांगी, तब मामला सुलझा। तो जब सभासदों ने ही गड़बड़ की थी तो पुलिस वालों ने किस बात का खेद प्रकाशन किया ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

पुलिस वालों को यह जानना चाहिये था कि ये इसी नगरमहापालिका के सभासद हैं। नगर महापालिका की ओर से ही वह आयोजन किया जा रहा था। वे तो स्वयं ही उनका आतिथ्य

करने के लिये गये थे। रास्ते को रोके हुए नहीं थे। पुलिस को तो उन्हें सम्मानपूर्वक भीतर बैठाना चाहिये था। इसलिये पुलिस को खेद प्रकाशन करना पड़ा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

अगर मुख्य मंत्री जी का कहना सही है और मैं समझता हूं कि वैसी ही बात सही होगी, यह सभा किसी का अभिनन्दन करना चाहे तो यहां के सदस्यों को किसी विशेष प्रवेश-पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऐसा ही वहां भी रहा होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि पुलिस नहीं पहुंच सकी, यह बात सत्य से परे मालूम होती है। इसमें लिखा है कि नगरमहापालिका के सभासद उस आयोजन के लिये वितरित निमन्त्रण-पत्र के द्वारा रामलीला प्रांगण में प्रवेश कर सकते थे। किन्तु नगरमहापालिका क कुछ सभासदों और अधिकारियों ने बिना किसी निमन्त्रण-पत्र या टिकट के रामलीला प्रांगण में प्रवेश करना चाहा। तो यह तो मुख्य मंत्री जी की बात सही है या इसमें जो यह लिखा है वह सही है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

निमंत्रण-पत्र रहा हो या न रहा हो, महापालिका की ओर से आयोजन था, सभासद जायं तो उनको प्रवेश मिलना ही चाहिये था लेकिन ऐसा हो जाता है कि श्री जायसवाल जी जायं मेरे घर और यदि निमन्त्रण-पत्र घर भूल भी जायं और कोई उनको रोक दें तो मैं उन के पास जाकर शाष्टांग दंडवत करके क्षमा मागूंगा कि यह अनुचित रोक दिया गया आपको। मुमकिन है कि उनके पास निमन्त्रण-पत्र न रहा हो और इसीलिये पुलिस को भ्रम हुआ हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

उनको किसी निमन्त्रण-पत्र की आवश्यकता थी ही नहीं क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो वह अभिनन्दन समारोह आयोजित किया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यही भूल थी जिसकी वजह से पुलिस को क्षमा मांगना पड़ी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या उनके कथनानुसार अब इस वक्तव्य में आप संशोधन करायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आप कहते हैं तो संशोध न करा दें यों तो पुलिस ने खेद प्रकाश कर ही दिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

हमारे कहने की बात नहीं है, आप क्या गलत वक्तव्य यहां दे रहे हैं इसे उचित समझते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कोई अन्तर नहीं है। जो प्रश्नों से बात निकली वह भी रिकार्ड में आ गई, वह सब बातें उसमें एक तरह से जुड़ गई हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

रिकार्ड में तो यह जायगा कि सभासदों ने खेद प्रकाशन किया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में जो कहा उससे वक्तव्य का अपूर्ण भाग भी पूरा हो गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उसमें यह चीज निकली तो नहीं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इससे बहुत फर्क पढ़ जायगा, माननीय मुख्य मंत्री जी की बात से जाहिर होता है कि पुलिस ने जरूर बदसलूकी की और एसा है तो आवश्यक हो जाता है कि उसको सजा मिले, इसमें बड़ा अन्तर हो जाता है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेयर के घर पर जहां सब सभासद मौजूद थे पुलिस ने जाकर क्षमा मांगी और इससे पहले एस० एस० पी० और कलक्टर ने उस स्थान पर क्षमा याचना की, उसके बाद भी सजा की बात जायसवाल जी भी उचित न समझेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पुलिस के लोगों ने जो क्षमा याचना की वह इसमें आ गई और उनको अधिक दंड देने की बात की अब जरूरत नहीं है लेकिन इसमें से निकाले जाने वाली बात यह है कि उन्होंने परस्पर क्षमा याचना की । इसका मतलब है कि सभासदों ने भी क्षमा मांगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपस में क्षमा याचना ही की जाती है कि एक तरफ से कहा गया कि खेद है, सभासदों ने भी.....वह काशी के रहने वाले सज्जन लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हमें खेद है कि ऐसी घटना हुई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह तो हमारे लिये समाचार है कि काशी के रहने वाले सज्जन होते हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मत्री जी यह महसूस करते हैं कि ऐसे बहादुर सैनिकों का जहां अभिनन्दन हो ऐसे समारोह में तो शौर्य प्रदर्शन होना चाहिये था न कि इस तरह के विषयों को ....

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब महापालिका जाने, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

कानपुर के बाबूपुरवा क्षेत्र के श्री विजयबहादुर सिंह आदि के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

श्री विजय बहादुर सिंह के विरुद्ध कई अहस्तक्षेपीय और हस्तक्षेपीय रिपोर्टें हैं । उनके विरुद्ध डकैती के दो मुकदमें और एक अन्य मुकदमा अदालत में चल रहा है । यह सत्य नहीं है कि श्री रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी एक लब्ध प्रतिष्ठ पत्रकार हैं ।

दिनांक १६-३-७२ की रात में एक पक्ष के सर्वश्री विजय बहादुर सिंह, रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी और एक अन्य व्यक्ति को शान्ति भंग करने के अभियोग में धारा १५१/१०७/११७ जा० फौ० में गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया । यह सही नहीं है कि इन लोगों को इसलिये बन्द किया गया कि इन लोगों ने क्षेत्र में होने वाले अनैतिक व्यापार एवं टिंचर जिंजर की दुकानों आदि के विरुद्ध आवाज उठाई थी । उनके विपक्षी दल के दो व्यक्तियों को भी उक्त धारा में बन्द किया गया था । दोनों पक्षों को अदालत ने पाबन्द कर दिया है । मुकदमा अदालत में विचाराधीन है ।

यह सही नहीं है कि पुलिस ने श्री विजय बहादुर सिंह पर गोली से बार किया। दिनांक १-२-७२ की रात श्री विजय बहादुर सिंह ने थाना बाबूपुरवा पर इस आशय की रिपोर्ट की थी कि कुछ व्यक्तियों ने हत्या करने की नियत से उन पर गोली चलाई और गोली उनके कान के पास से निकल कर दीवार से जा टकराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी श्री विजय बहादुर सिंह ने किसी पुलिस वाले को न तो नामजद ही किया और न सन्देह ही प्रकट किया।

पुलिस द्वारा श्री विजय बहादुर सिंह और श्री रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी को डकैती में फंसाने की धमकी दिये जाने की बात सही नहीं पाई गई। यह भी सही नहीं है कि इन दोनों व्यक्तियों की जान खतरे में है। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों की जीवन रक्षा के लिये संभव उपाय किये हैं और इसी दृष्टि से दोनों पक्षों के विरुद्ध पुलिस ने निरोधात्मक कार्यवाही की है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या माननीय उप मंत्री जी को इन दोनों के प्रार्थना-पत्र दिनांक २३-३-७२ को प्राप्त हुए जिनमें पूरी सूचना लिखी गयी है कि किन-किन लोगों ने गोली चलायी और इस प्रकार से जो वहां पर अनैतिक व्यापार हो रहा था उसको रोकने के लिये जो इन्होंने कार्यवाही की उस पर पुलिस ने इनको धमकी दी है?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

उनके शिकायती-पत्र भी मिले और छान-बीन जो की गयी उससे यह बात सच नहीं पायी गयी।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, ये जो दो व्यक्ति हैं ये सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं। एक तो महापालिका के चुनाव में खड़े हुए थे केवल ७-८ वोटों से रह गये और एक पत्रकार हैं। इन दोनों व्यक्तियों का पिछला रिकार्ड भी खराब नहीं है। जब से इन्होंने अनैतिक व्यापार के विरुद्ध और वेश्याओं के और टिंचर जिंजर की दुकानों के विरुद्ध आवाज उठायी है, जहां पर पुलिस वालों को बंधा हुआ रुपया मिलता था, इनके विरुद्ध फर्जी मुकदमे बनाये गये हैं। क्या माननीय मंत्री जी ऐसे दो नागरिकों क बारे में जिनके पिछले रिकार्ड भी अच्छे हैं कोई उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

श्रीमन्, इनके विरुद्ध अदालत में मुकदमे चल रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, ये मुकदमे तो दफा १०७/११७ के चल रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच करायेंगे?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

श्री विजय बहादुर सिंह के विरुद्ध कई अहस्तक्षेपीय और हस्तक्षेपीय रिपोर्ट्स हैं। उनके विरुद्ध डकैती के २ मुकदमे और एक अन्य मुकदमा अदालत में चल रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मेरा निवेदन है कि जब से इन लोगों ने अनैतिक कार्यों के विरुद्ध आवाज उठायी है और गलत काम को होने से रोका है और उससे पुलिस को रुपया मिलना बन्द हो गया तब से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में पुलिस को क्या दिक्कत है। जब ये सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं तो किसी निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा, जिन पर माननीय मुख्य मंत्री जी का विश्वास हो, जांच कराने की कृपा करेंगे?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

दोनों के सम्बन्ध में यह है कि श्री विजय बहादुर सिंह का नाम तो गुन्डा लिस्ट में और इनके विरुद्ध डकैती के २ मुकदमे चल रहे हैं। एक मुकदमा अवैध रूप से एक मकान में कब्जे का चल रहा है। तो इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं लेकिन अगर फिर भी माननीय सदस्य कहते है तो हम जांच करवा लेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, जो रिपोर्ट धारा १७२ में हुई है, उस रिपोर्ट के अनुसार वह किस धारा में दर्ज की गई है।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि धारा १५१/१०७/११७।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आप कहते है कि रिपोर्ट हुई है लेकिन इतना इन्कार करते हैं कि पुलिस के खिलाफ नहीं है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि अन्य लोगों के खिलाफ जो है उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो अन्य के खिलाफ कार्यवाही हुई है उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है और दूसरे ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि इन लोगों ने अनैतिक व्यापार और टिचर जिजर के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या यह सही है?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

यह सही नहीं है। मने वक्तव्य में भी इंगित कर दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो गोली चली जिसके फोटो मैंने नत्थी किये हैं, दीवारों पर भी निशान हैं, क्या किसी एक्सपर्ट को दिखा कर उसकी जांच कराई गई है? किसी पिस्टल से गोली चली है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जांच तो हो रही है। मैंने निवेदन किया कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है एक न्यायालय में हाजिर हो चुका है। कार्यवाही हो रही है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत पांच सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना है श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की जिन्होंने चीनी के भावों को गिराने के लिये अतिरिक्त चीनी कोटा भारत सरकार से लेने हेतु सूचना दी है। यद्यपि यह विषय भारत सरकार का था तथापि वक्तव्य के लिये इसको स्वीकार कर लिया गया है।

दूसरी सूचना सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, त्रिलोक चन्द्र तथा चन्द्रभान शर्मा ने यह दी है कि सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री वेद प्रकाश शर्मा के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध

में सतर्कता आयोग द्वारा निष्कासन के आदेश की संस्तुति की गई है। इस पर माननीय शम्भूनाथ जी अल्पसूचित प्रश्न करें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, मैं आपकी राय से सहमत हूं। लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिये सरकार की ओर से दो एजेन्सियां हैं। एक तो खुफिया विभाग और दूसरा है सतर्कता विभाग। लेखा अधिकारी श्री वेद प्रकाश शर्मा के विरुद्ध लेखे में तथा गबन के सिलसिले में कई तथ्य प्रकाश में आये। इस लिये यह मामला खुफिया विभाग को सौंपा गया लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह मामला सतर्कता विभाग को सौंपा जाय। सतर्कता विभाग ने उसकी जांच की। जांच करके रिपोर्ट उसने दे दी है कि इन्हें सेवा विमुक्त कर दिया जाय। जब सतर्कता विभाग की रिपोर्ट आ गई और सरकार ने आदेश दे दिया कि इनको सेवा से निवृत्त कर दिया जाय तो इस आदेश के बाद भी फिर सरकार उनको क्यों रखना चाहती है। सरकार ने आदेश दिया नवम्बर में इनको सेवा विमुक्त कर दिया जाय और उसकी प्रतिलिपि महालेखाकार के पास भी पहुंच गई। परन्तु फिर भी वे सरकार के आदेश की अवहेलना करते रहे। मार्च में सरकार क्यों फिर ऐसे अधिकारी को कुतर्क करके पद पर रखने की चेष्टा कर रही है। एक आदमी ने तो मुझे यह बतलाया कि वे रख लिये गये हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसे केस को आप गम्भीरता से लें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस अधिकारी की नियुक्ति पर लोक सेवा आयोग ने भी गम्भीर आपत्ति उठाई है। लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के बिना चार वर्ष तक कार्यरत अधिकारी नहीं रह सकता है यह प्रश्न आपने उठाया है। अगर इस प्रश्न को आप अल्पसूचित प्रश्न के रूप में कर दें और सरकार इसका जबाव दे तो तथ्य आपके सामने आ जायेंगे। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार नहीं किया गया है। यह प्रश्न व्यक्तिगत भी हो जाता है। अगर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें तो सरकार का दृष्टिकोण तो सामने आ जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—

तीसरी सूचना दी है श्री त्रिवेणी सहाय ने कि लखनऊ की सूक्ष्म यन्त्रशाला के मजदूरों द्वारा अपनी मांग के सम्बन्ध में हड़ताल की जा रही है। इस पर वक्तव्य स्वीकार किया था और यह पुनरावृत्ति है। उसके कारण अस्वीकार किया गया है। एक सूचना माननीय कल्पनाथ सिंह, बंशीधर पांडेय, सुरेन्द्र विक्रम की ओर से गोरखपुर में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अनुदान को बांटने में अधिकारियों द्वारा पक्षपात एवम् उपेक्षापूर्ण नीति से संबंधित है। यह बहुत अस्पष्ट है। अगर कोई इसमें एक-दो दृष्टान्त दिये गये होते, निश्चित घटना होती तो यह स्वीकार किया जा सकता था। यह स्वीकार नहीं किया गया।

एक माननीय नित्यानन्द स्वामी का है। चमोली जिले के सीमान्त क्षेत्रों में फसल खराब होने के कारण अकाल की स्थिति के बारे में है। इस पर आप प्रश्न कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सारे क्षेत्रों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है ....

श्री उपाध्यक्ष—

समाचार-पत्रों में निकला है यही आधार काफी नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, वही एक साधन है जानने का । रेडियो पर तो इन्होंने ऐसा कब्जा कर रखा है कि जो वह चाहते हैं बोला जाता है। समाचार-पत्रों के माध्यम से कुछ समाचार मिल जाता है और उस पर भी वह कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें जिससे तथ्य सामने आ जायेंगे । अगर तब भी आपको सन्तोष न हो और वक्तव्य की आवश्यकता हो तो दिलवा देंगे ।

रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का स्पष्टीकरण

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी रोडवेज कर्मचारियों के सम्बन्ध में आज बयान देंगे और उनकी इस बीच बातचीत भी हो गई होगी । कृपया उनसे कहें कि क्या हुआ बतला दें । साथ ही एक और बात बता दें कि वह सूती मिल के कर्मचारी वाले आ गये हैं ...

श्री उपाध्यक्ष—

यह दूसरी बात है । रोडवेज कर्मचारियों के बारे में मुख्य मंत्री जी को जो मालूम होगा, बता देंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, नित्यानन्द स्वामी जी बड़े सतर्क और सावधान सदस्य हैं और हमारे सदन की शोभा हैं । कल रोडवेज वालों से बातचीत हुई थी । जो बातचीत हुई थी उस पर उन्होंने कोई फैसला तुरन्त नहीं लिया था बल्कि अपने निर्णय के लिये उन्होंने ९ बजे तक का समय मांगा था । सम्भव है उनसे कुछ बातचीत हो गई हो, मुझे उसका कुछ पता नहीं चला क्योंकि मैं सदन में हूं । मैं यह बता दूं कि रोडवेज एम्पलाइज यूनियन जो उनकी है वह रिक नाइज्ड है, उस यूनियन से भी बातचीत हुई । उनका एक दूसरा स्टेन्ड है। एक संयुक्त कर्मचारी परिषद् है उसकी दूसरी मांग है और एक दूसरा स्टेन्ड है । एक तरह से जो वह चाहते हैं उसके विपरीत दूसरे चाहते हैं । इस स्थिति में हमको बातचीत करनी पड़ी है ।

कानूनन जो रिकगनाइज्ड यूनियन है उससे ही बातचीत करनी चाहिये, लेकिन यह जो अनरिकगनाइज्ड यूनियन बन गई है संयुक्त कर्मचारी परिषद् उनकी ओर से भी नोटिस थी, इस नाते हमने उनसे भी बातचीत की । अब मैं समझता हूं कि कुछ पता लग जायेगा । सरकार क्या कर सकती है उनसे बातचीत करने के पश्चात ही बतलाया जा सकता है और आज शायद पता चल जायेगा कि क्या परिणाम निकला और उससे कोई रास्ता निकले कि उनकी वह नोटिस स्टैन्ड करती है कि नहीं । अगर आप चर्चा चाहें .....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर चर्चा कर लें । आज आपकी बातचीत हो जायेगी और कल उस पर चर्चा हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष —

अभी वह बतायेंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यह सदन यह भी सोच ले कि उस चर्चा से कोई स्थिति में सुधार होने की आशा वह करते हैं या वह यह समझते हैं इस प्रकार की चर्चा से स्थिति में सुधार

की बजाय बिगड़ने की आशा है। अगर सदन यह समझता है कि सुधार की सम्भावना है तो अवश्य चर्चा कर लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

आप क्या विश्वास करते हैं। सदन के प्रति आपकी क्या आस्था है, यह उस पर डिपेन्ड करता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह तो मेरे साथी के विवेक पर निर्भर करता है। जैसा वह निर्णय कर लेंगे उसको मैं मान लूंगा।

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

मान्यवर, मुझको सूचना मिली है कि कर्मचारी संयुक्त परिषद् के साथ हमारे अधिकारियों की बातचीत हो रही है। मेरा सबमिशन है कि जब उनके साथ बातचीत फाइनल हो जायेगी उसके बाद ही चर्चा की बात सोची जाय। जब तक यह फाइनल नहीं होती है उस समय तक चर्चा के विषय में न विचार किया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कहा था शाम तक बात हो जायेगी और कल चर्चा के विषय में विचार किया जा सकता है। मान्यवर कल ही ७ तारीख है।

श्री उपाध्यक्ष---

तारीख तो हम निश्चित करेंगे।

अगले कार्य-क्रम के बारे में सुझाव

श्री उपाध्यक्ष---

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो जिला हरदोई वाला प्रश्न था उसमें कुछ भ्रम हो गया था। आप स्वयं सोच लें कि डेढ़ घन्टे की चर्चा का यह प्रश्न नहीं है। इसका इतना अधिक महत्व नहीं है। भ्रमवश ही यह हो गया। जिला हरदोई वाले प्रश्न को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था। इसका इतना अधिक महत्व नहीं है कि डेढ़ घन्टे की चर्चा करवाई जाय।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कल दलबदल की प्रक्रिया जोरों के साथ चल रही है। कभी कोई इधर आ जाता है और कभी उधर। मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा कि नियम ५१ के अन्तर्गत दो चर्चायें अवश्य करवाई जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप इसको इतना लोक महत्व का प्रश्न समझते हैं कि इस पर डेढ़ घन्टे की चर्चा करवाई जाय? इस पर मैंने डेढ़ घन्टे की बहस स्वीकार कर ली है चाहे वह भ्रमवश ही क्यों न हो परन्तु यह विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य इस विषय को डेढ़ घन्टे की चर्चा का समझें।

१९७२-७३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र (जिला गोंडा)---

मान्यवर, जो बजट आपके सम्मुख है उस पर चर्चा करते हुये मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था कि बजट का क्या लक्ष्य होना चाहिये। हमारे देश और प्रदेश की जो नीति है, जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†५ अप्रैल, १९७२ की कार्यवाही से।

[श्री देवेन्द्रनाथ मिश्र]

अर्थ व्यवस्था है वह यह है कि हम इसके माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। मान्यवर समाजवादी समाज के कल्याण के लिये, गरीबी को हटाने के लिये, देश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये है। पिछड़े हुये लोगों को इससे बल मिलता है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने जो प्रोवीजन्स किये हैं, वे इसमें सहायक हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, गरीबों को दुनियां से उठाने के लिये हैं ?

श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र—

अभी तक अपने देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जो पूंजीवादी व्यवस्था थी। जो पूंजी पति थे उनको यह अधिकार था कि वे इसलिये पूंजी लगायें कि उनको और अधिक पूंजी मिल सके। अमीर अमीर हो रहा था और गरीब गरीब होता चला जा रहा था। पूंजी उन्हीं के हाथों में केन्द्री भूत हो गई थी। ये केवल चन्द हाथ थे। हमारी सरकार ने इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की दिशा में कदम उठाया है। उसका लक्ष्य है कि गरीबी को दूर करें, पिछड़ेपन को दूरकरें। इसी समाजवादी व्यवस्था को हमने स्वीकार किया है। उसी दृष्टि कोण से इस बजट को हमको देखना है। मान्यवर, समाजवादी व्यवस्था एक ऐसा शब्द हो गया है जिससे भ्रांति हो जाती है।

समाजवाद वह आर्थिक प्रक्रिया है जिसके अन्दर उत्पादन के साधनों का अधिकार समुदाय को होना चाहिय। मान्यवर, जो साधन के फैक्टर्स है, उसमें भूमि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भूमि के बारे में चर्चा जब हम करते हैं तो प्राय: जमींन से ही उसका अर्थ समझा जाता है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसका तात्पर्य आर्थिक प्रक्रिया में भूमि और भूमि के नीचे जो खाने है, झील या नदी है वह सभी सम्बन्ध रखती हैं। यह फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रकृति ने समस्त धनी और गरीब लोगों को समान रूप से दिये हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो राष्ट्रीयकरण की बात की है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का कब्जा हो उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

हमारे यहां संसदीय प्रणाली है। उसमें समाजवादी नियोजित अर्थ व्यवस्था होती है। यदि यह फेल होती है तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्रीमन्, यदि आप बजट देखेंगे तो अधिक पैसा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में और टी० ए०, डी० ए० में खर्च होता है। उससे ऐसा नहीं मालूम होता है कि सरकार बड़े-बड़ उद्योग धंधों को प्रदश में खोल रही है। मान्यवर, प्रजातंत्र में जनता का शासन होता ह, जनता के द्वारा होता है और जतता के लियें होता है लेकिन यह शासन अभी उस बात को पूरा नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, देश में गरीब और साधन सम्पन्न सभी को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है देश में प्रजातंत्र नहीं आ सकता है। बजट देखने से मालूम होता है कि सरकार क्रियाशील है और सक्रिय है। यह गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तत्पर है। श्रीमन्, हम जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, वह जगह बहुत पिछड़ी हुई है।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर पीठासीन हुए।)

हमार यहां उद्योग धंधे नहीं हैं और न कृषि ही होती है। हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए यह हमारी आर्थिक नीति का आवश्यक अंग होना चाहिए कि जो साधन उपलब्ध हों उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें। हमारे यहां जंगल बहुत हैं लेकिन अभी उस ओर पूरी तरह, से ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि जंगलों का अधिक स अधिक उपयोग हो। हम चाहते हैं कि सरकार जंगल को काटने को और डवलप करन का काम कर और जंगल के बीच में कल और कारखाने लगावें

जिससे जो चीजें जंगल में पैदा होती हैं उनका लाभ सभी लोगों को उचित मूल्य पर हो सके। आज चीजें महंगी मिलती हैं लेकिन जब सरकार उस काम को करेगी और वहां कारखाने लगायेगी और लकड़ी चीरेगी तो वह जनता को सस्ती मिलेगी। इससे सरकार का भी बड़ा लाभ होगा। हमारे जिल में साखू और शाल की लकड़ी बहुत मिलती है। मान्यवर, हमारे जिले में लगभग १० प्रतिशत जमीन पर जंगल है। यदि हमारे यहां लकड़ी का कोई कारखाना हो जाय तो यहां की जनता का बड़ा लाभ होगा। हमारे यहां ऐसी घास पैदा होती है जिससे कि चटाई का काम बनाया जाता है और यहां पर पेपर इण्डस्ट्री भी चल सकती है। मान्यवर, हमारे जिले की तरफ अभी तक सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं गया। श्रीमन्, मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां पेपर का कारखाना खोलें जिससे कि हम अपने प्रदेश की सेवा कर सकें और वहां गरीबी को दूर कर सकें। श्रीमन्, हमारे दवाओं के कारखाने खुल सकते हैं क्योंकि हमारे यहां प्रचुर मात्रा में जड़ी-बूटियां मिलती हैं। इन शब्दों के साथ मैं वन मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां प्रचुर वन संपदा है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस वन संपदा का अधिक से अधिक उपयोग करके गरीबी को दूर करने में वे अपना योगदान दें।

श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में सड़कों की बहुत कमी है। लगभग ३०० मील सड़कें बनाई गयी हैं। जो नयी योजना बनायी गयी है, उससे वहां के लोगों को मजदूरी करने का मौका मिला, पैसा मिला और काफी काम हुआ। लगभग १७ लाख रुपये हमारे यहां खर्च हो चुके हैं इस मद में। मैं अपने जिले के उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने बड़ी लगन से काम किया और सफलता प्राप्त की। हमारे यहां जो सड़कें बन रही हैं, वे बहुत अच्छी बन रही हैं। किन्तु हमारे क्षेत्र मनकापुर में कोई सड़क नहीं है। मनकापुर और बम्हनान का क्षेत्र इस संबंध में बड़ी चर्चा का विषय रहा है। एक बार मंत्री जी भी वहां उपस्थित थे और उन्होंने आम जनता को आश्वासन दिया था। किन्तु अभी तक इस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया गया। श्रीमती सुचेता कृपलानी जो जो उस समय मुख्य मंत्री थीं, ने भी वहां शीघ्र सड़कों के निर्माण का आदेश दिया था। बाद में वे लोक सभा के चुनाव को जीत कर एम० पी० हो गयीं। अभी तक उनके आदेश का पालन नहीं किया गया है और वहां सड़क नहीं बन सकी। इससे वहां की जनता, खासकर किसानों को बड़ी असुविधा हो रही है। बरसात में उनका सारा गल्ला सड़ जाता है और मंडियों में नहीं पहुंच पाता और जो कुछ पैदा करते हैं, उसका उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

मान्यवर मैं अपने जिले की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां सामन्तवादी शासन था जिसके अंदर हारजन, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की छूट नहीं थी। हम चाहते हैं शासन का ध्यान उधर जाय, वहां के लोग भी सुख का अनुभव करें, और प्रजातांत्रिक ढंग से उन्हें भी अपनी इच्छा के मुताबिक काम करने और मतदान करने का मौका मिले, गरीबी दूर हो और उनको उन्नति करने के साधन उपलब्ध हों।

श्रीमन्, अब मैं भूमि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां भी आर्थिक व्यवस्था में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। रसा में सारी भूमि राष्ट्रीयकृत हो गयी है। मैं नहीं कहता कि इस सूबे की सारी भूमि राष्ट्रीयकृत हो लेकिन जो भूमि खेती के लिये है, उसकी हद-बन्दी हो और वह गरीबों को बांटी जाय। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि जितनी भूमि का वितरण हमारे यहां किया गया वह बहुत ही गलत ढंग से हुआ और गरीबों को नहीं किया गया। उस दुर्व्यवस्था को सुधारना है। हमारे यहां बड़-बड़े जमींदारों से जो जमीन निकली, वह ऐसे लोगों को की गयी है, जिनका कोई नाम ठिकाने

[श्री देवेन्द्रनाथ मिश्र]

का पता ठीक नहीं है, जैसे उसमें लिखा है रामसिंह, लखनऊ। मैं तो नहीं जानता कि ऐसे आदमी की तलाश की जाय, तो कोई ऐसा आदमी मिले। मैं माल मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसका फिजिकल वेरीफिकेशन करायें।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आशा किये था कि अब के बजट भाषण में उन बातों का समावेश अवश्य मिलेगा जिन बातों को माननीय वित्त मन्त्री जी जब इधर विरोध पक्ष में बैठकर कहा करते थे, मगर उनका सारा बजट भाषण पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि या तो उधर जाकर उनकी बुद्धि विस्मृति हो गयी है या वे उन सारी बातों को भूल गये हैं। समाजवाद का बड़ा नारा लगाया गया है। समाजवाद को अगर मैं ठीक समझता हूं तो समाजवाद की पहली आवश्यकता यह कि लोगों की आमदनी बढ़े, नेशनल प्रोडक्शन यानी जी० एन० पी० बढ़े। जिस अनुपात में जी० एन० पी० बढ़े उसी अनुपात में आमदनी बढ़े। किन्तु ऐसा नहीं हुआ है। १९६८–६९ में २५६ रुपये प्रति व्यक्ति औसत आय थी जो १९७१–७२ में २६५ रुपये हो जाने का अनुमान यह बताते हैं। सन् १९६८ से लेकर सन् १९७२ तक केवल १० रुपये की आय बढ़ी है। अगर इस दृष्टि जी०एन०पी० को देखें तो उसका अनुपात तो और भी कहीं नीचे चला जायगा। आज अपने प्रदेश की हालत यह है कि ८६ परसेन्ट लोगों की आय २५ पैसे से ४३ पैसे तक प्रति व्यक्ति है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जब वे विपक्ष में थे कहा था कि सरकार की यह परिपाटी हो गयी है कि वह सदैव घाटे का बजट पेश करती है और वह बाद में सरप्लस में बदल जाता है। मैं उनसे पूछ सकता हूं कि उन्होंने क्या उसी परिपाटी को नहीं अपनाया है? अगर आपका यह बजट अन्त में सरप्लस नहीं होगा तो आप इस घाटे को कहां पूरा करेंगे? अगर आप टैक्स लगायेंगे तो उसके लिये आपको कहना चाहिये था। इसलिये मेरा यह सीधा आरोप है कि यह घाटे का बजट नहीं है, यह जनता को भ्रमित करने वाला बजट है, वर्ष के अन्त में यह भी सरप्लस में बदल जायेगा।

इसी प्रकार राज्य की आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के प्रसार हेतु आपने कहा है कि कुछ कदम उठाये गये हैं। मगर उस दिशा में देखने से पता क्या चलता है? १९६०–६१ में मान्यवर कृषि का अंशदान ६९.९ प्रतिशत था। १९७१–७२ में आप कहते हैं कि ५६.३ प्रतिशत होने का अनुमान है। यह कृषि का अंशदान क्यों घट गया। मगर यह अंशदान घटा है तो इसी अनुपात में इंडस्ट्रियल अंशदान बढ़ना चाहिये, मगर वह भी नहीं बढ़ा है।

आपने स्वयं स्वीकार किया है कि इंडस्ट्रियल अंशदान इसी अवधि में १०.२ प्रतिशत से बढ़कर ११.१ हो गया यानी ०.९ प्रतिशत बढ़ा। उधर १३ परसेन्ट अंशदान घटा है, इधर केवल ०.९ परसेंट अंशदान बढ़ा है। यानी १० वर्ष में केवल ०.९ बढ़ा है। "और वाणिज्य तथा व्यापार से होने वाली आय १२.३ से बढ़कर १४.७ हो गई है।" अर्थात् केवल २.४ प्रतिशत बढ़ी है। अधिक से अधिक उनकी इंडस्ट्रियल बढ़ोत्तरी कुल मिला कर हुई है।

एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का घाटा १३ परसेंट है। फिर भी यह इसे समाजवादी बजट कहते हैं। मैं तो समझता हूं कि यदि यही समाजवादी प्रगति हुई है, तो चींटी चन्द्रमा पर चली जाएगी, किन्तु इस देश के निवासियों की प्रगति कभी नहीं हो पाएगी। अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि इनका ९० परसेन्ट बजट कमिटेड बजट है। कमिटेड बजट से हमारा आशय है सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, भत्ता, महंगाई भत्ता, उनकी मोटर कारें और मन्त्रियों के सारे भ्रमण भाषण आदि आदि। केवल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर यह जा रहा है। १० परसेंट मुश्किल से इनको मिलेगा जिससे प्रान्त की प्रगति करने की यह आशा कर सकते हैं। इनकी प्रगति ०.९ के ऊपर नहीं जा रही है। यह १० वर्ष के समाजवाद के भयंकर प्रयास, भयंकर

पराक्रम का भयंकर परिणाम हमारे सामने आया है । इस पर तो मैं यह कह सकता हूं कि माननीय तिवारी जी की बुद्धि भ्रमित है, इधर से उधर जाते ही भ्रमित हो गई है । यह भ्रम क्यों है ? क्योंकि इनका सारा बजट अफसरशाही का बजट है, इसके अलावा कुछ है नहीं ।

इन्होंने कोरे नारे लगाये हैं, प्रधान मन्त्री की जय जयकार की है, केवल उनकी प्रशंसा की है और समाजवाद का नारा लगाया है । यह बजट वर्स्ट टाइप का कैपटिलिस्ट बजट है । समाजवाद के नाम पर प्रगति कहीं दिखाई नहीं पड़ती है । जब कोई गड़बड़ी होती है, तो उधर से समाजवाद का हल्ला मचता है । जनसंघ राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं है । वह चाहता है कि जैसे भी प्रगति हो वह किया गया है---समाजवाद को व्यवहारिक रूप लेना पड़ेगा और आधार शिला होगी कि प्रगति कैसे समाज की हो । यदि उससे समाज की, भलाई होती है तो यह अवश्य होना चाहिये ।

आपने शुगर इंडस्ट्री की मिलें ली हैं । क्या उनसे हमें चीनी सस्ती मिलेगी ? क्या उनसे गन्ना किसानों का बाकी धन दिलाया गया है ? ६ महीने पहले इस सूबे में डेढ़ रुपये किलो चीनी थी और समाजवाद के भयंकर पराक्रम के फलस्वरूप अब ४ रुपये किलो चीनी हो गई है । इस पर भी क्या मैं यह मानूं कि राष्ट्रीयकरण का यह एक अच्छा नमूना है । इसे क्या माना जाए? इनकी जो स्टेट इंडस्ट्री हैं–जैसे सीमेंट आदि, सीमेन्ट की डल्ला और चुर्क में जो सीमेन्ट फैक्टरीज हैं, क्या उनमें मुनाफा हुआ । उसकी अगर बैलेंश शीट देखी जाए तो उसमें डिप्रिशियेशन का कहीं स्थान नहीं है और न टैक्सेशन कोई सरकार को दिया है । उसमें सिर्फ एक ही बात आती है---"कान्ट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेन्ट फण्ड ।" कम्पनियां इस तरह चलेंगी तो घाटे में आएंगी और उससे कभी समाज की भलाई हो नहीं सकती है । यदि उनके समाजवाद की यही परिभाषा है कि उनमें घाटा हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन उनके समाजवाद की परिभाषा यदि यह है कि उत्पादन के स्रोत सरकार के हाथ में लेने के बाद सरकार की आय में वृद्धि हो सामान सस्ते हों तो मैं कहूंगा कि उनके सारे राष्ट्रीयकरण का नारा आज ठीक है ।

जितनी इन्होंने वृद्धि की है उस वृद्धि के अनुपात में महंगाई और टैक्सेशन कितना बढ़ गया ? क्या इस पर कभी आपने गौर किया है । अभी मैं आंकड़े इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था । लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, वे प्राप्त नहीं हो सके । परन्तु ३–४ वर्ष के बजट का जो लेखा-जोखा जो राजस्व और टैक्सेशन की आमदनी है वह २२ करोड़ से बढ़कर ९० करोड़ हो गई है । यानी कि यह चौगुनी हो गई है । आज महंगाई आसमान छू रही है और समाजवाद का विकास .९ प्रतिशत के ऊपर चित पड़ा हुआ है । यह विकास नहीं है, उसका ढोंग है ।

प्रश्न यह उठता है जब ये समाजवाद का नारा लगाते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार समाजवाद के मानी क्या समझती है । यदि समाजवाद को माना जाय कि वर्ग संघर्ष पर आधारित है, और शायद आज यही रूप माना जाता है तो आप यह चाहते हैं कि देश और प्रदेश का विकास वर्ग संघर्ष के माध्यम से हो । क्या वह सम्भव है फिर समाजवाद में होता क्या है ? अधिकारों की मांग शुरू हो जाती है । हम यह भूल जाते हैं कि विकास तभी हो सकता है जब उत्पादन बढ़ेगा । उत्पादन वृद्धि की कहीं चर्चा नहीं है, केवल अधिकारों की चर्चा है और अधिकारों का संघर्ष है । नतीजा यह हो रहा है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है । देश के अन्दर प्रदेश के अन्दर बेकारी बढ़ती चली जा रही है । और उत्पादन नहीं बढ़ रहा है ।

जो भारतीय परम्परा है, जिसे जनसंघ प्रतिपादित करता है, ज्वाइंट हिन्दू फैमिली, इसमें समानता का सबसे बड़ा मूलभूत सिद्धांत है । हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्ति हो, और हर एक अपनी शक्ति के अनुसार योग दान करे । फ्राम ईच अकार्डिंग टु हिज एबिलिटी ऐंड टु ईच अकार्डिंग टु हिज नीड्स । यही तो ज्वाइंट फैमिली है । सारा परिवार उत्पादन करता है । सारी आमदनी एक जगह इकट्ठा होती है, सारे लोग त्याग करते

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

हैं। यदि पीरवार का एक सदस्य तीन हजार कमाता है और एक सदस्य बेकार है तो जो तीन हजार कमाता है उससे बेकार सदस्य के संरक्षण की जिम्मेदारी है। उसे अधिक परिश्रम कर अपना उत्पादन बढ़ाना होता है। आज हमने इस विचार को उठा कर फेंक दिया। भारतीय परम्परा है कि सहयोग के आधार पर, सहकारिता से आधार पर, पारिवारिक विकास के आधार पर राष्ट्र का विकास हो। यह हमारी पद्धति है। इसको जनसंघ ने बराबर कहा है। परन्तु आज हमारे समाजवादी मित्र कहते हैं कि यह समाजवाद नहीं है। वह कहते हैं कि समाजवाद के मानी संघर्ष, समाजवाद के मानी अधिकारवाद।

इंडस्ट्रीज के फेल्योर का बड़ा भारी कारण यह है कि इन के पास इंडस्ट्रियल केडर, मैनेजिरियल टेकनीक नहीं है। यह अफसरों को बिठलाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का एक ही दृष्टिकोण होता है अधिकारवाद। उसको अधिकार चाहिये, उसको सत्ता चाहिये। उसको प्रोडक्शन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आपकी दिशा गलत है, आपके जो साधन हैं उनका प्रयोग गलत है और वह साधन जिनसे आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, आज उसका दृष्टिकोण गलत है। अधिकारवाद के सिद्धांत पर समाजवाद नहीं आ सकता। अधिकारवाद को लाकर समाज में ईर्ष्या, द्वेष, वर्ग संघर्ष खड़ा कर सकते हैं। अधिकारवाद को लकर दलबदल भी हो सकता है। जो आज दलबदल की नीति चल रही है वह अधिकारों की लिप्सा का परिणाम है। सिद्धांतों पर दलबदल नहीं हो रहा है। हरएक आदमी विचार करता है कि हवा किधर जा रही है। किस हवा से मैं एलेक्शन जीत जाऊंगा। इस पर दलबदल हो रहा है। सिद्धांतों के आधार पर नहीं और दलबदल करा रहा है सत्ताधारी दल। मेरा स्पष्ट आरोप है।

मैं उदाहरण दे दूं कि किस प्रकार व्यक्तिकत आकांक्षाएं जगायी जा रही हैं। अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में कि महाराष्ट्र में एक समाजवादी महाराजा के लड़के की शादी हुई मैं महाराजा उन्हें कहता हूं। एक रात में डेढ़ लाख आदमियों को भोजन कराया गया जिसके लिये सरकारी ट्रैक्टर इस्तेमाल किये गये खाना लाने के लिये। माननीय सदस्य चाहेंगे और आपकी आज्ञा होगी तो महाराष्ट्र के उस जिले का नाम मैं ले सकता हूं, व्यक्ति का नाम ले सकता हूं। केवल इशारा किये देता हूं कि महाराष्ट्र में जो कोआपरेटिव शुगर फेडरेशन है उसके वह अधिष्ठाता हैं।

अब प्रश्न होता है डेढ़ लाख आदमियों के भोजन कराने का। अगर ५ रुपया एक आदमी के भोजन में रख लिये जायं तो एक रात में साढ़े ७ लाख रुपये महाराजा सवाई ने खर्च किये। वह साढ़े ७ लाख रुपया आया कहां से? खाने वाले कौन? समाजवाद के बड़े मुस्तंड देवता, गरीब देवता नहीं। साढ़े ७ लाख रुपये का भोजन एक रात में वही खिला सकता है जिसने करोड़ों रुपया कमाया हो। यह करोड़ों रुपया कहां से आया? यह करोड़ों रुपया कोई आदमी क्या ईमानदारी से कमा सकता है। चोरबाजारी की कमाई ही हो सकती है। समाजवाद के नारे के परिणामस्वरूप आज सम्पूर्ण समाज हिपोक्रेट बन गया है।

मुझे हंसी आती है जब डेढ़ हजार, दो हजार एकड़ का फार्म रखने वाला व्यक्ति और दो, तीन करोड़ रुपये की जमीन कश्मीर में बेचने वाला व्यक्ति कहता है कि वह समाजवादी है और उत्तर प्रदेश में शराब का निर्माता जो करोड़पति है वह भी समाजवादी बन गया है। इस प्रकार के समाजवादी नारे में हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? वह कहते हैं बटवारा करो। किसका बटवारा करो। लोगों ने अपने कुत्ते तथा बिल्ली के नाम मकान व जमीन कर दी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

शराब पहले समाजवाद सिखाती है। उसको पीने के बाद सब बराबर दिखाई देने लगते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

आप कहते हैं कि भूमिहीनों को भूमि देंगे लेकिन यह उनका मखौल इस प्रकार उड़ाया जा रहा है। इस सूबे में जमींदारी बिनाश हुआ था। ९१ लाख एकड़ भूमि निकली थी जिसको बांटा जा सकता था लेकिन आज २० वर्ष के उपरान्त भी वह ९१ लाख एकड़ भूमि कहां चली गयी? यह चली गयी बड़े-बड़े फार्म होलडर्स के पास जिसमें मन्त्री लोग भी शामिल हैं इस हिपोक्रेसी से काम नहीं चलने वाला है। इसी सदन में नारा दिया जाता है समाजवाद का और उत्तर आता है कैपिटलिस्ट्स मेन्टालिटी का प्राफिट मोटिव का। हमारी आर्थिक नीति होनी चाहिये जिस प्रकार की हंगरी, जेकोस्लोवाकिया में है। पूंजी राज्य में लगा दी गयी, वह उसका इंवेस्टमेन्ट हो गया और उस पूंजी पर परसेंटेज प्राफिट नहीं लिया जाता है। इंवेस्टमेन्ट मौजूद है। वह टोटल एसेट हो गया और उससे निर्माण हो रहा है। उस निर्माण पर प्राफिट लिया जाता है। लेकिन यहां क्या होता है? यहां पर पूंजी को भी मुनाफे का नाम दिया जाता है और उस पर मुनाफा लेना चाहते हैं। इससे समाजवाद का विकास नहीं हो सकेगा। इस देश और प्रदेश की आर्थिक नींव है कहां इस पर हमको विचार करना चाहिये। इस प्रदेश की आर्थिक नींव किसान है और खेती है और सब समाज बाद उसी के कन्धों पर छोड़ दिया जाता है। एक उदाहरण देता हूं।

दुनियां के हर सामान का दाम उसका निर्माता तय करता है, कपड़े का दाम मिल-मालिक तय करता है, चश्मे का दाम चश्मे के फ्रेम बनाने वाला तय करता है, मिठाई का दाम हलवाई तय करता है किन्तु इनके समाजवाद में बेचारे किसान के उत्पादन को परचेजर तय करता है। जो उसके गन्ने का दाम तय करता है वही उसका परचेजर दाम तय करता है। तो क्या उसके दामों का मूल्यांकन ईमानदारी से होता है। इसका केवल एक ही कारण है कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वह मजबूत नहीं की गई। उसका दाम उसकी आर्थिक बेकारी तय करती है हमारे देश और प्रदेश में आर्थिक नींव हट रही है। पूरे प्रदेश में हल्ला मचा हुआ है और आये दिन यहां पर प्रश्न किये जाते हैं कि गेहूं के दाम घटाये जायं। मैं पूछता हूं कि आप खरीददार हैं, आपका इसमें स्वार्थ है, आप उसका दाम तय करने वाले कौन होते हैं। आपको एक प्राईसिंग पालिसी बनानी चाहिये। दुनिया के दूसरे मुल्कों में ग्रेन परचेज बोर्ड बने हुए हैं जिसमें कि सरकार का कोई अधिकार नहीं है और उस बोर्ड में जो सदस्य हैं वे किसान हैं। वहां के बैंक्स, वहां की इन्श्योरेन्स कम्पनियां किसानों के प्राथमिक उत्पादन ग्रेन का मूल्य वे मिल कर तय करते हैं कि उनका गेहूं किस भाव पर बिकेगा। इसलिये मैं मांग करता हूं कि यहां पर भी उसी प्रकार की प्राईसिंग पालिसी ग्रेन परचेज बोर्ड होना चाहिये। आपके बजट भाषण में इस प्रकार की किसी स्कीम के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। किसान के गन्ने और गेहूं का दाम, उसके द्वारा उत्पादित सारी सामग्रियों का दाम इस बोर्ड क द्वारा निर्धारित होना चाहिये और उसमें सरकारी अफसरों के रहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार भी खरीददार होती है, बफर स्टाक बनाती है। उस बोर्ड में किसान लोग होने चाहिये, अर्थशास्त्री होने चाहिये, बैंक्स और इन्श्योरेन्स कम्पनीज के रिप्रेजेन्टेटिव होने चाहिये जो कि किसान के माल का भाव तय करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। उसकी दशा को सुधारने के लिये इस समाजवादी सरकार ने जो कि आज २० वर्षों से शासन करती चली आई है, क्या किया है। मैं पूछता हूं कि इस देश और प्रदेश में क्या आज तक क्राप इन्श्योरेन्स लाया गया? आप विचार करें। किस प्रकार इस देश की प्रगति होगी। कभी बाढ़ आ जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है तो खेती किसान की साफ हो जाती है, कभी अनावृष्टि होती है तो किसान की खेती सूख जाती है। इसका असर क्या होता है कि सरकार तकावी बांटना शुरू कर देती है यानी कर्जा किसान को देती है। जिस किसान का सर्वनाश हो जाता है उसके ऊपर और कर्ज का बोझ लाद दिया जाता है। यह बात अलग है कि जब चुनाव आता है तो सरकार और हमारे एम०एल०ए०

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

तकावी वसूली के लिये मांग करते हैं कि उसे मुअत्तल किया जाय। इससे किसान का लाभ होने वाला नहीं है।

आवश्यकता इस बात की है कि क्राप का इन्श्योरेन्स होना चाहिये। जब व्यापार और फैक्टरियों का इन्श्योरेन्स हो सकता है तो क्राप का क्यों नहीं हो सकता .... (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कृषि के योग्य जो पशु हैं उसका भी इन्श्योरेन्स होना चाहिये। आज आपके पास नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं बीमा कम्पनी हैं उनका इन्श्योरेन्स स्वीकार करना चाहिये और आपका जो तकाबी फंड है उसको भी क्राप इंश्योरेन्स में डाल सकते हैं, केवल कैटिल और क्राप इश्योरेन्स ही पर्याप्त नहीं होगा, रूरल क्रेडिट फाइनेंस भी होना चाहिये।

आज किसान की आर्थिक तरक्की क्यों नहीं होती है क्यों उसकी इकोनामिक पावर नहीं है। कारण यह है कि चैत में जब उसका सारा गल्ला तैयार होता है तो उसकी शादी, ब्याह, लगन, लेना, देना सब आ जाता है। उसके पास नकद पैसा नहीं है तो जब उसको सब देना हो जाता है तो वह मजबूर है कि औने-पौने भाव पर अपने गल्ले को बेचें। तो इसलिये उसको रूरल कैडिट फाइनेन्स की स्कीम चाहिये। एक समय था, आप कह सकते थे प्राइवेट बैंक्स और इंश्योरेन्स कम्पनीज तो रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन आज तो सरकार के पास सब है। आज रिस्क का क्या सवाल है? जैसे मैं व्यापारी हूं। मैंने हजारों रुपया बैंक में डाल दिया और अगर मेरा क्रेडिट १० लाख का बन गया तो मैं १० लाख रुपया तक का माल बैंक के नाम से मंगा सकता हूं और बेचकर बैंक में रखता जाता हूं और वह जमा होता रहता है। जब पूरा बैंक का पैसा हो जाता है तो मुनाफा मेरा हो जायगा। इस तरह से व्यापारी बिना रुपया लगाये लाखों रुपये का व्यापार क्रेडिट के आधार पर करता है।

कृषि भी एक व्यापार है। कृषि कोई दान-दक्षिणा नहीं है, उपेक्षा की वस्तु नहीं है। अगर कृषि न हो तो रोटियों के लाले पड़ जायेंगे। तो किसानों को अपनी हरी फसल के आधार पर बैंक से कर्जा मिलना चाहिये। बैंक को उसकी फसल मार्गेज हो जाय। क्योंकि फसल इंश्योर्ड है तो बैंक का रिस्क नहीं है। इस प्रकार किसान को ८० प्रतिशत तक के दाम एडवांस में मिलना चाहिये समयानुसार और उसके बाद जब फसल तैयार हो तो किसान उस फसल को काटे। आज देश में और प्रदेश में स्टोर्स की बड़ी भारी परेशानी है। मैं अखबार देख रहा था कि हरियाणा में २५ लाख टन गल्ला बाहर पड़ा सड़ रहा है। हल्ला मचा हुआ है कि रेलवे बैगंस नहीं मिल रहे हैं, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का प्रश्न है बैंक अपने वेयर हाउसेज रखे और किसान अपनी फसल को बैंक में रखे। जब उनका भाव उचित आ जाय तो बेचें और बैंक का हिसाब करके उसका मुनाफा उनके हाथ आ जाना चाहिये। जब सरकार उनकी फसल इंश्योर्ड करेगी, उनके लिये रूल क्रेडिट फाइनेंस की व्यवस्था करेगी तो किसानों की आर्थिक रीढ़ मजबूत होगी। जब रीढ़ मजबूत होगी तो देश और प्रदेश का बिकास होगा।

श्री अध्यक्ष—

आध घंटा हो गया। अब आप कितना और टाइम लेंगे ?

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

इस देश में प्रथा रही है कि अगर पिस्टल का लाइसेन्स चाहिये तो तोप के लाइसेन्स के लिए अप्लाई किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह बताइये कि कितना समय और चाहिये।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

२० मिनट और लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, स्टोर हाउसिंग पालिसी तय करनी है । स्टोर हाउजेज बहुत बड़ी समस्या है और एक दिन में सारे वेयर हाउजेज नहीं बन सकते तो क्या उनको बनाने का प्रयास किया ? आज तीन-चार रास्ते अपनाने चाहिये । सरकार बनावे, बैंक्स बनावें, इंश्योरेन्स कम्पनीज बनावें और उससे भी पूरा न पड़े तो जो हमारी पुरानी पद्धति थी कि हर गांव सभा ढाई सौ, तीन सौ रुपये में कच्ची खत्तियां बनाती थी और उनमें गल्ला रखा जाता था । उनकी जिन्दगी ३–४ वर्ष होती थी उस स्कीम को भी ले आओ । क्योंकि आज तो समस्या का हल सब माध्यम से करने की आवश्यकता है । एक माध्यम से होने वाला नहीं है । इस देश का दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने वेयर हाउसिंग के बारे में, मन्त्री जी ने, कहीं चर्चा नहीं की ।

अध्यक्ष महोदय, कृषि के लिये सस्ता बीज भी चाहिये । हल्ला बहुत मचता है कि हाई ब्रिड बीज बनाया लेकिन वह कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है, अधिकांश ब्लैक में चला जाता है खेती के लिये केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिये । अखबार में देखता हूं कि हिन्दुस्तान का तीसरा स्थान हो गया है फर्टिलाइजर उत्पादन में । परन्तु दाम का क्या हाल है ? जापान में इन्टेन्सिव फार्मिग के लिये फर्टिलाइजर ४–५ रुपये बोरी मिलता है और हिन्दुस्तान में ५२ रुपये बोरी मिलता है । इससे इन्टेन्सिव फार्मिग नहीं होगी । ये हरित क्रान्ति की बात करते हैं यह तो एक पार्सिग फेज आ गया हाईब्रिड सीड और लाज स्केल फार्मिग के कारण हो गया लेकिन यह स्थायी तो तभी होगा जब इन्टेसिव फार्मिग होगी और उसके लिये फर्टिलाइजर के दाम घटाने पड़ेंगे । 'नो प्राफिट नो लास' के आधार पर लाना पड़ेगा । खेती के लिये बिजली भी चाहिये, पानी भी चाहिये । मन्त्री जी कई बार कह चुके हैं कि बिजली की कमी है । विकास के लिये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पावर । यदि पावर को प्रायोरिटी नहीं दी जाती तो विकास नहीं हो सकता । आज अधिक पावर चाहिये और नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर चाहिये । पानी चाहिये । खाली ट्यूबवेल्स से सिंचाई नहीं कर सकेंगे । टयूबवेल भी चाहिये, नहरें भी चाहिये । और जहां यह भी सम्भव नहीं है वहां हर १० एकड़ पर पक्का कुआ बनवाइये । आज सारे साधनों का क्यूमुलेटिव प्रयोग चाहिये । उस दिशा में कहां प्रयास है ? इस बजट के अन्दर तो कहीं मुझे इस दिशा में प्रयास नहीं दिखा । और नहीं हर खेत को २० वर्ष के बाद पानी मिला ।

अध्यक्ष महोदय, समाजवाद का बड़ा नारा है । जनसंघ बराबर यह कहता रहा है कि 'दि प्रूफ आफ दि पुडिंग लाइज इन दि ईटिंग आफ इट' । फल की मिठास का प्रमाण उसके खाने में है, उसकी घोषणा में नहीं है । मैं एक मिसाल देता हूं । अगर हमारे वित्त मन्त्री जी थोड़ा सा कष्ट करेंगे और लाइब्रेरी से रिजर्व बैंक की ब्रेड लाइन रिपोर्ट मांग लेंगे जो जनवरी में प्रकाशित हुई है तो १९४७ में ब्रेड लाइन पर ३१ परसेंट लोग थे जिनको शायद दिन में एक बार पेट भरने के लिये रोटी का टुकड़ा मिल जाता है और बीस वर्षों के भयानक समाजवाद के हल्ले के बाद ब्रेड लाइन ५१ परसेन्ट हो गयी है । तो आज प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने यह है ।

विकास के लिये आवश्यक है उद्योग । हम लोग रोज सुनते हैं कि सरकार यह उद्योग ला रही है, वह उद्योग ला रही है । मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि एक बारात थी । उनके सामने आया कि इतनी थालियां हैं, इतने चम्मच हैं, इतना खाना है । लेकिन किसी के पास कुछ आया, खाना नहीं केवल खाली थालियों और चम्मचों की गड़गड़ाहट रह गयी । आज विकास की दृष्टि से दो चीजें चाहिये । खाली हैवी इंडस्ट्रीज से विकास नहीं हो सकता और हैवी इंडस्ट्रीज १०–१५ वर्ष के बाद लाभप्रद होंगी । आज लाइट इंडस्ट्रीज का विकेन्द्रीकरण चाहिये । आज विकेंद्रित उद्योग का कहां निर्माण हो रहा है । आज जो हैंडलूम वीवर्स हैं वह बेचारे सूत के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं । कभी भारत सरकार के यहां गोहार करते हैं, कभी इनके यहां गोहार करते हैं । बड़ी दया करके उनको दस हजार बेल्स दी जाती हैं ।

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

क्यों नहीं इन वीवर्स को सूत बनाने वाली मिलों के साथ अटैच कर दिया जाता। जो मिलें केवल सूत बनाती हैं उनका बाकी काम बन्द कर दीजिये और सूत इन वीवर्स को दिलवाइये और इसके साथ ही इनको केवल मजदूरी ही नहीं बल्कि मुनाफे का अंश भी मिलना चाहिये। बुनकर सूत लेकर कपड़ा बनावें और उस कपड़े को लेकर सूत बनावें मिल बेंचें।

मजदूरी के साथ उनको मुनाफे का अंश भी मिलना चाहिये। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज में एनसीलियरी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसी तरह से कंज्यूमर्स इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं निर्माण किया जाता। हम २० साल से इस बात को चिल्ला रहे हैं और हमारे वित्त मन्त्री जी भी जब इधर बैठा करते थे तो इस बात को कहा करते थे। लेकिन उधर जाकर वह भूल जाते हैं। हमारी बेकारी का हल कुछ लोगों को नौकरी दिलाने से होने वाला नहीं है। यह बराबर बढ़ती चली जायगी। इसके लिये आवश्यक है कि हमारे यहां एनसीलियरी इंडस्ट्रीज स्थापित की जाय तभी हमारी बेकारी की समस्या हल हो सकती है।

आज शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। एक बात मैं कहूंगा अपनी सरकार को बधाई दूंगा कि इस सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स के पंजे से प्राइमरी मास्टरों को मुक्ति दिलाई है, उनकी जान छुड़ाई है। इसके लिये हमारे प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है। जनसंघ की यह बहुत पुरानी मांग थी परन्तु हमारी जो दूसरी मांग थी कि शिक्षा के दो रूप करने की आवश्यकता है.....

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

नौकरशाही का राज्य चाहते हैं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

मान्यवर, माननीय राजितराम जी हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन उनको धैर्य कम होता है। यह बात सुनने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हां, तो मैं कह रहा था कि शिक्षा के दो रूप होने चाहिये। एक तो यह होना चाहिये कि लोगों को साक्षर किया जाय। लेकिन इसकी प्रगति हमारे यहां बहुत धीमी है। इसके लिये कहा जाता है कि हमारे यहां साधन उपलब्ध नहीं है, मास्टर नहीं हैं, उनकी बहुत कमी है। मैं कहता हूं कि लोगों को साक्षर करने के लिये कितने साधन चाहिये। उनको पेड़ के नीचे बिठाकर भी सिखाया जा सकता है। लोगों को साक्षर करने के लिये बहुत बड़े मास्टरों की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे जो रिटायर्ड गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हैं, उनको आपने इस कार्य में क्यों नहीं लगाया। उनको आप इस कार्य में लगा सकते हैं। उनके पेंशन में आप यह नियम बना देते कि रिटायरमेन्ट के बाद तुम लोगों को बालकों को साक्षर करना होगा।

सामाजिक उत्थान के आगे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो बड़े बूढ़े राजनीतिज्ञ हैं उनको भी एक एज पर जाकर रिटायर्ड होना चाहिये। राजनीतिज्ञ भले ही भाषण देते हैं लेकिन एक आयु आने के उपरान्त उन लोगों को साक्षर करने में अपना पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिये। इस तरह से जितने लोग हैं सभी का पार्ट टाइम कन्ट्रीव्यूशन इस कार्य में लिया जा सकता था। यदि यह आपकी योजना होती तो हमारे यहां काफी साक्षर लोगों की संख्या दिखाई पड़ती। फिर आपको यह कहने की जरूरत नहीं होती कि हमारे पास साधन नहीं हैं।

दूसरी ओर हमारी सरकार का टैक्नीकल एजूकेशन की ओर विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिये था। आज की शिक्षा केवल बाबू बनाने वाली है और जितने लोग आज की शिक्षा पाते हैं उनको नौकरी नहीं मिल सकती है। इसके लिये सरकार को यह करना चाहिये कि ८ वर्ष से लेकर १८ वर्ष की आयु वाले बालकों को टैक्नीकल एजूकेशन होनी चाहिये थी और माडर्न

टैक्नोलोजी की लाइन पर होनी चाहिये थी । आई० टी० आई० वाली शिक्षा आजकल जरूरत नहीं है बल्कि ऐसी शिक्षा की जरूरत है कि १८ वर्ष की आयु के बाद बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने लिये रोटी-रोजी कमा सके और इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे आ सके। उसको बैंकों द्वारा फाइनेंस मिलना चाहिये और जब ऐसा होगा तभी बैंकों के नेशनलाइजेशन का अर्थ होता है नहीं तो बैंकों का नेशनलाइजेशन कोई अर्थ नहीं रखता है ।

अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष हमको यह देखने को मिलता है कि महंगाई बराबर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है । उस दिशा में हर आदमी को अपना जीवन चलाने के लिये आन्दोलन करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह जागरूक सरकार का लक्षण है? जनसंघ ने बहुत पहले ही कहा था कि आपको वेज बोर्ड बनाना चाहिये जो इस बात का अध्यन करे कि यदि महंगाई बढ़ती है तो लोगों का उसके साथ डी०ए० भी बढ़ना चाहिये । उसको अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिये उसके लिये आन्दोलन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, कोई आन्दोलन समाज का उत्पादक नहीं हो सकता ।

इस सरकार के समाजवाद का उदाहरण और बताऊं । इस सेक्रेटेरियट में भारत सरकार के जो आई०सी०एस० के लोग हैं उनको १,२०० रुपया वेतन पर महंगाई भत्ता मिलता है किन्तु पी० सी० एस० के जो लोग हैं उनको नहीं मिलता । क्यों हो सकता है भारत सरकार के आई० सी० एस० सोने की गुल्ली खाते हों और उनको अधिक महंगाई भत्ते की आवश्यकता होती हो और पी० सी० एस० के लोग भूसा खाते हों और उनको महंगाई न सताती हो । उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया और एल० आर० के विभाग ने उसको गलत बता दिया, कह दिया कि यह इल्लीगल है। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में गया और सरकार को एफीडेविट लगाना पड़ा तो उसने सही कर दिया। यह एक बार गलत और एक बार सही कैसे हो गया । लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी ने देखा कि उनको महंगाई अधिक मिल जायगी तो उन्होंने गोल गपाड़ा करना शुरू किया । कह दिया कि भारत सरकार को पार्टी बनाया जाय और इस प्रकार से ६ महीने के लिये मामला टल गया । इसके लिये जज को इनामस्वरूप एक्स्टेन्शन दे दिया गया । जब चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने कहा कि किसी को महंगाई भत्ते की जरूरत नहीं है, लिहाजा कागजात को दबा दिया गया । जब नयी सरकार आयी तो उन्होंने कहा कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है । इस समाजवाद का अन्तिम स्वरूप अफसरशाही है ।

अफसरशाही का एक उदाहरण और दे दूं ? काकूबाड़ा एअर इंडिया बेस के पास एक आबादी है । वहां न बिजली है, न पानी है और न सड़क है। वहां लोगों ने लाइट के लिये सरकार को दरखास्त दी। सड़ी बुद्धि का जो उत्तर आया वह यह आया कि अगर वहां रोशनी कर दी जायगी तो हवाई जहाज वहां गिर पड़ेगा। वहां बगल में एयर इंडिया कालोनी है जहां पर दीवाली मची रहती है । वहां हवाई जहाज क्यों नहीं गिरता? ऐसी बुद्धि के बल पर यह समाजवाद चलता है ।

स्थिति आज यह है कि यह सरकार आज अपनी बुद्धि से नहीं सोच पाती है । मेरी जहां तक जानकारी है विभागों की कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनको पहली सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था लेकिन उनको फिर इस मन्त्रि-मण्डल ने चालू कर दिया । अगर वे योजनायें गलत थीं तो फिर आज सही कैसे हो गयीं । सिवाय चाटुकारिता के और कोई दूसरी बात नहीं है ।

एक आश्चर्यजनक चीज और सुनिये । इस समाजवादी सरकार की बात । इस प्रदेश के मन्त्रि-मण्डल के एक मन्त्री जी हमीरपुर दौरे पर गये । दौरे के प्रोग्राम की सूचना सारी पार्टियों के एम० एल० ए० को दी गयी और विभागों को भी दी गयी । लेकिन उसमें एक विशेष बात यह है कि अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हमीरपुर को जो सूचना दी गयी। उसमें दो बातें मुख्य रूप से लिखी गयीं कि कृपया आप यह सुनिश्चित कर दें कि निराबरोध जमुना के पुल से मन्त्री जी की कार पास हो जाय । इसका नतीजा क्या हुआ ? सारा ट्राफिक ढाई घंटे तक रुका रहा । उसके आगे एक और आश्चर्यजनक बात लिखी गयी

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

और उसको अन्डर लाइन कर दिया गया और लिखा गया कि इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि पुल पर ठेलों और गाड़ियों के निशान जो पिछली बार मन्त्री जी के आगमन पर ाये गये थे, इस बार न रहें। अध्यक्ष महोदय, इस नजाकत की हद है। क्या पुल पर ठेलों और गाड़ियों क पहियों के निशान मन्त्री जी की गाड़ी को धक्का दे देंगे। समाजवादी मन्त्री जी के पेट में ऐसी कौन सी गठरी, थी जो कार के नीचे ठेलों के पहियों के निशान से झटका लग जाता और वह खुल कर गिर पड़ती। माननीय मुख्य मन्त्री जी जरा इसकी जांच करा लें।

श्री राजितराम पांडेय---

वह कौन मन्त्री जी हैं, उनका नाम आप बता सकते हैं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

जब मैंने हमीरपुर कह दिया, उससे ही समझ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, नवाबों की हालत हम जानते थे कि अगर उनके घोड़े की टाप के नीचे मूली का पत्ता आ जाता था तो उनको जुकाम हो जाता था लेकिन यह समाजवादी मन्त्री उनको भी मात कर रहे हैं, उनके दौरे के वक्त उनकी कार के पहिये के नीचे किसी ट्रक या गाड़ी के पहिये का निशान न रहे।

श्री राजितराम पांडेय---

उन मन्त्री जी का नाम तो बता दें, हमीरपुर के श्री स्वामी प्रसाद जी हैं, उनसे तो हम ऐसी आशा नहीं करते।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

आप मुख्य मन्त्री जी से उनका नाम पूछ लीजिये, मैं नाम लेने का आदी नहीं हूं। मैं कह रहा था कि इस समाजवादी नखरे और नजाकत से प्रदेश की ओर देश की भलाई होने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार की बात तो हो चुकी मैं एक उदाहरण और दूंगा, केवल मैं इशारा किये देता हूं कि एक मन्त्रियों का डिसक्रिशनरी फंड है जिसका कोई आडिट नहीं होता, न उसके विषय में सदन को ही कोई अधिकार है जांच करने का, न उसके विषय में किसी को कोई जानकारी होती है कि वह कैसे व्यय किया गया, बिल्कुल स्वविवेक से उनके ऊपर वह व्यय होता है। यह एक व्यक्ति का स्वविवेक क्यों? क्या यह मन्त्री जी की कमाई का पैसा है ? यह टैक्स पेयर का पैसा है, हर पैसे की जांच और पूरे फंड का आडिट होना चाहिये और वह खर्च सदन के सामने आना चाहिये। सुरक्षा के लिये जो सीक्रेट फंड होता है उसकी बात समझ में आ सकती है कि इनटेलिजेंस के अकाउन्ट्स की जांच नहीं होती लेकिन यह कौन सी सुरक्षा है ? क्या यह मन्त्री सुरक्षा है? मैं चाहता हूं कि यह डिसक्रिशनरी फंड खत्म हो। इसके बजाय स्टेट चेरिटी फंड होना चाहिये और उससे दान दक्षिणा दी जाय। उसको मन्त्री जी के स्वविवेक पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज इनके समाजवाद का केवल एक ही नियम रह गया है जिसको इनके मन्त्री मानते हैं और वह यह कि इनके मन्त्री, मन्त्री होने के पहले जिस मयखाने में जाकर पीते थे आज भी वह वहीं जाकर पीते हैं और हजरतगंज की जिन नालियों में पहले पीकर गिरते थे अब भी मदहोश होकर उन्हीं नालियों में गिरते हैं। केवल समाजवाद की बातें करने से समाज का और देश का उत्थान नहीं होने वाला है।

आज त्वरित योजना का बड़ा हल्ला है। इसके २ उदाहरण हमारे सामने आये। सीतापुर में मालूम हुआ कि लोगों से काम कराया गया और उनको मजदूरी नहीं दी गई। जौनपुर में मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में बरसठी में भी सड़क बन रही है वहां मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है। कारण केवल यह है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है और यह भ्रष्ट सरकार अपने भ्रष्ट अफसरों को रोक नहीं सकती और उनको काबू करने में यह असमर्थ है। यह नौकरशाही को रोक ही नहीं सकती।

मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यह सारा बजट जनता पर एक फ्राड है और इस सदन को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा लेकिन देश की सीक्योरिटी के विषय में इतना अन्त में अवश्य कहूंगा कि देश की सुरक्षा की तरफ हमारा विशेष ध्यान रहना चाहिये । इस विषय में मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा कि अभी कुछ दिन पहले बरेली से एक प्रिजनर आफ वार ट्रेन से उतर कर भागा और आपके देश के एक नागरिक जो वहां के एक टाउन एरिया के चेयरमैन हैं उन्होंने उसको ट्रक में बिठाकर दूसरे रेलवे स्टेशन पर ले जाकर उसको छोड़ा। इस तरह से देशद्रोही व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे देश के भीतर विदेशी जासूसों का जाल है और आप उनको नहीं रोक सके।

कहा जाता है कि ऐसे लोगों को डिफेंस आफ इंडिया रूल्स में बन्द कर दिया जाता है लेकिन आज उनको बन्द करने की नहीं उनको गोली मारने की आवश्यकता है । सुरक्षा के मामले में कठोर कदम उठाने की जरूरत है जो यह कर नहीं सकते । इन शब्दों के साथ अन्त में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि यदि वे वास्तव में समाजवाद यहां लाना चाहते हैं और देश की और प्रदेश की प्रगति चाहते हैं तो वह मानवता के आधार पर निर्मित जनसंघ की नीतियों को स्वीकार करे तभी देश का विकास होगा अन्यथा उनके इन ढोंगों से कुछ होने वाला नहीं है।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि वित्तीय वर्ष १९७२–७३ पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग ले सकूं।

इसके पहले कि मैं इस वित्तीय वर्ष के कुछ अनुभागों पर विचार प्रकट करूं मैं माननीय वित्त मंत्री जी पर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं, बधाई इसलिए नहीं देता हूं कि उन्होंने केवल इस आय-व्ययक के आकार को बढ़ाया है बल्कि कुछ नयी दिशा भी दिये हैं जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । इसके पहले कि हम इन बातों पर विचार करें मैं चाहता हूं कि माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे जी कुछ देर और रहते तो बताता परन्तु शायद उनके साथी २–४ जो बैठे हैं, वे उन्हें सुना दें।

मुझे दुःख है, दुःख तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता में ऐसा कार्य हो ही जाता है। ३ बातें हमारे माननीय दुबे जी ने कहीं । पहली बात तो समाजवाद के बारे में कहीं उस पर चर्चा करूंगा। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ बातें कहीं, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा" लेकिन एक और बात उन्होंने जो बड़ी भ्रामक कही, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। बजट के चौथे पृष्ठ पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं, उनको प्रस्तुत करते समय सम्भवतः इस सम्मानित सदन को एक भ्रम में डाल दिया है और वह क्या ? उन्होंने यह कहा कि १९६०–६१ में जो पूरी आय थी इस प्रदेश की उसका कृषि का अंशदान ६०.९ था और अब वह घट कर ५६.३ हो गया। यह भ्रामक बात उन्होंने कही। किसी भी देश की आर्थिक परम्परा को उठाकर देख डालें। मैं ये आंकड़े दे रहा हूं। इंगलैण्ड में आज कृषि का अनुदान केवल ८ फीसदी है, अमेरिका में केवल १३ फीसदी है, रसिया में २२ फीसदी है और जापान एक ऐसा देश है जहां वह ४४ फीसदी है। जो कि प्रगतिशील देश भी कहा जाता है। लेकिन कृषि का अंशदान बहुत बड़ा है । मेरा निश्चित मत है और मैं समझता हूं कि अगर मुझे १० मिनट और समय दे दें तो उसका स्पष्टीकरण भी कर सकता हूं।

इस देश और प्रदेश के सम्बन्ध में जो इस सम्मानित सदन में बातें कही गयी हैं, यह वह हैं, कि आज कृषि के ऊपर बहुत बड़ा भार है और सबसे अधिक उसी का अंशदान है। सही आर्थिक ढांचे का विश्लेषण करें तो कृषि उत्पादन को प्राइमरी प्रोडक्ट्स के नाम से पुकारते हैं और उसके बाद का इन्टरमीडियरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है और जिनका हम उपभोग करते हैं, उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्टस के नाम से पुकारते हैं। कुछ देश प्रगति की उच्चतम सीमा पर पहुंच गये, वहां पर प्राइमरी प्रोडक्ट्स का तो अंशदान कम है लेकिन टर्शियरी प्रोडक्टस सबसे अधिक है। प्राइमरी

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

प्रोडक्ट की अधिकता पिछड़ेपन का सूचक है। अगर उत्तर प्रदेश में कृषि का अंशदान कम हुआ है और दूसरे क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है तो यह हमारे आर्थिक प्रगति का सूचक है । यदि इस प्रदेश में कृषि पर निर्भरता ३० प्रतिशत हो जाय तो उस दिन कम से कम हम कह सकते हैं कि प्रदेश की आर्थिक अवस्था ट्रेडीशनल अर्थात् परम्परागत से उठकर 'टेक आफ' इकानामी अर्थात् स्वचालित अवस्था को पहुंच गई। प्रगति की अन्तिम सीमा तक तब पहुंचेंगे जब कृषि पर निर्भरता कम होती जायगी और वह घटकर १५ प्रतिशत हो जायगी। इस बात को मानते हुए कि उत्तर प्रदेश विशेषतः कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि पर कम निर्भर होने की यह स्थिति होनी चाहिये हम समझते हैं माननीय दुबे ने उल्टी बात कहकर इस सम्मानित सदन को बड़ो ही भ्रामक स्थिति में रख दिया था वे यहां नहीं हैं फिर भी हम इस बात को रखते हैं।

एक समाजवाद के सम्बन्ध में उन्होंने चर्चा की और दूसरे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में। मान्यवर, समाजवाद के सम्बन्ध में पश्चिमी देशों के विद्वानों ने कहा है कि यह एक ऐसी टोपी है जो सब के सिर पर बैठ जाती है। जो लोग समाजवाद को स्वीकार नहीं करते जो समाजवाद के शब्द से घृणा करते थे, वह भी आज समाजवाद की दुहाई देते हैं। जनसंघ भी आज समाजवाद की दुहाई देता है। उनका समाजवाद 'तेनत्यतेन भुन्जी' या "वसुधैव कुटुम्बकम्" के पवित्र मंत्रों से प्रारम्भ करके अपवित्रता और घृणा का प्रचार करता है। यह पौराणिक बातों को उठाकर समाजवाद की कड़ियों में रखते हैं हम समझते हैं कि अब भी देश और प्रदेश को भ्रम की स्थिति में रखना चाहते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

आपके कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं है।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही--

इसको बांकेलाल जी समझने का प्रयत्न नहीं करते।

श्री बांकेलाल--

मैं समझ रहा हूं। कहां तक आप लोगों को समझूं। आप इधर रह कर कुछ और बोलते हैं और उधर रहकर कुछ और ही बोलते हैं।

डाक्टर हरि प्रसाद शाही--

बांकेलाल जी में क्षमता का भी अभाव है। इस बात को कैसे समझा जाय। हम यह कहेंगे कि बांकेलाल जी हमारी बात ओ पूरा-पूरा न समझ सकें तो कम से कम इसको समझने का प्रयास तो करें। हम यह कहते हैं बाकेलाल जी कि वह ऐसी टोपी है कि जिस टोपी को पहनते हैं, आपने भी पहले पहना था। तो मैं कह रहा था कि जनसंघ के लोग भी समाजवाद की बातें करते हैं और वे जब बात करते हैं तो पौराणिक पवित्र पंक्तियों को कहीं-कहीं की रखकर कहते हैं कि हम भारतीय समाजवाद लाना चाहते हैं।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यह सम्भव नहीं है कि कुछ बुद्धि बांकेलाल जी को दे दी जाय।

श्री बांकेलाल--

जितना इन समाजवादियों ने समाज के धन को लूटा है अगर मैं चित्रण करूं....

डाक्टर हरिप्रसाद शाही--

आप भी तो लूटने का काम प्रारम्भ करना चाहते हो अब भी तो आप लूट रहे हो।

श्री अध्यक्ष––

श्री बांके लाल जी दूसरों को बोलने में डिस्टर्व न करें।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही––

समाजवाद के बारे में आप भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। समाजवाद के बारे में वे समझते हैं कि वे ही समाजवादी है लेकिन उनको समाजवाद के बारे में क, ख, ग भी ज्ञान नहीं है।

श्रीमन्, समाजवाद के बारे में बड़ा भ्रम है और आज भी बुरी बात कहना हो तो उसको समाजवाद के नाम पर लाकर कहते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण दिया, आज सब लोग उस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है हमारे वित्त मंत्री जी प्रदेश की योजनाओं पर पिछले वित्तीय वर्ष में २१८ करोड़ रुपये खर्च करने का प्राविधान किये थे तो इस वर्ष २२५ करोड़ रुपये उस मद में खर्च करेंगे।

इस २२५ करोड़ रुपये में ७–८ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। उसमें से सरकार सड़क पर ४ करोड़ रुपया अधिक खर्च करेगी, शिक्षा पर व्यय करेगी, स्वास्थ्य पर व्यय करेगी। कहने का मतलब यह है कि जो प्राथमिकता निर्धारित की है उस पर व्यय होगा। इस प्रकार हम कहना चाहते हैं कि हमारे परिव्यय का आकार बढ़ा है। अब हमारे एक भाई कहते हैं कि हमारे वित्तीय व्यय का आकार जिस प्रकार बढ़ा है उसी प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार है और मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान इस कहावत की ओर आकृष्ट करता हूं, कि 'करप्शन इज एटानिक एण्ड टारनिश'। यह कोई नई बात नहीं है।

श्री बांकेलाल––

इसलिये करप्शन खूब किया जाता है।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही––

मैं जो कह रहा था वह विश्लेषण की बात है। अगर आप एक अर्द्ध विकसित और अविकसित राष्ट्र की प्रगति का इतिहास देखें और उसका विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि करप्शन उस अविकसित और अर्द्ध विकसित राष्ट्रों में सदा से रहा है और जब वह राष्ट्र विकसित हो जाता है तो जो करप्शन टानिक है यह टारनिश हो जाता है। यह दोनों अपनी-अपनी जगह पर हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस आर्थिक दौर में हम हैं उसमें अर्द्ध विकसित अर्थ व्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र को आप ले लीजिये, बर्मा है उसको ले लीजिये, पूर्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनको ले लीजिये, कहने का मतलब यह है कि जितने अविकसित और अर्द्ध विकसित राष्ट्र हैं उनके इतिहास का अगर आप अध्ययन करें तो यह भ्रष्टाचार वहां भी रहा हैं। मैं एक नहीं कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जिसमें यह बात सिद्ध होती है कि भ्रष्टाचार जो विकसित राष्ट्र हैं उनके मुंह पर कालिख की बात कही जा सकती है और जो अविकसित हैं और विकसित अवस्था में हैं वहां टानिक की बात होती है। दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध देश या प्रदेश की आर्थिक स्थिति से है। शोषण अज्ञानता में ही तो फलता-फूलता है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि भ्रष्टाचार इस देश में हमेशा रहेगा।

श्री बांकेलाल––

उत्तर प्रदेश एक अविकसित राज्य है। क्यों यहां भ्रष्टाचार...

डाक्टर हरिप्रसाद शाही––

माननीय चरण सिंह यहां मुख्य मंत्री रहे। क्या वह दावा कर सकते हैं कि उन्ह भ्रष्टाचार दूर कर दिया। इसको न देखते हुए कि यह सही है या गलत किसी को निकाल देने और हवा बनाने से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। माननीय माधव प्रसाद जी आज उधर

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

बैठे हैं, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर कर दिया था जब वह प्रदेश के मंत्री रहे]? हृदय पर हाथ रखकर टटोलें। कहना न होगा कि उसी समय से भ्रष्टाचार ने भयंकर रूप धारण कर लिया।

(व्यवधान)

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अभी आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। मुझे आपकी स्पीच बहुत अच्छी लग रही है और पसन्द है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय के भ्रष्टाचार में और आज के भ्रष्टाचार में कोई अन्तर है।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

यह एक तुलनात्मक बात है। आप तो इस बात को कह सकते हैं। भ्रष्टाचार इस प्रदेश में उत्तरोत्तर बढ़ा है। लेकिन मैं इस बात को जब तक कोई आधार नहीं होगा, नहीं कह सकता।

हमने जो बात सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत की है वह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित बात है। आज हम अर्द्ध विकसित अथवा अविकसित रूप में हैं। अब हमको यह विचार करना है कि हम किस प्रकार से अर्द्ध विकसित अथवा अविकसित अवस्था से विकसित अवस्था में चले जायं। जिस दिन यह हो जायगा सम्भवतः उस दिन जो भ्रष्टाचार हमको दिखलाई पड़ता है उसका स्वरूप बदल जायगा। उसको आप भ्रष्टाचार के नाम से नहीं पुकार सकेंगे। आप इसको सोच भी नहीं सकेंगे कि सन् १९७२ में जो भ्रष्टाचार है वह सन् १९८२ में कहीं दिखलाई भी देगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के मूल में जायं और उसका विवेचन करें। हमारे सम्मानित सदन और सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिये कि इस प्रकार के पिछड़ापन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)

आप बड़े विद्वान हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके समाजवाद का कोई स्वरूप है। परन्तु आपके समाजवाद का जो स्वरूप है वह इस बजट में कहीं दिखलाई नहीं देता है। क्या इस बजट में वह है? अगर है तो हमको बतला दीजिये कि वह कहां पर है?

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं कि हम उस समाजवाद की दिशा में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में जो पिछड़ापन है उसका कुछ विश्लेषण करना चाहता हूं। आज जब हम प्रदेश का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है, जन-संख्या बहुत बड़ी है, इसमें खनिज पदार्थ नहीं हैं, मानव संसाधन की कमी है। अनेक बातें कहते हैं। उसके पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं। एक विशेष कारण यह भी है कि हमारा प्रशासनिक दोष इसमें प्रमुख स्थान रखता है। आज जब हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और तामिल-नाडु ऐसे छोटे-छोटे प्रदेश हैं जिन्होंने थोड़े ही दिनों में बड़ी प्रगति कर ली है, वहां की पर कैपिटा इन्कम भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है तो हमको एक भ्रम हो जाता है। इस प्रदेश के रहने वाले जो चिन्तन करते हैं सोचने लगते हैं कि इसका क्या कारण है। कहीं इसका कारण जन-संख्या तो नहीं है, इसका विशद होना तो नहीं है अथवा खनिज पदार्थों का न पाया जाना तो नहीं है। ये कारण अपनी जगह पर हैं परन्तु हम अपने, सम्मानित सदन के सम्मुख कहना चाहते हैं कि प्रमुख कारण है इसका प्रशासनिक ढांचा।

हमारे प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति जिनको नौकरशाही कहा जाता है वे इस प्रदेश के मालिक ह। इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आई० ए० एस० और आई० सी० एस० के जो अधिकारी हैं वे यहां के प्रमुख प्रशासक हैं और नौकरशाही के नेता हैं। उनके भी तीन

तरह के इन्ट्रेस्ट हैं। एक वर्ग इन्टेस्ट ग्रुप तो वह है जो सचिवालय आदि में है और खूब रोब-दाब के साथ रहते हैं। दूसरे प्रकार का इन्ट्रेस्ट ग्रुप जो यह चाहते हैं कि राजनैतिक गण्यमान लोगों से अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध विकसित करें उसकी वे चेष्टा करते रहते हैं। वे लगातार इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि इन राजनीतिक लोगों से सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित रखें और अपना महत्व बढ़ा सकें। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अभी हाल ही में पैदा हुये हैं उनको इन्सटीट्यूशनल इनटरेस्ट ग्रुप के कह सकते हैं। यह ग्रुप यह प्रयास कर रहा है कि नये संस्थान तथा संस्था का निर्माण करो और उसमें घुस जाओ। सही बात यह है कि इस सदन की इच्छाओं को वित्त मंत्री जी का भाषण पूरा करता है। इन इन्स्टीट्यूशनल ग्रुप्स पर हमारा नियंत्रण रहेगा।

अब मैं इन्द्रमणि जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। यह प्रयास हो रहा है कि हम निगम बना रहे हैं। आप देखें कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कई निगम बनाने की बात की है।

श्री बांकेलाल—

इस निगम में कौन रहेगा?

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

आप जिसके लिये राय देंगे वही रहेगा।

श्री बांकेलाल—

वही नौकरशाही रहेगा।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

वही नौकरशाही रहेगी, इस पर विचार करना चाहिये। हम भी विचार कर रहे हैं कि जो निगम बनाये जा रहे हैं उनमें यह लोग घुस न जायं। यह सोचने की बात है। किसी भी प्रगतिशील देश में निगम का होना समाजवाद की ओर जाना है। उत्पादन के साधनों पर सरकार को हावी होना चाहिये शासन निगम और संस्थाओं का निर्माण करके उत्पत्ति के साधनों पर किसी न किसी प्रकार अधिकार रखता है मैं समझता हूं कि यह जो प्रक्रिया चली है उसके लिये मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बड़ा पवित्र विचार है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब यह निगम बनें और उसका कार्य चले तो यह ऐसे लोगों के हाथ में सौंपे जायं जिनकी चर्चा हमारे मंत्री जी ने की है। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी आर्थिक सेवा बनाना चाहते हैं जो इसको कर सके। इस तरह की आर्थिक सर्विस बनाना चाहते हैं जो इस सर्विस का पूर्णरूप से संचालन कर सके। हमारा विश्वास है कि यह समाजवाद लाने में एक कदम होगा।

मान्यवर, मेरा बड़ा समय ले लिया गया। श्री बांकेलाल ने बहुत समय लिया है। वह हाउस का बहुत समय लेते हैं और हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—

५ मिनट और ले लीजिये।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

२० मिनट मिलना चाहिये थे।

श्री अध्यक्ष—

२५ मिनट हो गये हैं, ५ मिनट और ले लीजिये।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

हम लोगों को भी अधिक समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अब न टोकें ।

श्री बांके लाल—

हमारे दल का कल से एक-एक आदमी ही बोल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप ५ मिनट ले लीजिये ।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

दूसरी दिशा जो हमारे वित्तमंत्री ने दी है वह प्रशासकीय सुधार है । प्रशासकीय सुधार बहुत आवश्यक हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले १० वर्षों का अगर आप बजट देखें तो ३१ मार्च को औसतन प्रति वर्ष करीब ३० करोड़ रुपया लैप्स हो गया है । प्रति वर्ष यह रुपया कभी ज्यादा हो गया है और कभी कुछ कम हो गया है और कभी-कभी तो बहुत ज्यादा हो गया है । वित्तीय वर्ष के अन्त में २५–३० करोड़ रुपया लैप्स हो जाता है । इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे प्रशासकीय संचालन में कमी है जिस कारण से यह सदन जो रुपया देता है वह भी ठीक प्रकार से ३१ मार्च तक खर्च नहीं हो पाता है । इसका कारण क्या है ? क्यों ऐसा होता है ? इसका कारण यह है कि जो विभागाध्यक्ष हैं, वह प्रस्ताव को बनाते हैं । उसके बीच की एक कड़ी है जिसको प्रशासकीय कड़ी कहते है, उस प्रशासकीय कड़ी से नियोजन और वित्त विभाग में पहुंचता है । इस प्रकार तीन प्रशासकीय कड़ियां हैं । कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि जो विभागाध्यक्ष कोई योजना बनाता है, उसको प्रशासन का एक छोटा सा क्लर्क लिख देता है कि ठीक नहीं है । जिसके कारण वह वहां पर उलट जाता है । जब वित्त सचिव और नियोजन सचिव के पास जाता है वहां उलट जाता है । आवश्यकता इस बात की है कि इन कड़ियों पर ध्यान दिया जाय। सुना है कि सचिवालय में रिआर्गनाइजेशन समिति बनी थी। माननीय सदन का ध्यान इस ओर जाना चाहिये और अगर सम्भव हो तो एक ऐसी उप समिति बनानी चाहिये जो इस प्रकार के प्रशासकीय दोष हैं, जिससे कि ३१ मार्च को वह रुपया लैप्स हो जाता है, का निराकरण कर सके ताकि वह रुपया लैप्स न हो और उनका उचित उपयोग हो। इसके लिये एक समिति होनी चाहिये ताकि इस प्रशासकीय कड़ी में सुधार हो सके ।

तीसरा दृष्टिकोण जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिखाया है, वह है पिछड़े क्षेत्रों के लिये जिनमें असंतुलन है, उस आर्थिक असंतुलन को दूर करन के विषय में है। इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्य इससे पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। यह खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों, बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये है । पिछले वर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये ६८ करोड़ की योजना थी, इस वजह बजट में उसके लिये ७० करोड़ की योजना है। १.७६ करोड़ रुपया अधिक व्यय होगा इस वर्ष। पहाड़ी क्षेत्रों के लिये पिछली बार १५ करोड़ ८८ लाख रुपये का व्यय था। इस वर्ष १९.२१ करोड़ का व्यय है । दूसरे शब्दों में इसमें ३.३२ करोड़ अधिक व्यय होगा ।

बुन्देलखण्ड के लिये पिछले वर्ष ९.७२ करोड़ था और इस वर्ष ११.२५ करोड़ व्यय कर रहे हैं। अर्थात् १.५५ करोड़ अधिक व्यय होगा। जो हमारे पिछड़े हुये क्षेत्र कहे जाते हैं, जैसे कि बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और पर्वतीय भाग, उनके लिये इसमें जिस प्रकार से व्यय और परिव्यय के आंकड़े रखे गये हैं, वे सन्तोषजनक नहीं हैं। इसमें यह डर है कि जो पहले से ही पिछड़े हुए हैं, उनमें ही कहीं असंतुलन न पैदा हो जाय। इसमें मान्यवर, आवश्यकता दो बातों की है। पहली यह कि हम देखें और अभि निर्धारण करें कि कौन-कौन से जिले पिछड़े हैं । और दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि आप रीजनल अथारीटीज बना दें क्योंकि इतना बड़ा

यह प्रदेश है, यहां प्रदेश के बांट देने की भी मांग रही है, और वह उत्तरोत्तर बढ़ेगी यदि प्रशासन ठीक नहीं हुआ, इसलिये आप रीजनल अथारीटीज अगर कायम कर दें तो जो अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखें और वही समाधान करें तो उससे अधिक प्रगति हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । जो बजट के ऊपर चर्चा हो रही है मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना। मान्यवर, जब कुर्सी बदल जाती है तो उनका रूप भी बदल जाता है। सामन की बेंचज से बराबर यह कहा गया कि विरोध पक्ष वाले इससे अच्छा बजट पेश नहीं कर सकते, ये तो विरोध के लिय ही विरोध करते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है। प्रजातंत्र में विरोध पक्ष का होना बड़ा आवश्यक है। हम विरोध पक्ष में बैठने वालों की उतनी ही जिम्मेदारी ह जितनी सरकारी पक्ष की क्योंकि जनता द्वारा जो राजस्व प्राप्त होता है उसक व्यय क ऊपर नियंत्रण रहे यह दखना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। सही आलोचना करना हमारा काम है और हम वह करेंगे। हां, यह दूसरी बात है कि वह आलोचना किस भावना से होती है। कम से कम अपने लिये मैं यह कह सकता हूं कि सरकार जिस मशीनरी के द्वारा काम करती है, अगर वह अन्धी होकर काम करती है, तो सरकार की आंखें खुलवाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं ।

माननीय तिवारी जी हैं नहीं, अपनी कुछ बातें कहने के पूर्व मैं उनकी इस बात के लिये बड़ी सराहना करता हूं कि उनका बजट भाषण एक जगलरी है। पिछले बजट भाषण में पार्लियामेंट के मध्यावधि चुनाव का समन्वय था और उसमें उन्होंने एक सम्प्रदाय विशेष को खुश करने के लिये उर्दू का एक शेर दिया था। उसमें उर्दू का बहुत गीत गाया गया। उर्दू एकादमी की स्थापना भी की गयी। रियासत भाई को खुश करने के लिये उर्दू की बहुत हिमायत की गयी। लेकिन जब वह चुनाव समाप्त हो गया तो वह अध्याय समाप्त हो गया और अब इस बजट भाषण में उर्दू के लिये एक शब्द भी नहीं है। अब उनको दिखाई दिया कि कहीं एक बड़ा सम्प्रदाय असन्तुष्ट न हो जाय, इसलिये इस बजट भाषण में उन्होंने गीता के श्लोक का सहारा लिया—"परित्राणाय साधुनाम् विनाशाय च दुष्कृताम"। उनकी इस जगलरी का नमूना बहुत सुन्दर है। इसके लिये मैं उनकी सराहना किय बिना नहीं रह सकता ।

जनसंघ के राजा साहब—श्री दुबे जी ने अपने ढंग से खूब आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और अपने को अर्थशास्त्र के ज्ञाता समझने वाले शाही जी ने उनके सारे आंकड़ों को थोथा सिद्ध करने का प्रयास किया है। लकिन मैं कहता हूं कि दोनों ही इसमें योग्य नहीं सिद्ध हुए हैं, मैं केवल इस बजट भाषण को तैयार करने वालों की प्रशंसा करता हूं और उनकी बुद्धि की सराहना करता हूं कि कितने चमत्कारिक ढंग से और कितनी चतुराई के साथ मकड़ी का सा यह जाल तैयार किया गया है। इसे मैं मकड़ी के जाल के अलावा कुछ नहीं कह सकता। आंकड़ों के बारे में, जिनको मैं सही नहीं मानता हूं, राज्य की आय क बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है वर्ष १९७१–७२ की रबी के उत्पादन के आंकड़ फसल की प्रयोगात्मक कटाई के आधार पर अभी उपलब्ध नहीं हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

पाये हैं। उपलब्ध संकेतों के आधार पर वर्ष १९७१–७२ के लिये तैयार किये गये त्वरित अनुमानों से राज्य की आय २,३६० करोड़ रुपये होने की संभावना है।

प्रश्नगत वर्ष में अन्न के उत्पादन में अतिवृष्टि और बाढ़ का जो प्रभाव पड़ा है उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। गन्ने के उत्पादन पर भी असर पड़ा जिसके फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में भी कमी हुई। यद्यपि असंगठित क्षेत्र के लघु उद्योगों में वृद्धि होने के संकेत हैं, परन्तु ऐसा अनुमान है कि यह वृद्धि संगठित क्षेत्र के उत्पादन की कमी को पूरा करने में समर्थ न हो सकेगी।" तो यह कहते हैं कि ७१–७२ के आंकड़े इनको उपलब्ध नहीं हैं और दूसरी तरफ अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण भारी हानि भी स्वीकार करते हैं।

आप आंकड़े देखें––आय के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये हैं। २६५ रुपये प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय ७१–७२ के लिए अनुमानतः इन्होंने बताई है, जो २५६ से बढ़कर हुई है। २३ करोड़ ६० लाख की आबादी तो ९ करोड़ से ज्यादा है। ९ करोड़ को ही मान लें और उसका २,३६० लाख से भाग दें तो २६१ प्वाइन्ट कुछ आता है। यह हजारों रुपये तनख्वाह पाने वालों का हिसाब है। तिवारी जी को छुट्टी ही नहीं है कि इस गड़बड़ी को देखें। इन्हीं के आंकड़ों को लेकर मैं चलता हूं। आगे अंशदान की चेष्टा की गई है। जो कृषि का अंशदान सन् ६०–६१ में ६०.९ प्रतिशत है, यह सन् ७१–७२ में घट कर ५६.३ होने का अनुमान है। यदि इसे उसमें घटा दिया जाए तो आप देखें कि ४.६ प्रतिशत की कमी हुई। यदि आप २५६ से २६५ की वृद्धि हुई तो कृषि के अंशदान में भी वृद्धि होनी चाहिए थी। वह क्यों घटा है, यह बड़ी शोचनीय बात है। इसी अवधि में खनिक, उद्योग एवं निर्माण से राज्य को होने वाली आय १०.२ प्रतिशत से बढ़ कर ११.१ हुई ह, अर्थात् १.१ प्रतिशत इसमें बढ़ेगा। तथा साथ ही वाणिज्य और व्यापार से होने वाली आय १२.३ से बढ़ कर १४.७ हो जाने का अनुमान है। इस तरह से इसमें २.४ परसेंट बढ़ा। कुल आय जो दूसरे साधनों से बढ़ी है वह अंशदान हुआ ३.५ और कमी ४.६ की हो रही है, इस प्रकार से १.१ की कमी रह जाती है। यह बात समझ में आने वाली नहीं है। यह मकड़ी के जाल के सिवा कुछ है नहीं। यह जनता के साथ धोखा-धड़ी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।

मान्यवर, सन् ७१–७२ में राजस्व से आय थी ६४९ करोड़ ६५ लाख और व्यय था ७३६ करोड़ २२ लाख, जबकि सन् ७२–७३ में आय ६४९.१७ लाख और व्यय ७०९ करोड़ ८५ लाख होने का अनुमान है। इस तरह से गत वर्ष का घाटा ३५.६७ लाख रह गया था जो पूरा नहीं हुआ था, जिससे विकास की योजनाएं पूरी नहीं की जा सकीं। इस वर्ष ३१.३९ लाख का और घाटा है। दोनों मिलाकर ६७ करोड़ ६ लाख का घाटा हो गया है। मान्यवर, घाटे का बजट देखने में बहुत सुन्दर होता है। यह सरकार की सक्षमता कहलाती है कि वे घाटे का बजट जनता के कल्याण के लिए प्रस्तुत करें।

लेकिन मान्यवर, धोखा होता है। कदम-कदम पर धोखा है। आप १९७१–७२ के बजट को देखें, तो ६९९ करोड़ ६५ लाख का राजस्व व्यय था और ४३६ करोड़ २२ लाख की राजस्व आय थी। घाटा दिखाया गया ३५ करोड़ ६७ लाख का, जो बाकी रह गया पूरा नहीं हो सका। केन्द्र देता कहां से? केन्द्र के सामने बंगला देश की समस्या थी। ३५ करोड़ ६७ लाख का घाटा गत वर्ष का और ३१ करोड़ ३९ लाख का घाटा हाल के बजट का, ६७ करोड़ ६ लाख का घाटा पूरा करना है। लेकिन मैं उनको चेलेंज देता हूं। यह सरकार पूरा नहीं कर पायेगी। ३५ करोड़ ६७ लाख का घाटा जो उन्होंने यों का यों छोड़ दिया, प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। जितने विकास के कार्य दिखाये थे वे पूरे नहीं हो पाये। उनके लिए साधन जुटाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए यह घाटा यहीं का यहीं पड़ा रह गया और आगे भी यही संकेत देता है।

इस वर्ष घाटा पूरा करने के लिगे वित्त मंत्री जी ने बड़ी सुन्दर घोषणा की है, ज्यादा से ज्यादा भूमि विकास शुल्क लगाने के लिए एक योजना बनायी गयी है। उससे दस करोड़ की आमदनी दिखायी गयी है लेकिन जो उपलब्धियां हैं, ६,६ करोड़ की हैं। ६ करोड़ के लिए ऋणों की कड़ाई के साथ वसूली का अभियान जारी करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे वह जानें। वी० आर० मोहन जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स का एक तरफ प्रभाव है दूसरी तरफ कड़ाई से वसूल करने की चेष्टा करेंगे। अगर करें तो ६ करोड़ की उपलब्धि दिखाते हैं। कुल १२ करोड़ की उपलब्धि दिखा रहे हैं। उसमें ६ करोड़ ग्रामीण विकास के नीचे से लेने को कहते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी सब काम गोल ह।

हिम्मत नहीं है। झूठे नारे, जगलरी, विश्वासघात, डेमोगागी के अलावा कुछ नहीं है। माननीय वित्त मंत्री कहते हैं। "पिछले बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते समय मैंने संसद के नाम चुनावों में जनता द्वारा कांग्रेस पार्टी के कायकर्ताओं एवं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रगतिशील नेतृत्व को दिये गये भारी समथन का जिक्र अपने कर्तव्यों के प्रति सजग करने की दृष्टि से किया था। हाल के विभिन्न प्रदेशों में हुए विधान सभाओं के चुनावों में और प्रदेश के उप चुनावों में जनता ने पुनः कांग्रेस पार्टी की प्रगतिशील नीतियों और प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व को अपना में अभूतपूर्व समर्थन प्रदान किया है।" मान्यवर, तिवारी जी बहुत प्रसन्न हैं विधान सभा के चुनावों की विजय से, होना चाहिए। लेकिन मैं उनको विनम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूं कि जनता जनार्दन बहुत दुखी है, संतप्त ह।

आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक संकट में पिस रहा है। गरीबी हटाओ, असमानता दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, इन नारों के ऊपर जनता चक्कर में आ गयी और उन्होंने जनता का विश्वास प्राप्त किया। लेकिन दो महीने के बाद दिल्ली में जो चुनाव हुए, और उड़ीसा के अन्दर दो चार चुनाव हुए, चारों में इन्दिरा जी क विरोधियों की जीत हो गयी। यहां भी चुनाव हो रहा था, कल्पना की बात रह गई, अगर हो पाता, पाकिस्तान की बुद्धिभ्रष्ट न होती, तो पता चलता। लेकिन जब तक पछुवा हवा नहीं चलती है बादल छटेंगे नहीं। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना। इंदिरा जी ने खुद चुनावों में यह नारा लगाया कि राज्यों के अन्दर सरकारें हमारी पार्टी की बनें तभी हम कुछ कर पायंगे।

वह बड़ी चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, देश की नेता हैं। उन्होंने यह सोचा था कि विधान सभाओं का चुनाव स्थानीय समस्याओं को लेकर होता है। जनता उसी को वोट देती है जो उसके क्षेत्र की समस्याओं की हल करते हैं। उनको आशा थी कि विधान सभाओं के चुनाव में उनकी अप्रत्याशित जीत नहीं होगी लेकिन जनता ने उनको भारी बहुमत देकर अग्नि परीक्षा में खड़ा कर दिया है। उन्हें बहुत खुश न होना चाहिये। चन्द्र शेखर जो युवा तुर्क हैं, उन्होंन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में जो भाषण दिया है उससे तिवारी जी को सजग रहना चाहिये।

मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि बांगला देश के साथ जो किया ठीक किया और जो हमारे देश को करना चाहिये था वह उसने किया लेकिन उस बांगला देश की विजय ने जहां हमें गौरव प्रदान किया है वहीं सामने बैठने वाले बन्धुओं के दिलों में खोखलापन भी पैदा कर दिया है। यह अभूतपूर्व घटना है कि इन्दिरा जी से टिकट पाने के लिये इधर से जो लोग टिड्डी दल की तरह भाग रहे हैं वे कभी चरण सिंह और गुप्ता जी में आस्था रखते थे और टिकट लेने के लिये उनकी खुशामद करत थे और आज उस आस्था को नष्ट करके एक दम भागे चले जा रहे हैं। यह जो बालू की भीत बनती जा रही है जब गिरेगी तों कोई रोकने वाला नहीं होगा।

मेरा कहना यह है कि यह जो आंकड़ों का जाल है जनता को धोखा देने वाला है। दलगत नीति से ऊपर उठ कर जरा तिवारी जी इस पर सोचने का कष्ट करें। माननीय शाही जी न विदेशों के बारे में बहुत से आंकड़ प्रस्तुत कर दिये। मैं उन पर कुछ नहीं

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

कहूंगा। लेकिन एक बात उन्होंने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने का जिक्र करते हुए कही। उन्होंने पूर्वांचल के बारे में कहा। शाही जी बहुत प्रसन्न है कि गोरखपुर के लिये गत वर्ष से इस वर्ष १ करोड़ ७६ लाख रुपया बढ़ाया। उनको प्रसन्न न हो कर दुखी होना चाहिये कि गत वर्ष जो व्यय राजस्व द्वारा हुआ वह ७०९ करोड़ ८५ लाख था और इस वर्ष अगर वह देखे तो पायेंगे कि २६ करोड़ का अन्तर है। १५ पूर्वी जिले पूर्वांचल में आते हैं। जितना व्यय बढ़ाया गया है उसका एक चौथाई भाग पूर्वांचल को मिलना चाहिये लेकिन नहीं मिला।

उद्योगों के सम्बन्ध में तिवारी जी ने अपने बजट भाषण में कहा है। मैं बतलाना चाहता हूं कि उद्योगों के नाम पर जो दुर्दशा है, जो ऋण बांटे जाते हैं उनका सदुपयोग नहीं हो पाता है, उनकी वसूली भी ठिकाने से नहीं हो पाती है और उद्योग बिलकुल नाम के लिए हैं। जापान का उदाहरण दिया। उनको साथ ही यह बतलाना चाहिये था कि जापान कितने भूकम्प और झटके उठाने के बाद भी अपनी जगह जापान है। उसका मूल कारण है वहां के गृह उद्योग। वहां माध्यमिक तथा वृहत उद्योगों का तथा लघु उद्योगों का जाल नहीं है। घर-घर में लघु उद्योग है और सरकार से उसको प्रोत्साहन मिलता है। घर-घर लघु उद्योगों से पुर्जे बन कर बड़े कारखानों को भेज दिये जाते हैं। वहां वे असेम्बिल किये जाते हैं।

अपने देश में पंजाब को ही लीजिये। लुधियाना में देखिये घर-घर में सिलाई की मशीनों के तथा छोटे-छोटे पुर्जे तैयार किये जाते हैं और होजरी का काम होता है। पंजाब में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी ५०० रुपये साल है तो उत्तर प्रदेश में २६५ रुपये के थोथे आंकड़े पेश किये जाते हैं। आपको भी लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये लेकिन नहीं दिया जा रहा है।

शिक्षा के सम्बन्ध में जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा को सरकार द्वारा चलाने के लिए बड़े गौरव के साथ घोषणा की गई है। लेकिन भ्रमजाल में फंसा दिया गया है। मान्यवर, शिक्षा तीन प्रकार से चल रही है। एक तो वे शिक्षा संस्थायें हैं जिनको जिला परिषद् चला रहे हैं, दूसरे वह जिनको कि व्यक्तिगत मान्यतायें प्राप्त हैं और तीसरे वह उच्चतर माध्यमिक संस्थायें हैं। तो इनमें से कौन-सी शिक्षा को चलाने की घोषणा की गई है इसका कोई स्पष्ट पता नहीं चलता।

कृषि के विषय में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। लैण्ड डेवेलपमेंट बैंक खुले हुये हैं जो धांधलेबाजियां वहां पर हो रही हैं किसान को सीधा पैसा नहीं दिया जाता है, उसकी भूमि बन्धक की जाती है और चेक उनको दिया जाता है जो सप्लाई करते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान को १,६०० रुपये के इंजन को ४,२०० रुपये में बेचा जाता है। यह लूट मची हुई है, किसान को लूटा जा रहा है। इस सम्बन्ध में यदि जांच की जाय तो पता चल जायगा कि क्या हो रहा है। किसान ऋणी होता है उसको पैसा देना पड़ता है किन्तु सीधे पैसा उसको नहीं दिया जाता है।

मान्यवर, आपने लालबत्ती कर दी। मैं अन्त में एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि गरीबी हटाओ और महंगाई दूर करो, का जादू आज दिखाया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर वह प्रदेश की गरीबी को दूर करके असमानता को हटाना चाहती है तो यह मेरी ही नहीं अपितु मैं अपने पूरे दल की तरफ से मांग करता हूं कि जो बुअरीज और डिस्टिलरीज यहां पर हैं उनका आप राष्ट्रीयकरण कर दें। यह भ्रष्ट शराब जो आज बन रही है जिसमें कि आये दिन आप जानते ही होंगे कि ५०, ६० और ८० व्यक्ति तक मर गये हैं। आज जो दूसरे नम्बर के दवाओं के कारखाने हैं वे जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री किसी

समय में शिक्षा मन्त्री रहे हैं उन्होंने कक्षा ६ तक शिक्षा माफ की थी उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। उसके लिये आपको प्राइसेज पर पहले रोक लगाने की आवश्यकता है। उचित मूल्य पर कोई सामग्री नहीं मिलती उस पर आपको रोक लगाना चाहिये। आज आप २०-२० और २८-२८ रुपया बढ़ा देते हैं तो चीजों के दाम इससे भी ऊंचे चले जाते हैं। यह कितना बड़ा धोखा आप जनता के साथ कर रहे हैं।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप असमानता दूर करना चाहते हैं तो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करना होगा। जितने पब्लिक स्कूल हैं उनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह तभी दूर होगा जब सरकार उनको अपने हाथों में लेगी। क्योंकि आज आई० ए० एस० और आई० सी० एस० वहीं से निकलते हैं उसका कारण यह है कि गरीब आदमी तो इन पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ सकता है क्योंकि ढाई सौ रुपया माह-वार फीस नहीं दे सकता है। फलस्वरूप जो प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं वे इनमें नहीं पढ़ सकते हैं। तो मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट की पूर्ण आलोचना करता हूं क्योंकि इसमें धोखाधड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है।

*श्री कृष्ण कान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य चर्चा में आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक समाजवादी बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है इससे प्रदेश का कल्याण हो सकता है। अभी एक मेरे साथी जो उधर से बोल रहे थे उन्होंने इसकी आलोचना की है। किन्तु मैं कहता हूं कि यह तो इस सदन की परम्परा और जनतांत्रिक परम्परा रही है कि यदि उधर बैठ जायं तो उसकी आलोचना करेंगे और यदि इधर बैठ जायं तो उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह हमेशा से होता चला आया है। गत वर्ष हमारे वे माननीय सदस्य इधर बैठे हुए थे तो दूसरी ही बात कहते थे और आज उधर बैठे हुये हैं तो उसकी आलोचना कर रहे हैं।

बजट की अच्छाइयों और बुराइयों को इधर से उधर और उधर से इधर आने में आंका जाता है। उन्होंने यह नहीं देखा कि गत वर्ष इस प्रदेश और देश का जो हाल रहा है वह बहुत ही संकट और आपत्ति का वर्ष रहा है। जिस बहादुरी के साथ हमारी माननीया प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी जी ने और उनके नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी लड़ाई जो हमारे देश पर हुई उस पर सफलता प्राप्त की, उसकी सराहना करनी चाहिए थी। बजट के दौरान हमारे एक साथी माननीय बांकेलाल जी हैं जिनका कि बोलने का तरीका अपने किस्म का एक रहा है। जहां कहीं भी बैठेंगे सरकारी पक्ष की आलोचना करेंगे। लेकिन मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि जो अच्छी बातें हों उनकी सराहना भी कर दिया करें तो अच्छा रहेगा।

गत वर्ष एक आपत्तिका वर्ष रहा, बाढ़ और असामयिक वर्षा का प्रकोप रहा। इस कमलापति की सरकार ने आते ही जिस बहादुरी के साथ उस दैवी आपत्ति का सामना किया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में मिसाल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब सरकारी पक्ष कोई अच्छा काम करे...

श्री जगवीर सिंह—

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य को कह दें कि आपके माध्यम से बोलें।

श्री कृष्णाकान्त अवस्थी—

आप कुछ भी कहें। जब तक सदन में हम आप इधर उधर बैठे हैं तो जब उधर से आलोचना होगी हमारे लिये समर्थन होगी। अध्यक्ष जी, इस स्थिति में प्रदेशीय सरकार ने गत वर्ष जो कार्य किये हैं उतने सराहनीय रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने सराह-नीय कार्य कभी नहीं रहे होंगे। हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णा कान्त अवस्थी]

उसके कुछ कारण रहे हैं। दोस्त जो हमारे हू-हल्ला करते हैं उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि यहां पर हम पिछड़ेपन के बारे में भी विचार करें। प्रदेश में सबसे बड़ा विकास का स्थान यातायात का होता है। जो कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से होने थे वह मेरा अपना विचार है कि पूर्ण नहीं हो पाये। जितना पैसा होना चाहिये था वह कभी विभाग नहीं कर पाया।

मेरा अपना अनुभव रहा है कि १०-१० साल के पूराने कार्य जिनका एक लाख एस्टीमेट था वह रिवाइज होकर १० लाख पर पहुंच गया। जिन इमारतों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ हो चुका था वह नहीं बन पायीं और १ लाख १० लाख एस्टीमेट पहुंच गया। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसके अन्तर्गत प्रदेश की सड़कों का निर्माण और अन्य इमारतों के निर्माण की जिम्मेदारी होती है वह पहले तो अपने रूल्स और रेगूलेशन्स में परिवर्तन करे। वहां के एक्जिक्यूटिव इंजीनियरों को १ लाख रुपये का एस्टीमेट करने का अधिकार था और आज भी वही स्थिति है जबकि १ लाख की कास्ट १० लाख होचुकी है।

इसके अतिरिक्त वहां की कार्य-पद्धति ऐसी रही है जिसमें कामों में इतनी बाधायें उपस्थित होती रहती हैं जिसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पाता और न समय पर होता है। तो पहले तो एक्जिक्यूटिव इंजीनियरों को एस्टीमेट सैंक्शन करने की पावर कम से कम २०-२५ लाख कर दी जाय जिससे काम में सैंक्शन होकर अपनी गाड़ी वह जिलों में चालू करें अन्यथा सैंक्शन प्रान्तीय स्तर पर आ जाती है, और ६ महीने तक वह एस्टीमेट सैंक्शन नहीं हो पाता। फिर रिवाइज्ड एस्टीमेट के लिये दोबारा फाइल चलाई जाती है जिससे बड़ी भारी बाधा उपस्थित होती है और काम नहीं हो पाता।

आज सदन में चर्चा होती है कि पूर्वी जिले पिछड़े हुए हैं और कहीं पहाड़ी प्रदेशों के विकास की कि पहाड़ी जिले अविकसित हैं, उनका विकास होना चाहिए। उनके लिये आयोग बनते हैं और कहीं बुन्देलखंड के जिलों के लिए चर्चा होती है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मध्य क्षेत्र के जो जिले हैं यह भी बहुत पिछड़े हुए हैं। उन पर कभी भी सरकार ने विचार नहीं किया। औद्योगिक दृष्टिकोण, शिक्षा, यातयात के दृष्टिकोण, से सभी दृष्टिकोणों से बहुत ही पिछड़े जिले हैं। लेकिन उनके लिये न तो कोई आयोग नियुक्त होता है और न हमारी सरकार का ध्यान ही जाता है। मध्य क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान उधर दिलाना चाहता हूं और आप से निवेदन है कि आप सरकार पर दबाव डालें जिससे सरकार का ध्यान उधर जाये और कोई आयोग की स्थापना हो जाये जिससे अविकसित क्षेत्र का विकास सम्भव हो सके।

मान्यवर, यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसका कारण यह है कि मैं दक्षिण भारत में गया था और वहां जानकारी करने से मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने वहां पर उद्योग स्थापित कर रखे हैं। उन्होंने बताया कि वे उत्तर प्रदेश में इसलिये उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं कि लोन एप्लीकेशन पर उनको २० प्रतिशत देना पड़ता है और उद्योग लगाने में जो सुविधायें मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती हैं। अन्य प्रदेशों के बनिस्बत यहां पर सुविधायें बहुत कम मिलती हैं। इसलिए सरकार उन उद्योगपतियों को जो हमारे प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं, सारी सुविधायें प्रदान करें जिससे हमारे प्रदेश का औद्योगिक विकास हो सके।

अभी हमारे साथी बता रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार ने आठवीं कक्षा तक की एजूकेशन फ्री कर दी है। यह हमारी सरकार ने बड़ा प्रगतिशील कदम उठाया है। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। इस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, किसानों को सुविधायें प्रदान कीं और जो सहायता दे सकती थी वह उसने दी।

हमारा सीतापुर जिला उद्योग की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और वहां पर केवल दो चीनी मिलें हैं और सरकार ने वहां उद्योग लगाने के लिये ध्यान नहीं दिया है और इसको लघु उद्योग स्कीम में भी शामिल नहीं किया। इसको इस स्कीम में शामिल किये जाने की कृपा की जाय। यातायात का जहां तक प्रश्न है १९६९ में एक सड़क स्वीकार हुई थी। लेकिन वह भी सार्वजनिक विभाग की कमजोरी तथा मजबूरी की वजह से नहीं बन सकी। अगर इस तरह से गति धीमी रहेगी तो प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। मैं सीतापुर के बहुत ही पिछड़े हुए हिस्से से निर्वाचित होकर आया हूं। कोई भी सड़क वहां नहीं बन सकी जिससे इस क्षेत्र का सम्पर्क जिले से हो सके। वहां २-२ विकास खण्ड हैं। एक सड़क सीतापुर बहराइच वाली थी उस पर तीन पुल बनने थे लेकिन एक भी नहीं बन सका। इससे बरसात के समय यातायात बन्द हो जाता है और सड़क की उपयोगिता खत्म हो गई है। दूसरी सड़क सीतापुर से तम्वौर जाती थी। उसका दस मील का हिस्सा बनने से रह गया है। वहां पर विकास खण्ड है, लेकिन यहां जाने का कोई साधन नहीं और जो सड़कें भी बनी है उस पर पुल भी निर्माण नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपका ध्यान बिजली विभाग की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। तम्वौर एक विकसित क्षेत्र है लेकिन वहां पर भी बिजली की लाइन नहीं डाली गई है, एक भी गांव में वहां पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह ऐसा क्षेत्र है जिसके १५-१५ मील तक कोई अस्पताल ही नहीं है। तीन साल हो गये हर साल मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा हूं लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं सरकार से चाहूंगा कि ४–५ मील के एरिया में अस्पताल को सरकार खोलने की कृपा करे।

यह क्षेत्र शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में कोई भी सरकारी हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल जनता द्वारा तो चलाये जाते हैं लेकिन सरकारी नहीं हैं। लेकिन किसी कालेज की आज तक स्थापना नहीं हो पाई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक कालेज की स्थापना करे।

इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

(इस समय ३ बजकर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री जगवीर सिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा दुर्भाग्य है कि जिस समय मैं बोलता हूं उस समय मेरे मित्र माननीय वित्त मन्त्री जी यहां नहीं होते। जहां तक मुझे याद है वैद्य जी ही एक ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो यहां रहते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी कही हुई बातों को वे वित्त मन्त्री तक पहुंचाने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वह घाटे का है। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से हम देखते चले आते हैं कि हर वर्ष यहां घाटे का बजट प्रस्तुत किया जाता है लेकिन न मालूम किन कारणों से वह घाटे का बजट साल के अन्त में कुछ न कुछ सरपल्स हो जाता है। इससे यह प्रतीत होता है जितने काम उस वर्ष में करने चाहिये थे उन कामों को नहीं किया जा सका। उसका कारण यह है कि इस सरकार पर नौकरशाही पूरे तौर से हावी है और वह चाहे जिस तरीके से बात करती है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला होता जा रहा है और विशेषकर इस सरकार के जमाने में जो समाजवाद की बहुत बात करती है।

इस बजट को भी समाजवादी बजट बताया गया। मैंने बहुत ध्यान पूर्वक देखा और पढ़ा और मन्त्री जी के भाषण को बहुत गौर से सुना। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत खोज की कि इस बजट में कहीं न कहीं समाजवाद की झलक पा जाय लकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं

[श्री जगवीर सिंह—]

अपने आपको असमर्थ पाता हूं कि इस बजट को एक समाजवादी बजट कह सकूं। उसके अन्दर से कहीं भी मुझे समाजवाद की झलक आती हुई नहीं दिखाई दी, यहां तक कि एक किरण भी दिखाई न दी। अतः बहुत पढ़ने और ध्यान से देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर नही पहुंच सका कि यह एक समाजवादी बजट है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह एक विषमताओं को बढ़ाने वाला बजट है। यह एक बजट प्रस्तुत किया गया है जो गरीबी को बढ़ायेगा। एक ऐसा बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है जो ला एण्ड आर्डर की हालत को और खराब कर देगा। मैं जब बजट को पढ़ रहा था तो मुझे एक शेर याद आ गयी—

रहबरों तुम लूट लेना बेतकल्लुफ राह में,
हम तो इसे भी मान लेंगे रहबरी की शर्त।

तो मैं इस सरकार से तो ज्यादा आशा नहीं करता हूं। जो कुछ उन्होंने किया यही मेरी आशा थी। इस बजट के अन्दर ३१ करोड़ ३९ लाख रुपये का घाटा है। गुणगान किया गया पिछले वर्ष भी, इस वर्ष भी इन्दिरा गांधी का, समाजवाद का, प्रगतिशील नीतियों का। मैं समझ नहीं पाता कि आज कौन आवश्यकता हो गई है हर मन्त्री को और हर उधर बैठने वाले को कि उनको यह ख्याल पैदा हो गया है कि यदि इन्दिरा जी का गुणगान नहीं किया जायगा तो शायद उनका स्थान वहां नहीं होगा। यह कहा जाता कि पंडित जी के नेतृत्व में विश्वास है तो बात समझ में आती क्योंकि नेता सदन है लेकिन नहीं। आप तो उपाध्यक्ष महोदय, बड़े विद्वान हैं। आपको याद होगा कि जैसे हिरनाकुश राज्य में यह आज्ञा नहीं थी किसी को, कि कोई राम का नाम ले सके। केवल हिरनाकुश का ही नाम लेना अनिवार्य था। अगर उसके लड़के प्रह्लाद ने यह हिम्मत की तो उसका क्या हश्र हुआ आप स्वयं जानते हैं। यही हालत आज इस सरकार की है...

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कि गुणगान इधर से अधिक हो रहा है या उधर से।

श्री जगवीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत बड़ा सन्देह है कि उधर के सब दोस्तों को एक भ्रम हो गया है कि इन्दिरा गांधी का गुणगान मौके, बेमौके, चाहे उसका अवसर हो चाहे न हो अलापना अनिवार्य है। पार्टी का जिक्र नहीं, अपने नेता सदन का जिक्र नहीं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष का जिक्र नहीं, जगवीजन राम जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका जिक्र नहीं। जिक्र केवल किया जाता है श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का।इससे हम एक निष्कर्ष पर पहंचते हैं कि आज मूर्ति पूजा की प्रवृत्तियां हमारे देश में मजबूत होती जा रही हैं आज एकाधिकार प्रवृत्तियां हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो सन्देह होने लगा है कि आज हमारा लोकतन्त्र खतरे में है। आज प्रजातन्त्र को बचाने के लिये हमें इन एकाधिकार प्रवृत्तियों का डटकर मुकाबला करना होगा। मैं समझता हूं कि कोई नहीं चाहता कि हमारे देश में प्रजातंत्र का अन्त हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं अपने दोस्तों से कि वह सोचें और विचार करें इस मामले पर।

बहुत चर्चा है उपाध्यक्षजी युद्ध की, बंगला देश की लड़ाई की, पाकिस्तान की लड़ाई की और कहा गया कि इन्दिरा जी के नेतृत्व में हमने लड़ाई जीत ली। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि इन्दिरा जी का नेतृत्व था। लेकिन क्यों नहीं उन्होंने उससे ज्यादा जोरदार शब्दों में जिक्र किया उन नौजवानों का जो वीरगति को प्राप्त हुये। क्यों नहीं जिक्र किया इस देश की जनता का जो एक सूत्र में बंध कर उनके पीछे खड़ी हो गई। अगर कोई इस लड़ाई को जीता है तो सब से पहले वह नौजवान जिन्होंने वीरगति को प्राप्त किया है वह बधाई के पात्र हैं। वह मातायें हमारी बधाई की पात्र हैं जिन्होंने जन्म दिया उन नौजवनों को। कितनी तकलीफ होती होगी उन नौजवानों की माताओं को जब वे सुनती हैं कि लड़ाई इन्दिरा जी ने जीती हमारे नौनिहालों ने नहीं।

एक नौजवान ढाके के मोर्चे पर था। उसने अपनी बहिन को एक पत्र लिखा, दीदी, इस बार जब आऊंगा तो तेरे लिये ढाके की साड़ी ले कर आऊंगा। वह नौजवान लौटकर कभी नहीं आया क्या हाल हुआ होगा उसकी बहिन का जिस का भाई अब उसके लिए ढाके की साड़ी लेकर कभी नहीं आयेगा? क्या वह आज दो सान्तवना के शब्द के अधिकारी नहीं। लेकिन कहा जाता है कि इन्दिरा जी ने लड़ाई जीती, यहां-वहां और हर जगह, मौके-बेमौके वही जिक्र है कि इन्दिरा जी ने लड़ाई जीत ली। मैं चाहता हूं कि उन नौजवानों की तारीफ अधिक की जाय और इस तरह से गुणगान कम किया जाय। बहुत कहा गया इस सदन में और इस बजट में भी कहा गया है कि हमने उनको बड़ी सहूलियतें दी हैं नौजवानों और फौजियों के लिये। जो छोटी-छोटी सहूलियत आपने दी हैं इन टर्म्स आफ मनी उन के कोई माने नहीं हैं, उन के पीछे वह भावना नहीं है जिसकी आवश्यकता थी। कहा गया है कि आदेश दिया है कि उनके साथ मालगुजारी की वसूलयाबी में सख्ती न की जाय, यह बहुत बड़ी सहूलियत जो आप ने दी है, उनके कोर्ट केसेज को शीघ्रता से निपटाया जाय यह आपकी सहूलियत का दूसरा नमूना है उन नौजवानों के लिए जिन्होंने देश के लिए भारी कुरबानी की है और अपने आपको न्योछावर किया है।

मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस बात का उत्तर अवश्य आना चाहिए क्योंकि आपको नौजवानों से बहुत प्यार है, मैं नहीं कहता कि नहीं है लेकिन आपके दिल में नौजवानों के लिए जो दर्द होना चाहिए वह नहीं है। मैं एक ऐसे जिले से आता हूं कि जहां से ४२ आदमी इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुये हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद यहां से और केन्द्र से ८–९ मन्त्री मेरे जिले में जा चुके हैं उनका टोटल स्टे वहां ३०–३२ दिन से अधिक का रहा होगा। जहां के ४२ नौजवानों ने कुरबानी दी और जिनकी विधवायें और मातायें वहां बैठी हैं उस जिले में ३२–३२ दिन तक इनके मन्त्री जाकर पड़े रहते हैं किसी के दिल में इतना दर्द नहीं हुआ कि किसी विधवा या नौजवान की माता को तसल्ली देते और दो शब्द उसके दुख को बांटने के लिये जाकर कह देते। खाली नौजवानों के प्रति क्रोकोडाइल टीयर्स बहाये जाते हैं कि हमने उनके लिये यह सहूलियत दी और वह सहूलियत दी। क्या उनका कर्त्तव्य नहीं था कि वह उन कुरबानियों के प्रति और उनके आश्रितो के सम्मुख नत मस्तक होते लेकिन मैं अपने माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने नतमस्तक हूं, वह अपने जिले में ऐसे लोगों के यहां गये हैं लेकिन मैं इन मन्त्रियों का नाम नहीं लेना चाहता, एक मन्त्री सामने बैठे हुए हैं उनका और अन्य मन्त्रियों का ३०-३२ दिन का स्टे इस दौरान वहां रहा बड़ी-बड़ी दावतों के लिये वह जा सकते हैं, बाजा बजवा कर जलूस वह निकलवा सकते हैं, सड़कें बनवाने के झूठे वादे वह जनता से चुनाव जीतने के लिये कर सकते हैं और न मालूम किस-किस काम को वह दौरे में पड़े रह कर कर सकते हैं लेकिन उनके पास सान्तवना के दो शब्द कहने का वक्त उन माता और बहिनों के लिये नहीं है मेरा आरोप है कि जो दर्द उनके दिल में होना चाहिये था वह नहीं है। उनका कर्त्तव्य था कि सब से पहले वक्त निकाल कर उनको उनके पास जाकर सहानुभूति जाहिर करनी चाहिये थी।

एक बात मैं बजट के बारे में और कहना चाहता हूं। हमारे वित्त मन्त्री जी ने जहां बजट भाषण आरम्भ किया तो उन्होंने उसमें कहा कि यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि यदि कृषि से आय कम होने लगे और उद्योग से आय बढ़ जाय तो वह देश के लिए प्रगति का द्योतक है। यह सही है, मुझे इस से इनकार नहीं। हमारे डाक्टर साहब तो अर्थशास्त्री हैं, वह यहां इस समय नहीं हैं, उन्होंने भी इस सिद्धान्त की बात के बारे में बहुत कुछ कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टर साहब से या श्री नारायण दत्त जी से कि क्या हमारे प्रदेश में क्या वह स्थिति है कि यह सिद्धान्त यहां लागू हो सके। अभी वह स्थिति यहां नहीं आई है, आपकी आय केवल १ प्रतिशत बढ़ी और कृषि से कम हो गई, इस तरह से प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती।

[श्री जगवीर सिंह]

उसका और पैमाना है । उसको कुछ देर बतलाऊंगा लेकिन कोई भी सिद्धांत फुलप्रूफ नहीं हुआ करता । इसी प्रकार से यह फुलप्रूफ सिद्धांत नहीं है और यू० पी० के ऊपर लागू नहीं होता है । यहां पर चर्चा किया गया कि सीलिंग ला रहे हैं, इस प्रदेश में, शहरी सम्पत्ति पर और जमीन पर । ठीक बात है, यह एक कदम समाजवाद की ओर है, लेकिन यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिये था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज वह स्थिति रह गयी है, कितनी जमीन इससे निकलने वाली है, हमारे प्रदेश के अन्दर । क्या हमारी सरकार इस बात का वायदा करती है कि वे सीलिंग किसी अनुपात के आधार पर लायेंगे । क्या वे गांवों में रहने वालों और शहर में रहने वालों को एक पैमाने पर नापना चाहते हैं । मैं नहीं चाहता कि आप गांव की सम्पति पर ऊंचा सीलिंग लायें यहां पर यह म अवश्य चाहता हूं कि आप शहरी सम्पत्ति और जमीन की सीलिंग के अन्दर में समानता रखिये। मेरा यह विचार है जमीन गांव वालों की है और शहरी सम्पत्ति शहर में रहने वालो की है । आज भी इनकी आय में १ और ३ १/३ का अन्तर है । यदि गांव में रहन वाले की आय एक रुपया है तो शहर का रहने वाल की आयु ३ १/२ रुपया है । क्या हम उनकी आय के अन्तर को बढ़ाने जा रहे हैं या कम करने जा रहे हैं । जब पहली बार यहां पर सीलिंग का प्रश्न माननीय हुकुम सिंह जी लाये थे उस समय में सीलिंग में जमीन मिल सकती थी । पर आज कितनी जमीन मिलने जा रही है ? सन्देह जनक है लेकिन देर आये दुरुस्त आये । जितनी जमीन मिल सके और जितनी आप भूमिहीनों में बांट सकें अवश्य बांटिये । हमें इस दृष्टि से चलना चाहिये कि कितनी जमीन हमको मिलने जा रही है और उसमें कितनी को, कितने परिवारों में बांटने जा रहे हैं । हम को यह भी निश्चय करना चाहिये कि कम से कम कितनी भूमि एक व्यक्ति पर है और उससे नीचे जा कर बंटवारा बन्द हो जाय । हो सकता है कि यह बात कुछ लोगों को अप्रिय लगे लेकिन अगर जनता के हित में यह कदम होगा तो कदम पीछे नहीं हटना चाहिये ।

इस बजट में कुछ टैक्सेज लगाने की बात आयी । हर सरकार को टैक्सेज लगाना अनिवार्य है । यदि हम अपने देश और प्रदेश में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें टैक्स लगाना ही होगा चाहे वह कितना ही अप्रिय कर्त्तव्य क्यों न हो । जनता के ऊपर नये कर लगाने से पहले २–३ बातों को देखना होगा । हम को देखना होगा कि जिस धन को हम टैक्सेज के जरिये से ले रहे हैं, क्या उसका सदुपयोग हमारी सरकार कर रही है या नहीं । जो टैक्स हम लगा रहे हैं, क्या वह गरीब आदमी पर लग रहा है या अमीर पर लग रहा है ।

हमको यह भी देखना होगा कि क्या हमारा टैक्स, जो कि आज बकाया है लोगों पर, उसको वसूल कर लिया गया है या नहीं । आज एक हवा फैल गयी है और विशेषरूप से हमारे सामने बैठे हुए नेताओं के अन्दर कि गांव का आदमी बहुत धनवान है । एक एकड़ ६ हजार रुपये की उसको आमदनी होती है । यह है इनका विचार जिसके कारण ये इनकम टैक्स लगाने की बात भी करते हैं । यहां और केंद्र में जितने टैक्सेज लगाये गये हैं या लगाने की बात है सब किसानों के ऊपर चाहे जमीन पर चाहे बिजली की दरों पर, चाहे खादों पर, और चाहे पंपिंग सैट पर । सब गरीब आदमी के ऊपर नहीं लगाने की सोचते हैं टाटा और बिरला के ऊपर ही ।

आज भी आप देख सकते हैं बिरला को प्रति यूनिट १.९७ पैसे में बिजली, आज भी उन पर अढ़ाई करोड़ रुपया बकाया है । तो वैद्य जी को चिन्ता नहीं कि वसूल हो जाय सरकार को चिन्ता नहीं है कि सख्त कदम उठाये । यदि ऐसा किया तो संभव है कि संबंध न बिगड़ जांय डर लगता है हमारी सरकार को अमीर आदमी पर टैक्स लगाने में लेकिन किसान पर १० करोड़ रु० का टैक्स लगान में कोई बात नहीं है । कहा गया कि हम अति छोटे किसान पर

टैक्स नहीं लगायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुनता आया था छोटा और बड़ा किसान अति छोटे किसान की परिभाषा इसमें दी हुई नहीं है । अगर सरकार की ओर से जवाब हो जाय यह कह दिया जाय कि अति छोटे किसान के माने हैं किसानों के ऊपर जिनके पास अलाभकर जोत हैं तो इस टैक्स पर आपत्ति नहीं है । लेकिन मुझे सन्देह है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और हो सकता ईश्वर करे मेरा सन्देह सही न हो कि इस सवा छः एकड़ के कम की जोत पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं क्या-क्या टैक्स लगाये जायेंगे । लेकिन मैं चाहूंगा वित्त मंत्री अपने जवाब में साफ कर दें कि जिस सवा छः एकड़ की भूमि पर हमने अनएकानामिक होल्डिंग मानकर माफ किया था उस पर टैक्स नहीं लगायेंगे तो हो सकता है उसका जस्टिफिकेशन हो ···

(व्यवधान)

मैं कह रहा था कि बिरला जी की बिजली की बात को अढ़ाई करोड़ का बकाया है । अगर उनको केवल कास्ट आफ प्रोडक्शन पर बिजली दी जाय तो हमारी आमदनी तिगुनी हो जाती है हिन्डालको से लेकिन क्या कहा जाता है, बड़ा सुन्दर जवाब है । वैद्य जी कहते हैं हमारा उनसे वायदा हो गया है हम मुहायदा नहीं तोड़ेंगे । किसी भी कास्ट पर भले आदमी वादा नहीं तोड़ा करते लेकिन जिस पार्टी का जन्म वायदा तोड़कर ही हुआ हो वे कैसे कह सकते हैं कि हम वायदा नहीं तोड़ेंगे । छाज बोले तो बोले छलनी भी बोले जिसके ७२ छेद हैं । वे लोग जिनका जन्म वादा तोड़कर ही हुआ है वे ही वादा न तोड़ने की बात कर रहे हैं । वादा जिससे तोड़ेंगे किसान से तोड़ देंगे, सवा छः एकड़ पर माफ करके दूसरा टैक्स लगायेंगे । गांव वालों से वादा तोड़ देंगे, मजदूर से गरीब किसान से वादा तोड़ देंगे । नहीं तोड़ेंगे तो बिरला और टाटा से नहीं तोड़ेंगे । यह है आपका समाजवाद ।

आप किस ओर ले जाना चाहते हैं प्रदेश और देश को । अध्यक्ष महोदय, यहां पर विद्या का बड़ा जिक्र किया गया । यह सही है । इसे सही कदम मानते हैं कि आप आठवीं क्लास तक की एजूकेशन अपने हाथ में ले रहे है। इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं । इससे इंकार नहीं किया जा सकता है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैंने वादा न तोड़ने की बात बतलाई थी। मुझे याद पड़ता है, वैद्य जी भी पुराने सदस्य हैं इस सदन के और शिक्षा मंत्री भी पुराने सदस्य हैं । सामने बैन्चेज पर बैठे हुए हमारे मुख्य मंत्री उस समय शिक्षा मंत्री थे । उन्होंने वायदा किया था ५९ में या ६० में, मुझे याद नहीं पड़ता कि हम आठवीं क्लास तक की शिक्षा निःशुल्क कर देंगे । क्या हुआ उस वादे का, आप नहीं कर पाये उस वादे को पूरा इतने लम्बे समय के अन्दर । तो मैं चाहता हूं कि आपको कदम उठाना चाहिये और कम से कम हाई स्कूल तक की शिक्षा इस प्रदेश के अन्दर निःशुल्क करनी ही होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है वहां हम नहीं भुला सकते हैं प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को । आज जब हम आशा करते हैं कि हमारी जड़ें मजबूत हों, जब हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे जिस रोज से स्कूल जायं उस रोज से ठीक तरीके से पढ़ाई हो सके, शिक्षा दीक्षा हो सके तो उपाध्यक्ष महोदय, हमें ठीक तरीके से उन अध्यापकों को तनख्वाहें देनी होंगी । हमें उनकी हालत सुधारनी होगी । उनसे हमें काम लेना होगा । पिछले वर्ष भी मांग की थी कि कोई भी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक से हम यह आशा नहीं कर सकते अगर हम उसको २०० रु० कम से कम तनख्वाह माहवार न दें । मुझे उम्मीद है कि सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य जायेगा ।

मान्यवर यहां बड़ी चर्चा की गई इन्टेरिम रिलीफ की । बहुत अच्छी बात है आपने दिया । मैं फिर उसमें देखता हूं कि कैसा आपका समाजवाद है ? क्या ही आपका

[श्री जगवीर सिंह]

समाजवाद है कि गरीबी और अमीरी का अन्तर बढ़े । फोर्थ क्लास वालों को आपने ५ रुपया दिया और ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को ज्यादा महंगाई भत्ता दिया है । मान्यवर, जब कम तनख्वाह पाने वालों को कम महंगाई भत्ता मिलेगा और ज्यादा पाने वालों को ज्यादा मिलेगा तो अमीरी और गरीबी का अन्तर बढ़ेगा या घटेगा । यह मेरी समझ में नहीं आया । किसको आवश्यकता होती है ज्यादा महंगाई भत्ते की ? मान्यवर, ज्यादा महंगाई भत्ते की उसको आवश्यकता होती है जो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करता हो। उनके लिये आवश्यकता नहीं होती है कि पेट्रोल के लिये भत्ता चाहिये, उनके लिये आवश्यकता नहीं है कि एक टेरीलिन की बुसशर्ट के बजाय ४–४ बुसशर्ट होनी चाहिये । उनके लिये आवश्यकता नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय कि उनके बच्चे वैसे स्कूलों में न पढ़े और पब्लिक स्कूलों में पढ़ें । मैं चाहता हूं कि महंगाई भत्ता ठीक तरह से दिया जाय । कम तनख्वाह पाने वालों को ज्यादा महंगाई भत्ता होना चाहिये और ज्यादा पाने वाले को एक निश्चित तनख्वाह से ऊपर महंगाई भत्ता नहीं होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, हर देश के अन्दर सस्ते और शीघ्र न्याय की बात होती है । लेकिन हम देखते हैं कि यहां भेदभाव की नीति बरती गई है। प्रदेश के कुछ अंचलों में सस्ता न्याय है और कुछ को नहीं । हाईकोर्ट की एक बेंच इलाहाबाद में हो सकती है, हाई कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट की एक बेंच बरेली या मेरठ में नहीं हो सकती है। मैं आपके द्वारा यह मांग करूंगा कि पश्चिमी अंचल वालों को सस्ता न्याय पाने के लिये ताकि उनको एक दिन के काम के लिये कई दिन न खराब करने पड़े, काफी पैसा न खर्च करना पड़े, इसलिये हाईकोर्ट की एक बेंच बरेली या मेरठ में स्थापित की जाय । मैं तो यह आशा करता था कि इस बजट में यह बात होगी । लेकिन मालूम नहीं किन कारणों से ऐसा नहीं किया गया । मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है मान्यवर, चाहे इधर के बैठने वालों की सरकार रही हो चाहे उधर के बैठने वालों की रही हो, हमारे साथ, उपाध्यक्ष महोदय भेदभाव की नीति अपनाई गई है। मैं आशा करता हूं, खासतौर से पंडित जी की सरकार से यह आशा करता हूं जहां वह नरम स्वभाव के हैं और सबकी बात मान लेते हैं । कम से कम पश्चिमी अंचल के रहने वालों की अवश्य यह बात मान लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो ला ऐण्ड आर्डर की सिचुऐशन सामान्य कही गई है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या है सामान्य मान्यवर वाराणसी में अछूतों के घर के घर जला दिये यह क्या सामान्य स्थिति है। जेल के अन्दर बाहर के आदमी जाकर मारपीट करें, क्या यह समान्य स्थिति है ? क्या हालत है आज ? आज हालत है कि पिछले वर्ष से १२ प्रतिशत बढ़ोत्तरी है राहजनी में, डकैती में ७प्रतिशत मर्डर में, २ प्रतिशत और दंगे तथा बलवे में ६६प्रतिशत बढोत्तरी है एक वर्ष के अन्दर । कहा यह जा रहा है कि ला ऐंड आर्डर की सामान्य स्थिति है । अगर यह स्थिति सामान्य कही जायेगी तो मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि असामान्य स्थिति क्या होगी । ला ऐंड आर्डर का ब्रेक क्या होगा । आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि क्या यही है सामान्य स्थिति । मान्यवर, आप तो बहुत दिनों तक प्रोफेसर रहे हैं, क्या आज कोई हिम्मत कर सकता है, मार दिया जायेगा । किसी को किसी बात का डर नहीं है, दहशत नहीं है, ला ऐंड आर्डर नहीं है । आज हमारा प्रदेश समाप्ति की ओर चला जा रहा है। हम कठोर कदम उठाने पड़ेंगे अगर इस प्रदेश की जिन्दा रखना है ।

इस प्रदेश के अन्दर अगर आप चाहते हैं कि हरएक आदमी इज्जत के साथ रह सके, ला ऐंड आर्डर ठीक रह सके तो हमको मूल भूत समस्याओं को टच करना होगा । हमको

सोंचना होगा कि आखीर आज हमारी हालत है क्या ? हम आज किधर जा रहे हैं, हमारे विद्यार्थियों की हालत है क्या, हमारी पैदावार की हालत है क्या साथ ही हमारा प्रति व्यक्ति कन्जेम्शन क्या है ? हमारी प्रगति क्या है ? मैं कुछ पैमाने हैं जिन पैमानों से हम निकर्ष अपने प्रदेश के संबंध में निकाल सकते हैं । मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं । आज हमारी आमदनी हमारे 'दोस्तों के हिसाब से रु० २६० पर कैपिटा बताई जाती है । लेकिन वह है क्या । हमारी कुल आय है २३ अरब ६० करोड़ रु० और टैक्स हैं ४५० करोड़ रुपयों के । आप देखें ये २२.१८ फीसदी टैक्स हो जाते हैं हमारी आमदनी पर । अगर कुल टैक्स मिलाये जायं तो यह ४०प्रतिशत हो जाते हैं । अगर ४० फीसदी टैक्स निकाल दिये जाते हैं तो हमारी शुद्ध आय १५६ रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ही रह जाती है । इस प्रकार की प्रगति करने का युग हमारे प्रदेश में योजनाओं के शुभारम्भ से हुआ । उसके पहले २५० रु० आय थी और १० प्रतिशत टैक्स थे । शुद्ध आय प्रति व्यक्ति की २२५ रु० थी टैक्सों को काटकर । अब हमारी २२५ रु० से बढ़ाकर १५६ रु० शुद्ध आय हो गई है । कहा जाता है कि हम गरीबी को दूर कर रहे हैं । नहीं । आखीर देश की हालत के मुकाबिले हम कहां पर है ?

यहां पर बड़ा जिक्र किया गया हरित क्रांति का कि गेहूं की पैदावार का । उसमें हालत क्या है । हरित क्रांति के बारे में हमसे आगे तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मैसूर, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब हैं । यह हमारी है हरित क्रांति । इतना ही नहीं हम गन्ने की पैदावार में बहुत अधिक पीछे हैं । यही हालत हमारी एजूकेशन की भी है । विद्या में तो यहां के आदमी शिक्षित लोगों का प्रतिशत २१.६४ है जबकि अखिल भारतवर्ष का यह २९.३५ प्रतिशत है तामिलनाडु हमसे आगे है, पंजाब, उड़ीसा भी हमसे आगे हैं और यही नहीं नागालैन्ड भी शिक्षा के क्षेत्र में हमसे आगे हैं । इस प्रकार से अगर हम देखें तो यही निश्कर्ष निकालेंगे कि इसका कुछ तो कारण है ही । हमारी यह हालत क्यों है ? हम यह देखते हैं कि दो-तीन सूबों को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में भी हम सबसे पीछे हैं।

अब सवाल यह है कि हमको करना क्या है ? किस प्रकार से हमारी प्रदेश की गरीबी दूर हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं । इस पर कुछ विचार करना होगा। हमको खेती की पैदावार बढ़ानी होगी । हमको ऐसे कदम उठाने होंगे कि खेती पर आश्रितों की संख्या में कमी हो । लोग खेती के अलावा अन्य दूसरे कार्यों में लगने के बारे में विचार करने लगें और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उस पर हम ज्यादा लोग बसा सकें । यह सभी लोग जानते हैं कि जिस देश के अन्दर खेती पर आधारित आदमियों की संख्या ज्यादा होती है वह गरीब होता है और जिस देश के अन्दर दुसरे धंधे अधिक होते हैं वह अमीर होता है । यह सिलसिला तबतक जारी रखना है जबतकखेती वालों की और दूसरे पेशेवालों की आमदनी बराबर नहीं हो जाती है । उस समय तक इस सिद्धांत को चलाना पड़ेगा । लेकिन क्या हमको बड़ी इंडस्ट्रीज की ओर जाना पड़ेगा ? जी नहीं । हमको छोटे-छोटे कारखाने लगाने की जरूरत है जिससे हम जिन लोगों के पास पूरा इम्पलायमेंट नहीं है, पार्ट टाइम इम्प्लाइड हैं, उनको काम दे सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें । केवल उस समय यह प्रदेश तरक्की कर सकता है । मैं चाहता हूं कि इसके लिये आप एक बोर्ड का निर्माण कीजिये । यहां पर प्लानिंग का तरीका क्या है ? पूरी प्लानिंग लखनऊ में बैठकर की जाती है । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उधर के लोग बैठें और सोचें और सोचने के बाद ऐसा तरीका निकालें कि गरीबी दूर हो सके। मुझे विश्वास नहीं है कि यह सरकार ऐसा करेगी और इस कारण इस प्रदेश का भविष्य मुझे अन्धकारमय नजर आता है । मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह जो माननीय सदन के सामने हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया उसको अगर बारीकी से देखें तो समाजवादी बजट है। वैसे तो चाहे उस पक्ष के बैठने वालों ने बजट पेश किया हो या इधर के बैठने वालों ने बजट पेश किया हो, उसको समाजवादी कहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो यह बजट समाजवादी है । इसकी छोटी-सी मिसाल यह है कि अपने बजट में उन्होंने हर वह कोशिश की है जिससे कि जो छोटा वर्ग है वह लाभान्वित हो सके ।

सब से बड़ी बात जो मैंने बजट में देखी है वह यह है कि २३२.२८ करोड़ के बजट १७४.२५ करोड़ रुपया केवल ग्रामीण जनता के हित के लिये व्यय किया जा रहा है । वह चाहे कृषि निर्माण के लिये हो, पंचायतों के लिये हो, सहकारिता के लिये हो या अन्य ग्रामीण विकास के कार्यों के लिये हो । तो इस दृष्टि से यह बजट समाजवादी बजट है । लेकिन मान्यवर इस बजट को असली समाजवादी बनाने के लिये जिम्मेदार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं। मान्यवर, इन कर्मचारियों के लिये पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग उनकी मांगें पूरी कराने के लिये सरकार से लड़ते रहते हैं लेकिन वह फिर भी अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करते हैं । इसकी दो-चार मिसाल मैं आपको दे सकता हूं । कर्मचारी वर्ग में बहुत ज्यादा शिथिलता आ गई है और वह हर समय कोशिश करते हैं कि कैसे फायल दो-चार दिन और उनके पास रहे जिससे जिसका काम हो वह हमारे पास आकर टकराये।

मैं माफी चाहते हुये निवेदन करूंगा कि आज हम में हिम्मत नहीं रही है कि उनके काम की आलोचना कर सकें । अगर आप उनके काम को देखें तो वे १० बजे दफ्तर आते हैं, ११ बजे तक चाय पीते हैं और १२ बजे से काम शुरू करते हैं और उसके बाद २ बजे से ढाई बजे तक लंच पर रहते हैं और फिर ४ बजे चाय। दूसरी जगह की नहीं मैं विधान सभा जलपान-गृह की बात करता हूं । पूरे दफ्तर के कर्मचारी निकलते हैं और ४ बजे जलपान-गृह आ जाते हैं और फिर ५ बजे कमरे में ताला बन्द किया और घर चले गये । इस कारण से भी यह इतना अच्छा बजट उचित रूप से एक्जीक्यूट न होने के कारण फेल हो जायेगा । तो हम इन कर्मचारियों से अपेक्षा करते हैं और विनती करते हैं कि जिस तरह से इस सदन के माननीय सदस्य उनकी मांगों के लिये हर वक्त मोर्चा लेते हैं, वह भी इस बजट को सफल बनाने में प्रयास करें ।

मैं मान्यवर, मिसाल देना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने २९ जून, १९७१ को कालागढ़ में अपनी एक मीटिंग में यह निर्देश दिया कि सिंचाई विभाग के सहायक अभियंताओं को स्थायी पदों पर सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग से समाप्त करके डिपार्टमेंटल की जाया करेगी । उसके बाद दिसम्बर, १९७१ में मंत्रि-परिषद् ने भी यह निर्णय ले लिया कि यह जो निर्देश मुख्य मंत्री जी ने दिया है, उसी के मुताबिक शासनादेश जारी किये जायं। उसके बाद लोक सेवा आयोग ने भी उसको एक्यूज कर दिया । लेकिन वहां वे जो अपनी मोनोपली खतम नहीं होने देना चाहते हैं, इस शासनादेश को लागू नहीं होने दिया । मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिये कि इसमें क्यों देरी हो रही है।

दूसरी चीज में अपने निजी क्षेत्र की कहना चाहता हूं जो कि लालफीताशाही मेरे क्षेत्र में कर रही है । एक सड़क छजलटमुरपुर के सेंट्रल रोड फंड से १२ लाख रुपये का एस्टीमेट रखा था । लेकिन वह फाइल कागजातों में दबी रही । इसका नतीजा यह निकला कि उसका नतीजा २४ लाख रुपये हो गया । इतना टाइम इसमें लग गया लेकिन लालफीताशाही ने इसको तय होने नहीं दिया । इस तरह से दो जिलों को मिलाने वाली इतनी महत्वपूर्ण सड़क को दबाया जा रहा है। यह हमारे जिले के लिये अन्याय है । मैं सार्वनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय ।

तो सरकारी कर्मचारियों की बात चल रही थी । कुछ काम ऐसे भी हैं जिनको वे बहुत जल्दी कर देते हैं, जिनमें उनको कुछ फायदा होता है। इस तरह से वे सरकार को वे पैसा कमाने का माध्यम बना लेते हैं । इसका एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं । मुरादाबाद जिले में पावर थ्रेशर ढाई फुट की साइज के उद्योग विभाग ने एप्रूव किये हैं, जिनकी कीमत ९७५ रुपये एप्रूव की गयी है। ठीक उसी तरह के और अच्छे मैटीरियल के थ्रेशर मार्केट में ८०० रुपये में उसी हार्स पावर के अवेलेबिल हैं। उस थ्रेशर को कृषि विभाग ने फर्म से ९०० रुपये में खरीद कर कृषकों को १,०८६ रुपये में दिये और वह भी बगैर पूली के किसानों को सप्लाई किये हैं । तो ऐसा क्यों है ? जो इंजिन मार्केट में नगद पैसा देने पर ३,६०० रुपये में मिल जाता है वही लोन लेकर ४,२०० रुपये में मिलता है । किरलोस्कर इंजिन बाजार में ३,००० में मिलता है और वही बैंक से लोन लेकर ३,६०० में मिलता है । मैं पूछता हूं कि आखिर किसान को मजबूर क्यों किया जाता है कि वह अमुक जगह से ही ले । उसको छूट होना चाहिये कि वह जहां से चाहे खरीदे।

एक बात माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं कबूल की है बजट भाषण में कि १९७१–७२ के रवी के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं । दूसरी रवी की फसल तैयार हो गयी, और पिछले साल के आंकड़े भी अभी प्राप्त नहीं हुये यह बड़े ही शर्म की बात है।

निगमों की स्थापना के बारे में जो कहा गया है, मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं । जिस प्रकार आपने और कई निगम बनाये हैं उसी प्रकार आपको एक एग्रीकल्चरल कारपोरेशन की भी स्थापना करना चाहिये उसका यह काम होना चाहिये कि वह किसानों को सस्ती दर पर लोन दिलवा सके, बिजली दिलवा सकें, खाद और बीज दिलवा सकें तथा अन्य जरूरतों की चीजें दिलवा सकें। आज किसान को तो ९ प्रतिशत पर लोन मिलता है, किन्तु इंडस्ट्री लगाने के लिये ढाई और तीन प्रतिशत पर लोन मिलता है । किसानों को भी ३ प्रतिशत पर लोन मिलना चाहिये ।

फिर औद्योगिक निगम जिस तरह से औद्योगिक उत्पादन की वस्तुओं के दाम फिक्स करता है, उसी प्रकार से किसान द्वारा पैदा की हुई चीजों के दाम भी उसको ऐसे फिक्स करना चाहिये जिससे कि लागत खर्च आदि लागकर उसे दाम मिल सके। आज बिजली भी किसान को १९ से २५ पैसे के हिसाब से दी जाती है जबकि बिड़ला और टाटा को ६–७ पैसे के हिसाब दी जाती है इसी प्रकार किसान को भी सस्ते भाव से बिजली, पानी, बीज, खाद आदि मिलना चाहिये भले ही उस कारपोरेशन को कुछ सब्सीडी आदि देना पड़े। जिस तरह से किसी उद्योग में उसकी उत्पादित वस्तु का दाम, जमीन की कीमत, मशीन का डिप्रीसियेशन तथा अन्य लागत आदि को जोड़ कर फिक्स किया जाता है उसी प्रकार किसान द्वारा पैदा की गयी चीजों का, गन्ने का, गुड़ का, गेहूं आदि का दाम फिक्स होना चाहिये ।

आज किसान को उसकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता जब उसका सारा दिन मेहनत करने में ही गुजर जाता है। आप देखें, आज किसानों का कितना नुकसान हो रहा है। असल में किसान की हालत आज बहुत खराब है, वह आर्थिक बोझ से दबा हुआ है। उनके पास जो ट्रैक्टर्स हैं उन्हें देखकर आप उनकी सम्पन्नता का अनुमान लगायें। उनके ८० प्रतिशत ट्रैक्टर्स लोन लेकर लिये गये हैं । लोग समझते हैं कि प्रदेश के किसान की बहुत बड़ी आमदनी है । आप आज देखें किसान पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा लिया हुआ कर्ज का भार बहुत लदा हुआ है । वह कर्ज के बोझ से मरा जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से एक-दो प्रदेशों को छोड़कर हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है । यदि आप प्रदेश की प्रगति चाहते हैं और आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पंजाब का अनुकरण करना चाहिऐ । पंजाब में जितने लघु उद्योग हैं, उसमें परकैपिटा आमदनी कहीं ज्यादा है बनिस्बत बिहार के । बिहार की सिर्फ उससे इसलिए कम है कि वहां पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं और जबकि पंजाब में छोटी-छोटी इकाइयां ज्यादा हैं ।

[श्री नौनिहाल सिंह]

आपके बजट में हरिजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है उसके साथ-साथ उसकी एक कमेटी भी स्टेट में नियुक्त कर दें जो यह देखे कि हरिजनों का जो रुपया सरकार द्वारा दिया जाता है, वह किस तरह और किन लोगों के द्वारा उन तक पहुंचता है और उसमें कितने हिस्से निकलते हैं। आप मकान के लिए जितना ऋण देते है, वह सिर्फ शहरों के लिए दिया जाता है। ग्रामीण क्षत्रों में मकान बनाने के लिए भी ऋण दिया जाना चाहिए। लेकिन आपकी ऐसी कोई योजना नहीं है। गांवों में भी मकान के लिए ऋण पर धन देने और हायर पर्चेज पर मकान देने की व्यवस्था हो जाए तो गांव के रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग उसका फायदा उठा सकते हैं।

एक बात अभी सीलिंग के बारे में भी सभी सदस्य कह चुके हैं यह लाई जाये लेकिन यह सम्पति पर लाई जाये। लेकिन यह नहीं कि शहरों में १०-१० लाख की सम्पत्ति लिये जो बैठे हैं उन्हें बरी कर दिया जाये और देहात में ५ हजार वालों पर भी इसे लागू कर दिया जाय। इसलिये शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों के लिये एक प्रकार की सीलिंग लाई जाय। यह यदि आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि समाजवाद को आग ले जाने में यह सरकार पूरी तरह सफल हो जाएगी। अब इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रदेश प्रगति की दौड़ में अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है। प्रगति के जितने क्षेत्र हैं, चाहे बिजली हो, सिंचाई हो या स्वास्थ्य हो जिस क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन करें तो बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाता है कि हम बहुत पीछे हैं, यद्यपि आजादी की लड़ाई में हमारे प्रदेश का योगदान बहुत आगे रहा है। यहां पर बड़े-बड़े विद्वान और क्रांतिकारी नेता पैदा हुये, लेकिन कौन सी विडम्बना है कि आज प्रगति में सबसे पीछे होता जा रहा है। अभी पांच अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस में एक तुलनात्मक आंकड़े छपे थे जिसमें मौजूदा मूल्यों के आधार पर अन्य राज्यों की पर कैपिटा इनकम का विवरण दिया गया है। पंजाब में ९४५, हरियाणा में ७८८, महाराष्ट्र, गुजरात, तामिलनाडु और मध्य प्रदेश का क्रमशः ७३१, ६३५, ६१६, ५६९ है। औसत पूरे देश का है ५८९। उत्तर प्रदेश का केवल ५०६ है। इस आंकड़े से भली प्रकार विदित है कि हम मध्य प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है और आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुकाबले में मध्य प्रदेश का स्थान नहीं रहा, वह भी हमसे आगे है।

इस तरह से एक सुझाव दिया गया और कहा गया कि ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश बड़े क्षेत्र के कारण तो प्रगति नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र उत्तर प्रदेश से कम नहीं है लेकिन प्रगति में वह भी हम से आगे है। इसका क्या कारण है इन सम्भावनाओं पर विचार होना चाहिये मौजूदा सरकार का दृष्टिकोण है कि गांवों में टैक्स नहीं लगाया गया है। अभी तक टैक्स शहरों में लगाये गये हैं। इसलिये बजट में ग्राम विकास के लिये गांवों में एक नये प्रकार की लेवी लगायी जायगी। इसमें जितने काश्तकार हैं करीब-करीब सब प्रभावित हो जाते हैं। दस बीघे तक के काश्तकारों का लगान माफ किया गया है। ये दोनों पक्षों के लोग मानते हैं कि दस बीघे तक के काश्तकारों की जोतें अलाभकर हैं। इसीलिये उनका लगान माफ किया गया। अगर दस बीघे के काश्तकारों पर इस तरह का टैक्स लगायेंगे तो जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है हम लोग खुल कर विरोध करेंगे।

हम चाहते हैं इस तरह का टैक्स दस बीघे के काश्तकारों पर बिल्कुल न लगाया जाय। अगर यह दृष्टिकोण है कि काश्तकारों को सिंचाई, बिजली, खाद आदि के साधन दिये गये हैं, तो इससे अगर किसी वर्ग की उन्नति हुई है, तो बड़े-बड़े काश्तकारों की हुई है। उससे दस बीघे तक के काश्तकारों का कोई लाभ नहीं हुआ है। छोटे काश्तकारों को जिला अधिकारी या प्लानिंग आफिसर के दफ्तर में जाने की हिम्मत नहीं है। लघु कृषक विकास योजना चलायी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी । उसमें ४ से १२ बीघे के काश्तकारों को लिया गया । चार बीघे से नीचे वाले काश्तकारों का कोई पुरसा हाल नहीं है । यदि गावों का विकास करने की सरकार की नीति है तो छोटे-छोटे काश्तकारों के सिंचाई रेट में कमी होनी चाहिये । दस बीघे से ऊपर वाले काश्तकारों के लिये जो सिंचाई का रेट है, दस बीघे के नीचे वाले काश्तकारों के लिये उसमें पचास प्रतिशत की छूट होनी चाहिये ।

इसी प्रकार से बिजली की दर आधी होनी चाहिये । इस प्रकार से अगर छोटे काश्तकारों को राहत नहीं दी जाती तो उनकी तरक्की नहीं हो सकती । उनके खाने पीने की समस्या बड़ी विकट है । हमारे प्रदेश में आपत्ति आई यह बजट भाषण में कहा गया और राज्य सरकार ने काफी सहायता की घर बनाने के लिये और अनुदान भी दिया । हमारे जिले में जो सहायता दी गयी तकावी ३०० रुपये से ज्यादा किसी को नहीं दी गयी और जिनके पूरे मकान गिर गये थे उनको ५० रुपये से ज्यादा नहीं दिये गये । सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि कच्चे मकानों के लिये २०० और पक्के मकानों के लिये ३०० रुपये दिये जाने के लिये आदेश दिये गये । इस प्रकार यह सब कागज में है । फिर इसके पीछे भ्रष्टाचार कितना है ? ५० रुपये में से, ५, १० रुपये लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार ले लेते हैं । छोटी मोटी योजनायें होती हैं जिन एजेंसियों के जरिये उन पर अमल होता है उनमें बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

अगर सरकार को ग्राम विकास नेकनियती से करना है तो उनको सिंचाई की दर में कमी करनी चाहिये, बिजली के रेट में कमी करनी चाहिये, खाद सस्ती देनी चाहिये । ५२ रुपये यूरिया की बोरी का इस्तेमाल गरीब काश्तकार नहीं कर सकता और न वह अपनी पैदावार बढ़ा सकता है । जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि इस विभाग का पुनर्गठन होना चाहिये ताकि इस विभाग पर जितना अनावश्यक खर्च होता है उसमें कमी की जा सके जो प्रशासन का यंत्र है उसमें और विकास के जो माध्यम हैं उनमें कोई सामंजस्य नहीं है ।

१९६९–७० में जनपद प्रतापगढ़ में जितनी सड़कें पास की गयी थीं उनको शुरुवात १९७१ में की गयी और लालफीताशाही दो साल तक चलती रही । यह प्रशासनिक यंत्र इतना जरजर हो गया है, उसकी गति इतनी धीमी है कि संसार की गति को देखते हुए वह बिल्कुल नाकारा और निकम्मा प्रतीत होता है और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है । वित्त विभाग को लीजिये । बहुत सी विकास की योजनायें उसकी फार्मेलिटी पूरी होते-होते ही मर जाती हैं । १९ जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस० के० वर्मा ने वित्त विभाग के बारे में अपनी राय देते हुए कहा था कि वित्त विभाग प्रदेश की बहुत सी उत्तम योजनाओं का कबरिस्तान है ।

फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की फार्मेलिटीज इतनी गड़बड़ और इतनी पेचीदी हैं कि किसी भी योजना के लिये या किसी भी काम के लिये यह सदन पैसा स्वीकार कर देता है, उसके लिये बजट में प्राविधान हो जाता है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में तथा दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में फाइलें इधर से उधर और उधर से इधर घूमती रह जाती हैं और परिणाम स्वरूप ३१ मार्च का समय आ जाता है और पैसा लैप्स हो जाता है । जो फाइनेन्शियल हैंडबुक है वह अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई है । उसमें आमूल परिवर्तन आधुनिक विचारों और योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए होना चाहिये । यह फाइनेन्सियल हैंड बुक जो बाधक स्वरूप हमारे बीच में खड़ी रहती है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, अभी उस तरफ से यह कहा गया हमारी सरकार ने बड़ी दौड़ धूप से और बड़े प्रबन्ध से हमारे प्रदेश में सामान्य परिस्थिति रही । मैं कहता हूं कि जो आंकड़े हैं और जो स्थिति है वह बिल्कुल उनके खिलाफ जाती है । मान्यवर, मेरे पास तीन वर्ष के पुलिस विभाग

[श्री जयराम यादव]

द्वारा प्रकाशित आंकड़े हैं। उसमें जो मुख्य-मुख्य अपराध दर्ज किये गय हैं उनकी संख्या इस प्रकार से है। राहजनी के केसेज १९६९ में २३७७, १९७० में ५३७२, और १९७१ में ५९६१। डकैती के केसेज १९६९ में ३,३२२, १९७० में ९,४३९, और १९७१ में १,०७८। हत्याओं के केसेज १९६९ में ३,२८४, १९७० में ३,५०३, और १९७१ में ३,५७०। दंगों के केसेज १९६९ में ७,१५८, १९७० में ८,५७० और १९७१ में १४४४९। नकबजनी के केसेज १९६९में ३१,६१० १९७० में ५३,६९९ और १९७१ में ६०,२७५। तो इस प्रकार से जघन्य अपराधों की संख्या वर्ष प्रति वर्ष बढ़ी ही है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेन्ट अपराधों को रोकने में पूरी तरह से असफल रहा है जिसके फलस्वरूप हमारे गावों में दिनोंदिन भय, डर और आतंक से त्रस्त हो गया है। उस पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि संविद की सरकार १६६ दिन के लिये बन गई या विरोधी दल की सरकार ३-४ महीने के लिये बन गई तो सारा इल्जाम हम लोगों के ऊपर ही थोपा जाता है। किन्तु मार्च ६९ से लेकर आज तक निरन्तर ये अपराध बढ़ ही रहे हैं। लोगों को प्रलोभन और लालच दिया जाता है। बहुत से विधायक इससे दल-बदल दिये। जब इन अपराधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है तो यह कैसे कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में सामान्य स्थिति रही है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राजनारायण जी को वोट नहीं दिया है और उनकी बात नहीं मानी है। क्या यह दल-बदल नहीं है।

श्री जयराम यादव—

आप शायद भ्रम में हैं। ऐसा लगता है कि वी० आर० मोहन की शराब की महक आप तक भी पहुंच गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय अभी हमारे मित्र महोदय ने यह कहा कि यह बजट हमें समाजवाद की दिशा की ओर ले जाता है। मैंने इस बजट को बड़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया है। हमारे तिवारी जी जो कि वित्त मन्त्री हैं वे आज कुछ कहते हैं और जब दूसरा वर्ष आता है तो वे पुरानी बात को भूल जाते हैं। मान्यवर, उन्होंने सन् १९७१–७२ के बजट भाषण के पृष्ठ १४ में बड़े जोर-शोर से कहा था कि ट्रैक्टर योजना प्रतापगढ़ में दिलायी जायगी जिसमें ७.७० करोड़ रुपये व्यय किया जायगा। मैं सदन की जानकरी के लिये बता देना चाहता हूं कि या तो ये ट्रैक्टर की योजना प्रतापढ़ से हटा कर अपने यहां ले गये या तो राय-बरेली में प्रधान मन्त्री के क्षेत्र में लगा दी गई। किन्तु प्रतापगढ़ में इस तरह की कोई योजना नहीं है।

तो ये जितने वादे करते हैं भविष्य में करेंगे और बजट में कहते हैं, हम कैसे विश्वास करें कि वह उनको पूरा करेंगे? ट्रैक्टर फैक्टरी परियोजना जो हटा ली, यह हमारे सामने उदाहरण है। प्रदेश में संचार साधनों, सड़कों की बड़ी जरूरत है। उनकी वही स्थिति है जैसे कि शरीर में नसें महत्वपूर्ण हैं। किसी प्रदेश या जिले की तरक्की के लिये सड़कों का वही महत्व है। प्रदेश तो वैसे ही इस मामले में बहुत पीछे है। सड़कों के बारे में बड़े जोर-शोर से कहा जाता है कि बड़ी प्रगति हुई है। मैं आपको बताऊं कि १९७२–७३ में जो नयी सड़कें ली जायेंगी वह हैं ३२४ किलोमीटर। यह तो जिले विशेष के लिये भी काफी नहीं है। प्रतापगढ़ के लिये भी पर्याप्त नहीं है। तो जहां ५४ जिले हैं और ९ करोड़ जन संख्या है वहां पर इतने संचार साधन बढ़ाते हैं और बड़े जोर शोर से कहा जाता है कि यह तीर मार दिया।

अब शिक्षा के बारे में देखिये कि कहा गया कि हम बहुत अच्छे अच्छे स्कूल खोल रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों की संख्या १९७१–७२ में ३४५ नये प्राइमरी स्कूलों को खोलने का प्राविधान किया गया, लेकिन १९७२–७३ में कुल ११० रखे हैं। यह शिक्षा के लिये तीर मार रहे हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा शिक्षा के मामल में हम बहुत पीछे हैं। यह तो मैं स्वागत करता हूं कि प्राइमरी

और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा अपने हाथ में यह सरकार ले रही है। बेहतर होता कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की शिक्षा को भी राज्य सरकार अपने हाथ में लेने का साहस करती।

आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा में है। इस स्रोत तक इस दर्जे तक भ्रष्टाचार उसमें घुसा हुआ है। जितने प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं वह अध्यापकों को तनख्वाहों में गड़बड़ी करते हैं, उसके साथ ही और प्राइवेट विद्यार्थी अगर फार्म भरने जाता है तो एक-एक फार्म की कीमत ५०-५० रुपया तक ली जाती है। तनख्वाह भी अध्यापकों को समय से नहीं देते। साथ ही देखें कि आठवीं तक के तो आपने ले लिये लेकिन विशिष्ट लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिये बड़े-बड़े मांटेसरी इत्यादि स्कूल खोले गये हैं और वहां अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा प्रस्ताव है कि उनको समाप्त करके हर एक अवस्था वाले सभी बच्चों के लिये समान शिक्षा का आयोजन और प्रबन्ध करने का कार्य यह सरकार करे। क्या ऐसा साहस सरकार करती है या महज दिखावटी बात है? वैसे तो ये बड़ी समाजवाद की बातें करते हैं लेकिन उस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं ये नहीं चाहते कि किसानों के बच्चे अमीरों के बच्चों के बराबर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

चिकित्सा के बारे में इनकी तरक्की देखिये। अभी यह तो कहा कि ८७५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक के बजाय दो डाक्टर करने का प्राविधान किया गया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं इनमें वार्षिक दवाओं का जितना खर्चा है---अभी तक ५-६ हजार तक हर प्राथमिक केन्द्र में वार्षिक बजट है। दो डाक्टर तो कर लिये लेकिन क्या इन पर जो दवायें खर्च करेंगे, उनके बिस्तरों पर जो खर्च करेंगे या रोगियों के स्वास्थ्य पर जो खर्च करेंगे उसमें भी दूने की वृद्धि कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। जो वित्तीय वर्ष चल रहा है क्या उसमें जितने परिषद् के अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर्स पर हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले लेगी।

मैं तहसील कुन्डा का एक उदाहरण दूं। वहां पर जिला परिषद् का एक अस्पताल है। वहां तमाम सरकारी दफ्तर है, एक डिग्री कालेज है, तीन इन्टरमीडिएट कालेज हैं, काफी बड़ी आबादी है लेकिन केवल ४ हजार वार्षिक दवा पर उस अस्पताल में खर्च किया जाता है। वर्षों से मांग की जाती कि इस अस्पताल को सरकार अपने हाथ में ले ले, स्वास्थ्य मन्त्री को लिखा, वहां के विधायकों ने मांग की यहां तक कि जिला परिषद् ने भी यह प्रस्ताव पास किया कि वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुये जिला परिषद् की हैसियत के बाहर है। तो मेरा सुझाव है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जितने तहसील मुख्यावास पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है उनको सरकार अपने हाथ में ले ले। उचित तो यह है कि हर न्याय पंचायत में जिसमें १०-११ गांव सभायें होती हैं दवा दारू का कोई न कोई प्रबन्ध सरकार की तरफ से होना चाहिये। बरसात के दिनों में गांव अस्पतालों से ८-८, १०-१० मील की दूरी पर हो जाते हैं और गांव के बच्चे, बूढ़े, औरत और मर्द बीमारी की तड़प-तड़प कर मर जाया करते हैं। उनकी दवा का अभी तक कोई इन्तजाम नहीं हो पाया है। तो यह कौन-सा क्रांतिकारी काम उन्होंने उठाया कि इतने अस्पताल खोल देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। इतने बड़े प्रदेश की जनसंख्या के लिये क्या यह काफी है।

१९७०-७१ में हमारे प्रदेश में बहुत वर्षा हुई, बाढ़ आई जिसकी वजह से आदमियों की अपेक्षा जानवरों की बीमारी तेजी से फैली और बड़ी संख्या में जानवर मरे। उसका एक प्रधान कारण यह रहा कि पशु अस्पतालों की भारी कमी है। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग को नई दिशा देने के लिये हमारी सरकार ने जो बजट प्राविधान किया है उसके फल-स्वरूप ४१ हजार जानवरों के बीच में एक अस्पताल कर पाये हैं। क्या यह काफी है? यह बहुत ही कम है। कम से कम जितन विकास क्षेत्र में हर एक में कम से कम ५ पशुओं के अस्पताल जरूर खोले जायं। चाहे शिक्षा को हम ल लें, चाहे सचार साधनों को ले लें,

[श्री जय राम यादव]

चाहे सिंचाई के साधनों को लेंगे, चाहे जिस विकास के क्षेत्र को हम ले लें, जिस कच्छप गति से यह सरकार चल रही है उससे दो सौ वर्षों में शायद कुछ तरक्की हम कर पाये। लेकिन दो सौ वर्षों में और राज्य कितना आगे चले जायेंगे उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार की प्रगति बहुत धीमी है, उसमें तेजी लाने की जरूरत है।

अभी माननीय साही साहब कह रहे थे कि २२५.२८ करोड़ रुपये का योजना का आकार है। पिछले वर्ष की योजना से ७-८ करोड़ रुपये की वृद्धि की है। ९ करोड़ की जन संख्या में जब इतनी धीमी इनकी प्रगति है जैसे सिंचाई एवं विद्युत् में ७२-७३ में बजट में १३४३ लाख रुपया और १९७१-७२ में ९४९ लाख रुपया रखा था तो इस तरह से ३९३.०२ लाख की वृद्धि की है जो बहुत ही कम है।

उद्योगों के बारे में हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हरियाणा को ले लीजिए, पंजाब को ले लीजिये, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि महाराष्ट्र, बम्बई तथा अहमदाबाद आदि शहरों में हमारे प्रदेश के खास तौर से जौनपुर, सुल्तानपुर, बलिया और मिर्जापुर आदि जिलों के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं और वहां पर सम्पत्ति बढ़ाते हैं। अपने यहां की मैन पावर दूसरे देशों में जाकर मजदूरी पाती है। आपने क्या इन्तजाम किया है। १९७२-७३ में उद्योग में आपने १३६७.० लाख रखा और १९७१-७२ में ११६४.२३ लाख रखा था यानी कुल २०२.७७ लाख की वृद्धि की है। इससे प्रदेश का क्या विकास हो सकता है। इसके लिए कोई क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए था। इन शब्दों के साथ में बजट की आलोचना करता हूं।

*श्री अभिमन्यू प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। वित्त मन्त्री ने बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के साथ निवेदन भी करना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल से। उन्होंने कांग्रेस शासन में २५ वर्ष रह कर जो यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की और काल की गति से ऐसा समय आया कि वह विरोधी बेंचेज पर बैठे हुये हैं। आज वे कांग्रेस शासन की काली तस्वीर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। उनके भाषण को सुन कर ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस में वे ही केवल साधू थे और अब सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं रह गया है।

विरोधी दल के लोगों ने हमारी सरकार की नीति पर जो प्रहार किये वे तीन बातों पर आधारित हैं। पहला प्रहार यह था कि हमारी सरकार सामाजिक कार्यक्रमों में असफल हो रही है। दूसरे यह कि वित्त मन्त्री जी ने सदन में डेफीसिट बजट प्रस्तुत किया और तीसरे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा गया। सामाजिक कार्य-क्रमों में मंथर गति इसलिये रही कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने निहित स्वार्थ रखते थे इन कार्यक्रमों को जो आगे बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाता था। तो ये तो उनको पीछे धकेलने की कोशिश करते थे। मुझे याद है कि माननीय तिलक ने देश का आवाहन किया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके कहने से भावनात्मक एकता का सृजन हुआ और सब जाति, धर्म तथा समुदाय के लोग एक झंडे के नीचे हो गए और हमें आजादी मिली। लेकिन गांधी जी को आशंका हुई क्योंकि वे जानते थे कि कांग्रेस में राजे महाराजे सेठ साहूकार सभी लोग आजादी की लड़ाई में साथ थे आज वही कांग्रेस सामाजिक कार्यक्रम कार्यान्वित करेगी तो यह बाधा उत्पन्न करेंगे इसलिये कांग्रेस को खत्म कर दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय, नेहरू जी ने भी इस आशंका को व्यक्त किया था कि कांग्रेस में आन्तरिक संघर्ष होगा। कांग्रेस जब उन लोगों का साथ देगी जो शोषित वर्ग है तब जिन लोगों के स्वार्थ का हनन होगा वे लोग उसमें बाधा डालेंगे। १९३१ में कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन कराची में हुआ। वहां कई प्रस्ताव पास किये गये जिनमें सम्पत्ति के न्याय संगत बटवारे का प्रस्ताव था, आर्थिक सामाजिक विषमता को मिटाने का प्रस्ताव था, जमीन जोतने वाले को ही मिले इसके बारे में प्रस्ताव था, लेकिन आज तक उन कार्यक्रमों को नहीं अपनाया जा सका। उसका मूल कारण यही था वेस्टेड इन्टरेस्ट उसमें रोड़ा अटका रहे थे। आखिर कांग्रेस को दो संस्थाओं में बंट जाना पड़ा और उसके बाद उसने क्रांतिकारी कदमों को आगे बढ़ाया है। बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है, प्रिवी पर्सेज को खत्म किया है। अब वह लेंड सीलिंग और प्रापर्टी सीलिंग करने जा रही है। एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक डेफीसिट फाईनेंसिंग का सवाल, जनसंघ के नेता जी ने यह आरोप लगाया कि घाटे का बजट लाभ का बजट हो जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकार में थे तब क्या आप सो रहे थे। आपने इस ओर कोई कदम क्यों नहीं उठाया ?

मैं व्यक्तिगत रूप से किसी बड़े आदमी, सेठ या साहूकार से घृणा नहीं करता, मुझे उनकी नीतियों से घृणा है क्योंकि उनकी वे नीतियां गरीबों का शोषण करने वाली हैं। माननीय, समाजवादी कार्यक्रम की ओर बढ़ा रहे हैं, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उनको भी इस सरकार में रहने का अवसर मिला था मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या समाजवादी कार्यक्रम बनाया। क्या अमीरों को और अमीर बनाना और गरीबों को और गरीब बनाना समाजवादी, कार्यक्रम था। उन्होंने कानून बनाया था कि जो आदमी टैक्स का रुपया पहले से दे देगा उसको ३० रुपया के रेट के बजाय २४ रुपया का रेट दिया जायगा। यह संविद सरकार का कानून था। अब देखिये कि पैसा किसके पास होगा ? कौन उससे लाभान्वित होगा ? आपने जो अपने शासनकाल में बिजली का रेट बढ़ाया, वह क्या समाजवादी कृत्य था ? माननीय, पूज्य दुबे जी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के गरीब किसानों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन श्रीमन्, इन्होंने तो अपने काल में उन पर नये-नये टैक्स लगाये।

रोजगार के सम्बन्ध में भी कहा गया कि इस सरकार ने बेरोजगारी को नहीं मिटाया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट में प्रदेश का आधुनीकरण करने के लिये छोटे-छोटे और कुछ बड़े उद्योगों को लगाने का प्राविधान किया है। उन्होंने कैश प्रोग्राम भी जारी किया है जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा इसके लिये उन्होंने साढ़े ३७ लाख रुपया प्रति जिले के लिये रखा है। लेकिन मैं पूछता हूं कि आपने क्या किया ? आप बेरोजगारी की समस्या को हल करने की सोच रहे थे कि नींद आ गई और जब नींद में से जागे तो अलादीन का चिराग जलाया और आपने बेरोजगारी की समस्या को इस प्रकार से हल किया कि जो लोग रोजगार से लगे हुए थे उनको भी रोजगार से हटा दिया।

हम चाहते हैं कि इंजीनियर, एक ओवरसियर एक डाक्टर जो पढ़कर निकलता है उस के लिये रोजगार की ठीक से व्यवस्था की जाय। मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी कांग्रेस बेरोजगारी को दूर करने का भरसक प्रयत्न कर रही है लेकिन आप से आशा की जाती है कि कम से कम आप का इस समस्या को सुलझाने में योगदान होना चाहिए।

प्रति व्यक्ति आय का जहां तक सवाल है, जब यह कांग्रेस सरकार आई है वह आय जो सन् ६०-६१ में २४७ रुपये प्रति व्यक्ति थी वह सन् ६८-६९ में २५४८० हो गई और सन् १९७१-७२ में २६५ हो गई और आग के लिये हमारा लक्ष्य है कि सन् १९७३-७४ में वह

[श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय]

बढ़कर २८९ रुपया हो जायगी। हमारे विरोधी दल के लोग कहते हैं कि यह प्रति व्यक्ति आय बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। लेकिन हमें इसका कारण ढूंढना होगा। हम उस तरफ सही मानों में प्रयास नहीं करते। इस का कारण यह है कि हमारी आबादी दिनों दिन तीव्र गति से बढ़ रही है, जब इस तरह से आबादी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय किस तरह से बढ़ सकती है । हमारे यहां आंकड़े हैं कि एक घंटे में ४०० बच्चे हमारे यहां जन्म लेते हैं जोकि डेथ रेट से बहुत ज्यादा है तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय किस तरह से बढ़ सकती है।

आरोप लगाया जाता है कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह डेफिसिट बजट क्यों पेश किया लेकिन डेफिसिट बजट प्रस्तुत करना ही इस बात का द्योतक है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे वित्त मन्त्री जी इतने सक्षम हैं कि विकास कार्यों पर जो जरूरी खर्च है उस के लिये वह साधन जुटाने में लगे हैं । किसी भी अन्डर डेवलप्ड एकनामी में स्टेट के श्रोत कम होते हैं और सरकार अपने यहां विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है और मन्त्री जी डेफिसिट फाईनेंसिंग के जरिये से पैसा इकट्ठा कर के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और प्रदेश की हर तरह की उन्नति करना चाहते हैं। और इसी वास्ते लामुहाला उन को डेफिसिट बजट लाना पड़ा । डेफिसिट फाइनेंसिंग में एक बड़ा खतरा होता है कि प्राइसेज बढ़ती है और मुद्रा स्फीति होती है। उसका कारण यह है कि उसमें सरकुलेशन आफ मनी तीव्रगति से होता है लेकिन उस का रिटर्न तेज गति से नहीं मिलता और प्राइस लेविल बढ़ जाता है।

हमारे वित्त मन्त्री जी अर्थ शास्त्री हैं उन्होंने प्राइस कन्ट्रोल के उपाय भी किये हैं उन्होंने कहा है कि स्माल सेविंग्स के द्वारा प्राइसेज को बढ़ने से रोका जायगा और उस आउटपुट को इनवेस्टमेंट में लगाने से हमारे यहां उद्योग बढ़ेगा और मूल्य बढ़ने से रुकेंगे ।

भ्रष्टाचार का भी यहां बहुत जिक्र किया गया। कहा गया कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। यह सही है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है लेकिन इसकी जिम्मेदारी केवल शासन पर नहीं है, वह तो एक हमारा सामाजिक रोग है और पूरा समाज ही उसका दोषी है। हमारा चरित्र तभी दृढ़ हो सकता है जब हमारी शिक्षा दीक्षा में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का सामंजस्य होता है। हम अध्यात्मवाद से हटकर बिलकुल भौतिक वादी होते जाते हैं। हम ने इतिहास में पढ़ा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में चोरी करने पर हाथ पैर काटने की सजा दी जाने का प्राविधान था लेकिन हवानसांग लिखता है कि उसके जमाने में हाथ काटने का एक भी केस नहीं आया। उस का कारण एक ही था। कि उस समय लोगों का नतिक स्तर बहुत ऊंचा था।

आज कहा जाता है कि अमरीका तमाम दुनिया में सब से महान् राष्ट्र है, सब से धनी राष्ट्र है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वहां के लोग सुखी है ? वहां के जितने राष्ट्रपति मारे गये हैं कहीं दुनिया के किसी कोने में आजतक नहीं मारे गये, वहां पर जितनी डकैतियां और कत्ल होते हैं कहीं नहीं होते, वहां की तरह अवारशन और करप्शन के केसेज कहीं नहीं होते । इसका मुख्य कारण यही है कि वहां का समाज १६ आना भौतिकवादी है।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक मानसिक रोग है। इसकी दवा करनी पड़ेगी और इसकी दवा है नैतिक स्तर को ऊंचा करना। हमको चाहिए कि हम अपने समाज के और इस सरकार के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करें।

मान्यवर, मैं बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील से चुना जाता हूं। इस तहसील की आबादी ६ लाख है। वह तहसील बार्डर पर स्थिति है। मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि नौगढ़ तहसील में गंगा और यमुना के बीच के इलाके से भी बढ़ कर कृषि होती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर एक भी ट्यूबवेल नहीं है। मैं माननीय सिंचाई

मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर सरकारी ट्यूबवेल लगवाने की कृपा करें। वहां पर सिंचाई के लिए केवल एक ही नहर है। उसका उद्गम बानगंगा नदी से है जो गर्मियों में सूख जाती है। जब काश्तकारों को पानी की आवश्यकता होती है, इस नहर का पानी सख जाता है। मेरी प्रार्थना है कि इस योजना में इस कार्य को ले लें उस नहर में वर्ष भर पानी आता रहे। नौगढ़ तहसील में एक भी उद्योग नहीं है। दूसरे केवल कस्बे को छोड़कर ६ लाख जनता अन्धेरे में रहती है। हमारे वित्त मन्त्री जी हमारे विद्युत् मन्त्री भी हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वे हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें और हमारी नौगढ़ तहसील की विद्युतीकरण की योजना को सफल कराने की कोशिश करें।

इन शब्दों के साथ में, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी की सूचना शाहजहांपुर के ग्राम उशरतपुर में अचानक हरिजनों के खलिहानों और मकानों में आग लग जाने के सम्बन्ध में है। यह जो आग लगी वह आकस्मिक थी। यह नहीं है कि किसी ने लगा दी हो, मकान में आग लगी और नुकसान हुआ तो यह कार्यवाही का विषय है, इसे कार्यवाही के लिए भेज दिया है।

दूसरी सूचना माननीय जंगबहादुर यादव की जौनपुर नगर एवं जनपद में डकैतियों के कारण जन–जीवन अरक्षित होने के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

माननीय मोहन लाल कपूर, माननीय सूबेदार प्रसाद और माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य ने एक व्यक्तिगत प्रश्न किया है कि श्रीमती मिथलेश चौहान पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा हमला एवं उनके गोद के बच्चे को छीनने का प्रयास किया गया। इसको स्वीकार नहीं किया गया है।

एक माननीय हिम्मत सिंह की लखनऊ की जल आपूर्ति व्यवस्था में गिरावट के बारे में है। लखनऊ में जो जल कल विभाग है उसके द्वारा कुछ सफाई का काम हो रहा है। इस सम्बन्ध में ६ दिन का नोटिस भी दिया है। वे मशीन वगैरह बदल रहे हैं तो यह कठिनाई है।

एक माननीय राम किशोर शुक्ल का है। उनका कहना है कि इलाहाबाद जिले में गंगा नदी द्वारा करछना और मेजा तहसीलों की ओर कटाव है। इसको उचित कार्यवाही के लिये मैं सरकार को भेज रहा हूं।

एक माननीय बंशीधर पांडेय और माननीय सुरेन्द्र विक्रम की है। उसमें लिखा है कि थाना कोतवाली जिला फर्रुखाबाद में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाना तथा अन्य गड़बड़ियों से जनता में असन्तोष व्याप्त है। जो आपने सूचना दी है उसको मैंने पढ़ा और स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। जैसा आपने लिख दिया है क्राइम नं० ४७, २९९, ४२, ३६०, ३९५ और ४३७, यह थोड़े ही कोई विषय हुआ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

ऐसा है श्रीमन, वहां जो कोतवाली में रोजनामचा है वह कोरा है मैं उसकी एक-एक कापी आपकी जानकारी के लिय भज दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस सम्बन्ध में अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

यह सूचना है श्री शम्भूनाथ चौधरी, सच्चिदानन्द गुप्त, मैनेजर सिंह तथा त्रिलोकचन्द्र की। उन्होंने बलिया शहर से थोड़ी दूर पर भयानक अग्नि काण्ड से १३१ परिवार बरबाद होने की सूचना दी है। यह भी कार्यवाही का विषय है। जिला स्तर पर भी कार्यवाही होनी चाहिये। उसको हम कार्यवाही के लिये भेज रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, अभी-अभी मालूम हुआ है कि जिला अफसर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं इसलिये कि उनके मद में रुपया नहीं है। सरकार के कान पकड़ कर उत्तर दिलायें। रुपया अगर नहीं है तो कलेक्टर क्या कर रहे हैं। सारा बलिया जिला जल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको सरकार के पास भेज रहे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय ने कानपुर में माडर्न बेकरी में मजदूरों की हड़ताल की सूचना दी है। इसको पहले भी स्वीकार कर लिया था। इस पर हम बहस करने की स्थिति में नहीं ह।

इसके अलावा माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने झांसी जिले में चांदमारी क्षेत्र बबीना के लिये १२ ग्रामों को खाली कराये जाने की सूचना दी है। यह केन्द्रीय विषय है। केन्द्रीय शासन प्रतिरक्षा का विषय है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

श्रीमन्, इसमें प्रदेशीय अधिकारी ही भूमि प्राप्त करने वाले हैं। गांव भी वे ही खाली करा रहे हैं। कार्यवाही सारी प्रदेशीय सरकार कर रही है। उनके बसाने का गांव खाली कराने का सारा प्रदेश गवर्नमेन्ट कार्य सरकार कर रही है। उनसे तो कोई सम्बन्ध है नहीं सीधा। जो बारह गांव हैं। हजारों आदमी को खाली कराने का काम करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बबीना में सेना है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

श्रीमन्, वहां तो सारा कार्य प्रदेशीय गवर्नमेन्ट के माध्यम से हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ भी केन्द्र और प्रदेश में इन सब मामलों में सहवर्ती सम्बन्ध हैं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

पहले जब और गांव खाली करायें गये थे मी तो मैंने प्रश्न किया था, बसाने की मुआविजे की सारी व्यवस्था प्रदेशीय सरकार ने की।

श्री उपाध्यक्ष—

मुआविजे की बात आपने नहीं लिखी है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

मुआविजे की बात मैंने लिखी है मान्यवर।

आप अल्प सूचित प्रश्न इस सम्बन्ध में कर लें। उनका जवाब आने दीजिये। उससे अगर सन्तोष न हो तो स्वीकार कर लेंगे।

इसके अलावा माननीय शंकर प्रसाद जायसवाल ने वाराणसी नगर में विद्युत आपूर्ति त्रुटिपूर्ण होने की सूचना दी है। यहां पर भी इसका उत्तर माननीय मन्त्री ने दिया है कि यह बिजली का संकट प्रायः प्रदेश व्यापी है। उसकी चपेट में वाराणसी आ जाय तो कोई आश्चर्य की घटना नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा था। जहां तक हो आप बिजली मन्त्री से पूछ लें। वाराणसी में बिजली की कमी है, पावर की कमी है कारण बिजली में गड़बड़ हो रही है अथवा और कोई कारण है। मैं केवल इतना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर माननीय विद्युत् मन्त्री को स्थिति मालूम हो तो वे बतलावें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (वित्त मन्त्री)—

श्रीमन्, जो वाराणसी नगर है उसमें श्रीमन् आप जानते हैं कि वहां पर एक मार्टिन बर्न कम्पनी का प्रबन्ध है और उसका क्षेत्रीय प्रबन्ध है। माननीय सदस्य कह रहे हैं जैसा अगर वे कृपा करके कष्ट करें तो मुझे लिख कर दे दें। मैं उनकी जिज्ञासा या शंका को समाहित करने की कोशिश या चेष्टा करूंगा।

१९७२-७३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

*श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, असल में मैं प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं। इसलिये घोर विरोध करता हूं कि श्रीमन्, जो बजट भाषण है उसमें कलाकारिता और लफ्फाजी के अलावा कुछ नहीं है। उसमें लम्बे-लम्बे वायदे किये गये ह। वायदे इसलिये किये जाते हैं जिससे गरीबों को धोखा दिया जा सके। लम्बे-लम्बे वायदे इसलिये किये जाते हैं कि लोग गुमराह हो जायं। मैं उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में हमारे देश की केन्द्रीय सरकार जिसकी अगुआ श्रीमती इन्दिरा गांधी जी हैं, जिसके नेतृत्व में यहां की सरकार चल रही है, ने बड़े पैमाने पर देश में वायदा किया और नारा लगाया कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा उस वक्त दिया गया जिस समय आन्दोलन बहुत तेजी से उठ रहे थे। देश के गरीब इस बात की मांग कर रहे थे कि हम मेहनत करते हैं, हमें मजदूरी चाहिये। हम उत्पादन करते हैं। हमें खाना और कपड़ा चाहिये, जमीन में काम करने वाले खेतिहर मजदूर यह आन्दोलन करने लगे थे कि जमीन के अन्दर से हम गल्ला पैदा करते हैं, हमें जमीन मिलनी चाहिये और इस आन्दोलन का सबसे बड़ा रूप बंगाल के अन्दर खुलकर आया। तब इस सरकार ने यह नारा दिया कि हम देश के अन्दर से गरीबी हटाना चाहते ह।

देश के अन्दर गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बंगाल के अन्दर उनका आन्दोलन सत्ता के बल पर दबा दिया गया। वहां के हर गरीब के घर पर फौज का एक नवजवान को नियुक्त कर दिया गया। आज भी बंगाल के अन्दर जो लोग करीब हैं जो उनकी पार्टी और उनके कार्यक्रम में विश्वास नहीं करते, जो यह समझते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा गरीबों को धोखा देने की बात है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो संख्या में १ लाख के करीब हैं, वारन्ट जारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छांगुरराम]

कर दिये हैं। १० हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया है इसलिये कि वह आन्दोलन करते हैं। ८ हजार गरीबों को आज उनके घरों से निकाल दिया गया है। फौज के नवजवान उनका पीछा करते हैं और वे लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शरण लिये हुए ह। दूसरी राजनतिक पार्टियों के कार्यालय में शरण लिये हुए हैं। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो लम्बे-लम्बे वायदे किये गये हैं वह इसलिये किये गये हैं ताकि गरीबों को धोखा देकर उनके आन्दोलन को कुचला जा सके।

बंगाल में ही नहीं देश के हर प्रान्त में हमारे उत्तर प्रदेश में जब वहां की लहर यहां आई तो गरीबों ने आन्दोलन किया कि हमको जमीन मिलनी चाहिये। यहां की सरकार ने उनके आन्दोलन को दाबने के लिये उन गरीबों पर यह आरोप लगाया कि यह तो नक्सलबाड़ी है, यहां के गरीब नहीं हैं और उनके आन्दोलन को पुलिस के डंडे से दबा दिया गया। वही स्वैथा जो खेतिहर मजदूर के साथ हो रहा था आज जो मजदूर मिलों में काम करता है, उनके साथ सरकार का हो गया है।

हमारे प्रदेश का एक औद्योगिक नगर कानपुर है। वहां दो मिलों में हड़ताल चल रही है। एक तो जे० के० काटन मिल है और एक मिल और है जहां दोनों को मिला कर १३ हजार मजदूर काम करते हैं। मजदूरों ने अपने बोनस की मांग की। उनकी मांग खाडिलकर फारमूले के हिसाब के ८.३३% बोनस दिये जाने के लिये है। इस बात को लेकर कानपुर के मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन दुःख इस बात का है कि जो सरकार गरीबी हटाओ का नारा देती है अपने नारे को और वायदे को भूल गई और यह कह दिया गया है कि हड़ताल की जिम्मेदार कम्युनिस्ट पार्टी की (मार्क्सवादी) है।

सारी अपनी जिम्मेदारी को हटा दिया है। इसलिये कि उन मजदूरों को खाने के लिये या मकान के लिय स्थान नहीं है। यह कह कर कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हिंसा में विश्वास करती है और इन मजदूरों का नेतृत्व वह पार्टी करती है और उन्हीं के कहने से मजदूर हड़ताल करते हैं। इसी लिये ये लोग ऐसा काम करते हैं। जो मजदूर शांतिपूर्वक हड़ताल करना चाहते हैं, मजदूरों को इसका अधिकार है, फंडामेन्टल उनका यह राइट है लेकिन आप मजदूरों के इस अधिकार को भी छीनना चाहते हैं और उनके आन्दोलन को दबाने का सहारा लेते हैं कि हिंसात्मक कार्यवाही में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कारण करते ह।

शोस्लिस्ट पार्टी का बयान आया है, कांग्रेस पार्टी के लोगों का भी बयान आया है कि कानपुर के मजदूरों की मांगें उचित हैं और उनको बोनस मिलना चाहिये लेकिन यह सरकार इन बातों को मानना नहीं चाहती है बल्कि उनको मिटाना चाहती है। यह कहा जाता है कि वे हिंसात्मक कार्यवाही कर रहे हैं। आप देश के अन्दर गरीबी हटाओ की जगह पर गरीबों को ही हटाते जा रहे हैं, आप यही चाहते हैं। मान्यवर, मैं इसको इसलिये कह रहा हूं कि आज हमारे प्रदेश की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जो मजदूरी पर ही अपनी गुजर करता है। उनके पास कमाने और खाने का कोई और साधन नहीं है। वे दूसरों के यहां मजदूरी करते हैं और जो मजदूरी उनको मिलती है उसी से व अपना पेट भरते हैं।

यह सरकार जो अपने को गरीबों का हमदर्द बताती है, अगुवा बताती है वह आज तक इन गरीब मजदूरों के लिये कोई वेज निर्धारित नहीं कर सकी कि मजदूर का निम्नतम वेतन क्या होगा, इससे हम कोई मजदूरों को उसकी मजदूरी का नहीं देगा और इससे कम मजदूरी देने वाले को दन्ड मिलेगा, यह एक अपराध माना जायगा। इस महत्वपूर्ण काम को हमारी सरकार आज तक नहीं कर सकी है। कैसे माना जाय कि यह सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों को आगे बढ़ा कर उनकी तरक्की करना चाहती है। यह जरूर ढिढोंरा पीटा जाता है कि हमने अलग से एक हरिजन विभाग खोल दिया है। उसका नाम ले लेकर हरिजनों में प्रचार

किया जाता है कि यह विभाग तुम्हारी ही भलाई के लिये खुल गया है। लेकिन जो कमाने और खाने के साधन हैं उनके लिये उसका कोई भी प्रबन्ध इसने उनके लिये नहीं किया है।

आज आजादी के बाद भी देहातों के मजदूरों की हालत वैसी ही खराब है। उनकी इज्जत लुटी जाती है और उसका सुनने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि वे आज भी आजादी को महसूस नहीं कर रहे ह। अगर कोई मजदूर किसी कारण से मजदूरी नहीं करना चाहता है तो उस पर दबाव डाला जाता है और दबाया जाता है कि उसको सेवा करनी होगी। यही कारण है कि देश में अनेक प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती रहती हैं। अगर देश ने उनको खाने कमाने का अवसर न्यायपूर्ण ढंग से नहीं दिया तो इसी प्रकार की अव्यवस्था बनी ही रहेगी।

बहेड़ा गांव में दो दो हरिजन को कत्ल कर दिया गया। उनके प्रति पुलिस का अत्याचार बराबर हुआ करता है। अगर यह सरकार प्रबन्ध कर देती तो सतिया ऐसा काण्ड नहीं होता। आज इस बात का दुख है कि जो इस प्रकार के अत्याचार करवाने में सहायक हैं वे ही कानून का निर्माण करते हैं, कानून बनाते हैं जो गरीबों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अफसोस है कि वही लोग कानून बनाने बैठे हैं और जब सतिया ऐसा कांड करने वाले इस हाउस में चुन कर आ जायं तो समझ लीजिये कि कानून कैसा बनेगा जो गरीबों की इज्जत के साथ आनन्द करना अपना बड़प्पन समझता है उससे हम कैसे उम्मीद करें कि वह गरीबों का कल्याण करेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जमीन के लिये बड़ा लालच दिया जाता है। यह सरकार समझती है कि जो आदमी जिस बात के लिये भूखा हो उसके सामने वैसा ही नारा दो। मुझे याद है कि जब पार्लियामेन्ट के चुनाव हो रहे थे तो उस समय जो उस समय इस सरकार को अगुआ हैं और जिनका नाम लेकर यह सरकार जिन्दा है, वह श्रीमती इन्दिरा गांधी आजमगढ़ में गई थीं। उन्होंने मुख्य रूप से एक ही बात पर जोर दिया था कि मैं देश के अन्दर गरीबी को दूर करना चाहती हूं और हमारे देश के अन्दर कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जितनी जमीन है गरीबों में बांट देना चाहती हूं ताकि उनके कमाने खाने का साधन हो सके। लेकिन तब से आज तक इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाया है।

आज भी देश का गरीब आदमी, भूमिहीन आदमी अगर उसने किसी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अपना मकान बना लिया है तो उस पर मुकदमा चल रहा है और जुर्माना होता है और वह मजबूर होकर या तो जमीन को छोड़ दें, नहीं तो बैल या घर कुर्क कराकर उसका भुगतान करे। इस समय गांव में जो बड़ा आदमी है, जो तिकड़मी है, वह गांव की फालतू जमीन पर कब्जा किये हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कायदा कानून नहीं लगा है। तो मैं कैसे समझ लूं कि यह सरकार गरीबों को आगे बढ़ाना चाहती है। यह सरकार गरीबों का हित करना चाहती है।

कई बार सीलिंग की बात कही गई। सीलिंग में हमेशा कहा जाता है कि अब सीलिंग करके जो जमीन बचेगी, वह गरीबों में बांटी जायेगी। जमीन का नाम सुनते ही गरीब लालायित हो जाता है। सोचता है कि आज तक जिस जमीन पर गल्ला पैदा किया है और दूसरे के घर में जाता रहा है, वह अब अपने घर में जायेगा। लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमेशा यह कहा गया है कि अगली बार अब हमारी सरकार इस सम्बन्ध में गंभीरता से सोच रही है कि जिनके पास अधिक जमीन है उनकी सीलिंग करके निकाल ली जायेगी। इस सूबे के अन्दर ऐसे ऐसे आदमी हैं जो कई मिलों के मालिक बने बैठे हैं। उद्योग में हावी हैं, कारखानों में हावी हैं और वही लोग जमीन के भी मालिक हैं।

[श्री छांगुर राम]

लखीमपुर खीरी में कई आदमियों के पास ४, ४ सौ एकड़ जमीन है लेकिन आज तक सरकार उनसे जमीन नहीं निकाल सकी है। इसलिये मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह जो सरकार की तरफ से वादा किया गया है कि अगला कदम गरीबी हटाना होगा, यह सरासर झूठ है और उनको धोखा देने के लिये है। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का विरोध करता हूं।

जिला हरदोई थाना बघौली के इंचार्ज के विरुद्ध श्री महाराज सिंह के कत्ल के विषय में रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

(श्री अनन्तराम जायसवाल बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें ऐसा है कि श्री परमाईलाल जी ने सूचना दी है।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपनी रजामन्दी दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री परमाई लाल जी खड़े हैं। नियम ५२ के अन्तर्गत उनको हक है।

*श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)—

मान्यवर, यह जो दफा ५२ में आज्ञा दी थी, उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हरदोई जिले का काण्ड हुआ है। श्री महराज सिंह का १९ फरवरी को कत्ल हो गया, थाना बघैली, ग्राम मंझगांवा रामगुलाम में। मरने के पहले उन्होंने अपने भांजे के नाम वसीयत लिख दी। मरने के एक साल पहले उन्होंने शादी कर ली थी। जब उनके भानजे ने समझा कि उन्होंने शादी कर ली है तो जायदाद उस औरत को या बच्चों को दी जायगी। इसलिये उन्होंने १९ तारीख को श्री महराज सिंह को गोली से उड़ा दिया। शिवरानी देवी ने २० तारीख को रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके पेट में बच्चा था। २८ तारीख तक कोई उच्च अधिकारी, डी० एस० पी० या एस० पी०, वहां नहीं गया। २८ तारीख को हरिहर सिंह और रामेश्वर सिंह हवालात में बन्द कर दिये गये और उनको काफी गाली गलौज किया और ५०० रुपये घूस मांगा। इसके बाद उनको छोड़ दिया।

२९ तारीख को ये लोग मेरे पास आये और कहा कि मुझको पकड़ लिया और गुप्ता जी की मारफत छोड़ा। मैंने उनसे कहा कि आप पहली तारीख को जिलाधीश के यहां आइये। पहली तारीख को छुट्टी थी। उसके बाद हरिहर सिंह और रामेश्वर सिंह हमारे पास आये और जिलाधीश को जाकर बताया कि थानाध्यक्ष ने ५०० रुपये घूस मांगे और २५० रुपये लेकर उन्हें छोड़ा। मैंने सोचा कि शेष २५० रुपये लेता है कि नहीं। तो मैंने जिलाधीश से कहा कि रिश्वत पकड़ लीजिये।

जिलाधीश ने कहा कि रिश्वत पकड़वाना यहां के अधिकारियों से मुश्किल है क्योंकि सभी अधिकारी यहां उससे परिचित हैं, मैं लखनऊ से किसी अधिकारी को बुलवाऊंगा। बाद में यहां लखनऊ से एक डी० वाई० एस० पी० रिश्वत पकड़ने के लिये गये। तीन दिन तक वे चक्कर काटते रहे मगर वे सफल नहीं हो सके क्योंकि २-३-७२ को ही थाना इन्चार्ज को रिश्वत पकड़वाने से अवगत करा दिया गया। ३—३—७२ को लखनऊ के डिप्टी इन्स्पेक्टर शाही ने रिश्वत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पकड़वाने के लिये ५–३–७२ तक प्रयास किया, पर थानाध्यक्ष को रंगे हाथों पकड़ना मुश्किल हो गया क्योंकि उनको पहले से ही उसकी सूचना मिल गयी थी ।

इसके बाद जब यह रिश्वत नहीं पकड़ी जा सकी तो मैं खुली जांच के लिये यहां लखनऊ आकर डी० आई० जी० वगैरह से मिला । उस पर खुली जांच के आदेश भी हो गये । इसी बीच ९ तारीख को थाना इन्चार्ज श्रीमती शिवरानी को पकड़ कर थाने ले गये और जबरदस्ती हरिहर सिंह के खिलाफ एक कलमबन्द बयान लेकर दूसरे ही दिन सुबह ५०० आदमियों का फोर्स लेकर गांव पर हमला बोल दिया और ११ घरों को लुटवाया, औरतों और लड़कियों के जेवर आदि सारे सामान को लूटा । बच्चों के पीने के लिये पानी तक नहीं रहने दिया । बैलों की जोड़ी तक उठा ले गये जिसमें एक बैल तो रास्ते में ही मर गया, दूसरे को कांजी हाऊस में बन्द करवा दिया । एक सिपाही ने एक बैल को रास्ते में ही जहर पिला दिया जिससे वह मर गया । १२ मार्च को मैं और श्रीशचन्द्र अग्रवाल जी गांव में गये और हमने देखा कि वहां सिपाही लोग गाली गलौज कर रहे थे, लोगों को डरा धमका रहे थे । वहां कोई आदमी का मिलना मुश्किल हो गया इतना आतंक था उनका । फिर इन लोगों ने ५ आदमियों के नामजद रिपोर्ट करवायी । रिपोर्ट को बदला गवा ।

मने इस बात की सूचना यहां पुलिस अधिकारियों को दी । मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । आज भी गांव पुलिस के आतंक के कारण खाली सा दिखाई दे रहा है । उस मृतक के बारे में श्री राम चन्द्र सिंह, निवासी बिलासपुर, थाना शाहाबाद की ओर से एक सिविल जज के यहां जायदाद के बारे में कोर्ट में अपील की गई कि यह सब सील कर लिया जाए क्योंकि उसका कोई वारिश अब नहीं रहा । इसलिये १४६ बीघा जिसमें गेहूं था, की काश्त के लिये श्री वीरेन्द्र सिंह, ऐडवोकेट, हरदोई को रिसीवर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया ।

१–४–७२ को श्री वीरेन्द्र सिंह, ऐडवोकेट व श्यामचरण ऐडवोकेट मझिगंवा द्वारा बोई हुई काश्त में मृतक की बोई हुई कास्त के लिये श्री बादशाह सिंह, प्रधान व पृथ्वीपाल सिंह को उसकी रक्षा के लिये रिसीवर ने नियुक्त कर दिया था । लेकिन इस पर भी थाना अध्यक्ष बघौली व नन्हें तथा जागेश्वर सिंह व जलील सिपाही, पंडित रामशरण आदि ने पुलिस फोर्स ले जाकर ५०० आदमियों के साथ पूरी फसल जो १४६ बीघा थी, उसको कटवा लिया ।

उपरोक्त घटना की खबर पाते ही श्री वीरेन्द्र सिंह व सिद्ध गोपाल ऐडवोकेट ने जज साहब के यहां उपरोक्त घटना का जिक्र करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया । जिस पर सिविल जज महोदय ने आदेश दिया कि तुरन्त पुलिस अधीक्षक घटना पर जायं और अपराधियों को पकड़ा जाये और थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जाय । लेकिन उन्होंने घटनास्थल पर जाने से इंकार कर दिया और कहा कि मैं उनके आदेश को नहीं मानता । उसके बाद जो १६ बैल लिये गये थे, उनमें से एक कांजी हाउस में मर गया चारे आदि की कमी के कारण । जो लोग वहां गये थे उन्होंने अपना चारा आदि बैलों को देने के लिये इजाजत मांगी, लेकिन, उन्हें वह नहीं मिली । इसलिये कई बैल भूख से तबाह हो गये ।

फिर उसके बाद मुन्सिफ साहब के अदालत में केस दायर किया गया । उसमें फिर कहा गया कि उपरोक्त रिपोर्ट में ५ मुल्जिमों को बचा कर ६ आदमियों को दिखाया गया कि इनके बैल हैं और मेरी जमानत पर उन्हें छोड़ दिया जाये । वहां पर वह पहुंचे और लोगों से कहा अब मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे पीछे सी० आई० डी० लगी है, सेक्टर की इंक्वायरी चली है । इस बात के बाद डी० वाई० एस० पी० का ट्रांसफर आई० जी० ने किया । एक मृतक श्री तुला, ग्राम सेवा का कत्ल हो गया । जिसकी खबर भी मैंने उप मन्त्री, श्री राम कृष्ण द्विवेदी को भेजी थी और उसमें पूरा ब्योरा दिया था कि उसमें वह १५ हजार रिश्वत मांग रहे हैं । इस केस में श्री शेरदिल सिंह न रिश्वत लेकर अदालत में मामले में चार्जशीट भिजवा दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

कितने मामलों को आप इसमें मिलाते जा रहे हैं। जो आपने लिखकर दिया है उसी पर सीमित रहें।

श्री परमाई लाल--

पहले जिनको मुल्जिम बनाया गया था, उनको हटाकर रिश्वत लेने की वजह से बाद में उन्हें अभियुक्त बना दिया गया था। दरोगा ने उनका पक्ष लेकर नये आदमियों को मुल्जिम बना दिया। इस बिना पर कि थाना इंचार्ज के खिलाफ कई-कई शिकायतें हैं और कई जाचें चल रही हैं। थाना इंचार्ज ५००-५०० आदमी ले जाकर फसल वहां की लुटवा रहे हैं, एक आदमी भी उस गांव में आतंक के मारे नहीं है, उनकी पूरी फसल नष्ट हो रही है। उन पर अत्याचार थाना इंचार्ज कर रहे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, उनके खिलाफ सी० आई० डी० की इंक्वायरी, उनके खिलाफ सेक्टर की इंक्वायरी-इन सबके बावजूद वह वहां पर बैठे हुये हैं। वह थाना इंचार्ज और डी० वाई० एस० पी० वहां कैसे मौजूद हैं?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, १९/२० की रात को श्री महराज सिंह का कत्ल हो गया। २० को सुबह दस बजे महराज सिंह की पत्नी श्रीमती शिवरानी की तरफ से एक अप्लीकेशन लिखी गयी। लेखक थे महेश्वर सिंह। उन्होंने लिखा कि मेरे पति का कत्ल कर दिया है मृतक के भानजे और भानजे के लड़के ने जिनका नाम वीरशाह सिंह और नन्हें सिंह है और जो तीस-चालीस मील दूर शाहाबाद तहसील के रहने वाले हैं। उसमें अंगूठा लगवा लिया श्रीमती शिवरानी का। और चौकीदार के जरिये उसे थाने भेज दिया। थाना बघौली में वह रिपोर्ट २०-२-७२ के सवेरे १० बजे लिखी गयी। उसी पर मुकदमा कायम हुआ। एक सब इंस्पेक्टर उसी दिन जांच के लिये जिस गांव में कत्ल हुआ था वहां गया। सब-इंस्पेक्टर ने श्रीमती शिवरानी से बात की और बात करने पर श्रीमती शिवरानी ने बताया कि मुझसे जबरदस्ती, एक दरख्वास्त लिख कर लाये थे, उस कागज पर मेरा अंगूठा लगवा लिया। और कहा कि अगर अंगूठा नहीं लगाओगी तो जान से मार दी जाओगी।

वास्तव में मेरे पति के कातिल मृतक के भानजे वीरशाह सिंह और नन्हें सिंह नहीं हैं बल्कि ये पांच आदमी हैं जिनमें रामेश्वर सिंह जिन्होंने दरख्वास्त लिखी थी और चार आदमी और हैं। इसी आधार पर जांच की गयी। जांच करने के बाद पुलिस इस परिणाम पर पहुंची कि कत्ल इन पांच आदमियों ने किया है और इस आधार पर किया है कि भानजे कत्ल के मुकदमे में फंस जायेंगे, यह औरत रह जायगी, औरत को भगा दिया जायगा, और इसकी जमीन पर हमारा कब्जा हो जायगा। पुलिस को ऐसा इंटेंशन मालूम हुआ। इसी पर कार्यवाही शुरू हुई। ८-३-७२ को श्रीमती शिवरानी और तीन प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने दफा ६४ का बयान एस० डी० एम० की कोर्ट में दिया कि वास्तव में जो कत्ल किया है इन पांच आदमियों ने किया है और उन दो व्यक्तियों पर दावा झूठा है। उसी आधार पर जब सारा साक्ष्य उपलब्ध हो गया तो १०-३-७२ को एक कुर्की की कार्यवाही ८७-८८ की कार्यवाही ५ मुलजिमों के खिलाफ की गयी। चल सम्पत्ति कुर्क करके सामान वहां सुपुर्द कर दिया। जानवरों को कांजी हाऊस भेज दिया। एक बैल जो कांजी हाऊस नहीं जा सका था नियमानुसार एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया।

माननीय श्री परमाई लाल जी ने एक आरोप लगाया कि पुलिस ने दस हजार रुपये की मांग जिनको बाद में मुल्जिम बनाया गया उनसे की। मान्यवर, २-३-७२ को रामेश्वर सिंह ने एक अप्लीकेशन भी दी थी उसम कहीं जिक्र नहीं है कि दस हजार रुपये की मांग थी। उसमें कहा कि मुलजिमों से पुलिस ने पांच सौ रुपये तय किये। ढाई सौ रुपये दे दिये हैं और ढाई सौ रुपये देने है।

इस तरह की अप्लिकेशन है। कहीं भी १० हजार रुपया मांगा होता तो रामेश्वर सिंह जो मुलजिम हैं उन्होंने जिक्र किया होता। कुर्की हुई। परमाई लाल जी का क्षेत्र है। हो सकता है कि उन मुलजिमान ने आप से शिकायत की हो। वह आपके पास गये और थानेदार को पकड़वाने की बात की ताकि उसे रेड हैंडेड पकड़वा दिया जाय। २ तारीख को जब आप जिलाधीश से मिले थे ३-३-७२ को आपने कचेहरी में ट्रेप करवाना चाहा, लेकिन वह नहीं पकड़ा गया। ४-३-७२ को ग्राम धनौरा में और ५-३-७२ को एम० एल० ए० साहब ने अपने घर पर ट्रेप करवाना चाहा लेकिन थानेदार दोनों रोज नहीं पकड़ में आया और इस प्रकार उनके तीनों ट्रेप नाकामयाब रहे। इस ट्रेप के लिये लखनऊ से विशष व्यवस्था की गयी थी जो अ.सेक्सेसफुल रहे।

फिर परमाई लाल जी ने आई० जी० को दरखास्त दी और थानेदार पर कई आरोप लगाये। आई० जी० ने जांच के आदेश दे दिये २१-३-७२ को कि सी० आई० डी० से जांच हो। इससे पहले ही लोकल पुलिस को पता चला कि उसकी जांच से सन्तोष नहीं ह एम० एल० ए० और मुलजिमान को तो उसने जांच का काम बन्द कर दिया और सी० आई० डी० ने जांच प्रारम्भ कर दी। परमाई लाल जी ने बहुत से अत्याचारों की बात कही जो वहां की पुलिस ने मुलजिमान के घर वालों पर किये, उनकी सम्पत्ति को लूटा। मैं उनकी बात को झूठा नहीं कहता लेकिन सी० आई० डी० की जांच हो रही है और तथ्य प्रकाश में आ जायंगे और इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अगर जांच में पुलिस दोषी पाई गयी तो उसमें कोई रियायत नहीं की जायगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जायगी। सी० ओ० शेरदिल सिंह के सम्बन्ध में जो आरोप लगाये गये हैं, लिखित रूप में जो दिया है उसकी भी जांच सी० आई० डी० से कराई जायगी और अगर उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो गये तो उन पर भी कार्यवाही की जायगी।

श्री परम ई लाल--

जब मुद्दई रिपोर्ट लिखाता है तो उसे वह पढ़ कर सुनाई जाती है और उसकी तीन कापी होती हैं। एक एस० पी० को भेजी जाती है, एक मुद्दई को दे दी जाती है और एक वहीं थाने में रह जाती है। अगर पुलिस को शक था तो जी० डी० में लिख देना चाहिये था कि यह गलत रिपोर्ट लिखाई गयी है।

श्री उपाध्यक्ष--

तीन ट्रेप आपने करवाये यह ठीक है या नहीं और वह नहीं पकड़े गये ? तीन ट्रेप पकड़वाने के लिए हुए ?

श्री परमाई लाल--

हुए।

श्री उपाध्यक्ष--

उसमें वह बच गये। नहीं आये। अब इसके अलावा जो बकिया जानकारी अन्य सदस्य रखते हैं उसे वह बतला देंगे।

*श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मुझे माफ करेंगे, जिस तरह से बहस शुरू करने वाले ने और माननीय मंत्री जी ने तथ्य रखे हैं उस तरह से शायद पूरे सदस्यों की पकड़ में वह चीज न आई हो। इसलिये मैं फिर से यह तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। हरदोई जिले के थाना बघौली के अन्तर्गत

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

एक मौजा मझवा रामगुलाम है और एक महराजसिंह उसी गांव के रहने वाले थे। कहा जाता है कि १९/२० तारीख की दरमियानी रात में उनका कत्ल हो गया और उनकी बेवा श्रीमती शिवरानी द्वारा थाना बघौली में २० तारीख को रिपोर्ट की जाती है जिसमें कि उनके भान्जे वीरशाहसिंह और नन्हें सिंह को मुल्जिमान बनाया जाता है और इस तरह से मुकदमें की तफतीश शुरू हो जाती है।

मान्यवर, आप इससे पहले की परिस्थितियों की ओर भी ध्यान दें। जो ये महलूक हैं वे एक बड़े काश्तकार थे। करीब उनके पास १४६ बीघा आराजी जमीन थी। तो इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि उनकी हैसियत क्या थी। वे अपने मरने के ४ साल पहले तक कुंवारे थे, उन्होंने कोई शादी नहीं की। इस हालत में उन्होंने यह मुनासिब समझा कि अपनी मनकूला और गैर मनकूला सारी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को अपने भान्जे के नाम कर दिया और एक वसीहत करके उस जायदाद को उनके हक में कर दी। नन्हें सिंह जो हैं वे बेवा की रिपोर्ट पर मुल्जिम बनाये जाते हैं। मान्यवर, जिस वक्त यह कत्ल हुआ है उस वक्त महलूक की बेवा पत्नी हामिला थी और ७ मार्च को थाना बघौली में उनके एक पौस्थुमस चाइल्ड पैदा हुआ जो कि बाद में मर गया था। महलूका ने जो रिपोर्ट थाने में लिखाई उसमें यह था कि चूंकि उसके बच्चे के रूप में एक वारिस उसकी जायदाद का पैदा होने वाला था इसलिये उन्हें जायदाद नहीं मिल पायेगी जिनके नाम वसीयत की गई थी और उस वक्त तक वह वसीहत रद्द भी नहीं की गई थी। तो उनका यह विचार था कि जब उस हकदार को हटा दिया जायेगा तभी उस जायदाद का हकदार वह बन सकेगा।

मान्यवर, मंत्री जी ने माननीय परमाई लाल जी को झुठला दिया यह कह कर कि दरोगा जी तफतीश में दूसरे दिन वहां पर पहुंचे और यह पाया कि असली शातिक वीरशाह सिंह और नन्हें सिंह ने नहीं किया है। जो रिपोर्ट की तहरीर लिखी गई थी वह एक मुनेश्वर सिंह हैं उनके द्वारा लिखी गई जिसमें कि बेवा का अंगूठा लगवा दिया। तो इस प्रकार मुकदमा खत्म हो गया। यह कह कर मंत्रीजी ने परमाईलाल जी को झुठला दिया। आप लोगों की बहस का जो ढंग मैं देख रहा हूं उससे ऐसा लगता है कि सचमच कोई मंत्री नहीं बोल रहा है बल्कि कोई तोता बोल रहा है या मैना बोल रही है। यह हाल आपका हो गया है क्योंकि कोई भी आदमी यदि परिस्थितियों पर ध्यान दे तो सारे तथ्य सामने आ जायं। दो मुल्जिमान जो हैं एक हरिहरसिंह और दूसरे रामेश्वर सिंह ये दो आदमी थाने में २८ तारीख को ले जाये गये। सचमुच यदि दरोगा को यह बात मालूम थी कि असली कातिल यहीं है और उनके भानजे और लड़के नहीं हैं तो क्या वजह थी कि हवालात में बन्द इन व्यक्तियों को दीपचन्द गुप्ता की जमानत पर रिहा कर दिया गया। आपको दिमाग लगाना चाहिए था कि क्या ये उसी कत्ल के मुल्जिमान हैं।

उसके बाद वीरचन्द गुप्ता की जमानत पर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे तो नहीं छोड़ दिया जाता है। अगर आपको कुछ भी तजुर्बा है राजनीति का, या मंत्री जी होने के नाते तो आपके दिमाग में यह चीज आनी चाहिए थी कि कहीं न कहीं तो कोई अनैतिकता जरूर हुई है, जरूर रिश्वत और घूस का सौदा हुआ है तभी उनको हवालात में जाने के बाद छोड़ दिया जाता है। इस तथ्य की तसदीक हो सकती थी जो आपने की नहीं और उसके पहले आपने आरोप लगा दिया दूसरे के ऊपर और एक दरोगा के मुकाबले में एक एम०एल० ए० की इज्जत गिराई है। और आप कहते हैं कि बड़ी निष्पक्ष जांच करायेंगे और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी।

मैं कहता हूं कि इस स्टेटमेंट के बाद आपके प्रदेश में किसकी हिम्मत है कि जो सचमुच ही मुल्जिम हैं उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सके। जैसी आपकी समझ है आप समझते हैं कि पूरा प्रदेश बेवकूफ है। आप एक सार्टिफिकेट दे देते हैं पहले और जांच और कार्यवाही की धमकी बाद में देते हैं। तो कौन आदमी जायगा जांच के लिए ? आप बगर समझ बूझे बोल

जाते हैं यह बहुत बड़ा सरकमस्टांस है जिसकी आपकी तरफ से जांच होनी चाहिए थी कि क्या रामेश्वर और हरिहर सिंह थाने लाये गये या नहीं, शाम तक बन्द किये गये या नहीं और वीरचन्द गुप्ता के बीच में आने पर वह छोड़े गये या नहीं और छोड़े गये तो उसका कारण क्या था ? इसकी आपको जानकारी अब तक करा लेनी चाहिए थी। क्योंकि सिलसिला तो उसके बाद शुरू होता है। जब २८ तारीख की शाम को रिहाई मिलती है तब कहते हैं कि ये दोनों हमारे खास आदमी हैं ।

परमाई लाल जी का दावा है कि दरोगा दोनों से रिश्वत मांग रहे थे और इसी बिना पर उनको छोड़ा गया। तो जिसके कोई भी अकल होगी कि कत्ल का मुल्जिम हमको समझा जाय, उसके बाद हमको रिहा कर दिया जाय और ढाई सौ रुपया रिश्वत तय हो जाय तो किसी को शक नहीं रहा होगा कि कत्ल में इनका हाथ नहीं है वरना सौदा न होता। और सौदा हो जाय तो कोई यह कह दे कि ट्रेप का अरेंजमेंट करो। आप जिलाधीश से जानकारी करें कि सही है या नहीं।

परमाई जी ने ट्रेप अरेंज करने की बात कही है। तो जांच करायें कि उनसे दरख्वास्त की है या नहीं और डिप्टी कमिश्नर ने कहा या नहीं कि यहां के अधिकारियों को सब जानते हैं इसलिए यह ट्रेप में कामयाब नहीं होंगे, इसलिए लखनऊ के अधिकारी को बुलाकर ही ट्रेप कामयाब हो सकेगा। दो आदमी हैं मुनीश्वर और हरिहर सिंह । एक आदमी थाने जाता है--मुनीश्वर और दूसरा जिलाधीश को इत्तला करता है कि जाकर इन्तजाम कीजिये कि रंगे हाथों पकड़े जायं। तब डिप्टी कमिश्नर ने कप्तान को अपने यहां तलब किया । शेर दिल वहां के डिप्टी थे। इसकी जानकारी कीजिये कि उनसे राय ली थी इस मामले में ट्रेप की कि इन्तजाम कैसे किया जाय और लखनऊ से किसी अफसर को बुलाकर यह ट्रेप मुमकिन हो सकेगा। तो डी०-वाई० एस० पी० को इल्म होता है, कप्तान को होता है, डिप्टी कमिश्नर को होता है। इन सारे लोगों के ट्रेप का इल्म हुआ। उसकी पूर्व सूचना उसको मिल जाती है और ३ तारीख को जब तलब किये गये तब इनका कहना है कि शेरदिल ने इंचार्ज बघौली को पहले आगाह कर दिया। इस प्रकार के आपके पास कोई तथ्य हैं ? इसकी जांच की जाय। आप हंसते हैं और सीना फुलाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम कड़ी कार्यवाही करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे और दूसरी तरफ सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि दरोगा अच्छा है, बिलकुल सही है, उसने सही सही-काम किया, परमाई जी झूठ बोल रहे हैं---सीधे-सीधे आप की बहस का यही मतलब होता है ।

इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अगर यह बात सही है जो आपने कही है कि सचमुच २१ को यह रिपोर्ट हो जाती अगर उनको इत्तिला हो गयी थी कि शिवरानी के ऊपर जबर्दस्ती कर के झूठी रिपोर्ट करायी गयी। तब २१ के बाद उन्होंने कौन सी कार्यवाही की। १६४ वगैरह के कलमबन्दी बयान होते हैं। क्या उस ट्रेप के फेल हो जाने पर यह नहीं हुआ ? ३० से लेकर ५ तक जो लखनऊ के शाही साहब गये थे ट्रेप के लिये उनको जो पूर्व सूचना हो गयी थी उसकी वजह से वह विफल हो गया। कोई भी आदमी यह समझ लेता कि अब जो यह कार्रवाई हो रही है उसके पीछे बदले की भावना जरूर है। लेकिन आप यह भी नहीं समझे। १६४ का बयान ८ मार्च के पहले कलमबन्द नहीं होता है और ७ मार्च को शिवरानी थाने बुलायी जाती हैं। वहां पर उसके बच्चा भी हो जाता है।

२१ से २९ तक तो उधर निकल गये और ८ दिन इसके निकल गये। कम से कम १५-२० दिन यह दरोगा क्या करते रहे और यह सही था कि जबरदस्ती दस्तखत करवा लिए हैं। दूसरी तरफ दारोगा को मालूम भी हो जाता है। क्यों नहीं पहले ही सोचा कि उसके बयान कलमबन्द करा दें और अस्लियत सामने आ जाय। आप इसे बिलकुल नजरअन्दाज करते हैं। मुनेश्वर सिंह और हरिहर सिंह कहीं मफरूर नहीं हैं लेकिन ८७-८८ की कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाती है । वह थाने जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर के सामने जाते हैं, सब को इत्तला है, अधीक्षक और उपाधीक्षक

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

को इत्तला है और फिर ८ तारीख को दरख्वास्त देते हैं कि ये लोग मफरूर नहीं हैं और भी ८७-८८ के तहत कुर्की के आदेश ले लेते हैं। बीच में कहीं कुछ नहीं है। कोई आदमी दुनिया में मान सकता है सिवाय आपके कि ये लोग मफरूर थे जब वे थाने गये हैं, परमाई लाल जी के पास गये हैं और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं। फिर भी आपकी समझ में नहीं आता कि ये लोग मफरूर नहीं थे और ८७-८८ की कार्रवाई की भावना के पीछे जरूर बदले की भावना काम कर रही हैं।

उसमें मुल्जिम कौन बनाये गये ? रामेश्वर, हरिहर सिंह, अवसान सिंह, मुनेश्वर सिंह। मान लीजिये ये मुल्जिम हैं। औरत ने इनको १६४ में कलमबन्द कर दिया है। लेकिन कुर्की के दौरान किन-किन के मकान लूट लिये गये ? खाली इन्हीं तक सीमित हैं ? १० नाम हमको बताये गये हैं। रामेश्वर सिंह, हरिहर सिंह, मुनेश्वर सिंह, अवसान सिंह, सुखरानी महरी, अससर सिंह, बहादुर सिंह वगैरह। बैल कुर्क किये जाते हैं और थाने ले जाये जाते हैं। वहां से काजीहौज ले जाये जाते हैं जो बघौली में ही है। १६ बैल कुर्क किये जाते हैं। इत्तफाक एक सिपाही एक बैल को जहर दे देता है जिससे कांजीहौज पहुंचने के पहले ही यह बैल मर जाता है। कोई आदमी जो समझदार होता वह पोस्टमार्टम करा लेता। लेकिन आप इन सारी चीजों को बिल्कुल छोड़ देते हैं।

आपकी समझ में नहीं आता है। भगवान की दया से आप किसी से सलाह भी नहीं करते हैं। मुख्य मंत्री से ही पूछ लेते या आपका जो सेक्रेटरी है उससे पूछ लेते कि कौन-कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिये और फिर देखते कि उन चीजों पर आपका ध्यान गया है या नहीं। वरना हम लोग शिकायत उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिस अन्दाज आप लोग बयान देते हैं वह भी हम लोगों को मालूम है। यहां पर हालत यह हो गई है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल किया जाता है तो उसको सार्टीफिकेट मिल जाता है कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसलिये हमारे जैसे सदस्यगण ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सवाल करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं। जब नियम ५१ के जरिये आपका ध्यान दिलाया जाय या नियम ५२ के अन्तर्गत बहस मांगी जाय तब भी विभाग से जो लिख कर आ जाय वही पढ़ दिया जाता है। आखिर यह भी सोचा है कि यह लिखता कौन है। वही लिख कर भेज देता है जो थानेदार, डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट होते हैं वही लिख कर भेजते हैं।

जब भी डकैती या कत्ल की वारदात होती है तो कानूनन जो पुलिस के रूल्स और रेगूलेसन्स हैं उनके तहत एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी जाती है। यह जिलाधीश, सुपरिंटेंडेंट, डी० आई० जी और आई० जी० के पास भेजी जाती है। इसका मकसद यह होता है कि इसमें वाकआ का सब्सटेंस दिया रहता है, वहां पहुंचने का रास्ता दिया जाता है, उस रास्ते से घटनास्थल पर पहुंचा जा सके ताकि कोई भी अफसर चाहे तो मौके पर जाकर देख लें कि ऐसे संगीन जुर्म में कार्यवाही ठीक से हुई या नहीं। इसकी जांच के लिये यह स्पेशल रिपोर्ट इन अधिकारियों के पास भेजी जाती है।

मैं कहना चाहता हूं कि करीब करीब हर डकैती और कत्ल में सर्किल आफिसर और डी० वाई० एस० पी० जरूर तफतीश में जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि इन अधिकारियों में कोई वहां गया था या नहीं ? दूसरे दिन उनको पहुंच जाना चाहिये था। लेकिन कोई नहीं गया। इससे यह मतलब निकलता है कि आपके हरदोई का पुलिस महकमा बराबर इस दरोगा को शह देता रहा है। अगर ये लोग वहां गये होते और इनकी जानकारी में यह बात आ गई होती तो मामला ही बदल गया होता लेकिन वहां पर कोई नहीं गया। आप मालूम कीजिये कि क्या वजह है जब तमाम शिकायत हो रही है, रिश्वत

को दरख्वास्त पड़ रही है। लेकिन इन लोगों में से कोई भी नहीं गया। इसका साफ मतलब यह है कि दरोगा जो भी कर रहा है उसमें वहां के सभी लोग शामिल हैं। यह सारी चीज हो रही हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं आता है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ?

यह वारदात हो गई ह और हम आपको क्या कहें। कोई अल्फाज समझ में नहीं आते हैं। हो सकता ह कि आप कहें कि हम ज्यादा सख्त बात कह रहे हैं। किस दीदादिलेरी के साथ आपने एक एम० एल० ए० के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि वह झूठ बोल रह हैं। कोई आदमी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता है। आप से उम्मीद थी कि आप छानबीन करायेंगे वरना इस बहस को क्यों कराते। हमारे उपाध्यक्षजी ने समझा कि कोई न कोई मामला जरूर है। शायद परमाई लाल जी अपनी चीज ठीक तरह से न रख पाये हों। जो रिश्वत की दरख्वास्त लग रही है उसको गुलजिम बनाया जा रहा है। आपने साबित कर दिया और आप कहते हैं कि कड़ी जांच करायेंगे। इसके बाद कौन जांच करेगा। किसी की हिम्मत है। आपके डी० आई० जी० और आई० जी० की हिम्मत है। आप सोचते क्यों नहीं हैं कि दूसरे दिन की बात कही गई है औ जो बयान कलमबन्द हुये हैं वे पहले क्यों नहीं कराये गये। इसके बाद क्यों होते हैं। फिर कितना दीदा दिलेर आदमी है कि एम० एल० ए० के घर पहुंच जाता है। यह कामयाब हो गया होता। अगर शेरदिल ने उसको आगाह न कर दिया होता आखिर क्या जरूरत थी लखनऊ से आदमी के जाने की जब जिलाधीश को जानकारी में यह चीज आगई थी तो वहीं पर ट्रेप अरेंज हो सकता था कोई जरूरत नहीं थी कि लखनऊ से आदमी भेजा जाता। और जिस दिन ट्रेप ले करना है उसके १५ दिन पहले आदमी भेजा जा रहा है, भला आप उससे कैसे से समझते हैं कि कोई फल निकलेगा। यह आपके ब्यूरोक्रेसी का एक नमूना है। जब पहले ही दिन दरोगा को यह मालूम हो गया था कि यह मामला झूठा है तो उसने अपने कप्तान, सर्किल आफीसर की दानिश में इस मसले को लाना चाहिये। आपने इनमें से किसी तथ्य की ओर कोई प्रकाश नहीं डाला है केवल आसानी से आपने तोता मैना की तरह से एक बयान को पढ़ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि वे पता लगायें कि २८ तारीख को रामेश्वर और हरिहर सिंह को थाने ले जाया गया या नहीं। दूसरी बात कि यह गुप्ता वगैरा के हस्क्षेप से उन्हें छोड़ा गया या नहीं, यह बात सही है या नहीं है। तीसरी बात यह कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी जिसने सर्किल आफीसर, और पुलिस अधीक्षक को अपने फर्ज को अदा नहीं करने दिया, चौथी बात यह कि क्या वजह थी जब २१ तारीख को ही दरोगा को यह मालूम हो गया था कि मुकदमा झूठा ह तो आज से पहले यह चीज कलम बन्द क्यों नहीं की गयी थी। जब औरत को थाने में ही बच्चा हुआ था तो उसको लिखा गया होता। आज तक अपने बयान से जो भी कुछ आपने फौजदारी के मुकदमें में बिगाड़ दिया है, बावजूद उसके मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश करेंगे जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाय।

इसके साथ ही साथ गांव में जो कुर्की हुई ह उसमें पुलिस को कितना अतिक्रमण हुआ कि जो लोग मफरूर नहीं हैं, उनको भी अदालत में पुलिस ने मफरूर दिखाकर उनका भी वारंट कटा लिया है और जब कुर्की की नौबत आयी, धारा ६४ के बयान में जिन लोगों का नाम था, उनसे भी बाहर जाकर दूसरे लोगों की भी कुर्की की गयी है। आपके आज के बयान ने कत्ल के इस मुकदमे को बिल्कुल ही मिट्टी में मिला दिया है। इसलिये और आप कुछ भी न करें लेकिन थोड़ी देर के लिये इसका पश्चाताप तो कर लें।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

श्रीमान् जी, जो भी वाकया सामने आया है उसमें २-३ चीजें ऐसी हैं जो इस सारी सिचुएशन को बड़ भारी कन्फ्यूजन में डाल देती हैं और जो जवाब दिया गया है उससे एक चीज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

यह साफ जाहिर नहीं है कि जब चार साल पहले महलूक ने एक वसीयतनामा अपने भांजे के नाम कर दिया और उसके तीन बरस के बाद शादी कर ली ऐसी बीबी से जो हामला थी। अब यह निश्चित हो गया कि एक मोटिव यह हो सकता है कि उसको यह ख्याल हुआ हो कि मेरा यह एक दुश्मन पैदा हो गया जो मेरी जायदाद का मालिक होगा। उसको छोड़ कर और ५ व्यक्तियों को मुल्जिम बनाया गया है। आखिर उनको कौन सा मोटिव था? इस मटर को साफ नहीं किया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं इसको २ मिनट में साफ किये देता हूं। जो देहात में अच्छी खासी हैसियत समझी जाती है वैसी जायदाद वह थी, कोई मामूली नहीं थी। दूसरा एक सबूत और दे दूं। महलूक की एक ओर पहले का एक लड़का जिसका नाम रामचन्द्र है। उसने एक सिविल सूट दायर किया और उस सिविल सूट के अन्तर्गत एक एडवोकेट को रिसीवर मुकर्रर किया गया। और एडवोकेट साहब और उन्होंने वहां के प्रधान और एक दूसरे आदमी को जो खेत और उसकी खड़ी फसल थी उसकी निगरानी और जिम्मेदारी में दिया। लेकिन इंचार्ज बघौली ने थाने के कर्मचारियों को और ५०० लठबाजों को लेकर वहां जाकर अदालत के द्वारा रिसीवर मुकर्रर किये जाने के बावजूद सारी खड़ी फसल उनकी कटवा ली नन्हें सिंह और वीरशाह सिंह के हक में और उनके सुपुर्द कर दिया।

आप कहते हैं कि इसमें कोई गलत मोटिव नहीं है। क्या दरोगा का काम यह था, वह चाहते थे कि नन्हें सिंह और वीरशाह सिंह बच जायं। मैं कहता हूं कि यह एक खुली साजिश थी जिससे पता चलता है कि अदालत के द्वारा रिसीवर नियुक्त किये जाने के बावजूद उन्होंने इस तरह से ३ मार्च को फसल कटवा दी और ३ ही तारीख को जब अदालत में इसकी शिकायत पहुंची तो अदालत ने वहां के पुलिस अधीक्षक के नाम हुक्म भेजा कि मौके पर फसल काटनेवालों को गिरफ्तार किया जाय और इंचार्ज बघौली के खिलाफ कार्यवाही करें। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने अदालत के हुक्म को तामील नहीं की, यह हालत आप की पुलिस की है।

श्री राजमंगल पांडेय—

इसमें जो सब से नासमझदारी की बात आ रही है वह यह है कि ७ तारीख को शिवानी पुलिस लाक अप में थी और उधर ३ से ८ तक सारी रिपोर्ट और स्क्वैड की तमाम बातें हुई लेकिन इससे पहले कोई भी इत्तिला पुलिस को मिली कि कातिल यह नहीं थे बल्कि दूसरे लोग थे। जैसा कि मुझे अभी दौरान श्री जायसवाल के भाषण के पता चला एफ० आई० आर० के ३ गवाह हुये जिनको मुलजिम बनाया गया है। २ के बारे में कोई इत्तिला भी नहीं थी, इसलिये इसमें मोटिव कुछ नहीं है, जो असिल मोटिव कत्ल की थी वह क्यों नहीं करेंगे और यह ५ आदमी बिना मोटिव के क्यों कत्ल करेंगे, यह इस रिपोट से साफ जाहिर नहीं होता।

दूसरे यह १९–२० की रात का वाकया है और ७ तारीख तक जब तक महलूक की बीबी थाने नहीं जाती तब तक कुछ जाहिर नहीं होता कि सही कातिल कौन है। अगर शिवदानी की रिपोर्ट हुई तो १५ दिन तक उसके दिमाग में कौन सी चीज थी कि ४ तारीख को रिपोर्ट करते हैं। १५ दिन की खामोशी के बाद जानकारी हुई कि सही रिपोर्ट यह है वह नहीं है। या तो शिवदानी का कोई बयान नहीं लिया और बाद में शिवदानी से रिपोर्ट लेकर मैजिस्ट्रेट के यहां ११४ की कार्यवाही करा लिया। जायसवाल जी ने कहा कि महलूक की बहिन का एक लड़का था उसका सिविल सूट चल रहा था। उस पर इनजेक्शन हुआ और फिर २ रिसीवर नियुक्त हुये। उन्होंने भी फसल के बारे में पूरी कार्यवाही की लेकिन फिर भी फसल कटी, यह ३ वाकया ऐसे हैं कि जिनमे मालूम होता है कि वह रिपोर्ट कनविंसिंग नहीं है। मुकदमे में क्या दरोगा केवल ५०० रुपया ही घूस लेगा? जायसवाल जी भी वकील रह चुके हैं हम भी रह चुके हैं लेकिन यह समझ में नहीं आता कि कत्ल जैसे अपराध में दरोगा ५०० रुपये ही लेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आज कल जो उदाहरण आ गये हैं उनको देखकर उन की हिम्मत बढ़ गई है ।

श्री राजमंगल पांडेय—

आप हिसाब लगायें तो २ में ढाई-ढाई सौ रुपए ही पड़े और मुलजिम अगर निर्दोष थे तो उनको थाने में ले जाने का सवाल ही क्या था। मैं नहीं जानता कहा जाता है और जायसवाल जी ने कहा कि उन की जमीन गुप्ता जी ने ले ली।

श्री परमाई लाल—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ये इससे सम्बन्धित नहीं है। उनको क्या जानकारी है, क्या ये उस वक्त हरदोई में थे। ५०० रुपया रिश्वत देकर गवाह तोड़ने की बात थी। इधर से भी कमाई की है और उधर से तो ले ही चुके थे।

श्री राजमंगल पांडेय—

शायद माननीय परमाई लाल जी को कुछ भ्रम हो गया है । एविडेंस रिबट नहीं हो सकती है। तो जब उसको मालूम था कि ये मुल्जिम नहीं थे तब फिर थाने ले जाने की बात करने की क्या जरूरत थी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, माननीय हरिहर सिंह और रामेश्वर सिंह को २८ तारीख को ले गये हैं। उनके खिलाफ उस वक्त तक कोई एविडेंस नहीं थी। उनको हवालात में बन्द करके सिवाय फंसाने के और कोई मामला नहीं रहता।

श्री राजमंगल पांडेय—

अगर कोई एविडेंस थी तो ये दोनों तो कत्ल के मुल्जिम थे, उनको जमानत पर छोड़ना ५०० रुपया लेकर यह बात समझ में नहीं आती। चूंकि यह मामला सी० आई० डी० को रेफर हो गया है इसमें डी० एस० पी० का भी कन्डक्ट आयेगा।

श्री परमाई लाल—

श्रीमन्, क्या ये मंत्री जी की ओर से जवाब दे रहे हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

क्या यह आपको ही तनाह अधिकार है। जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उनके ऊपर कह रहा हूं। अगर २ और २ चार होते हैं तो परमाई लाल जी के कहने से वे ६ नहीं हो सकते हैं। दो दो चोर नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनसे ५ सौ रुपया थानेदार ने लिया हो और दोनों को हवालात में ले जाय गया हो, यह बात समझ में नहीं आती है चूंकि यह मामला अब सी० आई० डी० को रेफर हो गया है तो मेरी प्रार्थना है कि हम थोड़ी देर इसमें इन्तजार कर लें।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

कत्ल की फर्स्ट एफ० आई० आर० में अगर एक घंटे लेट भी लिखी जायगी तो मुल्जिम छूट जाता है। दूसरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है। चाहे अपनी चार्ज शीट में कुछ लिख लेकिन फर्स्ट एफ० आई० आर० गलत नहीं कर सकता है। जिन आदमियों को एफ० आई० आर० में लिखा गया था, क्या वजह थी कि उन आदमियों को नहीं पकड़ा गया। यह कस हाई कोर्ट में आयेगा। यह बात नहीं है कि उन मुल्जिमों को बचाने के लिए दूसरी रिपोर्ट लिखायी

[श्री राम प्रसाद देशमुख]

है। कत्ल के मामले में घटना होते ही लिखी जानी चाहिए थी। यह वकीलों की बहस की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि इस कस में सी० आई० डी० पता लगाये। अगर कस अदालत में जायेगा तो एफ० आई० आर० से छूट जायगा। अगर दारोगा चाहता तो उसी बात पर एंक्शन लता। यह मेरी मंशा है।

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सन्दर्भ में श्री परमाई लाल जी ने इसमें मेरा नाम लिया है। वास्तविकता यह है कि श्री परमाई लाल जी ने पहली तारीख यानी होली के दूसरे दिन टलीफोन किया और इस बात पर चर्चा की कि, ट्रेप होना है मि० साही, एस० ओ० बघौली के विरुद्ध। मैंने जिलाधिकारी जे० एन० रंजन को टेलीफोन किया कि श्री परमाई लाल को शिकायत है और फलां फलां गांव के लोग हैं जिनसे श्री शाही अनधिकार तरीके से रिश्वत लेना चाहते हैं। सिंहा जी ट्रेप करने का मामला है। उन्होंने कहा कि मैं अरेंज कर दूंगा।

यह ठीक है कि जो वाकया की रिपोर्ट लिखाई गई है वह १९–२० की है। मौके पर यह बारह तारीख मार्च की बात है। मैं अपने एग्रीकल्चर फार्म पर गया था खेती के सम्बन्ध में। उसी विकास खंड में खेती होती है और वह श्री परमाई लाल का क्षेत्र है। श्री परमाई लाल वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि ग्राम में चलना है। मैं मौके पर गया। मैंने लोगों से वहां बातचीत की और लोगों को इकट्ठा किया। चर्चा आई, उसमें बहुत सी बातें मेरे सन्मुख आइ। पहली बात तो यह है कि जो रिपोर्ट एफ० आई० आर० १९–२० को श्रीमती शिवरानी बेवा महाराजने लिखाई है उसमें मोटिव स्पष्ट था उसमें तीन चार आदमियों के नामों को लिखाया है इसके अतिरिक्त और व्यक्तियों की बात नहीं की। मि० साही, एस० ओ० जिनकी रेपुटशन अच्छी नहीं है उनके इलाके में रेपुटेशन यही कही जाती है, सौ-सौ दो-दो सौ रुपये रिश्वत लेते हैं, हो सकता है इसमें पांच सौ रुपये भी ले लिये हों यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे (रामेश्वर सिंह आदि) मेरे घर पर भी गये थे। मैं मौके पर भी गया। तब भी वे लोग मुझे मिले थे।

यह भी बात ठीक है कि पहली तारीख से लेकर पांच तारीख तक ट्रेप बराबर चलता रहा। ८७–८८ की कार्यवाही जो की यह कह कर मुल्जिम फरार है यह भी उचित नहीं मालूम पड़ता। जिलाधिकारी और एस०पी० की नालेज में था और अधिकारियों की भी नालेज में था, शिकायतें हो रही थीं, डी० आई० जी० की भी नालज में था, सब अधिकारियों की नालेज में है। तो यहि कहना कि उनको पता नहीं था यह मुनासिब नहीं लगता। वहां जब गया १२ तारीख को, वास्तविकता तो यह है कि महराज सिंह मरहूम ने, बेवा श्रीमती शिवरानी से शादी कर ली। उनक बच्चा होने को था। जिनका नाम शिवरानी ने लिखाया उनके नाम वसीयत की गई थी। विलवालों को उस में दिलचस्पी होना सम्भव था क्योंकि बिल बदली जा सकती है। विल बदलन के बाद वह महरूम हो सकती है। मोटिव बहुत क्लीअर मालूम होता है। दूसरा कारण नहीं मालूम होता है।

रामेश्वर सिंह और मुनीश्वर सिंह जिनके खिलाफ कार्यवाही की बात है, इनका क्या मोटिव हो सकता है। क्योंकि महराज सिंह मरहूम के दो बहनें थीं। पहली और दूसरी दोनों के लड़कों के नाम वसीयतनामा किया गया था। दोनों बहनें जिन्दा हैं, बेवा जिन्दा है लड़का होने को था। ऐसी सूरत में रामेश्वर सिंह और मुनीश्वर सिंह का क्या मोटिव हो सकता है। ये जायदाद पायेंगे यह नहीं हो सकता, क्यों मडर करता, उनका मोटिव क्या हो सकता है। मोटिव भी बड़ा क्लीअर है।

तीसरी बात यह थी कि ८७/८८ की कार्यवाही जो की गयी है वह बदला लेने की भावना से की गयी है जिससे उस इलाके में आतंक छा जाय और कोई बात किसी तरह की न कह सके

एस० ओ० ने शिवरानी को थाने में बन्द रखा। उनको यह भय हो गया था कि कहीं शिवरानी मार डाली न जाय, इसलिये उनको प्रोटेक्शन देने के लिये थाने में रखा। अगर प्रोटेक्शन देना था तो उसको जेल में देते, किसी होम में रखते। लेकिन प्रोटेक्शन के यह माने नहीं है कि थानेदार अपने थाने में रखे जहां उसके लड़का पैदा हुआ और पुलिस के प्रेशर में रहकर उससे १६४ का बयान दिलवाया गया।

जिन लोगों के खिलाअ ८७/८८ की कार्यवाही की है उसमें एक भिखारी नाम का गड़रिया है। उसने मुझे बयान दिया उसके दरवाजे चीर डाले गये सिपाहियों द्वारा। मैं नहीं समझता कि ८७/८८ में क्या यह वाकया हो सकता है। सुखरानी मेहरी को लूट लिया गया। कहने का मतलब यह है जितने विटनेसेज थे उनके खिलाफ ८७/८८ की कार्यवाही की है। यहां तक कि उस गांव के ग्राम सभा के प्रधान के खिलाफ भी कार्यवाही की गयी जो कि उनको पकड़वाने में दिलचस्पी रखता था। एक बात यह भी है कि उन्होंने ९ तारीख को श्री बीरेन्द्रसिंह प्रधान के लड़के को मारा और इसके अलावा श्री पृथ्वीपाल सिंह, केसर सिंह को पकड़ने के लिये भगाया जिससे उन्हें चार मील दौड़ना पड़ा। १२ तारीख को श्री असेसर सिंह ने मुझे मौके पर बताया कि एस०ओ० के कहने पर उनके सिपाहियों ने उन्हें बुरी तरह से मारा इसमें एक बात यह भी है कि जब बच्चा थाने में हुआ तो रुपयों की जरूरत महसूस हुई। उसकी वसूलयाबी के लिये पुलिस के सिपाहियों ने जोर और जुलम किया। ५० रुपये तेजा से वसूल किये, ५ रुपये दुलारे से वसूल किये, २० रुपया सधारू से तथा २५रु० राम बिलास से वसूल किये, इस तरह से १०० रुपया उसकी तीमारदारी के लिये वसूल किये गये।

मान्यवर एक बात यह कही गई कि ५०० रु० लिये। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई डकैती पड़ती है, कत्ल होता तो पुलिस के लोग इधर-उधर के लोगों को भी पकड़ लाती है और धमकाती है कि उनको इसमें फंसा दिया जायेगा और रुपया वसूल करती है। मैं तो अपने जिले की बात करता हूं और मैं समझता हूं कि पुलिस के जो तरीके हैं उसे अन्य माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि जिस तरह से वसूल किया जा सकता है। यह कोई बड़ी घटना नहीं है। इस तरह से १००–२००–४०० रुपया वसूल करना कोई बड़ी बात नहीं है।

मैं तो कहूंगा कि इसमें एक बात जरूर है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह बात एस० पी० महोदय से नहीं कहना चाहिये। एस० पी० उसी विभाग का है और इसने यह कह दिया चूंकि यह उसी के विभाग का मामला है, वह इसमें नहीं पड़ना चाहता। यह सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से एस० पी० को मिल गई और वह यह जान गया कि किसी एस० ओ० के खिलाफ ट्रेप किया जा रहा है। उसने यह बात मासिक मीटिंग म २ तारीख को कह दिया कि आप लोगों के खिलाफ ट्रेप किया जा रहा, इसलिये सतर्क रहिये।

इस प्रकार सारे जिले के अधिकारी सचेत हो गये। पुलिस के दरोगा को उन व्यक्तियों को देखना है। उनसे यह काम नहीं हो सकता। इसलिये सी० आई० डी० की इंक्वायरी जरूरी हो गई है। निःपक्ष इन्क्वायरी तभी हो सकती है जब वहां से एस० ओ० का ट्रांसफर हो जाय, अच्छा तो हो कि उसको सस्पेड कर दिया जाय लेकिन कम से कम वहां से ट्रांसफर तो कर ही दिया जाना चाहिये और यह तुरन्त ही किया जाना चाहिये।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह मामला ऐसा मालूम होता है कि १४६ बीघा जमीन जिसकी कीमत १ लाख रुपया है उसको बरबाद करके लूट रहे हैं और वह किसकी हो जाय, सारी तो बुनियाद यह है। दरोगा जी को वहां पर डेढ़ साल हो गये हैं उसी थान में। ऐसा मालूम होता है कि उसके भांजे जिनके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियाकत हुसेन]

नाम वसीयतनामा था उन्होंने उस दिन से दरोगा जी से प्लान बनाना शुरू कर दिया था जब से उनको मालूम हुआ कि इस औरत के अमल है और बच्चा पैदा होने वाला है । उसी दिन से यह प्लानिंग शुरू हो गई । १९–२० तारीख की रात में कत्ल हुआ और सबेरे उसकी मुसम्मात की दरख्वास्त पहुंची थाने । उसके बाद दरोगा जी मौके पर पहुंचे । उस समय सबसे बड़ा काम दरोगा जी का यह होना चाहिये था कि मौके पर पहुंच कर तसदीक करते उस औरत से जो उन्होंने नहीं किया ।

दरख्वास्त चौकीदार के हाथ गयी थी । यह तसदीक करनी चाहिये थी, जहां एक तरफ लास का प्रबन्ध किया जा रहा था उसको सील मोहर किया जा रहा था, कि आया वह दरख्वास्त उसी की लिखी थी और अंगूठा उसी का लगा था या नहीं या फिर दरख्वास्त दूसरे की लिखी हुई है । इसको दरोगा ने नहीं किया । मौके पर ऐसा जुर्म होने के बाद कोई सी० ओ० भी नहीं पहुंचा उसको इन्वेस्टीगेशन करने के लिये । इससे जाहिर है कि दरोगा जी को इसका इल्म था कि आज रात में कत्ल होगा । साथ ही जो नीचे से ऊपर तक अधिकारी थे उनको भी मालूम था । एक लाख रुपये की जायदाद में से १०,२० हजार रुपया तय हो गया होगा और यह कहा होगा कि यह काम हम करवा देंगे और तुमको मुकदमें से भी बचा लेंगे और यह रकम हमको दे देना । यह रकम उन्होंने उनके भांजे से तय कर ली होगी ।

रामेश्वर या हरिहर सिंह को बुलाया जाना इस लिये था कि जो थोड़ा बहुत पैसा तय हुआ था वह मिल जाय जिनको १४६ बीघा जमीन कत्ल करने के एवज में मिलने वाली थी और वह मिल गयी । वह जमीन ही नहीं मिली साथ ही जो खड़ी फसल थी उसको भी पुलिस की फोर्स भेजकर कटवा लिया जिसका फायदा भी भांजो को मिला । साफ-साफ बात यह है कि एफ० आई० आर० का मोटिव ठीक था । हर एक का इन्वेस्टीगेशन होने में देर लगती है । एक गजेटेड आफिसर सी० ओ० होता है उसका यह काम होता है कि मौके पर जांच करके मोटिव स्टेब्लिस करता है कि किस कारण से मर्डर है । मोटिव बिल्कुल ही ठीक था और उसका इन्वेस्टीगेशन फौरन ही होना चाहिये था और उसको करने में देर लगायी गयी ।

उसके बाद उस औरत को थाने में बुलाया गया । वह औरत के अमल है, सबेरे ही उसके बच्चा होने वाला है । लोगों का प्रेशर पड़ा कि इसके बयान का आधार बनाकर इस मुकदमें को इसके भांजो से निकाल कर दूसरों पर डाल दिया जाय । दूसरी तरफ उस गांव के लोगों को बुलाकर जिनसे खतरा था कि यह लोग इस मुकदमें के खिलाफ गवाही दे सकते हैं, तफतीश करा सकते हैं, उनको इम्पलीकेट करके या हैरेस मजबूर करके कर दिया कि कहदें कि इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है । यह मामू भान्ज का मामला है । दरोगा जी आप कुछ भी कीजिये । इसलिये उनको हैरेस किया गया ।

यहां दो-तीन बातें आती हैं । अगर दरोगा जी को यह मालूम हो गया, एस० पी० और डी० एस० पी० को मालूम हो गया कि यह रिपोर्ट जो मुसम्मात ने लिखाई है गलत है, तो उस रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट दर्ज होना चाहिये थी, वह नहीं हुई । महज अपनी ताकत से बुलाकर उनको मुल्जिम बना दिया है और उनको हैरेस करके लूटमार का रास्ता खोल दिया है । असल में दूसरी रिपोर्ट कायम करना चाहिये थी और उन मुल्जिमों को बाकायदा गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिये था । वह नहीं किया गया । लिहाजा मैं आपके द्वारा सरकार से और मंत्री जी से यह गुजारिस करूंगा कि यह एक ऐसा मामला है जो आपके सूबे में ना मालूम कितने होते हैं जिनमें पुलिस वाले प्लान्ट तरीके से किसी पार्टी के इन्टरेस्ट में चाहे जमीन हो, औरत हो या कोई दूसरी बात हो, एक पार्टी से मिलकर वारदात कराते हैं ।

यह पर्टीकुलर इक्जाम्पिल है कि १४६ बीघा जो एक लाख रुपये से ज्यादा की प्रापर्टी थी, खड़ी फसल पार्टी के इन्टरेस्ट में पुलिस ने शामिल होकर कटाई है । आप कितना ही इन्स-

इन्वेस्टीगेशन कराइये, सी०आई०डी०को केस दें लेकिन बात सही बात नहीं आ सकती है जब तक कि उस थाने के जितने भी लोग हैं और इस मामले से जिनका ताल्लुक है, उनको ट्रान्सफर करके कहीं दूर न भेज दिया जाय। हरदोई का यह मामला है उनको गोरखपुर या देवरिया भेज दीजिए जिससे वह इस केश में आकर जो उनके खिलाफ गवाह हैं उन पर दबाव न डाल सकें। इस बात के बगैर न सी० आई० डी० की इन्क्वायरी कम्पलीट होगी और न जुडीशियल इन्क्वायरी होगी ।

दूसरी चीज यह है कि इस केश को किसी जुडीशल आफिसर या जज को दें जिससे यह इक जाम्पिल बन जाय और प्लान्ड मर्डर न कराये जायं। एक तरफ दो एम० एल० एज० के सम्मान की बात है और दूसरी तरफ चन्द कांन्सटेबुल और थानेदार हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिये। तभी न्याय हो सकेगा। मुकदमें में १६४ के बयान करा दिये गये हैं इसलिये आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह.....

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं तो बैठा हुआ हूं, आपकी निगाह कैसे पड़ गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नाम था इसलिये कहा।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं तो बैठा हूं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बयान दिया उसको सुनकर किसी भी आदमी को आश्चर्य होगा। आश्चर्य इस लिये होगा कि अभी इसी शहर लखनऊ में एक हरिजन महिला के बारे में घटना हुई। माननीय चौधरी साहब बयान दे रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न किया जब म मुख्य मंत्री और गृह मंत्री था तो मैंने एक परिपत्र हर जिला इकाई को (पुलिस) को भेजा था कि जहां कत्ल, डकैती या औरतों के साथ ज्यादती और बलात्कार की घटना हो तो उस जिले के पुलिस के उच्च अधिकारी को फौरन वहां चले जाना चाहिये। यह सब सरकार ने उस दिन कबूल किया कि इस प्रकार का परिपत्र है और उसको पुलिस की इकाइयां फालो करेंगी।

श्रीमन्, एक कत्ल हुआ और कत्ल में कौन सा आदमी जाता है जांच के लिये ? वही थानाध्यक्ष जो कि मुल्जिमान से मिला हुआ था, जिसके खिलाफ, जैसाकि जायसवाल साहब ने बताया, दरख्वास्त थी कि वह मुल्जिमों के साथ मिलकर तमाम जायदाद बटवाना चाहता है। मैं मानता हूं कि एस०पी० को यह तथ्य उस तारीख तक नहीं मालूम था कि वह मुल्जिमान से मिला था। लेकिन उस दिन एस०पी० को मालूम हो गया जिस दिन कि जिलाधीश को बताया गया जिलाधीश ने पुलिस एस०पी० सबको इसकी इत्तला दी। लेकिन वही थानाध्यक्ष फिर जाता है। जिसके खिलाफ दरख्वास्त थी, वही जांच करने के लिये फिर १० तारीख को जाता है। वास्तव में सी०आर० पी० सी० के हिसाब से उसको करनी दो चीजें थीं, पहले वह जाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करता और फिर बाद में तफ्तीश करता। उसने औरत की रिपोर्ट लिखी, गलत या सही। थानाध्यक्ष ने बजाय मुल्जिमान को पकड़ने के तफ्सीस की। १६४ का बयान तो रिपोर्ट की ताईद का होता है। इस प्रकार हम इन तमाम बातों को देखें तो पाते हैं कि थानाध्यक्ष ने इस सारे मामले में लीपापोती करदी। यह जो सारी कार्यवाही है, वह तमाम लूट-खसोट और घूसखोरी के बाद हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

मान्वर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूंकि क्या रिश्ता है मुख्य मंत्री जी का पुलिस से । क्यों वे इस प्रकार पुलिस विभाग की तरफदारी कर रहे हैं और क्यों पुलिस के काले कारनामे पर पर्दा डालने की कोशिश होती है, सरकारी पक्ष से । मान्यवर सरकार की जिम्मेदारी है कि हरेक आदमी के जान-माल की रक्षा करें । आप सी० आई० डी० से क्या जांच करायेंगे ? क्या आप पता लगायेंगे कि मुलजिम कौन है ? आखिर स्पष्ट है कि थानेदार ने जाकर जांच क्यों नहीं की उस दिन ? क्या जो कारण आपके सामने बतायेगये वे काफी नहीं हैं उन पुलिस वालों को मुअत्तल करने के लिये ? आपको थानेदार को शीघ्र मुअत्तल करदेना चाहिये । अगर आप उनके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही नहीं करते हैं तो इस सदन को सोचना पड़ेगा कि कहीं माननीय मंत्री जी का भी हाथ तो उसमें नहीं है ।

श्री परमाई लाल—

जबाव में जायसवाल जी बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अगर नहीं बोलते तो अब मंत्री जी जबाव देंगे ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों के अच्छे-अच्छे सुझावों को सुना और मैं उनको उसके लिये धन्यवाद देता हूं । जो कमियां रह गयी हैं मैं उनकी अवश्य जांच करवाऊंगा । जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी। मेरे मित्र जायसवाल जी ने बड़ी-बड़ी बातों को कहा वे भी मंत्री रह चुके हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बड़ी-बड़ी बातों का भी इन पर कोई असर नहीं हुआ । हम अगर मंत्री होते तो यहां पर बयान होने से पहले ही कार्यवाही हो गयी होती ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो जितने दिन वे मंत्री रहे उनको मालूम होगा कि नीचे से जो सूचना यहां आती है उसी के आधार पर यहां बयान दिया जाता है । उन्होंने अगर तोता रटन कहा है तो मैं कह सकता हूं कि उनकी बातें कौआ रटन हैं । (व्यवधान) मान्यवर, यह जो जायसवाल जी ने कहा कि जो दो मुलिजमान नहीं थे उनको पुलिस पकड़ कर थाने ले गयी और बाद को जमानत पर उनको छोड़ा हमें जो सूचना उपलब्ध है उसमें इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है । यह भी सूचना नहीं है कि ५०० रुपये का देने का जब वायदा किया गया हो तब उनको छोड़ा गया हो । (व्यवधान) मैं बैठ नहीं रहा हूं । (व्यवधान) जो और बातें आपने कहीं हैं उनको मैं जांच कराऊंगा ।

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई अधिकारी मौके पर नहीं गया । मेरे पास यह भी सूचना नहीं कि थाने में स्त्री के बच्चा हुआ । ऐसी कोई सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है । परन्तु जो तथ्य सामने रखे गये हैं माननीय सदस्यों द्वारा, उनके बारे में मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इन सारी बातों की अलग से सी० आई० डी० के जरिये से जांच करवा लूंगा । मैं इस पर एक रिपोर्ट मंगवाने का प्रयास करूंगा और यदि वे दोषी पाये जायंगे तो फाइनल रिपोर्ट आने के पहले ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई की जायेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यदि और भी तथ्य आपके पास हों—श्री परमाई लाल या अन्य सदस्यों के पास, तो वे भी मुझे बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ अप्रैल, १९७२।

संसद टीवी

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२५ पर)

चीनी मिलों में चीनी के स्टाक का ब्योरा

क्रमांक	चीनी मिल का नाम	सन् १९७०–७१ के उत्पादन का ३०–११–७१ का स्टाक (मीट्रिक टनों)
पश्चिमी क्षेत्र		
१	इकबालपुर	२,८१४
२	डोईवाला	१,५७३
३	देवबन्द	४,६९३
४	लक्सर	४,८८१
५	सहारनपुर	१,९७३
६	सरसावा	१,३८५
७	मंसूरपुर	४,५०५
८	खतौली	३,३६८
९	रोहाना	१,९५९
१०	शामली	६,००१
११	सखौती	४,३२१
१२	दौराला	३,६६५
१३	जसवन्त	२,५१४
१४	मोहिउद्दीनपुर	९५८
१५	बेगमाबाद	१,८६७
१६	सिम्भावली	३,७४७
१७	मोवाना	७,२३२
१८	बागपत	२,०८९
१९	बुलन्दशहर	१,४१०
मध्य क्षेत्र		
२०	काशीपुर	५,४३६
२१	बाजपुर	५,०११
२२	न्योली	३,५६०
२३	मभरोहा	३,०१७
२४	बिलारी	२,१३०
२५	बहेड़ी	८,०९१
२६	बरेली	२,०४५
२७	पीलीभीत	३,३१४
२८	मझोला	४,४९८
२९	धामपुर	५,०५८
३०	सिवहारा	१३,८७३
३१	बिजनौर	९,९९६
३२	रोजा	३,५६५

क्रमांक	चीनी मिल का नाम	सन् १९७०–७१ के उत्पादन का ३०–११–७१ का स्टाक (मीट्रिक टनों)
३३	रजाबुलन्द	७,१६७
३४	हरदोई	५,७२५
३५	हरगांव	१२,७५५
३६	महोली	२,७४९
३७	बिसवां	२,०४८
३८	गोला	३,०४३६
३९	ऐरा	५,७४५
	पूर्वी क्षेत्र	
४०	बाराबंकी	१,७५६
४१	बुढ़वल	१,७६८
४२	मसौधा	२,३१३
४३	शाहगंज	१,३५६
४४	खलीलाबाद	१,२२३
४५	मुन्डेरवा	१,६९५
४६	बस्ती	२,८४२
४७	बाल्टरगंज	१,४८१
४८	बभनान	१,६३०
४९	नवाबगंज	१,९८५
५०	तुलसीपुर	५,३७१
५१	बलरामपुर	३,२०२
५२	जरवरोड	२,८२५
५३	प्रतापपुर	५,५६६
५४	बैतालपुर	४,६६७
५५	गौरीबाजार	१,९२९
५६	देवरिया	४,२५२
५७	कप्तानगंज	९,३२४
५८	खड्डा	१,३२०
५९	छितौनी	६,२३९
६०	लक्ष्मीगंज	२,६०२
६१	रामकोला (पी)	१०,७३९
६२	रामकोला (के)	२,६२६
६३	पड़रौना	५,०१३
६४	कठकुईयां	४,१११
६५	सिवराही	७,३२९
६६	भटनी	१,५५१
६७	सरदारनगर	७९६
६८	पिपराइच	२,९५१
६९	घुघली	३,९५८
७०	सिसवाबाजार	३,२६८
७१	फरेंदा	२,६३३

नोटः—एक मीट्रिक टन में १० क्विंटल अर्थात् दस बोरे होते हैं।

नत्थी 'स'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२७ पर)

प्रदेश की चीनी मिलों पर वर्ष १९६९-७० एवं १९७०-७१ का २९-२-७२ तक गन्ना मूल्य व उपकर/क्रयकर की बकाया की स्थिति (लाख रुपयों में)

क्रम-सं०	नाम चीनी मिल	वर्ष १९६९-७०			वर्ष १९७०-७१		
		गन्ना मूल्य	क्रय-कर	योग	गन्ना मूल्य	क्रय-कर	योग
१	इकबालपुर	..	६.८८	६.८८	..	८.१७	८.१७
२	डोईवाला	..	१.०३	१.०३	३.९२	५.०३	८.९५
३	देवबन्द	..	५.८७	५.८७	..	१८.४७	१८.४७
४	लक्सर	..	..	..	..	..	..
५	सहारनपुर	..	४.०७	४.०७	६.६३	६४.४३	१३.०६
६	सरसावां	..	१.८१	१.८१	४.१७	३.७०	७.८७
७	मन्सूरपुर	..	१०.३७	१०.३७	६.५५	१०.१६	१६.७१
८	खतौली	..	३.१९	३.१९	०.२७	९.२१	९.४८
*९	डोहाना	..	..	..	०.२६	..	०.२६
*१०	शामली	..	..	..	..	..	..
	मेरठ सर्किल :						
११	सखौती	१.३०	६.९२	८.२२	२.१६	४.१४	६.३०
*१२	दौराला	०.०४	..	०.०४	..	..	..
१३	जसवन्त	..	..	..	१०.९३	४.३८	१५.३१

१४	मोहिउद्दीनपुर	..	३.०२	३.०२	१४.४१	४.२५	१८.६६	
*१५	बेगमाबाद	०.०१	..	०.०१	..	..	..	
*१६	सिम्भौली	..	..	..	..	..	..	
*१७	मवाना	..	..	..	..	..	..	
१८	बागपत	..	८.५०	८.५०	..	..	..	
१९	बुलन्दशहर	..	५.३४	५.३४	६.९३	५.९०	१२.८३	
	मुरादाबाद सर्किल :							
२०	काशीपुर	..	..	..	..	१.८४	१.८४	
*२१	बाजपुर	..	..	..	..	..	..	
२२	अमरोहा	..	१०.१८	१०.१८	८.७३	१०.८६	१९.५९	
२३	बिलारी	०.२८	५.०८	५.३६	०.३८	१०.४०	१०.७८	
२४	धामपुर	०.०४	२.५८	२.६२	..	..	..	
२५	सिवारा	..	०.९६	०.९६	..	..	..	
२६	बिजनौर	..	३.४६	३.४६	१३.२८	६.६२	१९.९०	
२७	रामपुर	१३.९३	१४.४४	२८.३७	०.१८	११.७७	११.९५	
	बरेली सर्किल :							
*२८	नेवली	..	..	..	..	..	..	
*२९	बहेड़ी	..	..	..	..	..	..	
३०	बरेली	५.९९	५.६४	११.६३	१३.६३	१.९१	१५.५७	
*३१	पीलीभीत	..	..	..	..	..	..	
*३२	मझौला	०.१४	..	०.१४	..	..	..	
३३	रोजा	..	३.७४	३.७४	१.२८	५.१६	६.४४	

उत्तर प्रदेश सभा

क्रम-सं०	नाम चीनी मिल	वर्ष १९६९–७०			वर्ष १९७०–७१		
		गन्ना मूल्य	क्रय-कर	योग	गन्ना मूल्य	क्रय-कर	योग
सीतापुर सर्किल :							
*३४	हरदोई	..	..	..	..	..	..
*३५	हरगांव	..	..	..	..	..	..
३६	महोली	..	४.०१	४.०१	..	१०.८६	१०.८६
*३७	बिस्वां	०.०३	..	०.०३	..	..	..
*३८	गोला	..	..	..	..	..	..
*३९	ऐरा	..	..	..	..	..	..
४०	बुढ़वल	१८.५२	३.८२	२२.३४	१३.७१	४.५४	१८.२५
४१	बाराबंकी	१२.३१	४.९३	१७.२४	२.७०	४.६०	७.३०
गोंडा सर्किल :							
४२	मोतीनगर	०.०८	२.५९	२.६७	६.३९	..	६.३९
*४३	शाहगंज	०.१८	..	०.१८	..	..	..
४४	बभनान	..	३.५५	३.५५	१३.८५	३.८२	१७.६७
४५	नवाबगंज	..	१.२४	१.२४	२.९२	६.४८	९.४०
४६	तुलसीपुर	..	२.२४	२.२४	..	९.५६	९.५६
४७	बलरामपुर	..	..	..	..	५.४४	५.४४
४८	जरवल रोड	१३.६०	४.७८	१८.३८	१९.३३	३.९२	२३.२५
गोरखपुर सर्किल :							
४९	खलीलाबाद	..	..	..	०.९८	२.७२	३.७०
५०	मुंडेरवा	..	..	..	२.१९	४.१२	६.३१
५१	बलरी	..	५.४४	५.४४	०.०७	७.५३	७.६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५२	वाल्टरगंज	..	३.७६	३.७६	०.०२	५.८४	५.८६
५३	सरवारनगर	..	..	..	१८.६८	१५.०२	१८.७०
५४	पिपराइच	..	४.८४	४.८४	८.३८	५.२१	१३.५६
५५	घुघली	..	२.६१	२.६१	०.७२	७.१६	७.८८
५६	सिसवा बाजार	२.४२	६.४८	८.६०	१:२३	५.८५	७:०८
*५७	आनन्दनगर	..	..	..	..	..	..
देवरिया सर्किल :							
५८	परतःपुर	..	..	..	..	..	..
५६	बैतालपुर	..	४.७५	४.७५	५.२३	५.६५	१०.८८
६०	देवरिया	..	३.५६	३.५६	०.४६	५.६७	६.४३
६१	गौरीबाजार	..	..	..	..	४.८६	४.८६
६२	कैप्टेनगंज	..	..	..	..	..	..
६३	खड्डा	१८.८२	४.११	२२.६३	७.८७	१.३४	६.२१
६४	छितौनी	..	४.१२	४.१२	..	४.५७	४.५७
६५	लक्ष्मीगंज	०.१०	५.७४	५.८४	२०.८३	५.६०	२६.७३
६६	रामकोला (पी)	..	..	..	..	८.७५	८.७५
६७	रामकोला (के)	१४.७७	३.६४	१८.७१	..	५.६२	५.६२
६८	पडरोना	..	५.५३	५.५३	०.०४	७.३८	७.४२
६६	कठकुइयां	..	२.२३	२.२३	..	५.३८	५.३८
७०	सेवरही	..	३.०१	३.०१	१.७१	५.८४	७.५५
७१	भटनी	..	३.१६	३.१६	..	२.६४	२.६४
	कुल योग	१०२.५६	१६३.६८	२६६.२४	२२१.०५	२६५.२८	५१६.३३

*इन मिलों में कय-कर (वर्ष १६६६-७० एवं १६७०-७१) का बकाया सम्पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया है। शेष चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण जारी कर दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२९ पर)

व्योरा

क्रम-संख्या	नाम चीनी मिल	बढ़े हुए गन्ने का दाम देने की तिथि	बढ़े हुए गन्ने के दाम की प्रति कुन्तल दर (रु० में)	
			गेट वाह्य क्रय केन्द्र	
१	२	३	४	५
१—बाराबंकी	.. ..	२२-१२-७१	८.५०	८.००
,,	.. ..	१९-१-७२	९.५०	९.००
	.. ..	२-२-७२	१०.००	९.५०
२—बुढ़वल	.. .. ..	२२-१२-७१	८.५०	८.००
,,	.. .. ..	१९-१-७२	९.५०	९.००
,,	.. .. ..	२-२-७२	१०.००	९.५०
३—बिसवां	.. .. ..	१-१२-७१	..	८.००
(फतेहपुर रेल केन्द्र)	.. ..	१४-२-७२	..	१०.००
४—मसौधा (सड़क केन्द्र भलेसर)	..	१९-११-७१	..	७.५०
,,	.. ..	१८-१२-७१	..	८.००
,,	.. ..	१८-१-७२	,,	९.००
,,	.. ..	२८-१-७२	..	९.५०
,,	.. ..	३-२-७२	..	१०.५०
रेल केन्द्र दरयाबाद सैयद-खानपुर तथा पटरंगा।	..	१८-१२-७१	..	७.५०
		२६-१२-७१	..	८.००
		१८-१-७२	..	९.००
		३-२-७२	..	१०.००

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३५ पर)

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–५

संख्या १०१(वि)/३६–५–१०२४ (टीडी)-७१
लखनऊ, दिनांक ३१ जनवरी, १९७२

विज्ञप्ति

विविध

मिनिमम वेजेज ऐक्ट, १९४८ (ऐक्ट संख्या ११, १९४८) की धारा ३ के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और विज्ञप्ति संख्या ३३१५(टीडी)/३६–ए—१०६२ (टीडी)-६५, दिनांक १८ अक्तूबर, १९६६ का अतिक्रमण करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उत्तर प्रदेश में कृषि नियोजन में सेवायोजित कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को विज्ञप्ति संख्या ३७०९(टीडी)/३६–ए–१०२४ (टीडी)/७१, दिनांक २४ जुलाई, १९७१ में प्रकाशित प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर उक्त ऐक्ट की धारा ५ की उपधारा (२) की अपेक्षानुसार विचार करने के पश्चात् विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से निम्नलिखित पुनरीक्षित करते हैं—

कृषि कार्यों में नियोजन के सम्बन्ध में मजदूरी की न्यूनतम दरें

मजदूरी की दरें

उन परिक्षेत्रों (जोन्स) के लिए, जो नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ १ में उल्लिखित हैं, किसी वयस्क कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें अनुसूची के स्तम्भ २ में प्रत्येक के सामने दिखाई गई धनराशि के अनुसार होगी—

स्तम्भ १	स्तम्भ २	
*परिक्षेत्र (जोन)	किसी वयस्क कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें	
	कृषि क्षेत्रों (फार्मों) में जो २० एकड़ से कम हो	२० एकड़ तथा २० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी कृषि फार्मों में तथा ऐसे समस्त कृषि फार्मों पर बिना किसी क्षेत्रीय हदबन्दी के जो किसी नोटीफाइड एरिया, म्युनिसिपल अथवा कैन्टूनमेंन्ट की सीमा के पांच मील के भीतर हों
	रु०	रु०
१–पूर्वी जिले ..	२.५० प्रति दिन या ६५.०० प्रतिमाह	२.६५ प्रति दिन या ६८.९० प्रतिमाह
२–मध्य बुंदेलखण्ड के जिले	२.७५ प्रतिदिन या ७१.५० प्रतिमाह	२.९० प्रतिदिन या ७५.४० प्रतिमाह
३–पश्चिमी जिले..	३.१५ प्रति दिन या ८१.९० प्रतिमाह	३.३० प्रतिदिन या ८५.८० प्रति माह
४–पर्वतीय जिले ..	तदैव	तदैव

*प्रत्येक परिक्षेत्रों (जोन्स) में आने वाले जिलों की सूची परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

२—प्रति घंटा मजदूरी की दर दैनिक मजदूरी की दर का छठा भाग होगी।

३——न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नकद या जिन्स में अथवा अंशतः नकदी में या अंशतः जिन्स में इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य किसी भी दशा में नियत न्यूनतम (मजदूरी) से कम न होगी।

स्पष्टीकरण——किसी वयस्क कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की गणना करने में परिलब्धियों (Perquisites) के, यदि कोई हों, आर्थिक मूल्य को भी ध्यान रखा जायेगा।

४——बच्चों के लिए (१५ वर्ष के कम के व्यक्ति) न्यूनतम मजदूरी की दर तत्स्थानीय परिक्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र (फार्म) फार्म में वयस्क कर्मचारी के लिए मजदूरी की दर के आधे के बराबर होगी।

आज्ञा से,
ज्ञान प्रकाश,
सचिव।

परिशिष्ठ 'क'

प्रत्येक परिक्षेत्र (जोन्स) में आने वाले जिलों की सूची

पूर्वी जिले——

१——देवरिया
२——गोरखपुर
३——बस्ती
४——आजमगढ़
५——गोंडा
६——बहराइच
७——फैजाबाद
८——सुल्तानपुर
९——प्रतापगढ़
१०——बलिया
११——वाराणसी
१२——जौनपुर
१३——मिर्जापुर
१४——इलाहाबाद
१५——गाजीपुर

मध्य बुन्देलखंड के जिले——

१——झांसी
२——जालौन
३——हमीरपुर
४——बांदा
५——खीरी
६——सीतापुर
७——लखनऊ
८——रायबरेली
९——उन्नाव
१०——हरदोई
११——कानपुर
१२——फतेहपुर
१३——बाराबंकी

पश्चिमी जिले——

१——सहारनपुर
२——मेरठ
३——बुलन्दशहर
४——अलीगढ़
५——मुजफ्फरनगर
६——आगरा
७——एटा
८——मथुरा
९——मैनपुरी
१०——बिजनौर
११——मुरादाबाद
१२——बदायूं
१३——रामपुर
१४——बरेली
१५——पीलीभीत
१६——शाजहांपुर
१७——इटावा
१८——फर्रुखाबाद

पर्वतीय जिले——

१——टेहरी गढ़वाल
२——अल्मोड़ा
३——नैनीताल
४——गढ़वाल
५——देहरादून
६——उत्तर काशी
७——चमोली
८——पिथौरागढ़

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४० पर)

मुख्य मंत्री सहायता कोष में ३१-१२-७१ तक प्राप्त धनराशि का जिलेवार विवरण

क्रम-सं०	जिले का नाम	रु०	क्रम-सं०	जिले का नाम	रु०
१	आगरा	४५१-००	२८	झांसी	—
२	अलीगढ़	४८५-००	२९	अल्मोड़ा	४-०५
३	एटा	४२५-००	३०	नैनीताल	१,६२४-००
४	मैनपुरी	५,०६०-००	३१	पिथौरागढ़	२१-००
५	मथुरा	४८३-००	३२	हरदोई	१२०-००
६	इलाहाबाद	३३,४८९-००	३३	खीरी	३००-००
७	इटावा	५८४-००	३४	लखनऊ	६५,५००-२२
८	फर्रुखाबाद	३,२६६-००	३५	रायबरेली	१६६-००
९	फतेहपुर	७,०४६-२९	३६	सीतापुर	—
१०	कानपुर	१,९३८-५०	३७	उन्नाव	५,७६२-००
११	बहराइच	६०-००	३८	बुलन्दशहर	१,३८३-००
१२	बाराबंकी	५११-००	३९	देहरादून	—
१३	फैजाबाद	१८०-००	४०	मेरठ	३६,३८९-९६
१४	गोंडा	१८०-००	४१	मुजफ्फरनगर	९३७-००
१५	प्रतापगढ़	३२०-००	४२	सहारनपुर	४,०५१-००
१६	सुल्तानपुर	६०-००	४३	बरेली	५,०७७-००
१७	चमोली	१,०२५-००	४४	बिजनौर	४,२५१-००
१८	गढ़वाल	७३०-००	४५	बदायूं	१२०-००
१९	टेहरी गढ़वाल	२५८-४५	४६	मुरादाबाद	५,९८६-१५
२०	उत्तरकाशी	—	४७	पीलीभीत	९०१-००
२१	आजमगढ़	—	४८	रामपुर	५११-००
२२	बस्ती	१०१-००	४९	शाहजहांपुर	२४०-००
२३	देवरिया	६११-००	५०	बलिया	६,३१२-००
२४	गोरखपुर	२६३-००	५१	गाजीपुर	६०-००
२५	बांदा	११०-००	५२	जौनपुर	७२२-००
२६	हमीरपुर	१११-००	५३	मिर्जापुर	२४०-००
२७	जालौन	२६-००	५४	वाराणसी	२८१-००
				योग ..	१,९८,७३३-६२

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४१ पर)

उन कम्पनियों के नाम जिनसे कि कुंदन मिल की मरम्मत के लिये सामग्री खरीदी गई

१—मेसर्स लल्लू (इंडिया) प्रा० लि०, मेरठ ।
२—,, फैक्टरी स्टोर्स कारपोरेशन दिल्ली ।
३—,, के० के० मेहरोत्रा ऐंड कं० नई दिल्ली ।
४—,, डी० ऐंड एचसंचरोल इलेक्ट्रोड्स प्रा० लि०, इंदौर ।
५—,, मिल्स स्टोर्स सिंडीकेट, कानपुर ।
६—,, यासीन ब्रदर्स, अमरोहा ।
७—,, श्री कृष्ण मोहन, अमरोहा ।
८—,, रायल ट्रांसपोर्ट कंपनी, अमरोहा ।
९—,, बोस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि० हाबड़ा ।
१०—,, टाइड वाटर आइल कं० (इंडिया) लि०, कलकत्ता ।
११—,, के० डेस्कालिंग केमिकल्स कानपुर ।
१२—,, फैक्टरी इक्विपमेंट्स, दिल्ली ।
१३—,, इंडियन आइल कारपोरेशन लि०, बरेली ।
१४—,, मणिलाल ऐंड ब्रदर्स, दिल्ली ।
१५—,, स्मिथ रे ऐंड कंपनी, कलकत्ता ।
१६—,, मिल्को केमिकल कं० बम्बई ।
१७—,, मेसर्स श्री स्वदेशी आयल फैक्टरी कानपुर।
१८—,, दि एशियाटिक केमिकल्स कम्पनी, कानपुर ।
१९—,, रतन जी भगवानी ऐंड कम्पनी दिल्ली ।
२०—,, इंडियन आक्सीजन लि० नई दिल्ली ।
२१—,, पंजाब ट्रंक हाउस, मुरादाबाद।
२२—,, नन्दा ब्रुश ऐंड इंजीनियरिंग वर्क्स, मेरठ ।
२३—,, सिम्प्लेक्स इंजीनियर्स ऐंड ट्रेडर्स, मेरठ ।
२४—,, अशोक कुमार अनिल कुमार, अमरोहा ।
२५—,, श्री विश्वनाथ भट्टा वाला, अमरोहा ।
२६—,, मोहन एजेंसीज लि० कलकत्ता ।
२७—,, रायल रबर वर्क्स दिल्ली ।
२८—,, स्टेंडर्ड फारमेसी, दिल्ली ।
२९—,, कुवरजी देवशी ऐंड कं० बंबई

३०—मेसर्स सहगल संस, नई दिल्ली ।
३१—,, कैलाश ब्रदर्स प्रा०लि० दिल्ली ।
३२—,, जमींदार इंजीनियरिंग कं० गाजियाबाद।
३३—,, न्यू होराइजन केमिकल कं० बंबई ।
३४—,, जे० एस० पटेल ऐंड कं०, कलकत्ता ।
३५—,, ऐंग्लो स्टैंडर्ड कं०, कलकत्ता ।
३६—,, आर० एच० पी० इंडस्ट्री, गोरखपुर।
३७—,, एस०वी० इलेक्ट्रिक कं०, दिल्ली ।
३८—,, बी०आई० इलेक्ट्रिक कं० दिल्ली ।
३९—,, एसोसिएटेड रेडियो ऐंड इलेक्ट्रिक कं०, दिल्ली ।
४०—,, पाल इंजीनियरिंग कं०, गाजियाबाद।
४१—,, इंडस्ट्रियल लेदर ऐंड रबड़ वर्क्स, कलकत्ता ।
४२—,, जे० उमाशंकर ऐंड कं०, दिल्ली ।
४३—,, रबड़ इंजीनियरिंग ऐंड पोलिंडग कं०, कलकत्ता ।
४४—,, इंटरनेशनल वायर नैटिंग स्टोर्स, कलकत्ता ।
४५—,, पी० प्रकाश ऐंड संस, लखनऊ ।
४६—,, आटो ट्रैक कारपोरेशन कलकत्ता ।
४७—,, रामजी लाल रामस्वरूप, दिल्ली ।
४८—,, ब्रिटिश पेंट्स (इंडिया) लि०, नई दिल्ली ।
४९—,, कूका एंटरप्राइजेज, नई, दिल्ली ।
५०—,, कमल साइंटिफिक स्टोर्स, दिल्ली ।
५१—,, बाबू खां कंट्रेक्टर, रामपुर ।
५२—,, अग्रवाल ब्रदर्स (रजिस्टर्ड) मेरठ ।
५३—,, आर० आर० पाल ऐंड कं०, बिजनौर ।
५४—,, हरचरन सिंह भाटिया ऐंड कं०, नैनीताल ।
५५—,, कुमार ऐंड कम्पनी नई दिल्ली ।
५६—,, गोयल इंजीनियर्स (इंडिया) नई दिल्ली ।
५७—,, द देलही मशीनरी स्टोर्स, दिल्ली ।
५८—,, शालीमार पेंट्स लि० नई दिल्ली ।
५९—,, माधुरी यन्टर प्राइजेज, बम्बई ।
६०—,, डार ओलीवर (इंडिया) लि० बम्बई ।
६१—,, यू०पी० पेंट्स ऐंड मिल स्टोर्स, मेरठ।
६२—,, इंडस्ट्रियल कारपोशन, पानीपत (हरियाना)
६३—,, जे० पटेल ऐंड कं० नई दिल्ली ।
६४—,, द देहली साइंटिफिक वर्क्स, दिल्ली ।
६५—,, सिम्पेंलक्स ऐजेंसीज, मेरठ।

६६—मेसर्स ढिगरा साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स कं०, दिल्ली ।
६७—,, कुमार इंजीनियर्स, रिवारी ।
६८—,, जैन इलेक्ट्रिक स्टोर्स, दिल्ली ।
६९—,, हीरा ऐंड कम्पनी लुधियाना ।
७०—,, इंडिका ट्रेडर्स, दिल्ली ।
७१—,, द एलगिन मिल्स कम्पनी लि० कानपुर ।
७२—,, करम सिंह इंदरपाल सिंह छवर्स, दिल्ली ।
७३—,, रियल हार्डवेयर मार्ट, बम्बई ।
७४—,, बेंगाल एलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, दिल्ली ।
७५—,, सरवस्ती मशीनरी कारपोरेशन सहारनपुर।
७६—,, करमचन्द ढापर ऐंड ब्रादर्स, मुरादाबाद।
७७—,, जगन्नाथ दुदाधर बर्मा शेल एजेंट्स, दिल्ली ।
७८—,, गुप्ता प्रिंटिंग्स प्रेस, मुरादाबाद ।
७९—,, सारू स्टेशनिंग प्रा० लि०, मेरठ ।
८०—,, द कार्मशियल एलेक्ट्रिक वर्क्स, दिल्ली ।
८१—,, कमल प्रेस, अमरोहा ।
८२—,, नेशनल स्टेशनर्स, दिल्ली ।
८३—,, नेशनल इलेक्ट्रिक कं०, नई दिल्ली ।
८४—,, द स्टैंडर्ड केमिकल कं०, कानपुर ।
८५—,, द उजागर सिंह ऐंड सन्स, कानपुर ।
८६—,, इंदर डमन ऐंड सन्स, डोईवाला ।
८७—,, एस० सी० कुमार ऐंड कं० दिल्ली ।
८८—,, देहली क्लोद्ज ऐंड जनरल कं० लि० दिल्ली ।
८९—,, इंडस्ट्री ऐंड प्रोडक्ट्स, बम्बई ।
९०—,, आनन्द ब्रदर्स, देहरादून ।
९१—,, मेसर्स सरदारी लाल ओबेरई, देहरादून ।
९२—,, दौराला शुगर वर्क्स, दौराला ।

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४१ पर)

सीजन १९७१–७२ में १५–११–७१ से ५.१.७२ तक कुंदन चीनी मिल अमरोहा द्वारा गन्ने की दैनिक पेराई तथा चीनी पर्ता

तिथि	दैनिक गन्ना पेराई (हजार क्विंटल में)	दैनिक चीनी पर्ता (%)
१५–११–७१	५.७०	७.५०
१६–११–७१	८.७५	७.५६
१७–११–७१	१२.३०	७.५६
१८–११–७१	१२.८०	७.६०
१९–११–७१	१४.७०	७.६७
२०–११–७१	१३.५०	७.८०
२१–११–७१	१५.१०	७.८२
२२–११–७१	१४.००	७.८५
२३–११–७१	१३.७०	७.८७
२४–११–७१	१४.८०	७.४०
२५–११–७१	१५.१०	७.४५
२६–११–७१	१०.३०	७.५६
२ –११–७१	८.४०	७.६१
२८–११–७१	१३.३०	७.६७
२९–११–७१	१२.३०	७.७०
३०–११–७१	१२.८०	७.९०
१–१२–७१	१४.२०	८.००
२–१२–७१	१५.८०	८.१०
३–१२–७१	१५.३०	८.००
४–१२–७१	१४.००	८.१०
५–१२–७१	१३.५०	८.१२
६–१२–७१	१३.८०	८.१५
७–१२–७१	१४.९०	८.२०
८–१२–७१	३.४५	८.३०
९–१२–७१	२.३०	७.४०
१०–१२–७१	१५.६५	८.४०

तिथि			दैनिक गन्ना पेराई (हजार क्विंटल में)	दैनिक चीनी परता (%)
११–१२–७१	..	..	१३.४०	८.५६
१२–१२–७१	..	..	१२.४०	८.७१
१३–१२–७१	..	..	१६.४०	८.९०
१४–१२–७१	..	..	१५.००	८.९०
१५–१२–७१	..	..	१७.४०	९.००
१६–१२–७१	..	..	१७.६०	९.०३
१७–१२–७१	..	..	१६.४०	९.०३
१८–१२–७१	..	..	१५–३०	९.०४
१९–१२–७१	..	..	१५–१०	९.००
२०–१२–७१	..	..	१५.४०	९.०१
२१–१२–७१	..	..	१६.६०	९.००
२२–१२–७१	..	..	१६.००	८.९०
२३–१२–७१	..	..	१६.८०	८.८२
२४–१२–७१	..	..	१५.००	८.८१
२५–१२–७१	..	..	१४.८०	८.७०
२६–१२–७१	..	..	१६.३०	८.५०
२७–१२–७१	..	..	१६.३०	८.६०
२८–१२–७१	..	..	१७.००	८.६०
२९–१२–७१	..	..	१५.८०	९.२०
३०–१२–७१	..	..	१०.६७	९.००
३१–१२–७१				
१–१–७२	सामान्य सफाई (Clearing)			
२–१–७२	..	..	१०–८०	९.२०
३–१–७२	..	..	८.८०	९.४०
४–१–७२	..	..	११–३५	९.२६
५–१–७२	..	..	१५–१०	९.२७

पी० एस० यू० पी०— ए० पी० २७ एल० ए०—१९७२—८४५ (सैंग०)